खण्ड-138, अंक-1
सोमवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(23 अगस्त, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 138 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के सदस्य श्री टीकाराम को एक अभियोग में दण्ड मिलने के सम्बन्ध में सूचना	३६
विधान सभा के सदस्य श्री खयाली राम शास्त्री को फांसी की सजा के सम्बन्ध में सूचना	३६–३७
उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३७
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५४ (मेज पर रक्खा गया) ..	३७
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के संशोधन संबंधी विज्ञप्तियां (मेज पर रक्खी गयीं)	३७
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि संरक्षण व्यवस्था नियमावली के संशोधन संबंधी विज्ञप्त (मेज पर रखी गयी) ..	३७–३८
रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम (मेज पर रखे गये)	३८
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के भाषण की प्रति, १९५०–५१ के विनियोग लेखे और १९५२ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की रिपोर्ट (प्रति का मेज पर रखना स्थगित) ..	३८
हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति, रीजनल एम्पलायमेंट एडवाइजरी कमेटी तथा बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन के प्रस्ताव (स्वीकृत)	३८–३९
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ (पुरःस्थापित किया गया) ..	३९
यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ (पुरः स्थापित किया गया)	३९
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ (पुरः स्थापित किया गया)	३९
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४ (पुरः स्थापित किया गया).. ..	३९
उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४ (प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया)	४०
उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ (प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया)	४०
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया)	४०
लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया)	४०
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किये जाएं स्थगित।)	४०–४१
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक १९५४ (विचारोपरान्त पारित)	४१–५५
उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४ (प्रस्ताव कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय—स्थगित) ..	५५—५७
अगले दिन का कार्यक्रम	५७–५८
सत्रियां	५९–२१६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६७)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
इसराइल हक, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशी राम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंद वल्लभ पंत, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचंद, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव बाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुलहक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री

बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीत्तल, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामा चरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री

सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखोराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

ग्राम बांधो, जिला बांदा के बाढ़-पीड़ितों की सहायता

*१---**श्री जगपति सिंह** (जिला बांदा)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जिले की मऊ तहसील के बांधी ग्राम में नाले की बाढ़ से २६ मकान, गल्ला व सामान सब नष्ट हो गये हैं ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)---जी हां।

*२---**श्री जगपति सिंह**---सरकार की ओर से उन बाढ़ पीड़ितों को क्या-क्या सहायता दी गयी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---सरकार की ओर से ग्रामवासियों को ३००० रु० की तकावी देने का प्रबन्ध था, परन्तु उन्होंने केवल १०८० रु० की तकावी ली, पीड़ितों को १०० रु० का अन्न मुफ्त देने का प्रबन्ध था, परन्तु कोई इसे लेने नहीं आया।

लोगों को जंगल विभाग से मकान बनाने के लिये मुफ्त लकड़ी दी गयी।

श्री जगपति सिंह---क्या सरकार को यह मालूम है कि इस गांव में पुलिया के कम चौड़े होने से बाढ़ आयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसकी जांच करने के लिए २६ जनवरी, १९५३ को ही एस० डी०ओ० करवी और इंजीनियर साहब गये थे। पुलिया के सम्बन्ध में ऐसा ख्याल है कि अगर आवश्यकता होगी तो वह चौड़ी कर दी जायगी। लेकिन पुलिया की वजह से बाढ़ नहीं आयी।

श्री जगपति सिंह---क्या यह सही है कि वहां के कानूनगो लोगों ने इंजीनियर साहब का विरोध पहले ही किया था और उन्होंने उसको चौड़ी नहीं किया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---हो सकता है कि किया हो।

बांदा जिले के कुछ भागों में पाला पड़ने से क्षति

*३---**श्री जगपति सिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले की करवी व मऊ व पूर्वी बबेरू तहसीलों के किन-किन ग्रामों में पाला पड़ने से कितनी क्षति हुयी है और उन ग्रामों के किसानों को सरकार क्या मदद पहुंचाने का विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बांदा जिले की करवी, मऊ तथा बबेरू तहसीलों के १८६ ग्रामों में पाला से पिछली रबी की फसल को कुछ हानि पहुंची, परन्तु बबेरू तहसील के पांच ग्रामों को छोड़ कर शेष गांवों में हानि नाममात्र थी। इन ५ गांवों में हानि (६) और (८) के बीच में थी, इसलिये केवल इन्हीं गाँवों में १०४८ रु० की मालगुजारी में छूट दी गयी।

श्री जगपति सिंह—क्या सरकार आइंदा गजटेड अफसरों के द्वारा इस पर जांच कराने का विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जैसी आवश्यकता होती है, वैसा किया जाता है।

गाजीपुर जिले में लगान की वसूली के लिये गिरफ्तारी तथा कुर्की को वारण्ट

*४—**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि एक कलेक्शन अमीन को कितने गांव आमतौर पर वसूली के लिये दिये गये हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अमीनों के क्षेत्र सरकारी करों की एक निश्चित मांग की वसूली के आधार पर बनाये गये हैं, गांवों की संख्या पर नहीं। सम्मिलित संग्रह योजना में प्रत्येक अमीन को लगभग ५० हजार रुपये की वसूली का एक हल्का दिया जाता है।

*५—**श्री शिव पूजन राय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिले में इस वर्ष मालगुजारी वसूली के लिये कितने वारन्ट गिरफ्तारी तथा कुर्की के जारी किये गये हैं तथा कितने पर कुर्की की कार्यवाही की गयी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—१९६१ फसली में गाजीपुर जिले में ९८४ वारन्ट गिरफ्तारी और ४२२ वारंट कुर्की जारी हुए। इनमें से केवल २९ वारन्ट गिरफ्तारी तथा ६ वारन्ट कुर्की कार्यान्वित किये गये।

श्री शिव पूजन राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् ५४ में जिनका लगान माफ था उनका लगान भी कुर्की से वसूल किया गया है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—ऐसी कोई इत्तिला गवर्नमेंट को नहीं है। उनसे वसूल करने का सवाल आम तौर से उठता नहीं।

श्री शिव पूजन राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् ५३-५४ में जो लगान माफ हुए वह लगान वसूल हुए हैं या नहीं ?

श्री चरण सिंह—जो लगान या मालगुजारी गवर्नमेंट की तरफ से माफ की जाती है उसके मुताल्लिक पहले जिलाधीश सिफारिश करता है कि इसको माफ किया जाय और सिफारिश करने के साथ-साथ उसको यह अख्तियार है कि वह उसकी वसूलयाबी को सस्पेंड कर दे। वह वसूलयाबी को पहले ही सस्पेंड कर देता है। इसके बाद गवर्नमेंट यह तय करती है कि माफ किया जाय या न किया जाय। माफ नहीं किया जाता है तो वसूलयाबी होती है। जो लगान माफ कर दिया जाता है तो उसकी वसूलयाबी तो पहले से ही सस्पेंड होती है। इसलिये उसके वसूल करने का कोई सवाल उठता नहीं। अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ऐसा हुआ हो तो माननीय मित्र उसे मेरी नोटिस में लायें, मैं तहकीकात करूंगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि मालगुजारी वसूल करने के कानून में वह ऐसा परिवर्तन करने वाली है जिससे कि किसानों की गिरफ्तारी न हो।

श्री चरण सिंह—नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---जो यह जवाब दिया गया है कि वारंट तो जारी किये गये लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुयी, इसका क्या मतलब माननीय मंत्री जी समझते हैं ?

श्री चरणसिंह---इसके माने यही हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुयी पकड़े नहीं गये। या तो अफसरान जिस वक्त गांव में पकड़ने के लिये पहुंचे उसी वक्त उन्होंने लगान दे दिया या पहुंचने के पहले ही तहसील में जाकर जमा कर दिया ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वारन्ट में गिरफ्तार करने के बाद सिवाय तहसीलदार के पास हाजिर करने के रूल्स में कोई दूसरा नियम नहीं है, रुपया जमा करने के बाद भी चपरासी छोड़ नहीं सकता, ऐसा नियम है ?

श्री चरण सिंह---वह तो नियमावली में मौजूद है, नियमावली आप देख सकते हैं।

बेदखली के कानूनों के सम्बन्ध में हाई कोर्ट की रूलिंग

*६---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ८ जनवरी, सन् ५४ को प्रयाग हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने कोई रूलिंग दी है कि पुराने बेदखल करने वाले कानूनों पर जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की कोई धारा रुकावट पैदा नहीं करती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, परन्तु यह रूलिंग ४ जनवरी, १९५४ की है।

*७---**श्री राम सुन्दर पाण्डेय**---यदि हां, तो क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में वे कोई इस प्रकार का संशोधन करने जा रहे हैं जिससे कि पुराने बेदखल करने वाले ऐक्टों की रुकावट पैदा करके बेदखली रोकी जा सके ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी नहीं ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ४ जुलाई सन् १९५४ की उच्च न्यायालय की रूलिंग के अनुसार इस प्रांत में कितनी बेदखलियां हुयीं ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं । इसका कोई रेकर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन वैसे रेकर्ड के तौर पर नहीं, मेरे इल्म में कोई बेदखली हुयी नहीं, क्योंकि वह रूलिंग बिलकुल सही थी और जो बोर्ड आफ रेवेन्यू के फैसले हैं उसमें और उनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगे कि उन पुराने ऐक्टों में संशोधन न करने के क्या कारण हैं ?

श्री चरण सिंह---कारण यह है कि जो रूलिंग है वह हमारी राय में और हमारे कानूनी सलाहकारों की राय में बिलकुल कानून की मंशा के मुताबिक है। अगर कानून की मंशा में या कानून के अनुसार भी, कानून में कोई गलती रह जाती, मंशा के खिलाफ कोई लफ्ज लिख जाता तब रूलिंग होती तो संशोधन करने का प्रश्न उठता।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---तो क्या मैं माननीय मंत्री जी के कथन का मतलब यह समझूं कि माननीय मंत्री जी की सरकार किसानों की बेदखली बन्द करने के पक्ष में नहीं थी ?

श्री चरण सिंह---जी, सब प्रकार की बेदखली बन्द करने का गवर्नमेंट का कभी इरादा नहीं था। उसमें कुछ लोगों की बेदखली खुली हुयी है लेकिन उनकी संख्या नगण्य है ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार को विदित है कि हाईकोर्ट के फैसले के विपरीत बोर्ड आफ रेवेन्यू का फैसला है और अभी तक बोर्ड आफ रेवेन्यू अपने ही फैसले के ऊपर कार्यवाही कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

आगरा जिले में फसलों की क्षति के कारण किसानों को सहायता

*८---श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---क्या सरकार को विदित है कि जिला आगरे में पिछले दो सालों में यानी फसली १३६० और १३६१ में फसलों को काफी क्षति हुई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां।

*९---श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार इस क्षति का फसलवार व तहसीलवार व्योरा बताने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५९ पर)

*१०---श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसानों को क्या सहायता इस सम्बन्ध दी गई या देने का विचार वह करती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---किसानों को जो सहायता दी गई या दी जायगी वह इस प्रकार है:---

		रुपये
(१)	माफी मालगुजारी	
	खरीफ १३६० फ०	१,५३,८८४
	रबी १३६० फ०	१,६९६
	खरीफ १३६१ फ०	५,३०,२६८
	रबी १३६१ फ०	५,७९,६२०
(२)	माफी आबपाशी कर	३,०४,५०२
(३)	तकावी १३६० फ०	१,२८,३५०
	१३६१ फ०	२,४८,९३३
(४)	अनुदान सहायता	१,६००
(५)	नेचुरल कैलेमिटी फंड	२७,३६०
(क)	नकदी सहायता	३,३२०

श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आमरा जिले में सन् १३६० और ६१ फसली में जो फसलों को हानि हुई है उसके क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह---प्राकृतिक विपत्ति।

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)---आबपाशी में जो छूट दी गयी है वह फी रुपया किस दर से दी गयी है ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये तो बहुत तफसील से जवाब देने की जरूरत होगी और इस वक्त यहां तफसील मौजूद नहीं है। अगर माननीय मित्र दफ्तर में आयें तो वह भी बतला दी जायगी और अगर मौजूद नहीं होगी तो कलेक्टर से मंगा लेंगे।

आप की इजाजत से एक बात अर्ज करना चाहता हूं । वह यह है कि जिस तरह से सवाल इस तरह से तफसील के होते हैं कि हर फसल में और हर गांव में कितना नुकसान हुआ.....

श्री अध्यक्ष---हर गांव का सवाल नहीं है ।

श्री चरणसिंह--हर तहसील का सवाल होता है तो हर गांव के आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं । माननीय मित्रों को अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी है कि उनका जवाब दें । लेकिन आपके जरिये मेरी दरख्वास्त यह है कि इस प्रकार के सवालों से इतना समय उनमें लग जाता है, मैं यह नहीं कहता कि उससे फायदा नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष---मैं जानना चाहूंगा कि तहसीलवार स्टैटिस्टिक्स तो हर तहसील में तैयार रहते होंगे, उसके लिये इकट्ठा करने की आवश्यकता तो नहीं होती ?

श्री चरणसिंह---तहसीलों में फसलवार तो आंकड़े नहीं होते । इसलिये दोबारा कागज-पत्र देखने पड़ते हैं ।

श्री अध्यक्ष---मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मुझे इस बात की इत्तला जरूर दे दें कि कौन कौन स्टैटिस्टिक्स वह इकट्ठे रखते हैं । कभी-कभी मैं इजाजत नहीं देता हूं । और उस वक्त मैं देखता हूं कि अखबारों में गवर्नमेंट की तरफ से वह स्टेटिस्टिक्स बाद में छपवा भी दिये गये । और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मैं इजाजत दे देता हूं और उसके स्टैटिस्टिक्स तैयार नहीं होते । इसलिये मैं यह जानना चाहूंगा क्योंकि मैं तो यह समझता था कि तहसीलवार स्टेटिस्टिक्स तैयार रहते हैं । हर गांव के बारे में जब कोई पूछता है तो मैं ऐसे प्रश्न की इजाजत नहीं देता ।

ओला-पत्थर के कारण राज्य के क्षति-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*११---श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष ओला तथा पत्थर पड़ने के कारण किन-किन जिलों में फसलों को अधिक क्षति पहुंची है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस प्रदेश के २३ जिलों में रबी १३६१ फ० की फसल को ओलों से अधिक क्षति पहुंची । इन जिलों के नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६० पर)

*१२---श्री बाबू नन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कारणों से जिन जिलों में क्षति पहुंची है उनके लिये सरकार की तरफ से सहायता की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जिलों के क्षति-ग्रस्त क्षेत्रों में नियमानुसार लगान की छूट, तकावी तथा अहेतुक सहायता के वितरण, टेस्टवर्क्स खोलने तथा अन्य सरकारी देयों की वसूली को स्थगित करने की कार्यवाही की गई है ।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कहीं-कहीं मालगुजारी वसूल कर लेने के बाद किसानों को छूट की पुर्जियां दी जाती हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जब मालगुजारी मुल्तवी हो जाती है तब वह वसूल नहीं होती, मुल्तवी होने के पहले ही वसूल की जाती है और छूट की पुर्जी मालगुजारी मुल्तवी होने के बाद ही दी जाती है इसलिये वसूली का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

जौनपुर जिले में लगान वसूली के सम्बन्ध में हरिजनों की नियुक्ति

*१३--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय जौनपुर जिले में वसूली के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, अमीन, चपरासी तथा अन्य क्लर्क कुल कितने रखे गये हैं और उसमें कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जौनपुर जिले में वसूली के सम्बन्ध में निम्नलिखित कर्मचारी रखे गये हैं और उनमें हरिजन तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :--

पद कर्मचारी	नियुक्ति की संख्या	हरिजन	पिछड़ी जाति
(१) नायब तहसीलदार--			
अ--सरकार द्वारा नियुक्ति	५	०	०
ब--स्थानीय नियुक्ति	४	०	०
(२) अमीन	९०	१३	१०
(३) अन्य क्लर्क ..	२६	२	१
(४) चपरासी ..	१८०	२९	६०

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो स्थानीय नियुक्ति नायब तहसीलदारों की हुई है उसमें हरिजन तथा पिछड़ी जाति वाले क्यों नहीं रखे गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कोई योग्य और पहले का तजुर्बेकार आदमी न मिला होगा।

श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि जौनपुर जिले में जब पिछली मर्तबा नायब तहसीलदारों की नियुक्ति के समय जो नायब तहसीलदार रक्खे गये थे उनमें हरिजन तथा पिछड़ी जाति दोनों को मुकर्रर किया गया था तो इस बार क्यों नहीं रक्खा गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जैसा मैंने पहले कहा मुमकिन है पहले योग्य और तजुर्बेकार शख्स मिल गये हों, लेकिन इस बार न मिले हों क्योंकि इसके लिये योग्य तथा पुराना तजुर्बेकार आदमी होने की जरूरत है ताकि अच्छे ढंग से काम कर सके।

प्रतापगढ़ जिले में विचाराधीन मुकदमे

*१४--श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में एस० डी० एम०, एस० डी० ओ० तथा जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों के इजलास में कितने मुकदमे तीन वर्ष से पेशी में पड़े हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--१५ जुलाई, १९५४ को माल के १५७ मुकदमें तीन वर्ष से बकाया पड़े थे जिसमें से ५४ मुकदमें स्थगित (stayed) हैं। उस दिनांक को फौजदारी का कोई भी मुकदमा तीन वर्ष का पुराना नहीं था।

*१५--श्री राजाराम किसान--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन मुकदमों के फैसले में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--फैसले में विलम्ब के जहां और अनेक कारण होते हैं उनमें कार्य की अधिकता भी एक कारण है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम का प्रचलन

*१६—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम राज्य के किन-किन जिलों में अभी तक लागू नहीं है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—राज्य के जिन-जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम अभी तक लागू नहीं है वे इस प्रकार हैं:—

(१) जिला देहरादून में परगना जौनसार बावर,

(२) जिला नैनीताल में तहसील नैनीताल,

(३) अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा टेहरी-गढ़वाल जिले,

(४) भूतपूर्व काशी राज्य, इन्क्लेब्ज तथा जिला मिर्जापुर में कैमूर पर्वत के दक्षिण में स्थित सरकारी आस्थानों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी सरकारी आस्थान,

(५) स्थानीय निकायों की भूमि,

(६) नागर क्षेत्रों में स्थित भूमि तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब निकट भविष्य में किन-किन जगहों पर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम सरकार का लागू करने का विचार है ?

श्री चरण सिंह—सभी जगहों पर।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार इसके लिये कोई समय बताने की कृपा करेगी कि कब तक यह जमींदारी विनाश अधिनियम इन क्षेत्रों में लागू किया जायगा ?

श्री चरण सिंह—जैसा कि माननीय मित्र ने कहा निकट भविष्य में।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी को पता है कि बनारस, कुमायूं और रामपुर के विधान सभा के सदस्यों द्वारा और वहां की जनता द्वारा इस बात की मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू कर दिया जाय ?

श्री चरण सिंह—बनारस में तो जो सरकारी आस्थान थे वहां जमींदारी पहली जुलाई सन् १९५४ ई० से खत्म हो चुकी है। जहां पर अभी खत्म नहीं हुई है मैं उसकी अभी कोई तारीख नहीं बतला सकता क्योंकि गवर्नमेंट के सामने बहुत सी मजबूरी है। रामपुर में ठेकेदारी खात्मे का बिल लागू किया गया और उसके बाद १५-२० सरकारी इलाके में जमींदारी खत्म भी हुई, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि वहां से हाईकोर्ट में एक रिट एप्लीकेशन हो गयी तो जब तक वह तय न हो तब तक हमारा आगे का क़दम रुका रहेगा, किन्तु हमारी कोशिश यह है कि जल्द से जल्द बाकी सभी इलाकों में जमींदारी खत्म हो जाय। परन्तु ऐसे इलाके बहुत ही कम हैं। इस कठिनाई की वजह से अभी तारीख निश्चित नहीं की जा सकती।

संशोधित मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट का प्रचलन

*१७—श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में गत वर्ष का संशोधन कि प्राइवेट मोटरकारों का किराए पर चलाना अपराध है, कब से और किन जिलों में लागू किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---प्रसक्त संशोधन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में २३ अक्तूबर, १९५३ को प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार तत्काल समस्त प्रदेश में लागू कर दिया गया।

*१८---**श्री रणंजय सिंह**---क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में उक्त संशोधन होने के उपरान्त कितनी ऐसी मोटरकारें पकड़ी गयी हैं जो टैक्सी नहीं हैं, परन्तु किराये पर चलायी जाती हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---उक्त संशोधन होने के उपरान्त ११६ प्राइवेट कारों को किराये पर चलते पकड़ा गया :---

इन्फोर्समेंट स्क्वाड	कारों की संख्या
कानपुर	८
मुरादाबाद	८
बरेली	५
गोरखपुर	१३
इलाहाबाद	१
मेरठ	१६
अलीगढ़	९
झांसी	३
फैजाबाद	४
देहरादून	१४
बनारस	७
आगरा	२८
जोड़ ..	११६

श्री रणंजय सिंह---क्या सरकार बतलायेगी कि यह जो गाड़ियां पकड़ी गयी हैं इनके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मुकदमें चलाये गये।

तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में बाढ़ से हानि

*१९---**श्री धनुषधारी पाण्डेय** (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती के कितने गांवों की सारी फसल पिछले वर्ष वर्षा काल में बाढ़ से नष्ट हो गयी थी और कितने मकान गिरे थे ? क्या सरकार उन गांवों की सूची कानूनगो क्षेत्रवार देने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---गत वर्षाकाल में तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में २८२ गांवों की सारी फसल बाढ़ से नष्ट हो गयी थी और २१० मकान गिरे थे। इन गांवों की कानूनगो क्षेत्रवार सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

बस्ती जिले में कृषि-आय-कर की उगाही

*२०---**श्री धनुषधारी पाण्डेय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने लोगों को कृषि आय कर की उगाही के लिये सन् १९५३ में नोटिस दी गयी थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सन् १९५३ में बस्ती जिले में कृषि आय कर की उगाही के लिये कुल १५३८ नोटिसें दी गयीं।

*२१--**श्री धनुषधारी पाण्डेय**--क्या सरकार यह बताएगी कि कितने लोगों से बस्ती जिले में कृषि आय कर की उगाही सन् १९५३ में की गयी है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सन् १९५३ ई० में बस्ती जिले में कुल २२८ करदाताओं से कृषि आय कर की उगाही की गई।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन १५३८ को नोटिस देने के बाद २२८ से कर की उगाही क्यों की गयी?

श्री चरणसिंह--उगाही जो की गयी वह पिछले साल की बाकी थी उसी को वसूल किया गया, लेकिन ऐसी तादाद बहुत कम थी। पिछले साल हमने यहां पर कृषि आय कर अधिनियम में संशोधन किया और उसमें बजाय ५० के ३० कर दिया। इस वजह से १५३८ आदमियों को पिछले साल नोटिस भेजा गया।

बस्ती जिले में लगानवसूली के लिये हरिजनों की नियुक्ति

*२२--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछली बार कलेक्शन क्लर्क, नायब तहसीलदारों, कुर्क अमीनों और चपरासियों की जो नियुक्ति बस्ती जिले में की गयी थी उनकी अलग-अलग संख्या क्या थी और उनमें हर एक नौकरियों में हरिजनों की संख्या क्या थी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मांगी हुई सूचना संलग्न सूची के स्तम्भ १ और २ में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६१ पर)

*२३--**श्री राजाराम शर्मा**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब ३१ मार्च, ५८ के बाद कितने नायब तहसीलदार, कुर्क अमीन, क्लर्क तथा चपरासी आगे काम करने के लिये रोक लिये गये? जो लोग रोक लिये गये हैं उनकी संख्या हर एक नौकरियों में क्या है और उनमें से कितने हरिजन हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मांगी हुई सूचना संलग्न सूची में स्तम्भ ३ और ४ में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६१ पर)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी उस सूची को पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--नायब तहसीलदार, सरकार द्वारा नियुक्त ४, हरिजनों की संख्या १, १३६१ फसली के हैं। ३१ मार्च सन् १९५४ तक जो रखे गये उनकी संख्या ४, हरिजनों की संख्या १, जिलाधीशों द्वारा नियुक्त १३६१ फसली ३१, हरिजनों की संख्या २। ३१ मार्च १९५४ के १०, हरिजनों की संख्या २। कुर्क अमीन ३४५, हरिजनों की संख्या २१। मार्च, १९५४ के १८५, हरिजनों की संख्या १४। क्लर्क १३६१ के ७२, हरिजनों की संख्या ५। ३१ मार्च, १९५४ के ३७, हरिजनों की संख्या ५, चपरासी १३६१ फसली ३९५, हरिजनों की संख्या १५०। ३१ मार्च, १९५४ के ३४९ और हरिजनों की संख्या ६५।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार को मालूम है कि ३ हजार की जमानत जो कुर्क अमीनों की रखी गई उसकी वजह से हरिजनों की संख्या पूरी नहीं हो पाती?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। ऐसा नहीं है। कम से कम जो बस्ती के आंकड़े पढ़ कर सुनाये गये हैं उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि हरिजनों की संख्या कम है। इसके अलावा जमानत की शर्त जरूरी है। ऐसा भी देखा गया कि ३ हजार से अधिक रुपया जमा किया और फिर गायब होने की कोशिश की गई। एकाध गायब भी हो गये। इसलिये जमानत लेना जरूरी है।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार ३ हजार के बजाय १ हजार की जमानत करने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष---यह सुझाव आप बाद में दे सकते हैं।

फ़र्रुखाबाद जिले में बाढ़ से फसलों को हानि

*२४---**श्री पाती राम** (जिला फ़र्रुखाबाद)---क्या सरकार बतलायेगी कि फ़र्रुखाबाद जिले में कौन-कौन से ग्रामों में बाढ़ से इस वर्ष फ़स्लें नष्ट हुई हैं और वहां किस-किस प्रकार की सहायता दी गई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---पिछले साल फ़र्रुखाबाद जिले की सदर तहसील के ४५ ग्रामों में खरीफ की फसल को बाढ़ से नुकसान हो जाने से १३,७३३ रु० की मालगुजारी में छूट दी गई और रबी १३६० फसली की मालगुजारी २८,३१६ रु० ६ आना जो उस फसल में वसूल की जा ही थी, रबी १३६१ तक मुलतबी कर दी गई। उन ग्रामों की सूची जिनमें माफी दी गई, संलग्न है। इसके अलावा तहसील कायमगंज के ५० मौजों में १३,८५१ रु० ६ आना और तहसील सदर के २५ मौजों में २,४५९ रु० १३ आना सालाना मालगुजारी से कम कर दिया गया, क्योंकि रामगंगा ने गांवों में जमीन को काट दिया था।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६२ पर)

श्री पातीराम---क्या सरकार यह बतायेगी कि फ़र्रुखाबाद जिले के कौन-कौन से गांवों में बाढ़ आयी और उनमें इस वर्ष कितनी फसल नष्ट हुई?

श्री चरणसिंह---यह इन्फारमेशन पिछले वर्ष की है जिस वर्ष कि आपने सवाल किया था।

श्री पातीराम---यह सवाल ७-७-५४ का था।

श्री चरण सिंह---३० जून से साल बदलता है।

गो बध के विषय में डाक्टर सीताराम कमेटी का प्रतिवेदन

*२५---**श्री कृष्ण शरण आर्य** (जिला रामपुर)---क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा नियुक्त डाक्टर सीताराम कमेटी ने गो बध के विषय में अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास अभी नहीं पहुंची। केवल कुछ अंतरिम प्रस्ताव सरकार के पास आये हैं।

*२६---**श्री कृष्णशरण आर्य**---यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जैसा ऊपर कहा गया है अन्तिम रिपोर्ट अभी नहीं आई।

*२७---**श्री कृष्ण शरण आर्य**---क्या सरकार उक्त कमेटी की सिफारिश के अनुसार गऊ बध को प्रदेश में पूर्णरूपेण रोकने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या सरकार यह बतलायेगी कि वे अन्तरिम प्रस्ताव क्या हैं जो कमेटी की ओर से आये हैं?

श्री चरणसिंह---अब तो रिपोर्ट ही आने वाली है। विचार करने के बाद यह भी हो सकता है कि जो प्रस्ताव पहले आये थे वे रिपोर्ट में कतई न हों और उसमें कुछ संशोधन हो जाय।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या यह सही है कि कमेटी ने महीने की १७ तारीख को अंतिम रिपोर्ट दे दी है?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, अभी तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आयी।

बस्ती जिले की बांसी तहसील में जमींदारी उन्मूलन के बाद कुछ सड़कों पर सरकारी कब्जा

*२८---श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की तहसील बांसी की कौन-कौन सी सड़कें जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार के क़ब्जे में आई हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जिला बस्ती की तहसील बांसी की कुल ३६ सड़कें जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकारी कब्जे में आयीं जिनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६३-६४ पर।)

*२९---श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---क्या सरकार उक्त तहसील की उन सड़कों को जिनको कि जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार ने लिया है बनाने का विचार कर रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---उपरोक्त सूची में दी हुई सड़कों में से २१ सड़कें जो कि तारांकित हैं गांव समाजों में निहित कर दी गई हैं और उनकी देख रेख आदि सम्बन्धित गांव समाज करेंगे। शेष १५ सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० अथवा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देने के विषय में सरकार विचार कर रही है।

*३०---श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---अगर हां, तो कब तक?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस विषय में निर्णय होने के पश्चात् शीघ्र ही आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---सरकार की तरफ से जो सड़कें ग्राम समाज को दी गयी हैं क्या उनके रखरखाव के लिये गांव समाजों को कोई आदेश दिये गये हैं?

श्री चरणसिंह---यह तो उनकी जिम्मेदारी है कि वे चाहे जो कुछ करें इसमें तो उनका फायदा है कि वे उन पर मिट्टी वगैरा डालें।

श्री शिव नारायण---क्या सरकार उनके रखरखाव के लिये उनको पैसा भी देगी?

श्री चरण सिंह---जी नहीं।

बागजाला तोक, हल्द्वानी का बनविहीन (डिफारेस्टेशन) होना

*३१---श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तोक बागजाला गौलापार, खाम इस्टेट्स हलद्वानी बनविहीन (डिफारेस्ट) हुआ या नहीं? अगर हुआ, तो उपर्युक्त भूमि किन व्यक्तियों को दी गयी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*३२--**श्री नारायण दत्त तिवारी**--अगर उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो क्या सरकार इस तोक को भूमिहीनों को देने का विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--गोला नदी से भूमि का कटाव (erosion) बचाना आवश्यक है। इसलिये इस तोक को बनविहीन करने और काश्त के लिये भूमि देने का कोई विचार नहीं है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि बागजाला तोक की कुछ डिफारेस्ट भूमि कुछ व्यक्तियों को दे दी गई है ?

श्री चरणसिंह--जैसा कि कहा गया वह डिफारेस्ट नहीं की गयी लेकिन वह जमीन पहले से खाली पड़ी हुई थी वह लोगों को दी गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार ऐसी और जमीन को जिसको डिफारेस्ट नहीं करना होगा लेकिन वह कल्चरेबिल है, भूमिहीनों को देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--ऐसी जमीन केवल ५१ एकड़ थी जो कि दे दी गई। अगर सरकार को कोई ऐसा सुझाव दिया जायगा कि कोई जमीन खाली है और जिस पर फारेस्ट नहीं है तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से तोक बागजाला के आस-पास के भूमिहीनों का एक डेपुटेशन नैनीताल में मिला था और उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि इस पर गौर किया जायगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--नारायण दत्त जी जो कह रहे हैं वह मैं ग़लत तो कहने को तैयार हूं नहीं।

*३३-३४--**श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी** (जिला फर्रुखाबाद)--[२० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

पशु-चिकित्सा विद्यालय मथुरा में विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों के लिये औषधालय का प्रबन्ध

*३५--**श्री श्रीचन्द** (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि पशु-चिकित्सा विद्यालय, मथुरा में विद्यार्थियों तथा वहां के कर्मचारियों के लिये औषधालय का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--पशु-चिकित्सा विद्यालय, मथुरा में विद्यार्थियों तथा वहां के कर्मचारियों के लिये औषधालय का प्रबन्ध है।

*३६--**श्री श्रीचन्द**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक विद्यार्थी से चिकित्सा शुल्क (medical fee) वार्षिक कितनी ली जाती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--प्रत्येक विद्यार्थी से ५ रुपया प्रतिवर्ष चिकित्सा शुल्क (medical fee) ली जाती है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वेटेरिनरी कालेज का कोई डाक्टर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है ?

श्री चरणसिंह---कम्पाउंडर नियुक्त है जो मुस्तकिल तौर पर वहां रहता है लेकिन एक डाक्टर है जो अपना और काम करता है और हफ्ते में तीन दिन फी रोज डेढ़ घंटे के लिए आता है और लड़कों के बोर्डिग हाउस में भी जाता है अगर जाने की जरूरत हो।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लड़कों का जो इलाज किया जाता है उसके लिये दवाई लड़कों से मोल मंगाई जाती है ?

श्री चरणसिंह---मुमकिन है कि ऐसी कोई दवा हो जो बहुत क़ीमती हो और उसके पास न हो लेकिन मुझे ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ५ रु० शुल्क लिया जाता है इसके अतिरिक्त और भी किसी समय पर लड़कों से इस संबंध में रुपया वसूल किया जाता है।

श्री चरणसिंह---जी नहीं, कुछ नहीं वसूल किया जाता है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा चिकित्सालय के कर्मचारियों और विद्यार्थियों की संख्या अलग-अलग कितनी है ?

श्री चरणसिंह---विद्यार्थियों की संख्या कर्मचारियों से कई गुनी है।

बाढ़ तथा अतिवृष्टि से क्षति की सूचनाओं के संबंध में शिकायतें

*३७---श्री गेंदासिंह---क्या यह सच है कि गत बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षति की सूचनायें विभिन्न जिला अधिकारियों द्वारा जो सरकार को दी गयी थीं उनके सम्बन्ध में अनेक शिकायतें सरकार से की गई हैं कि वह ग़लत हैं और तथ्य को छिपाने वाली हैं ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस प्रकार की दो शिकायतें सरकार के पास आयी थीं, परन्तु जांच करने पर संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा भेजी गयी सूचना ग़लत नहीं पाई गई।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि शिकायतें कहां की थीं, किन लोगों ने की थी और किस प्रकार की थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---एक तो श्री उमाशंकर जी ने की थी जो दो बन्धियां बांधने के बारे में थी कि ठीक जगह पर बन्धियां नहीं बांधी गयीं, दूसरी श्री द्वारका प्रसाद पाण्डेय ने की थी जिसमें यह कहा गया था कि बाढ़ से नुकसान सरकार की तरफ से कम बतलाया गया है।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही नहीं है कि माननीय रामजी सहाय, माननीय बद्री नारायण मिश्र और मैंने भी माननीय राजस्व मंत्री जी से देवरिया की बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में कई बार आग्रह किया गया था और लिखकर भी दिया था कि जिला मैजिस्ट्रेट ने जो रिपोर्ट दी है वह ग़लत है ?

श्री चरणसिंह---यह बात सही है कि माननीय प्रश्नकर्ता ने रेवेन्यू स्टैंडिंग कमेटी में कुछ देवरिया के आंकड़े के मुताबिक बात कही थी और उसी वक्त मैं समझता हूं कि उनका समाधान भी कर दिया गया था।

श्री गेंदासिंह---मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं हुआ। माननीय रामजी सहाय और माननीय बद्री नारायण मिश्र ने कोई शिकायत की थी या नहीं ?

श्री चरणसिंह---इस सम्बन्ध में मुझे कोई खास याद नहीं है । आम इम्प्रेशन यह है कि बहुत से सज्जनों को इस बात की शिकायत रहती है कि जितनी वहां से इत्तिला आती है वह शायद सही न हो । यह तो सवालों पर जो कुछ उप-प्रश्न किये जाते हैं उससे जाहिर होता है ।

बाढ़-पीड़ित तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा सहायता

*३८---**श्री गेंदासिंह**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भारत सरकार ने अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता आदि के लिये कितनी रक़म १९५२-५३ तथा १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश को दी है और उनके खर्च करने की क्या योजना है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---भारत सरकार से वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में १९,२२,४००रु० ऋण तथा ४,२३,४०० रु० अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है । यह सहायता वित्तीय वर्ष १९५१-५२ तथा ५२-५३ में राज्य सरकार द्वारा क्रमशः टेस्ट वर्क तथा अहेतुक सहायता पर किये गये व्यय का अर्द्धांश है । १९५३-५४ में किये गये व्यय के सम्बन्ध में कुछ भी सहायता प्राप्त नहीं हुयी है । उपयुक्त सहायता पहिले ही किये गये व्यय की अंशतः पूर्ति के लिये केन्द्र द्वारा स्वीकृत की गयी है, अतः इसके खर्च करने की योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार ने कितनी रकम की मांग की थी ।

श्री चरणसिंह---हमने तो उनसे ज्यादा रकम की मांग की थी, मसलन् जो तकावी हमने दी है और जो गल्ला हमने तकसीम किया है, जो सब्सिडी के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इन दोनों मदों और दो-चार और छोटी मदों के लिये हमको सहायता देना उचित नहीं समझा । टेस्ट वर्क में जो सहायता हमने की है उसका निस्फ-हिस्सा उन्होंने देना स्वीकार किया है ?

श्री गेंदासिंह---क्या यह सच है कि टेस्ट वर्क की अमूल्य सहायता के मद में जितना रुपया राज्य सरकार खर्च करती है उसकी आधी रकम केन्द्रीय सरकार अनुदान के रूप में देती है ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, यह कोई नियम या प्रैक्टिस का प्रश्न नहीं है, यह तो इस बार उन्होंने हमें सहायता दी है ।

गोंडा जिले में बाढ़-पीड़ित किसानों को सहायता

*३९---**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में बाढ़ के कारण किसानों को जो क्षति पहुंची है उसके लिये कौन-कौन सुविधायें किसानों के लिये सरकार द्वारा दी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---पिछले साल गोंडा जिले में बाढ़ग्रस्त किसानों के लिये निम्नलिखित सुविधाएं दी गयीं ।

(१) २८ ए० पी० दुकानों द्वारा लोगों के लिये सस्ते गल्ले का प्रबन्ध किया गया ।

(२) ३,५८,३६९-४-० की मालगुजारी तथा १२,८१७,-११-० की तकावी की वसूली स्थगित कर दी गयी ।

(३) सरकारी जंगलों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के पशुओं के चरने के लिये मुफ्त कर दिया गया । पांच वैगन सूखी घास भी मुफ्त वितरित की गयी ।

(४) ५५,६५० रु० की तकावी बीज तथा बैल खरीदने को बांटी गयी ।

(५) ४,६८८ रु० के मूल्य की आवश्यक चीजें यथा चना, मिट्टी का तेल आदि मुफ्त बांटा गया ।

(६) दूध का पाउडर तथा विटामिन की गोलियां जरूरतमंदों को दी गयीं ।

(८) लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने में सहायता दी गयी ।

*४०--**श्री गंगा प्रसाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के, घाघरा नदी की बाढ़ के कारण किन-किन गांवों को अधिक क्षति पहुंची है ? क्या बाढ़-पीड़ित ग्रामों से स्थगित खरीफ की मालगुजारी पुनः वसूल की जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--घाघरा नदी की बाढ़ से अधिक क्षति ग्रस्त ग्रामों की सूची संलग्न है ।

जी हां । स्थगित मालगुजारी वसूल की गयी क्योंकि रबी की फसल अच्छी हुयी ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६५ पर।)

*४१--**श्री गंगाप्रसाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला में कोई बाढ़ कमेटी बनी है ? यदि हां, तो उसमें कितने सदस्य हैं और उसके द्वारा क्षति ग्रस्त गांवों के लिये क्या-क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, कमेटी के सदस्यों की संख्या ४० है । कमेटी ने बाढ़-ग्रस्त लोगों की सहायता पर विचार किया तथा लोगों को सुरक्षित स्थान पर हटाने तथा मुफ्त सहायता वितरित करने में मदद की ।

श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि खरीफ की मालगुजारी जो स्थगित हुयी है वह उस समय वसूल कर ली गयी ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं ।

श्री गंगा प्रसाद--क्या यह सत्य है कि जब माननीय माल मंत्री जी गोंडा पधारे थे तो कुछ किसानों ने जिनसे जबर्दस्ती लगान वसूल किया गया था उसकी शिकायत की थी ?

श्री चरणसिंह--मुझे उसकी याद तो नहीं है, लेकिन माननीय मित्र कहते हैं तो उसको गलत कहने के लिये भी तैयार नहीं हूं ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खरीफ मुल्तवी शुदा मालगुजारी को वसूल करने का फैसला सरकार ने कब दिया ?

श्री चरणसिंह--खरीफ की मालगुजारी जब स्थगित होती है तो उन क्षेत्रों में जहां कि खरीफ की फसल मेन क्राप नहीं है, ऐसे इलाकों में अगर रबी की फसल अच्छी हो जाय तो रबी की फसल की मालगुजारी के साथ वह स्थगित की हुयी मालगुजारी वसूल की जाती है लेकिन अगर रबी की फसल भी खराब हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सिफारिश करता है कि वह वसूल नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यह फसल भी खराब हो गयी तो खरीफ की मालगुजारी जो स्थगित थी वह माफ कर दी जाती है ।

श्री गेंदासिंह--इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि किस वक्त यह फैसला हुआ कि खरीफ की मुल्तवीशुदा मालगुजारी वसूल की जायगी ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। कोई इसके लिये तारीख नहीं बतायी जा सकती। वह तो तब फैसला होता है जब कलेक्टर सिफारिश करता है कि रबी की फसल खराब हो गयी है और मालगुजारी वसूल न की जाय।

*४२-४४---**श्री खुशी राम** (जिला अल्मोड़ा)---[२० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

आगरा की उबड़-खाबड़ भूमि

*४५---**श्री देवकी नन्दन विभव** (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा में कितनी ऐसी भूमि है जो समतल न होने के कारण व्यर्थ पड़ी है। क्या सरकार उसे बुलडोजरों से समतल करके कृषि योग्य बनाने अथवा उस पर पेड़ लगाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---आगरा में समतल न होने के कारण व्यर्थ पड़ी हुयी भूमि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बुलडोजरों द्वारा ऐसी जमीन को समतल करके कृषि योग्य बनाने अथवा उस पर पेड़ लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी आगरा के लिये इस महत्व को समझते हुए इन आंकड़ों को उपलब्ध करने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री चरणसिंह---यह आंकड़े कि जमीन काबिले काश्त है या नहीं, ऊसर है, यह सब पहले से मौजूद हैं। लेकिन माननीय मित्र तो यह चाहते हैं कि जो जमीन ऊबड़-खाबड़ है, उसके अलहदा आंकड़े मौजूद हों, वह नहीं है और उनको हम तब इकट्ठा करेंगे जब हम यह तय कर लें कि ऐसी जमीन को बुलडोजरों से समतल बना देंगे। ऐसी कोई स्कीम गवर्नमेंट के सामने नहीं है। फिलहाल जो हमारे साधन हैं, जो स्थिति है उसको देखते हुए कोई विचार करने का इरादा नहीं है।

*४६---**श्री देवकी नन्दन विभव**---[३ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४७-४९---**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)---[१३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले में बाढ़ के निमित्त दी गई सहायता

*५०---**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर) (**अनुपस्थित**)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में प्रत्येक तहसील में गत बाढ़ के सिलसिले में कोई सहायता दी गयी है। यदि हां, तो क्या ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---गाजीपुर जिले की प्रत्येक तहसील में दी गयी सहायता संलग्न तालिका में दिखा दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६६ पर।)

*५१---**श्री कमला सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिले में टेस्टवर्क के लिये कितना रुपया मंजूर हुआ था और उसे कितना, कहां खर्च किया गया ?

नोट---तारांकित प्रश्न ५०-५२ श्री भोला सिंह ने पूछे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--गत वर्ष गाजीपुर जिले में टेस्ट वर्क चलाने के लिये ३०,००० रु० मंजूर किया गया था परन्तु निर्धारित दर पर मजदूरों के अभाव से टेस्ट वर्क चालू नहीं किया जा सका और कुछ भी रुपया व्यय नहीं हुआ ।

गाजीपुर कलक्टरी कचहरी में हरिजन और पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों की संख्या

*५२--**श्री कमला सिंह**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर कलक्टरी कचहरी में क्लर्कों के लिये १९५२-५३ और १९५३-५४ में (अब तक) कितने उम्मेदवार लिये गये उनमें कितने हरिजन और पिछड़ी कौम के लिये गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--गाजीपुर कलेक्टरी कचहरी में क्लर्कों के लिये १९५२-५३ और १९५४ में (अबतक) कोई उम्मेदवार (paid apprentice) नहीं रक्खा गया, अतः हरिजन और पिछड़ी कौम के लोगों की नामजदगी का प्रश्न नहीं उठता ।

बिंदकी कस्बा, जिला फतेहपुर में तहसील इमारत का न बनना

*५३--**श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर)--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिंदकी कस्बा (जिला फतेहपुर) में तहसील इमारत का बनना किन कारणों से रुका पड़ा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बिंदकी में नई तहसील बनने के प्रश्न पर कई एतराजात सरकार के पास आए । उन पर विचार हो रहा है और इसी लिये वहां तहसील की नयी इमारत अभी नहीं बनायी गयी ।

श्री अनन्त स्वरूप सिंह--क्या सरकार एतराजात की संख्या बताने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह--एक से अधिक ।

*५४--**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)--[१३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

कृषि सम्बन्धी विश्व गणना के लिये जोतों की जांच (सर्वे) के कार्य

*५५--**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सम्बन्धी विश्व गणना के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा मांगी गयी सूचना को प्राप्त करने के निमित्त जोतों की जांच (सर्वे) करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह--जी हां ।

*५६--**श्री रामहेत सिंह** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुयी ?

श्री चरण सिंह--सूचना संग्रह करने के निमित्त प्रारंभिक कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी है ।

मथुरा-गोवर्द्धन सड़क पर सरकारी बस सर्विस

*५७--**श्री रामहेत सिंह** (अनुपस्थित)--क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका इरादा मथुरा से गोवर्धन वाली सड़क पर सरकारी बस सर्विस चालू करने का है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी हां। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट आपरेटरों की दरख्वास्त पर इस मार्ग पर सरकारी बसें चलाने के बारे में अस्थायी हुक्म इम्तिनाई जारी किया है। जैसे ही अदालत अपना यह हुक्म हटालेगी सरकारी बस सर्विस चालू हो जायगी।

ब्यूरिओ आफ ऐग्रीकल्चरल इन्फ़ोर्मेशन एण्ड पब्लिसिटी की स्टाफ़ कार

*५८---**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Bureau of Agricultural Information and Publicity के पास जो स्टाफ कार है वह किसके द्वारा, कहां से तथा कब खरीदी गयी थी ?

श्री चरणसिंह---स्टाफ कार प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, लखनऊ के द्वारा बम्बई से मार्च, १९५३ में खरीदी गयी थी।

*५९---**श्री भगवान सहाय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस गाड़ी के खरीद के कितने दिन बाद यह Agricultural Information and Publicity विभाग को दी गयी थी ?

श्री चरणसिंह---यह गाड़ी बम्बई में खरीदे जाने के १२ दिन बाद Agricultural Information and Publicity विभाग को दी गयी।

*६०---**श्री भगवान सहाय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को पता है कि विभाग को सौंपे जाने के पहिले इस गाड़ी पर एक इटैलियन मिशनरी ने हिमांचल प्रदेश, पेप्सू, पंजाब इत्यादि का दौरा किया ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं।

*६१-६२---**श्री श्रीपति सहाय** (जिला हमीरपुर)---[२० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६३-६४---**श्री राम प्रसाद** (जिला रायबरेली)---[६ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला हमीरपुर में चकबन्दी

*६५---**श्री श्रीपति सहाय**---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में चकबंदी होगी या नहीं ? अगर होगी, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीपति सहाय---क्या सरकार को मालूम है कि जनता चकबन्दी में सहयोग करने को उत्सुक है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां।

हमीरपुर जिले में ट्रैक्टर से कांस तोड़ने की योजना

*६६---**श्री तेज प्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर)---क्या राज्य सरकार ने कांस तोड़ने (Kans eradication) की कोई योजना बनायी है ? क्या इस वर्ष हमीरपुर जिले में कांस तोड़ने के लिये ट्रैक्टर यूनिट भेजा जायेगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां । इस वर्ष हमीरपुर जिले में कांस तोड़ने के लिये ट्रैक्टर भेजने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर ट्रैक्टर्स न भेजे जाने के क्या कारण हैं?

श्री चरण सिंह--अभी वहां कोई योजना ही नहीं बनायी गयी है। अभी जालौन और झांसी में कार्य हो रहा है ।

राजकीय ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में पूछ ताछ

*६७--**श्री तेजप्रताप सिंह**--राज्य सरकार के पास इस वक्त कितने ट्रैक्टर हैं? उनमें से कितने चालू हालत में हैं और उनसे क्या काम लिया जारहा है? क्या इन ट्रैक्टरों द्वारा प्रांत में कांस तोड़ने का भी काम लिया गया है या भविष्य में लिये जाने की योजना है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस समय स्टेट ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन में २४६ ट्रैक्टर हैं जिनमें से ८३ चालू हालत में हैं। ये ट्रैक्टर नयी जमीन तोड़ने और जुताई के लिये काश्तकारों, सहकारी समितियों तथा सहकारी फार्मों को दिये जाते हैं। परन्तु उनसे कांस तोड़ने का काम नहीं लिया जाता है और न भविष्य में उनसे यह काम लेने की कोई योजना है। कांस तोड़ने का काम केन्द्रीय सरकार के ट्रैक्टरों द्वारा किया जाता है।

*६८--**श्री तेजप्रताप सिंह**--क्या सरकारी ट्रैक्टरों की मरम्मत आदि के लिये सरकारी कारखाना (work shop) है? इस कारखाने द्वारा क्या-क्या काम लिया जा रहा है? क्या इसमें ट्रेनिंग दिये जाने की व्यवस्था है? यदि हां, तो उसके क्या नियम हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, इन कारखानों में ट्रैक्टरों की मरम्मत के अतिरिक्त कृषि औजार और बांधों के फाटक बनाने का काम होता है। एफ. ए. ओ. (F. A. O.) विशेषज्ञों द्वारा कारखानों के कर्मचारियों से ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये विद्यार्थियों को एक साल की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--अभी सरकार ने बतलाया कि दो सौ के ऊपर ट्रैक्टर हैं और कुल ८७ काम कर रहे हैं। तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या कारण है कि इतने अधिक ट्रैक्टर बेकार पड़े हुए हैं।

श्री चरणसिंह--बहुत से मरम्मत तलब हैं और उनकी मरम्मत हो रही है। और इस प्रश्न के बाबत कितनी ही बार यहां बातें हो चुकी हैं और उनके जवाबात बहुत तफसील से दिये जा चुके हैं ।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय सरकार की कांस तोड़ने की योजना क्या है और यह कब से चालू होगी?

श्री चरणसिंह--योजना कई साल से चालू है और उसके सिलसिले में मैं माननीय मित्र का ध्यान कांस इरैडिकेशन ऐक्ट, जिसके पास करने में उन्होंने सहायता दी थी, की ओर आकर्षित करूंगा। उसमें सारी योजना ब्योरेवार दी हुयी है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि कांस तोड़ने की योजना में सेंट्रल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन से भी कुछ ट्रैक्टर मांगे गये हैं?

श्री चरणसिंह--उनसे मांगे ही नहीं गये हैं बल्कि उनके ही ट्रैक्टर इस काम को कर रहे हैं।

*६९-७०--**श्री केशव पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)--[१३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

कैलाश यात्रियों की शिकायतें

*७१--**श्री देवकी नन्दन विभव**--क्या सरकार को कैलाश को जाने वाले उत्तर प्रदेश के यात्रियों को होने वाली असुविधाओं की शिकायत मिली है? यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां, टनकपुर और पिथौरागढ़ हो कर कैलाश तथा मानसरोवर जाने वाले मार्ग के सम्बन्ध में एक शिकायत आयी थी। उसमें सड़क की खराबी व बस स्टेशनों पर भीड़, कुलियों की कमी और टिकट मिलने में असुविधा की शिकायत की गयी थी। भारत सरकार ने कुछ रुपया इस सड़क को बनाने के लिये स्वीकृत किया है और इसका तखमीना उनको भेजा जा रहा है। मंजूरी होने पर सड़क बनाने का कार्य हाथ में लिया जायगा।

रीजनल ट्रांसपोर्ट आफीसर, नैनीताल को टिकट न मिलने की असुविधा तथा बस स्टेशनों की भीड़ के सम्बन्ध में लिखा जा रहा है।

राज्य के अंग्रेज जमींदारों को देय प्रतिकर

*७२--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)--मार्च, १९५४ के प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १७७ अंग्रेज जमींदार को कुल कितना मुआविजा देने का निश्चय किया गया है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इन अंग्रेज जमींदारों को जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कुल ३५,७९,२९४ रुपये प्रतिकर के रूप में देय हैं।

*७३--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन अंग्रेज जमींदारों में कितने अभी भूमिधर की शक्ल में प्रदेश में बसे हैं और कितने अपने देश वापस चले गये?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--३९ अंग्रेज जमींदार भूमिधर की शक्ल में प्रदेश में बसे हैं। २५ ऐसे अंग्रेज हैं जिनके पास भूमिधरी के अधिकार तो हैं पर वे अपने देश को वापस चले गये हैं। अन्य अंग्रेज जमींदार या तो अपने देश वापस चले गये हैं या भारत के अन्य प्रदेशों में रहते हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जो रुपया देय है उसमें से कितना अभी तक उनको दिया जा चुका है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जो अंग्रेज वापस जा चुके हैं उनका प्रतिकर रोक दिया जायगा?

श्री चरणसिंह--ऐसा तो कोई विचार गवर्नमेंट का नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अंग्रेज विलायत चले गये हैं उनको कुछ रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने की जरूरत है?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री गेंदासिंह---यह प्रश्न इसलिये उठता है कि मुआविजा और रिहैबिलिटेशन ग्रांट दोनों दी जाती हैं। ऐक्ट में यह है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट उनको दी जायगी जो अपने देश में रिहैबिलिटेट हों लेकिन जो लोग विलायत चले गये हैं उनको क्या दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---मूल प्रश्न में मुआविजे का प्रश्न है इसमें रिहैबिलिटेशन का प्रश्न नहीं है इसलिये मैंने इजाजत नहीं दी है।

जिला आजमगढ़ में चकबन्दी

*७४---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कब तक चकबंदी कानून लागू किया जायेगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके सम्बन्ध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि सरकार ने १३ जिलों में जनवरी से चकबंदी का काम प्रारंभ करने का निश्चय किया है और उन जिलों में आजमगढ़ भी

श्री राम सुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि माननीय माल मंत्री जी ने लैन्ड रिफार्म्स कमेटी में इस तरह की राय का इजहार किया था कि आजमगढ़ जिले में चकबंदी इस वर्ष नहीं होने वाली है ?

श्री चरणसिंह---जो सही है।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि घोसी तहसील इस चकबंदी की योजना में होगी या नहीं ?

श्री चरणसिंह---आज से ६ साल के अंदर आजमगढ़ जिले की हर तहसील का नम्बर आजायगा।

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में चकबन्दी

१---**श्री बाबू नन्दन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला में चकबंदी कब से शुरू होगी ?

श्री चरणसिंह---यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

२---**श्री कमला सिंह**---[१३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

---

२७ अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न १२ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन की सूचना

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---मुझे इस सदन को एक सूचना देनी है। २७ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही की छपी प्रति में तारांकित प्रश्न १२ के उत्तर में "१७ लाख ६९ हजार" के स्थान पर "१७ करोड़ ६९ लाख" छप गया। मुझे जब इसका पता चला तो मैंने माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना की कि वह कृपया इसको ठीक कर दें। उन्होंने कृपा करके कार्यवाही में उक्त अशुद्धि को ठीक कर दिया है।

श्री तुलसी राम के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि सदन की अंतिम बैठक के बाद हमारे एक माननीय साथी तुलसी राम जी की मृत्यु हो गयी। तुलसी राम जी हमारे इस प्रदेश में एक बड़ी आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। उनका सारा जीवन देश की सेवा में ही लगा। वह जो कि इस सदन का पिछला जनरल एलेक्शन हुआ था उस में हमारे इस सदन में आये परन्तु कार्य-क्षेत्र उनका शुरू से ही रचनात्मक रहा। वह हर तरह से गांधी जी के उपदेशों के अनुसार चलकर रचनात्मक कामों में ही अपना सारा समय, सारा ध्यान लगाये थे और यहाँ आने से बहुत पहले से, करीब ४० वर्ष से, मैं उनको जानता था। उनके साथ, जब वह रचनात्मक काम करते थे तब भी मेरा सम्बन्ध था। पहले वह कहीं रुई का काम करते थे मगर सन् १९१६ से बराबर वह देश सेवा के ही कामों में लगे रहे और जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें वह बराबर जब भी जो स्थिति पैदा हुयी, उसमें कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार हिस्सा लेते रहे और जेल जाते रहे।

उन्होंने उझियानी में खद्दर का खास तौर पर बड़ा काम किया और उनके द्वारा वहां खद्दर की काफी उन्नति हुयी और उसका प्रसार और फैलाव हुआ। रचनात्मक कामों को करते हुए उनकी बिलकुल असाम्प्रदायिक दृष्टि थी। वह फिरकेवाराना बातों को बिलकुल ही सामने नहीं आने देते थे और उन पर सभी का विश्वास था।

हमारे देश में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि लोग वास्तविक राष्ट्रीयता के भावों को लेकर देश सेवा के कामों में लगे रहें और वह इसी तरह से बराबर सभी वर्णों का और सभी धार्मिक समितियों का विश्वास पाते रहें और सब से उनके बड़े अच्छे सम्बन्ध रहें, उनका जीवन बड़ा शुद्ध था। अभी, जहां तक मुझे मालूम है, उनका विवाह भी नहीं हुआ था। उनका कोई कुटुम्ब भी नहीं था और वे स्वयं अपना सारा समय और सारी शक्ति, सारे साधन जन-सेवा के ही काम में लगाते थे। ऐसे शुद्ध आचरण के देश सेवक का हमारे बीच से निकल जाना देश के लिये बड़े दुःख का विषय है।

मैं उनके भाई और जो और लोग हैं, उनके साथ समवेदना प्रकट करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि आप इस सदन की ओर से उनकी हमारी समवेदना की सूचना देने की कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं, माननीय मुख्य मंत्री ने तुलसी राम जी की मृत्यु पर जो उद्गार प्रकट किये हैं, उनका समर्थन करता हूं। यह सही है कि तुलसी राम जी एक बहुत ही त्यागी और तपस्वी और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा रचनात्मक काम में बीता था। तो फिर ऐसे साथी जब अपने बीच से गुजर जायं तो किसको कष्ट न होगा। हम सब लोग उनके दुखी परिवार के साथ दुखी हैं, और चाहते हैं, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस पूरे सदन की समवेदना और हार्दिक सहानुभूति उनके पास भेजी जाय। एक बात श्रीमन्, मुझे अभी बतायी गयी है। हमारे साथी गेंदा सिंह जी ने बताया है कि तुलसी राम जी उन व्यक्तियों में से थे जो अपनी सैलरी (तनख्वाह) का भी अधिकांश हिस्सा गरीबों की सेवा में ही लगाते थे। बहुत कम अपने ऊपर खर्च करते थे। मुझे भी श्रीमन्, एक दो बार उनसे बात करने का मौका प्राप्त हुआ, ज्यादा तो निजी जानकारी मुझे उनकी नहीं है। लेकिन जहां तक मैं उनको समझ पाया, आज जिस तरह की विषय परिस्थिति पैदा हो गयी है, उससे वह बहुत ही दुखी थे, बहुत ही संतप्त थे और बहुत ही कष्ट में थे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अंतिम दिनों में पूज्य बापू जी कहने लगे थे कि मैं अब इस दुनिया से उठ जाना चाहता हूं वैसे ही भाव उनके भी हो गये थे। ऐसी हालत में मुझे और भी दुख है

कि जब हमें ऐसे सत्पुरुषों की जरूरत हो, चारों तरफ विषम वातावरण पैदा हो रहा हो, उस समय वह हमारे बीच में न रहे। मगर क्या करें, खुदा की गतिविधि पर, परमात्मा की गतिविधि पर हम लोगों का कंट्रोल नहीं, न विज्ञान ही उतनी दूर तक विकसित हो पाया है कि किसी को मृत्यु से बचा सके, इसलिये अपनी शक्तिहीनता के कारण दुख होता है। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, या और कोई शक्ति अगर है तो उससे प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके दुखी परिवार के पास हमारी हार्दिक सहानुभूति अवश्य भेजी जाय।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--श्रीमन्, तुलसी राम जी के देहान्त के सम्बन्ध में जो उद्गार माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किए उनके साथ हम भी हैं। माननीय तुलसीराम जी से मेरा परिचय यहीं इस सदन के सदस्य होने के नाते हुआ। पहले उनका नाम सुन रखा था कि रचनात्मक कार्यों के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत से काम किये हैं। यह मेरा दुर्भाग्य था कि उनसे जान पहिचान अधिक न हो पायी, किन्तु इस समय अधिक न कहकर आपसे यही प्रार्थना है कि उनके कुटुम्ब को हमारी तरफ से भी आप समवेदना भेज दें और यही ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा सदैव आराम और शांति से रहे।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा अन्य दलों के नेताओं ने इस सदन की ओर से श्री तुलसीराम जी के स्वर्गवास के ऊपर जो दुख और सहानुभूति प्रकट की है उससे मैं भी अपने को एसोशियेट करता हूं, उसका साथ देता हूं। मैं तुलसीराम जी को बहुत दिनों से जानता रहा हूं क्योंकि वे एक ऐसे रचनात्मक कामों में कार्य करने वाले, निःस्वार्थी जन-सेवक थे कि जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी ही है क्योंकि कभी भी प्रकाश में आकर आगे-आगे बढ़कर, ऊंचे पदों की तरफ जाने की उनकी वृत्ति नहीं थी। सेवा करना ही उनका धर्म था और हम सब जानते हैं कि कैसे नम्रतापूर्वक वह यहां पर आकर अपने विचार कभी-कभी सदन को दे दिया करते थे और कभी प्रकाश में आने की यहां भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। इस प्रकार के निःस्वार्थी, निर्भिमानी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, सब तरह के सांसारिक सुखों को त्याग कर देश के काम में दिया उनके प्रति मैं भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपनी समवेदना उनके कुटुम्ब के प्रति प्रकट करना चाहता हूं।

अब मैं समझता हूं कि सदन एक मिनट के लिये खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करे।

(सब सदस्य एक मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

अब मैं उनके परिवार के प्रति सदन की तरफ से समवेदना भेज दूंगा।

देवरिया, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास आज कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं जिनमें पहला यह है--

"राज्य के अनेक भाग, जैसे देवरिया, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी और लखनऊ आदि जिलों में इस वर्ष असाधारण बाढ़ आने की, समय से तथा सही सूचना जिसमें अपार धन और पशुओं की क्षति हुई है, इकट्ठा न करने और इस असाधारण विपत्ति के समय बाढ़-पीड़ित लाखों व्यक्तियों और पशुओं को समुचित सहायता न पहुंचने से जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, उस पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह श्री गेंदासिंह जी का प्रस्ताव है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इसमें जो कहा गया है कि इन सब बातों की जानकारी सरकार को नहीं हुई, या सब सूचनाओं को इकट्ठा नहीं

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

किया गया, मैं नहीं समझता हूं कि इस आरोप में कोई निश्चित सी बात है। वह किस तरह से समझते हैं कि यह निश्चित सी बात है, कृपा कर के वह मुझे बतला दें। मैं इसके ऊपर यह कहूंगा कि विषय निश्चित होना चाहिये, जो शंकित विषय हो उसके ऊपर कोई बहस कामरोको प्रस्ताव द्वारा नहीं हो सकती।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता था कि यह जो इन्होंने ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है वह वैलिड है या नहीं, इस बारे में मैं कहना अनावश्यक समझता हूं। लेकिन इस बाढ़ के बारे में किसी दिन फोरनून में, सवा बारह बजे के बाद और लंच तक, यहां वादविवाद हो जाय। इसके लिये मैं किसी दिन इसी हफ्ते में समय निकाल लूंगा। इतनी सूचना देना चाहता था।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--यह उचित होगा। मुझे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

एक बात सिर्फ निवेदन कर दूं। अखबारों में मैंने ऐसा देखा है कि आज एक केन्द्रीय मंत्री नंदा जी भी यहां आये हुये हैं। मैं सिर्फ इतनी बात उनसे निवेदन कर दूं कि जिस प्रकार बिहार की सरकार ने बिहार के लोगों ने उनके सामने अपनी बातें रखने की कोशिश की उसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी की इसमें हमको विश्वास है क्षमता है कि वह नन्दा जी के सामने सारी बातें रखेंगे। परन्तु यदि वह उचित समझें तो बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के बारे में माननीय नन्दा जी के सामने अपनी बातें कहने का अवसर दे दें या अगर इस एडजर्नमेंट मोशन को मूव करने की अनुमति मिल जाती तो हमारे विचारों से वे अवगत होते लेकिन दूसरे दिन के लिये यह रख दिया गया है तो कोई हर्ज नहीं, माननीय मुख्य मन्त्री जी कोई समय निश्चित कर दें लेकिन इन चीजों को माननीय नन्दा जी के सामने रखने के लिये मौका दिया जाय जिससे यह प्रश्न बिहार की तरह से केन्द्रीय सरकार के सामने सअच्छेछी तरह। से रक्खा जा

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जहां तक नन्दा जी का तालुक़ है, हमारा सारा का सारा प्रदेश ही बाढ़-पीड़ित है लिहाजा मुझमें और गेंदा सिंह जी में कोई अन्तर नहीं है, हम दोनों ही बाढ़-पीड़ित हैं और मैं उनसे कोई कम पीड़ित नहीं हूं। तो जहां तक नन्दा जी से कहने की बात है वह तो शायद आयन्दा के लिये कोई बड़े किस्म की कोई स्कीम हो इसके लिये आ रहे हैं और मुझे ठीक पता भी नहीं है कि उनका विशेष आयोजन किस तरह का है। अगर आज यह एडजर्नमेंटमोशन मूव भी हो जाता है तो शायद उन तक पहुंच न पाता क्योंकि चार बजे वह जाने वाले हैं। अगर कोई खास बात हो तो गेंदा सिंह जी मुझे बतला दें और उन्हें समय हुआ तो गेंदासिंह जी खुद बात कर लें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगर मुझे बतला देंगे तो उनको अवकाश न भी हुआ तो उनके सामने कम से कम अपनी बातें तो रख ही दूंगा।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी इस बारे में आश्वासन दिया कि बाढ़ के सम्बन्ध में यहां पर किसी रोज आधे दिन चर्चा होगी तो उसके पश्चात् इस कामरोको प्रस्ताव की मैं समझता हूं कि आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माननीय गेंदासिंह जी ने भी इसे स्वीकार कर लिया है।

आगरा जिले में अर्दाया ग्राम तथा मथुरा जिले में बाध्य ग्राम के किसानों पर पुलिस द्वारा अत्याचार के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब दूसरा कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है--

"उत्तर प्रदेश विधान सभा का अधिवेशन उत्तर प्रदेशीय पुलिस के द्वारा आगरा जिले के अर्दाया ग्राम के किसानों के ऊपर अकारण आंसू गैस चलाने के व कर्फ्यू लगाने,

मथुरा जिले के बाध्य गांव में अत्यन्त निर्दयता पूर्वक किसानों व महिलाओं को बेरहमी से घसीटने, मारने व साड़ियां खींचने आदि पर जघन्य कार्य से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह मैं जानना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से कि उन्हें इस विषय पर, यह विषय महत्व का तो है ही और अर्जेंट भी मालूम होता है, ऐसी अवस्था में कुछ आपत्ति इस सम्बन्ध में है या नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज आप के सामने चार पांच कामरोको प्रस्ताव आये हैं जो कि सीधे या दूसरे ढंग से सत्याग्रह के नाम से जो आन्दोलन आबपाशी के खिलाफ चल रहा है उससे सम्बन्ध रखते हैं। तो मैं इसके लिये तैयार हूं कि इस आबपाशी और इस आन्दोलन के सम्बन्ध में किसी दिन भी आफटरनून में लंच के बाद जब कि ज्यादा वक्त मिल सकता है इस पर इस सदन में विचार हो जाय। मैं खुद चाहता हूं कि विचार हो जाय ताकि सभी बातें साफ हो जायं, और इसके लिये कोई दिन इस हफ्ते में लंच के बाद ये मसले लाये जा सकें, देने को तैयार हूं।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सत्याग्रह को जो नहर रेट के विरोध में चल रहा है उससे सम्बन्धित बहुत से कामरोको प्रस्ताव हैं, यह सही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि लंच के बाद किसी दिन वह उन पर विचार करने के लिये तैयार हैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर आज ही लंच के बाद वह ले लिया जाय तो हमको भी कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी। आज ही पर हम जोर इसलिये देना चाहते हैं कि एक कामरोको प्रस्ताव मैंने भी आप की सेवा में भेजा है और वह इसी स्पेशल पावर ऐक्ट से सम्बन्धित है। उसमें जो हमने संकेत किया है और बाहर भी आपको सूचना मिली होगी और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी सूचना होगी कि बहुत से सत्याग्रही बाहर इस विधान भवन के आये हुये हैं। वह इसी स्पेशल पावर ऐक्ट के विरुद्ध अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस स्पेशल पावर ऐक्ट के मातहत २,७०० आदमी गिरफ्तार हुये और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री राममनोहर लोहिया भी जिसके मातहत गिरफ्तार हुये तो वह स्पेशल पावर ऐक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें इतना विलम्ब नहीं होना चाहिये। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि आज के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी इसको तय कर दें और आज ही लंच के बाद इसके ऊपर वादविवाद हो जाय।

श्री अध्यक्ष---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकार करते हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---अगर इसको कामरोको प्रस्ताव के तरीके पर लेना चाहें तो मैं उसके लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष---वह बहस के लिये इस विषय को लेना चाहते हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जहां तक कामरोको प्रस्ताव की बात है उसको मैं मंजूर नहीं कर सकता। मगर मैं चाहता हूं कि इस विषय पर जिसके बारे में कई प्रस्ताव आये हैं यहां सदन में विचार और विवाद हो जाय। इसके लिये कुछ समय की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सी बातें हमने जिलों से जानना चाही है वह हमको अभी पूरी नहीं मिली हैं। आप भी इसको चाहेंगे कि पूरी बातें आपके सामने रखी जायं। इसलिये कुछ समय की आवश्यकता है।

यह जो आज आप के साथियों की यहां पर आने की बात है वह तो अखबारों से मुझे भी मालूम है। मगर मैं समझता हूं कि वह भी इसको पसन्द करेंगे कि पूरी बातों पर यहां पर विवाद हो जाय बजाय इसके कि यहां पर कोई अधूरी बात कही जाय। जो चार-पांच एडजर्नमेंट मोशन

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

हैं और उनके सम्बन्ध में जो आप का आन्दोलन है वह सभी बातें यहां पर हो जायं और कलेक्टिव तरीके पर हो जांय और जल्दी ही इसी हफ्ते में हो जायं । हफ्ते के माने हैं कि शुक्रवार को या उससे पहले किसी दिन हो जाय।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---म माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जो सुझाव दिया है कि "लंच के सेशन के बाद इसको लिया जाय।" तो प्रश्नों के बाद इसको लेने से एक घंटे सरकार का कोई काम नहीं होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि प्रश्नों के सेशन के बाद इसको ले लिया जाय।

दूसरी बात यह है कि शुक्रवार के लिये यह निश्चित कर लिया जाय ताकि उस समय तक सब तैयारी कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि श्री राजनारायण जी को इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि शुक्रवार को यह ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप का सुझाव यह है कि पूरे दिन के लिये यह विषय वाद-विवाद के लिये ले लिया जाय यानी प्रश्नों के बाद।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---मैं भी यही कहना चाहता हूं कि स्पेशल पावर ऐक्ट के ऊपर भी उसमें बहस हो जाय .....

श्री अध्यक्ष---शुक्रवार तो असरकारी दिन है तो क्या उस दिन के लिये यह वाद-विवाद करना सबको स्वीकार होगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---बृहस्पतिवार को हो जाय। शुक्रवार जो गैरसरकारी दिन है उस पर मैं आघात नहीं करना चाहता। जहां तक स्पेशल पावर ऐक्ट की बात है उस पर तो यहां पर बहस मुबाहसा नहीं हो सकता क्योंकि यह तो हाईकोर्ट के सामने है। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी और उसके बारे में कुछ इधर-उधर आलोचना भी की गई कि वह कहां तक उचित है। खैर, उससे मेरा कोई खास सम्बन्ध नहीं है। मगर जब तक वह हाई-कोर्ट के सामने है उसकी आलोचना नहीं हो सकेगी हमारे नियमों के अनुसार। बालेन्दुशाह जी चाहते हैं कि सारा ही दिन मिल जाय, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहां दो मीठी बातें सुनने को हैं वहां चार भी सुन सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी यहाँ वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने यह बात तो मानी कि जितने भी कामरोको प्रस्ताव आये हैं वे सब सार्वजनिक महत्व के हैं और इसलिये उन्होंने इस बात को उचित समझा कि इन पर एक दिन बहस का निश्चित किया जाय । इस सम्बन्ध में पार्लियामेंटरी परिपाटी यही रही है कि कामरोको प्रस्ताव के रूप में ही ऐसी बातें सदन के सामने लाई जाती हैं। जो काम रोको प्रस्ताव मैंने अर्दियाकांड और बाहकांड के बारे में दिया है उसके बारे में तो माननीय मुख्य-मंत्री जी को पूरी जानकारी होगी ही। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी इसके सार्वजनिक महत्व को समझते हुये, क्योंकि इस सदन में कभी नियम के अनुसार इस सम्बन्ध में काम तो कभी हुआ ही नहीं, अगर आज नियम के अनुसार काम हो जाय तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की राय में पार्लियामेंटरी परिपाटी.....

श्री अध्यक्ष---उसके बारे में तो स्पष्ट माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि कामरोको प्रस्ताव को वह स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि सदन एक दिन इन सब विषयों पर बहस कर ले। अगर यह सुझाव स्वीकार हो तो मैं समझता हूं कि फिर अलग-अलग प्रस्तावों को लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। माननीय विरोधी दल के नेता मुझे

यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें यह सुझाव स्वीकार है कि १ दिन इन सब विषयों पर बहस हो जाय जो इस सम्बन्ध में यहां लाये गये हैं। इस सम्ब्रन्ध में मैं कोई फैसला नहीं देता हूं कि किस विषय पर बहस हो सकती है या नहीं। अगर कोई विषय छेड़ा जायगा तो उसके ऊपर उस समय निर्णय होगा। लेकिन सत्याग्रह और नहर के टैक्स के सम्ब्रन्ध में विचार करने के लिये वह दिन होगा और उससे संबंधित तमाम समस्याओं पर उस दिन बहस हो सकेगी।

श्री राज नारायण--श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको थोड़ा सा मौका दे दें ताकि हम अपने मन की स्थिति से माननीय मुख्य मंत्री को अवगत करा सकें। हो सकता है कि हमारे मन की स्थिति को अच्छी तरह से जान कर माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे ही सुझाव को मान लें। मैं आपको इतना ही बता दूं कि बहुत भरा हुआ दिल है और इस प्रस्ताव को लिखते लिखते आंखों में आंसू भी आ गये हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि आप हमको थोड़ा सा मौका दें और मैं आप के द्वारा इस सम्मानित सदन को कम से कम जो २,७०० आदमी जेल में हैं और जिनमें डाक्टर राम मनोहर लोहिया भी हैं, मुझे अभी एक पुस्तक मिली है.....

श्री अध्यक्ष--यह तो आप ने बहस शुरू कर दी है। आप यह बतलाने की कृपा करें कि आप इस सुझाव को स्वीकार करते हैं या नहीं कि एक रोज़ बहस इन सब विषयों पर हो जाय। नहीं स्वीकार है तो मैं इस पर राय ले लेता हूं कि इस कामरोको प्रस्ताव के लिये सदन इजाजत देता है या नहीं।

श्री राज नारायण--श्रीमन्, अगर आप इसको उचित समझते हैं कि आप मुझको यह मौक़ा दें.....

श्री अध्यक्ष--जिस रोज इस पर बहस होगी उस रोज मौक़ा दिया जायगा।

श्री राज नारायण--हमने यह निवेदन किया कि मेरे मन की स्थिति को माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं समझ पाये हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप ग़लतफहमी में हैं। मेरे विचार में हरएक सदस्य आप के मन की स्थिति को समझता है और अध्यक्ष भी समझते हैं कि आप को कितना दुःख हो सकता है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं राजनारायण जी के मन की स्थिति को, जहां तक मनुष्य की बुद्धि जा सकती है, समझ सकता हूं। मैं खुद समझता हूं कि उन्हें बड़ी गम्भीर वेदना है और उस तरह की वेदना मुझे भी है, इस बात को वे भी स्वीकार करें। अपने साथियों को जेल में भेजना किसी को अच्छा नहीं लगता, उसका हमें दुःख है, लेकिन इसके अतिरिक्त वे और कोई नई बात बतायेंगे इसके बारे में मैं समझता हूं कि उनके पास और कोई नयी बात नहीं है। हमें इन कामों को करने में अच्छा नहीं लगता, उनसे ज्यादा हमें बुरा लगता है, लेकिन क्यों करने पड़ते हैं, इस पर विवाद होगा जब वे बातें सामने आयेंगी। इसके अतिरिक्त वे और कुछ कह कर अपनी बात को अधिक व्यक्त कर सकेंगे, मेरी जहां तक बुद्धि पहुंचती है, मेरी अक्ल में नहीं बैठती।

श्री अध्यक्ष--(श्री राज नारायण से) मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं?

श्री राज नारायण--मेरी परेशानी यही है कि आप मुझको मौक़ा नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है और मैं नयी बात कहना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि मेरी उस नयी बात को सुन कर माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे सुझाव को मान जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी अगर कह भी दें तो भी हो सकता है कि कायदे के हिसाब से इजाजत न दी जा सके। इस समय यही हो सकता है कि या तो कायदे के हिसाब से हम इस कामरोको प्रस्ताव पर निर्णय करें या उनकी तरफ से जो सुझाव दिया गया है उसको स्वीकार कर लें। मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन सब प्रस्तावों पर एक रोज बहस हो जाय, अगर हां, तो वे अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं इतने आगे के दिन के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष---वे सदस्य जो कामरोको प्रस्ताव की अनुमति देने के पक्ष में हैं, अपनी अपनी जगह खड़े हो जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, मुझे अपने प्रस्ताव के पेश करने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष---मैंने वह आप के लिये पेश कर दिया था। अगर आप स्वयं पेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं निम्नलिखित कामरोको प्रस्ताव सदन के विचारार्थ पेश करता हूं---

> "उत्तर प्रदेश विधान सभा का अधिवेशन उत्तर प्रदेशीय पुलिस के द्वारा आगरा जिले के अर्दाया ग्राम के किसानों के ऊपर अकारण आंसू गैस चलाने व कर्फ्यू लगाने, मथुरा जिले के बाध्य गांव में अत्यन्त निर्दयतापूर्वक किसानों व महिलाओं को बेरहमी से घसीटने, मारने व साड़ियां खींचने आदि पर जघन्य कार्यों से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"
>
> मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल का जो कुछ कहना है उसमें केवल इतनी सी आपत्ति है कि वह दिन वृहस्पतिवार को न हो कर किसी नजदीक के दिन हो जाय तो मैं समझता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इसको ऐडजस्ट कर सकें तो इस तरह से कोई दिन नियत कर दें जो वृहस्पतविार से पहले हो जाय।

श्री अध्यक्ष---तो आप मुझे सुझाव दे दें।

श्री गेंदासिंह---मैं तो यह सुझाव देता हूं कि कल रखा जाय या परसों रखा जाय। इन दो दिनों में से किसी दिन रख दिया जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---राजनारायण जी अपनी ही बात रखना चाहते हैं और मैं हमेशा उनके सामने झुकने को तैयार हूं। वे चाहते हैं कि वृहस्पतिवार को न हो, बुध. वार को हो जाय। सभी की बुद्धि ठीक रहेगी उस दिन, खैर बुध ही सही।

श्री अध्यक्ष---तो यह स्वीकार है।

श्री राज नारायण---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बुध के लिये कहा और यह हमें आश्वासन दिया कि बुध को उनकी बुद्धि सही रहेगी।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने सब के लिये कहा है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अपने बारे में उनको बुध के लिये भी आशंका है।

श्री अध्यक्ष--तो सदन की अनुमति है कि जो कामरोको प्रस्ताव सदन के सामने हैं, उनमें जितने विषय हैं उन सब के ऊपर बुध के रोज ही विचार किया जाय और इसलिये ये कामरोको प्रस्ताव न लिये जायं ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--श्रीमन्, इस समय चूंकि सभी कामरोको प्रस्ताव के विषय उत्पन्न हो गये हैं कि उन पर बहस होगी तो हमें यह जानकारी नहीं है कि किस-किस विषय पर कामरोको प्रस्ताव हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं आप को मुख्तसर तौर पर बतला देता हूं। एक श्री रामनगीना जी के नेतृत्व में सत्याग्रह करने पर जो लाठी चार्ज हुआ उस सम्बन्ध में है और दूसरा स्पेशल पावर ऐक्ट के मातहत जो आदमी पकड़े गये हैं इस सम्बन्ध में है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--श्रीमन्, लेकिन यहां तो यह है कि चूंकि लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, इस पर विचार करना है।

(इस समय दर्शक दीर्घा में शोर मचा तथा नारे लगने शुरू हुए।)

दर्शक दीर्घा में हुल्लड़बाजी के कारण सदन की कार्यवाही में बाधा

श्री अध्यक्ष--श्री राज नारायण जी, अगर किसी स्कीम के अनुसार यह कार्य हो रहा हो तो आप कृपा कर के इनको रोक दें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, आपने मुझको कुछ कहने की इजाजत दी और हमसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मैं आप को बतला दूं कि मेरी कोई स्कीम नहीं है मगर मैं आप को बतला दूं.....

श्री अध्यक्ष--नहीं है, तो आप बैठ जाइए।

(इस अवसर पर नारे और जोर से लगने लगे तथा एक व्यक्ति गैलरी से माननीय अध्यक्ष को सम्बोधित कर भाषण भी देने लगा।)

श्री अध्यक्ष--(हुल्लड़ मचाने वालों की ओर) आप शान्त हो जाइये। (शांत न होने पर) मैं यह कहूंगा कि पुलिस वाले ऐसे लोगों से इस गैलरी को खाली करा दें।

(पुलिस ने गैलरी में जा कर हुल्लडबाजों को जबरदस्ती वहां से निकाला। उस समय भी वे गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे तथा वहां से हटना नहीं चाहते थे।)

श्री राज नारायण--श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मुझे मौका दें तो इन लोगों से बात की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष--आप जाकर समझा सकते हैं।

(कुछ समय के अनन्तर एक सदस्य के खड़े होने पर)

आप कृपा कर के बैठ जायं, जब शांति कायम हो जायगी तब कोई माननीय सदस्य खड़े होने की कृपा करेंगे। मैं चाहता हूं कि गैलरी साफ हो जाय पहले और सदन का काम शान्ति से जिसमें चल सके।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, यह जितने लोग भी यह उपद्रव कर रहे थे वे सब एक ही जगह बैठे हुये थे, विजिटर्स गैलरी में थे तो किन्हीं न किन्हीं माननीय सदस्यों के द्वारा उनको पास मिले होंगे। मैं चाहता हूं कि इस बात की जांच हो कि किन माननीय सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा उन्हें पास मिले हैं। क्योंकि गैलरी में सब का एक ही जगह बैठना आकस्मिक तो नहीं है जरूर किसी आयोजन से प्रेरित हो कर यह सब हुआ है। मैं चाहता हूं कि उन माननीय सदस्यों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाय और यह भी विचार किया जाय कि आइन्दा उनके द्वारा विजिटर्स गैलरीज़ के पास मिलने चाहिये या नहीं। और भी, इसके साथ ही साथ यह जो हुआ है मैं समझता हूं कि यह सदन का बहुत बड़ा अपमान हुआ है और मैं इसको हाउस के प्रिविलेज का प्रश्न समझता हूं। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो उचित कार्यवाही हो वह आप करें और जो इस वक्त आज सदन की बेइज्जती हुई है और बाधा डालने की कोशिश हुई है उसका भी परिहार हो जिससे आइन्दा ऐसी बात न हो सके।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि अभी यह आज्ञा दी गयी है कि अभी जो बाहर गये हैं उनके, सबके 'पास' चेक किये जायं और जिनके द्वारा जिनकी सिफारिश पर वे यहां पर बैठे और उनको इजाजत मिली, इन सब चीजों की जांच होने के बाद जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी क्योंकि सदन का इस विषय में घोर अपमान हुआ है। मैं खुद ही दुःखी हूं और जिस किसी के द्वारा यह कार्य हुआ है वह बहुत अपमानजनक है और प्रजातंत्र के ऊपर आघात है, इस पद्धति पर आघात है। इस अपमान को साधारण रीति का अपमान नहीं समझा जा सकता। इस विषय में तो मैं कम से कम बहुत स्पष्ट हूं लेकिन सदन की राय पर ही सब बातें निर्भर हैं लेकिन मैं सदन से अपनी भावना व्यक्त कर देना चाहता हूं कि यह दुःख की बात हुई है और बहुत ही अनुचित तरह से यह बात हुई है जिस तरफ से भी यह बात की गयी है। आइन्दा इस बात का भी विचार किया जायगा जिसमें यह बात दुहराई न जाय। मैं समझता हूं कि इसमें सब का सहयोग सभी पार्टियों का सहयोग मुझे प्राप्त होगा। मैंने अभी पूंछा भी था विरोधी दल के नेता से कि आप का इसमें कोई आयोजन है। उन्होंने कहा 'नहीं' है। जब उनका हाथ नहीं है इस विषय में और यह वह कहते हैं, तो उन्हें भी इस बारे में दुःख होगा कि कोई बाहरी सज्जन आ कर, एक दर्शक के रूप में और इस तरह से सदन के काम में अनुचित रूप से बाधा डाले।

महाराजकुमार आलेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विचार माननीय गृह मंत्री जी ने प्रकट किये, उनका मैं पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। किन्तु आप के सामने एक बात और कहना चाहता हूं कि अक्सर पासेज के सम्बन्ध में ऐसा होता है कि या तो नोटिस आफ़िस में रखे जाते हैं और वहां जा कर जैसा कि मेरा पास हो और राजा साहब ले लें तो उनको दे दिया जाता है। तो इस बात पर विचार भी रखा जाय कि आया यह बात हुई या नहीं और इस पर विचार होने के बाद कि उसने किसी को दिया हो तब तो जिम्मेदार माना जाय। किन्तु उसके आने से पहले ही किसी के नाम में ईश्यू हुआ हो.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस विषय में जो सुझाव किसी माननीय सदस्य को देना हो कि जांच किस तरह से की जाय तो मुझे दफ्तर में दे दें।

श्री राज नारायण—अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें एक निवेदन आप से करना है, और थोड़े से दुःख के साथ करना है कि श्रीमन् आप हमही से क्यों पूंछते हैं कि कोई आयोजन है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि ऐसे पूंछने से एक भ्रम पैदा होता है। इसलिये कृपया यही बात आप माननीय मुख्य मंत्री जी से पूंछ लें कि शायद उनके द्वारा न कोई आयोजन कर दिया गया हो क्योंकि.....

(एक साथ कई आवाजें)

श्री अध्यक्ष--खैर यह वकालती बहस का सवाल नहीं है, सत्य का सवाल है। बात यह थी कि पहले आप ने खुद जिक्र किया था कि बाहर कुछ आयोजन हो रहा है। यह बात हुई तो एक शंका, उस आयोजन का संबंध इससे है या नहीं, यह अनावश्यक है। और वह उन पर ही आती है जिनका आयोजन बाहर है। इसलिये मैंने यह पूंछ लिया क्योंकि लोगों के दिलों में शंका आप के बारे में ग़लत न स्थापित हो जाय, इसलिये मैंने पूछा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक प्रार्थना करना चाहता हूं इस सिलसिले में और वह यह है कि जो पासेज हमें ईश्यू होते हैं माननीय सदन के सारे मेम्बरान को वह ब्लैंक मिलते हैं। तो यह प्रथा चली आयी है कि जो कोई पासेज को मांगता है वह ब्लैंक दे दिये जाते हैं.....

(एक साथ कई आवाजें)

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके शान्त हो जाइये। मैंने पहले ही बता दिया कि कौन-सा तरीका जांच का होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--हम लोग जो मेम्बरान हैं इससे किसी का एसोसियेशन नहीं है और न हमने किसी को अपनी तरफ़ से पास दिये हैं।

फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--कामरोको प्रस्ताव जो मैंने आप को पढ़ कर सुना दिये अब श्री अवधेश प्रताप सिंह जी का एक दूसरे विषय पर है। जिसको मेरी समझ में कामरोको प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के विषय में था। तो यह चूंकि कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता, कोई बहुत गम्भीर, आवश्यक और पब्लिक इम्पोर्टेंस का नहीं मालूम पड़ता इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं। दूसरा श्री झारखंडे राय का है जिसमें उन्होंने बहुत से मामलात दर्ज किये हैं, कुछ सत्याग्रह के सम्बन्ध में, कुछ और भी होंगे। तो इस तरह से इसका प्रस्ताव का रूप नहीं है इसको भी मैं अवैध करार देता हूं। यद्यपि इसमें जो विषय हैं वे शायद जो दिन दिया गया है उसमें बहस में आ सकते हैं। तो इस प्रकार यह कामरोको प्रस्ताव समाप्त हुए।

श्री नारायण दत्त तिवारी तथा श्री गेंदासिंह की गिरफ्तारी से सम्बद्ध प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष--श्री नारायण दत्त तिवारी और श्री गेंदासिंह से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने के लिये विशेषाधिकार समिति को ३१ जुलाई, सन् १९५४ तक का समय दिया गया था। किन्तु समिति उस समय के भीतर अपना कार्य समाप्त न कर सकी। अतः समिति ने ३१ अगस्त, सन् १९५४ तक इन प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने की प्रार्थना की है और मैंने तद्नुसार उनकी प्रार्थना स्वीकार कर के समय बढ़ा दिया।

श्री गजेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा, की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब कुछ सूचनायें जो कि मैजिस्ट्रेटों या जजों द्वारा मुझे दी गई वह सदन के सामने मैं रख देना चाहता हूं। इस सत्रावसान के बाद, सदन के सत्रावसान की अवधि

[श्री अध्यक्ष]

में कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी आदि की सूचना मुझे प्राप्त हुई थी जिनमें से कुछ की सूचना सदस्यों को तुरन्त पत्र द्वारा दे दी गयी हैं और कुछ की सूचना पत्र द्वारा देना आवश्यक नहीं समझा गया। परम्परानुसार आज मैं ऐसे सब मामलों की सूचना संक्षेप में सदन को दे देना चाहता हूं :

"श्री गजेन्द्र सिंह, एम० एल० ए० स्पेशल पावर्स ऐक्ट, १९३२ (ऐक्ट १४, १९३२) की धारा ३ के अन्तर्गत जिलाधीश देवरिया द्वारा २ जून, १९५४ को रात्रि के ११ बजे नहर सिंचाई-कर न देने के लिये बहकाने के आरोप में गिरफ्तार किये गये और उसी समय वे एक-एक हजार रुपये की दो जमानतें देने पर छोड़ दिये गये।"

इसकी सूचना सदस्यों को पत्र द्वारा पृथक से दी जा चुकी है।

"श्री गजेन्द्र सिंह पुनः २५ जून, १९५४ को सायंकाल ६ बजे पूर्वोक्त जैसे अपराध के आरोप पर गिरफ्तार किये गये और उनको इटावा की जिला जेल में रखा गया।"

इसकी सूचना सदस्यों को पत्र द्वारा पृथक से दी जा चुकी है।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र, सदस्य विधान सभा पर अभियोग चलाये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (सिटी), कानपुर ने ६ जुलाई, १९५४, को सूचना दी कि श्री वासुदेव मिश्र, एम० एल० ए०, पर उक्त मैजिस्ट्रेट के कानपुर कोर्ट में षडयंत्र, दंडनीय विश्वासभंग, मूल्यवान प्रतिभूतियों के कृत्रिम निर्माण, कृत्रिम लेख्यों को वास्तविक की भांति प्रयोग करने और साक्ष्य को लोप करने के आरोपों पर अभियोग चलाया गया। उसी दिन अन्वेषण के उपरान्त उन पर मुकदमा चलाये जाने के लिये उनको सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया। उनकी पूर्व की जमानत निरस्त कर दी गई और उनको दूसरी जमानत पर सत्र न्यायालय से मुक़दमें के लम्बन काल तक के लिये मुक्त कर दिया गया।

विधान सभा के सदस्य श्री टीका राम को एक अभियोग में दंड मिलने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, हरदोई ने सूचना दी कि श्री टीकाराम, एम० एल० ए०, पर भारतीय दंड विधान की धारा ३७९ के अन्तर्गत उनके कोर्ट में मुक़दमा चलाया गया। ५ महीने के मुकदमें के उपरान्त उनको २९ जून, १९५४, को भारतीय दंड विधान की धारा ३७९ के अन्तर्गत दोषी पाया गया और उनको ५०० रु० का अर्थ-दण्ड दिया गया जिसको अदा न करने की दशा में ३ मास सपरिश्रम कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, अपील दायर करने का उन्हें १५ दिन का समय दिया गया।

इसकी सूचना सदस्यों को पृथक से एक पत्र द्वारा दी जा चुकी है।

विधान सभा के सदस्य, श्री खयाली राम शास्त्री को फांसी की सजा के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--५ अगस्त, १९५४ को रेडियोग्राम द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है कि एडीशनल सेशन्स जज, मुरादाबाद ने, श्री खयाली राम शास्त्री, एम० एल० ए० को फांसी की सजा दी है।

१३ अगस्त, १९५४, के एक पत्र द्वारा उक्त एडीशनल सेशन्स जज ने सूचना दी कि श्री खयाली राम शास्त्री, एम० एल० ए० के विरुद्ध उनके न्यायालय में एक क़त्ल का मामला चल रहा था जिसमें उन्होंने ३१-७-५४ को श्री खयाली राम शास्त्री को फांसी की सजा दी। उन्होंने अपने निर्णय की एक प्रति भी संलग्न करके भेजी थी।

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १९ फरवरी, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३१ मार्च, १९५४ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ३० अप्रैल, १९५४ को प्राप्त हो गई, और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का ११ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५४

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--श्री मान्, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५४ सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६७-७१ पर)

†उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के संशोधन संबंधी विज्ञप्तियां

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--श्रीमन्, मैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या टी० पी०/३०--३२०४-टो-५१, दिनांक २१ अप्रैल, १९५४, तथा संख्या १४६७- टी० पी०/३०--१४२-टी (९)-५३-दिनांक ५ मई, १९५४ को, जिनसे मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

†उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के संशोधन संबंधी विज्ञप्ति

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--श्रीमन्, मैं सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या २४९८/१ अ-१०५८-५४, दिनांक १५ मई, १९५४ की जिससे उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई १९५१ ई० को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में संशोधन किये गये हैं, को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गेंदासिंह--(जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, नियमावली के पास होने के बाद विवाद होना चाहिये, इसलिये यदि कोई समय निश्चित कर दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--(राजस्व मंत्री से) आप कोई समय इसके लिये देंगे, क्या यह नियम में है?

श्री चरणसिंह--जी हां।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष--आप कोई दिन मुकर्रर करके मुझे सूचना दे दें तो वह दिन निश्चित हो जायगा।

श्री चरण सिंह--बहुत अच्छा।

†रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम

श्री चरणसिंह--श्रीमन्, मैं रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ की धारा १८ की उपधारा (३) के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश नियम, १९५४ को ३० जून, १९५४ के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुए हैं को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, इस पर भी मैं चाहूंगा कि जो नियम बने हैं उन पर वादविवाद के लिये कोई समय निश्चित किया जाय।

श्री चरणसिंह--बहुत बेहतर, मैं आप को लिख दूंगा।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के भाषण की प्रति, १९५०-५१ के विनियोग लेखे और १९५२ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की रिपोर्ट

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, वैसे अभी तक सभापति का चुनाव नहीं हुआ है लेकिन इसको कोई भी समिति का सदस्य पेश कर सकता है और कमेटी को कौन बुलायेगा यह फैसला अभी नहीं हुआ है। आप को ही कमेटी की मीटिंग बुलाना है जिससे सभापति का चुनाव हो जाय, क्योंकि मैं भी इस समिति का एक मेम्बर हूं.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि समिति में निर्णय हो गया है कि आप इसको पेश करेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--जी नहीं।

श्री अध्यक्ष--तब मैं आज इसको नहीं लूंगा, किसी और दिन ले लूंगा।

हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति, रीजनल एम्पलायमेंट ऐडवाइज़री कमेटी तथा बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन के प्रस्ताव

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, उसके अनुसार श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित के त्यागपत्र दे देने के कारण हारकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति में रिक्त हुये स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री श्यामाचरण बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर रीजनल इम्पलायमेंट एडवाइजरी कमेटी में कार्य करने के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय।

---

† छापे नहीं गये।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबंधकारिणी समिति से विधान सभा के सदस्य श्री दीन दयालु शास्त्री का पद त्याग करने के कारण रिक्त स्थान पर विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं इन तीनों प्रस्तावों पर सदन की राय ले लेता हूं, जिनमें एक-एक सदस्य के चुनाव के सम्बन्ध में मुझे अधिकार दिया गया है कि क्या सदन का मत है।

प्रश्न यह है कि ये तीनों प्रस्ताव स्वीकार किए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इन प्रस्तावों के द्वारा जो मुझे अधिकार दिया है, उसके अनुसार मैं यह कार्यक्रम उनका रखता हूं जो तीनों चुनावों के सम्बन्ध में है ।

समितियों के एक-एक सदस्य चुनने के विषय में नाम निर्देशन प्राप्त करने का समय २६ अगस्त, १९५४ को एक बजे तक ।

नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म-परीक्षा २७ अगस्त, १९५४, ३ बजे तक ।

नामों की वापसी की तिथि तथा समय ३१ अगस्त को ३ बजे तक।

यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन की तिथि, समय तथा स्थान की सूचना बाद में दे दी जायगी।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५४

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्य[illegible]दय, मैं उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, [illegible], पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ [illegible] पर)

यू० पी०नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज एण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४, पुरः-स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७३ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७४-७८ पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ७९-८४ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ८५-९१ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मैं उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ९२-१२९ पर)

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ १३०-१७८ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में जो हमारा नोट आफ डिसेंट छपा हुआ है उसमें बहुत सी छापे की गलतियां ऐसी अशुद्ध हैं जिनसे दूसरा मतलब निकल सकता है। तो मैं चाहता हूं कि वह सही कर दी जायंगी।

श्री हरगोविन्द सिंह--आप इसको पढ़ लें और जो गलतियां बतायें वह फिर से दुरुस्त हो जायंगी।

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक १९५४ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ १७९-२१६ पर)

*उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कन्ट्रोल,) (संशोधन) विधेयक, १९५४

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोररी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर विचार किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--मुझे इसमें आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष--प्वाइंट आफ आर्डर है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, सही मानों में तो प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है लेकिन हमारे पास एक सूची आप के कार्यालय से गई थी जिसमें यह बतलाया गया था कि कौन विषय कब लिया जायगा और उसके मुताबिक ये १५ विषय बताये गये हैं। इसमें जो माननीय मंत्री जी ने विचार करने की बात कही है और जिस विधेयक को माननीय मंत्री

---

* २६ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

जी लेना चाहते हैं उसका नम्बर बहुत ही बाद में है, ६, ७ के बाद । ऐसी सूरत में मैं मुनासिब नहीं समझता और न हमारी उस दृष्टिकोण से तैयारी ही थी कि इसको आज लिया जायगा। मैं समझता हूं कि आम तौर पर अधिकांश विधेयक आज भी ही पुरःस्थापित किये गये हैं। ऐसी सूरत में मैं यह चाहूंगा और आप के द्वारा वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह आज न लिया जाय और कोई विषय भी ऐसे हैं नहीं इसलिये सदन की कार्यवाही आज स्थगित कर दी जाय और कल ११ बजे से हम लोग फिर बैठें।

श्री अध्यक्ष---यह बिल है कितना बड़ा, जरा मैं यह देख लूं । माननीय वित्त मन्त्री, आप को कुछ कहना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो जो बात समझा हूं वह यह कि कोई इत्तिला यहां से गयी थी जिसमें इस बिल का नम्बर नीचे दिया हुआ था और अब आज वह पेश हो गया है, उसकी वजह से यह चाहा जा रहा है कि यह आज नहीं कल लिया जाय.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, मेरे पास जो सूचना सरकार की तरफ से आयी थी उसके अनुसार मैंने सूचना दी थी कि यह क्रम रहेगा। फिर शायद उसमें परिवर्तन हुआ और उसके अनुसार यह आज का कार्यक्रम छापा गया । मैं जरा बिल देख लूं तो ज्यादा अच्छा होगा

श्री राज नारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, ५ मिनट ही रह गये हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह जो मेरा बिल है यह कल या और उसके बाद ले लिया जाय और वह जो इसमें पहले लिखा हुआ था, वह पहले ले लिया जाय। वह गुप्ता जी का बिल है। लंच के बाद उसको ले लिया जाय। अब तो ५ मिनट ही रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष---तो मैं उनसे कहूंगा कि वह उसे पेश कर दें।

†उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५४

अन्नमंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे अधिक कुछ कहना नहीं है। अभी तक प्रदेश में मकानों की बड़ी कमी है और अब भी आवश्यकता पड़ती है कि एकोमोडेशन को रिक्वीजीशन किया जाय। इसलिये इस विधेयक को सदन के सामने पेश किया गया.....

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्, मुझे एतराज है। यह रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट बड़ी जांच के बाद आज ही हमारे सामने प्रस्तुत की गयी है। तो हम यह चाहेंगे कि एकमोडेशन के रिक्वीज़ीशन के सम्बन्ध में उस पर विचार करके हम अपने विचार रखें क्योंकि आज ही यह रिपोर्ट आयी है, इसलिये हम समझते हैं कि.....

श्री अध्यक्ष---यह तो प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। मैं समझता हूं यह तो आप की प्रार्थना है गवर्नमेंट से। यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

---

† आगे पृष्ठ ५४-५५ पर छपा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष--(श्री बनारसी दास से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री बनारसी दास--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल तो ऐसा है जिसके बारे में कोई वादविवाद नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने निवेदन किया अभी हमारे प्रदेश में एकमोडेशन की बड़ी कमी है। इसीलिये नये-नये कार्यालय काम करने के लिये सरकारी अफसरों के रहने के लिये तथा अन्य कार्यों के लिये इस बात की आवश्यकता है कि एकमोडेशन को रिक्विजीशन किया जाय। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को इस बात के अधिकार मिलें कि आवश्यकता पड़ने पर एकमोडेशन रिक्विजीशन कर सकें।

इसलिये इस विधेयक की अवधि बढ़ाने के लिये यह संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है।

*राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी मंत्री जी ने बिल पेश किया है उससे सिर्फ मेरा इतना विरोध है कि जो इसमें चार साल की अवधि रखी गयी है मैं समझता हूं कि यह अधिक है। पिछले सालों में सरकार इस अवधि को एक साल या दो साल बढ़ाती रही है। उसी प्रकार से अगर सरकार इसमें संशोधन कर ले तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है वरना मैं समझता हूं कि चार साल की मियाद डाल कर यह कहना कि पब्लिक के कार्यों के लिये मकानों की जरूरत पड़ती है, या जिलाधीशों को जरूरत पड़ती है, मैं आप के जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने भवन को यह नहीं बतलाया कि सरकार को इस तरह से कितने मकान लेने पड़े। मैं समझता हूं कि रिपोर्ट में बहुत ही कम ऐसी तादाद आयेगी जिसकी बिना पर इस बिल के द्वारा चार साल के लिये स्पेशल पावर जिलाधीशों को दे दी जाय। मैं समझता हूं कि मकानों की दिक्कत तो जरूर है, लेकिन वह इस तरह से दूर नहीं की जा सकती। जैसा अभी माननीय मित्र ने कहा हम सब उन सब रिपोर्टों पर विचार कर लें तब उस पर कोई निश्चय किया जाय। मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि सरकार को पब्लिक के कामों के लिये जरूरत पड़े तो वह न दे। लेकिन चार साल की मियाद के बजाय अगर एक साल की मियाद कर दी जाय तो मुझे कोई आपत्ति न होगी और मैं अपना विरोध वापस ले लूंगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यूं तो जो माननीय अन्न मंत्री जी ने फरमाया कि आज अभी मकानों की बड़ी कमी है उस कमी को महसूस करता हूं। और उस कमी को मैं क्या महसूस करता हूं, मैं तो गांवों का रहने वाला हूं। जो लोग शहरों में रहते हैं वह लोग उस कमी को ज्यादा महसूस करते हैं। कभी कभी वह लोग हमको भी तंग करते हैं। वह ऐसा समझते हैं कि माननीय मंत्री जी से हमारा ऐसा संबंध है या किसी किसी मजिस्ट्रेट से ऐसा संबंध है कि हमारे कह देने से भी किसी को मकान मिल सकता है। लेकिन मैंने अपने को बिल्कुल असमर्थ पाया। मैंने कितने ही लोग लखनऊ में देखे हैं जिन्हें आजतक मकान नहीं मिला। अब प्रश्न यह है कि क्या ५४ के बजाय ५८ तक हम इस कानून को जारी रखने का अधिकार सरकार को दे दें तो यह कमी दूर हो जायगी। मैं तो अदब से इस बात को कहना चाहता हूं कि यह कमी दूर होने को नहीं, कमी दूर करने के तरीके माननीय मंत्री जी अमल में ला रहे हैं इस पर जब वह विचार करेंगे तो समझेंगे कि चार साल के भीतर भी इसका हल होना मुश्किल है। यह बात दूसरी है कि चार साल के भीतर लोगों की क्रय शक्ति इतनी घट जाय कि मकानों के स्थान पर पटरियों पर रहना पसन्द करें, तो उस वक्त मकान की कमी यूं ही दूर हो जायगी। यह सप्लाई और डिमांड की थ्योरी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि अगले तीन चार वर्षों में लोगों की ऐसी अवस्था हो जाय कि मकान ढूंढने वालों की तादाद कम हो जाय और फिर ऐसी हालत में कमी दूर हो जाय तो ऐसी कमी दूर करने का जो तरीका है उस तरीके को तो हम पसन्द नहीं करेंगे और मैं समझता हूं कि माननीय अन्न मंत्री जी भी पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि अगर आम तौर से लोगों की क्रय शक्ति क्षीण हो जाय और क्रय शक्ति क्षीण होने के कारण बजाय मकान में रहने से फुटपाथ पर लोगों को रहना पड़े तो शायद यह न उनका इरादा होगा और न हमारा इरादा होगा। अगर ऐसी हालत में १९५८ तक उनकी ऐसी कल्पना है कि मकानों की कमी दूर हो जायगी तो मैं चाहूंगा कि ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये बल्कि कल्पना यह की जाय कि जितने अधिक से अधिक मकान शहरों में बन सकें, लोगों को एकमोडेशन मिलने की व्यवस्था हो तो अच्छा होगा।

जहां तक इस वक्त का संबंध है मैं देखता हूं कि मकानों के लिये जो बनाने के सामान हैं उन सामानों को मकान बनाने वालों को मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है और कल से कल सीमेंट के संबंध में जितनी कमी इस वर्ष मालूम हुई है उतनी कमी और वर्षों में जो बहुत कमी का जमाना समझा जाता था उस जमाने में भी ऐसी कमी नहीं देखी गई। अगर हम एक योजना के साथ लोहे की कमी, सीमेंट की कमी या ईंट बनाने के लिये कोयले की कमी का बन्दोबस्त कर सकें और जहां पर मकानों की आवश्यकता है वहां पर लोग मकान बना सकें और उनको सीमेंट और लोहा मुहइया कर सकें तो बहुत आसानी से मकानों की कमी दूर की जा सकती है और माननीय मंत्री जी ने जो यह कंट्रोल रखने की बात सोचते हैं, उससे उनको छुटकारा भी मिल जायगा। मैं समझता हूं कि यह कंट्रोल लड़ाई के जमाने की एक शाखा है। लड़ाई के जमाने में मकानों की कमी हुई। डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के मातहत मकानों का किराया और उनकी बेदखली को कंट्रोल करने के लिये एक कानून बनाया गया। लेकिन तब से लड़ाई का वह जमाना गुजरे काफी वक्त हो चुका लेकिन इस कानून को तब से बराबर बढ़ाते जाना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। मैं ऐसा जरूर चाहता हूं कि एक नियंत्रित जीवन रहे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन नियंत्रण ठीक ढंग से चल सके और उसका ठीक उपयोग हो सके।

हम बहुत अदब के साथ माननीय अन्न मंत्री से कहेंगे कि इसका प्रयोग कुछ ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। जिन लोगों की आवश्यकता है और जो लोग मकान चाहते हैं उनको मकान मिलने में काफी कठिनाई होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बड़ी सुविधा प्राप्त होती है और उनको मकान आसानी से मिल जाता है। तो यह एक ऐसी बात है जिसके लिये अगर माननीय अन्न मंत्री जी को दोषी ठहराया जाय तो बहुत कुछ उचित नहीं मालूम होता है लेकिन आज यह बीमारी जो है इसकी जिम्मेदारी अन्न मंत्री जी की है तो सही पर वह सारे लोगों की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लोग हैं उन सबकी जिम्मेदारी अगर मंत्री जी के ऊपर डाली जाय तो यह कठिन मालूम होता है। लेकिन मैं उदाहरण देकर नहीं बतलाना चाहता हूं। ऐसे काफी मामले हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी इच्छा से निर्णय कर देते हैं। जिस उद्देश्य से यह नियंत्रण लगाया गया है और जिन लोगों के लिये नियंत्रण लगाया गया है वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है और उस उद्देश्य को वह ताक में रख देते हैं और जब खास तौर से लखनऊ में ही कोई बात होती है तो फिर यह सोचना पड़ता है कि ऐसी बात माननीय मंत्री जी के कान तक शायद नहीं पहुंचती है। अगर उनके कान तक पहुंचती है तो फिर उनका इलाज होना चाहिये। मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता केवल इतना कहना चाहता हूं कि नजरबाग का एक किस्सा है उसकी तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हालांकि ऐसे लोगों के लिये कुछ प्रायोरिटी है जैसे कि असेम्बली के मेम्बर हैं, या पार्लियामेंट के सदस्य हैं या कुछ सरकारी कर्मचारी हैं। तो इन लोगों के लिये कुछ प्राथमिकता है लेकिन उस

[श्री गेंदासिंह]

प्राथमिकता के होते हुये भी एक सज्जन को एक मकान के सिलसिले में बड़ा कष्ट हुआ और उनको मकान से निकलना पड़ा। तो अगर यह बात सत्य है तो उसको रोका जाना चाहिये।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं वह जो आइटम २२ है जिस पर सदन में इस समय बहस हो रही है उसके ऊपर या आइटम २६ जो बाद में सदन के सामने विचार के लिये आयेग उसके संबंध में वह अपना विचार प्रकट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह २२ पर ही अपना विचार प्रकट करें।

श्री गेंदासिंह---जो प्रश्न इस समय सदन के सामने है मैं उसी पर बोल रहा हूं। दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि मकानों की कमी के बारे में माननीय अन्न मंत्री ने जो उद्देश्य अपने विधेयक में लिखा है उसको मैंने पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद माननीय बनारसीदास जी ने जो अपना संक्षेप में भाषण दिया उसी को मैं अपने भाषण का बेसिस मानता हूं। इतना तो जरूर है कि .....

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस विधेयक का संबंध तो जैसा कि माननीय सदस्य को स्वयं मालूम है, उन इमारतों से है जो जनहित में ली जाती हैं और उन इमारतों से नहीं है जो कि प्राइवेट आदमियों के रहने लिये नियंत्रित की जाती हैं या जिनके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। जनहित के कार्यों की इमारतों की चर्चा तो २२ में हो सकती है, न कि उन इमारतों की चर्चा जो कि २६ में आती हैं।

श्री गेंदासिंह---मैं कुछ लम्बा नहीं करना चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाऊंगा कि जो कुछ मुझे कहना था वह बहुत दबी जबान में कहा। जहां कहीं सरकारी अधिकारियों के मकान लेने का प्रश्न आता है वह आता है इस विधेयक में। इसलिये जो कुछ मैंने कहा उससे किसी सरकारी अधिकारी का संबंध है। मैं चाहता हूं कि हर आदमी को अच्छा मकान मिले, लोग मकान बनावें और इसके लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु मेरा ऐसा ख्याल है कि पहले उन्होंने २ वर्ष की अवधि ली थी और इस समय वह ४ वर्ष की अवधि ले रहे हैं। मकान बनाने वालों के दिमाग में ४ वर्ष एक युग सा मालूम होगा। उनको नये मकान बनाने में बड़ा संकोच होगा। वह अपने रुपये को बचायेंगे। तो सरकार को यह तो सोचना ही चाहिये कि एलाटमेंट को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा निर्दोष बना सकते हैं या यदि बिलकुल निर्दोष नहीं हो सकता तो हम किस प्रकार उसे ऐसा बना सकते हैं कि कम से कम दोष उसमें रहें जिससे मकान बनाने वाले लोगों को शिकायत न हो। अब कहीं सरकारी अधिकारी और एक इंडिवीजुअल का झगड़ा पड़ जाता है। तो ठीक है कि सरकारी आदमी को प्राथमिकता है और अगर सरकार किसी और तरह से इमारत नहीं दे सकती है तो इंडिवीजुअल की जरूरत का कम ध्यान रख कर सरकारी काम को नहीं रोकना चाहिये। लेकिन यह बड़ी वेग टर्म है। हर काम सरकारी काम बन जाता है और सरकारी अफसरों की अपनी इच्छा की पूर्ति होती है। जो इंडीविजुअल है, जो मामूली आदमी है उसको मकान मिलने में कितनी परेशानी और कठिनाई होती है, उसको तो माननीय मंत्री जी जानते ही होंगे। उसके सिलसिले में कितने ही लोग माननीय मंत्री जी के पास पहुंचते होंगे, कितने ही लोग उसके लिये उन्हें तंग करते होंगे। कई बार मेरे मन में भी आया कि उनको तंग करूं लेकिन मैंने सोचा कि कितने ही लोग उन्हें तंग करते होंगे इसलिये मैं उन्हें तंग न करूं। इसलिये उनको इसका ज्ञान होगा और इसका ज्ञान मुझको भी है। लेकिन यह बीमारी जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी दूर हो सके उतना अच्छा है। मैं यह कहना चाहता था कि ५८ के बजाय एक वर्ष रख दिया जाय

क्योंकि आखिर हम यहाँ बैठेंगे ही और मंत्री जी जिस वक्त चाहेंगे उस वक्त विधान सभा को उसकी मियाद बढ़ाने में कोई संकोच नहीं होगा क्योंकि हम लोग भी यह नहीं चाहते कि सार्वजनिक हित के काम मकानों की कमी के कारण रुक जायं और दूसरे लोग उनका दुरुपयोग करते रहें तथा उनके पास बिला जरूरत के पड़े रहें । ऐसी हालत में मैं इस कानून के संबंध में दो तीन बातें कह देना मुनासिब समझता हूं जिनके अनुसार अगर इसमें संशोधन कर दिया जाय तो समझता हूं यह ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा ।

एक तो अलाटमेंट के संबंध में हमें आज से ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है । जो अलाटमेंट करने वाले हैं उनको बहुत से अख्तियारात मिले हुये हैं । उन अख्तियारात को अपनी इच्छा और बैर साधने के लिये वे उपयोग में न लायें तो बहुत अच्छा हो । दूसरी बात यह है कि बजाय ४ साल के १ वर्ष की मियाद आप लें । एक वर्ष की मियाद लेने में लोगों पर मनोवैज्ञानिक असर होगा और मकान ज्यादा बनेंगे । मकान ज्यादा बनेंगे तो माननीय मंत्री जी की परेशानी दूर होगी । तीसरी बात यह है कि जिस सामान की मकान के लिये जरूरत होती है उसका बन्दोबस्त किया जाय । सौभाग्य की बात है कि जिन माननीय मंत्री जी के हाथ में मकान का इन्तजाम है उन्हीं के हाथ में सीमेंट और लोहे का भी इन्तजाम है । सीमेंट की जो मुसीबत आज है उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उस मुसीबत को उन्हें दूर करना चाहिये । जिस हद तक वह दूर होनी चाहिये उस हद तक वह दूर नहीं हुई है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे । इन तीन बातों के कहने के बाद मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसके मुताबिक वे कार्य करने की कृपा करें ताकि लोगों को इस कानून से ज्यादा से ज्यादा लाभ हो ।

†श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जहां तक माननीय बनारसीदास जी के भाषण का संबंध है उन्होंने कहीं भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि इसकी मियाद ४ साल के लिये क्यों बढ़ाई जा रही है और किन कारणों से तथा किस आधार पर अभी तक मकानों की कमी है । उनका महज यह कहना है कि मकानों की कमी है लेकिन वे कोई आधार नहीं बता पाये । सचमुच यह समझ में नहीं आता कि आखिर इसकी क्या जरूरत है और उनको यह परेशानी क्यों हो रही है कि वे इस लम्बी मियाद के लिये इस कानून को प्रदेश पर लादना चाहते हैं । जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा कि बहुत से जिलों में अधिकारीगण इस अधिकार का दुरुपयोग भी कर रहे हैं । इसके अलावा जनहित या पब्लिक परपज की जो परिभाषा हमारे प्रदेश में की जा रही है वह बहुत ही शोचनीय है और हर एक इंसान जो प्रजातंत्र से कुछ भी लगवा रखता है उसके लिये दुःख की बात है । जहां तक मैं समझता हूं जिस हद तक लोग आराम से रह सकें और अपने दुखः की निवृत्ति कर सकें यह दूसरी बात है लेकिन जनहित की आड़ में जिलाधीशों को जो चार साल के लिये अधिकार दिया जारहा है, यह मैं मुनासिब नहीं समझता हूं । पिछली मर्तबा जब यह हाउस के सामने आया तो दो साल के लिये एक्सटेंशन मांगा गया था और हाउस ने एक्सटेंशन दिया लेकिन अब कोई वजह नहीं मालूम होती कि चार साल के लिये एक्सटेंशन दिया जाय । क्या मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या हाउसिंग के प्रोब्लम में आज तक उन्होंने कोई तरक्की की है ? जो हमारे पास रिपोर्ट्स जाती हैं, उनके द्वारा हमको बतलाया जाता है और समझाया जाता है कि सरकार उन्नतिशील है और सरकार हर एक प्रोब्लम को टैकिल कर रही है और जितनी असुविधायें हैं उनको दूर कर रही है, तो क्या मैं यह समझूं कि सरकार हाउसिंग के प्रोब्लम को साल्व करने में सफल नहीं हुई है और चार साल तक उसको यह भय और आशंका है कि हमारे इस प्रदेश में मकान की कमी रहेगी और इस ओर कोई उन्नति नहीं होगी ।

श्रीमन्, ऐसे कानून के लिये एक परिस्थिति ऐसी होनी चाहिये थी जिससे उसका लागू करना उचित प्रतीत होता । सन् ४७ में ऐसी परिस्थिति थी, उस वक्त आजादी आयी और बहुत

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

आदमी इधर से उधर हुए, और बहुत सी कठिनाइयां थीं जिनको हमारे मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं तो उनके लिये यह तसलीम कर लेना कि हम चार साल तक कोई उन्नति नहीं कर पायेंगे, मैं समझता हू कि माननीय मंत्री जी कहीं भूल कर गये हैं, दिल से वे नहीं चाहते हैं, इस तरह से उनकी हिम्मत भी बहुत जल्दी घटती नहीं है। अगर यह सदन के सामने एक वर्ष के लिये आता तो समझा जाता कि सरकार के लिये ट्रायल और दे दिया जाय और जिलाधीशों के अधिकार में तो कोई कमी नहीं आती है। उनका अधिकार तो इतना काफी है जितना ही कम कहा जाय और उसका जिस प्रकार से वह दुरुपयोग कर रहे हैं उसके बारे में कुछ कहने से सम्भव है कि सरकार की ओर से लांछन लगाया जाय कि आप हमारी सर्विसेज पर विश्वास नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि इस चीज को मैं शराफत के खिलाफ़ समझता हूं कि जो इसका जबाव न दे सके और न समझा व बतला सके उसके खिलाफ़ कोई ऐसी बात कहूं। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह शिकायत का मौका नहीं देना चाहता हूं जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी के लिये उन्होंने कहा कि आप इस बिल पर बोल रहे हैं या न० २६ वाले पर बोल रहे हैं। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं पर मैं यह चाहता हू कि माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कुछ ऐसी बातों की ओर आकर्षित करूं जिससे हमारे इस प्रान्त का कुछ और भला हो सके। जहां पर यह कानून लागू नहीं है वहां पर यह कानून लागू हो जाना चाहिए जैसे हमारे रानीखेत कैंटूनमैंट में यह कानून लागू नहीं है। जब सरकार ने जन-हित के लिये इस कानून को बनाया है और सरकार की ओर से इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जो हमारे पर्वतीय इलाके मंसूरी, नैनीताल वगैरह जहां बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं वहां पर जो बड़े-बड़े होटल वगैरह हैं वहां पर लोगों को दो महीने के लिये किस तरह से तकलीफ़ होती है इससे भी सरकार परिचित ही होगी। बड़ी-बड़ी ऊंची कीमतें लगा कर लोग यह समझते हैं कि गर्मियों में लोग पहाड़ों पर आते हैं और उनसे वे रुपया लेते हैं तो इसके साथ ही साथ सरकार को भी इसका इन्तजाम करना चाहिये कि लोगों को तकलीफ़ न हो। बहुत से टूरिस्ट दो तीन महीनों के लिये पहाड़ों पर इसलिये आते हैं कि उनको अच्छी हवा मिले, और वे आराम और सहूलियत के साथ रहें लेकिन मुझे अफसोस होता है टूरिस्ट ट्राफिक के लिये सरकार की ओर से कोई खास अच्छा प्रबन्ध नहीं है। एक मर्तबा रानीखेत में जहां बड़े बड़े होटल कायम हैं बाहर बम्बई से कुछ टूरिस्ट आये, एक-एक कमरे में दस-दस बीस-बीस आदमियों को रख दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी मर्तबा उन्होंने रानीखेत में आने का नाम नहीं लिया। मुझे यह विश्वास है कि अगर सरकार सारे मकानों को ले ले, पहाड़ के सारे होटलों को ले ले और उसका इन्तजाम खुद करवावे तो हमारे प्रदेश के हजारों लोग पहाड़ों पर आवें। मैं यह जानता हूं कि सार्वजनिक हित का ध्यान सरकार को है और इसलिये मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दिया जाय कि इस तरह से मकानों को पहाड़ों पर ले ले और लोगों के हित के लिये उनका इन्तजाम करे। वहां टूरिस्ट एजेंसीज हैं लेकिन वह कोई काम नहीं कर सकती हैं क्योंकि हम मकान ले नहीं सकते। इसलिये रानीखेत का सवाल हमारे सामने है जहां यह लागू नहीं है। हम चाहते हैं कि रानीखेत के बंगलों पर वहां के बड़े-बड़े मकानों पर आप कब्जा कर लें और उनमें छोटे-छोटे सिंगिल टेनेंट्स, छोटे-छोटे कमरे बनवावें और लोगों को वहां पर सस्ते तरीके से रहने के लिये इन्तजाम करें तो अच्छा हो। जहां तक रेंट कंट्रोल का सम्बन्ध है उसमें यही बात है। लोग माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं कि फलां मकान दिलवा दो। कितने लोग हमारे पास भी आते हैं लेकिन हमने तो उस बात को छोड़ दिया, हम जानते हैं कि मिलता नहीं है। गरीब आदमी जिसकी पहुंच नहीं उसको कुछ इन्साफ़

मिलना चाहिये। मैं नहीं कहता कि माननीय मंत्री जी इंसाफ नहीं करते हैं लेकिन अच्छा होगा कि जो जिले-जिले में कमेटीज हैं उनमें अपोजीशन के लोग भी और हर किस्म के लोग रखे जांय।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं वह आइटम २६ पर मौजूं होगा।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आइटम २२ है। आपको २६ पर बोलने का अवसर बाद में मिलेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---जनहित की बात इसमें कही गयी और इसी कारण मैं जनता की भलाई की बात कर रहा हूं। हमारे इलाके में जब हजारों लोग आयेंगे उनको भी आराम होगा, उस इलाके की रौनक बढ़ेगी और यह सब तभी हो सकता है जब वह रेंट कंट्रोल ऐक्ट लागू कर दिया जाय। तो मेरी प्रार्थना है कि वह जहां पर लागू नहीं है उसे लागू कर दिया जाय।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं उसका समर्थन करता हूं परन्तु इसमें जो चार साल की बात कही गयी है वह अधिक है। उसके बजाय अगर दो साल कर दिया जाय तो अच्छा होगा। इसलिये कि ४ साल बहुत अधिक होते हैं और हमको फ़िर बीच में बात-चीत करने का मौका रहेगा। इस लिये दो साल की ही मियाद के लिये इसको बढ़ावें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अब एबनार्मल टाइम्स नहीं रहे और इस तरह के कानून अब नहीं रहने चाहिये क्योंकि जनता में ऐसा कानून भ्रम पैदा करता है और उत्पादन भी कम होते हैं और लोग मकान बनवाते भी नहीं हैं। गोकि मुझे मालूम है कि पहली जनवरी सन् १९५१ ईस्वी से जो मकान बने हैं उस पर यह लागू नहीं है।

श्री शिवनाथ काटजू---मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य रिक्वीजीशन बिल पर बोल रहे हैं या रेंट कंट्रोल ऐक्ट पर ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं कि २२ विचाराधीन है, न कि आइटम २६।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा---मैं यह कह रहा था कि इस तरह के अमेंडमेंट्स अब करना ठीक नहीं है क्योंकि अब वह समय नहीं है जब कि किसी दूसरे के मकान को रिक्वीजीशन करें, रेंट फिक्स करे और इस तरह के नियम या अधिनियम लावें अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब लोगों को रहने की असुविधा हो ऐसी बात बहुत कम है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिये जिससे लोग नये मकान बनवावें मकान पर उसका अधिकार हो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या किसी अथारिटी को कोई अधिकार न हो कि किसी दूसरे के मकान पर हस्तक्षेप करे।

†**श्री शिवनाथ काटजू**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक का तात्पर्य बहुत छोटा सा है। पहले यह सितम्बर सन् १९५४ को खत्म हो रहा था और अब सरकार अधिकार चाहती है कि ४ वर्ष तक बढ़ जाय। यह जिस वक्त इस सदन के सामने आया था तो उस वक्त रिफ्यूजीज के लिये बड़ी कठिनाई थी और उनके लिये सरकार को मकान लेने की आवश्यकता पड़ी और उसके लिये यह विधेयक बनाया गया। अब जहां तक कि एकोमोडेशन का संबंध है, मेरा अनुमान है कि सरकार कोई नई एकोमोडेशन लेने का विचार नहीं रखती। लेकिन अगर

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनाथ काटजू]

कभी आवश्यकता पड़े तो उनको ऐसी जरूरत हो सकती है। इस वक्त मुख्य उद्देश्य यही है कि कुछ ऐसी जगहें जो रिक्वीजिशन कर ली हैं उनको भी किसी कारणवश सरकार छोड़ना उचित नहीं समझती। क्योंकि बिल्डिंग बन रही हैं और जब इमारतें बन जायेंगी तो उस वक्त जो सरकार ने इमारतें ली हैं उनको छोड़ देगी। लेकिन जब तक सब इमारतें तैयार न हो जायं अधिनियम का रखना, इस विधेयक का रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिये यह एक छोटा सा विधेयक हमारे सामने है और, जैसा मैंने निवेदन किया कि सरकार इसके द्वारा वे अधिकार जो उसको थे कुछ दिनों के लिये और रखना चाहती है। इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करना चाहती हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि विधेयक पर जितने भाषण हुये, उनमें सिवाय काटजू जी के भाषण के सब भाषण ऐसे थे जिनका संबंध इस विधेयक से नहीं था। मैंने नम्रता से इस बात की तरफ ध्यान भी आकर्षित किया, परन्तु माननीय सदस्य उसी जोश में दूसरे बिल के ऊपर बोलते रहे। कई बातें उन्होंने इस बिल के संबंध में भी कही हैं। उनका थोड़े शब्दों में उत्तर तो माननीय काटजू जी ने दे दिया है। मैं स्वयं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक का मतलब तो सीमित है, और वह यह कि कभी-कभी राज्य सरकार को अपने कामों के लिये, केन्द्रीय सरकार के कामों के लिये, सरकारी कर्मचारियों के लिये तथा जनहित में रिफ्यूजीज और सार्वजनिक संस्थाओं आदि के लिये यदि किन्हीं इमारतों की आवश्यकता पड़े तो इस विधेयक के तहत में वे रिक्वीजिशन कर ली जायं।

उत्तरोत्तर हमारी यह चेष्टा रही है कि कम से कम संख्या में इस प्रकार की इमारतें रिक्वीजिशन करें। इसलिये भाषणों में बहुत सी जो दिक्कतें इस ऐक्ट की तहत में बतायी गईं उनका संबंध तो इस बिल से नहीं है। मकानों की दिक्कत है और सरकार के सामने वह दिक्कत अभी कम नहीं हुई है। बहुत से सरकारी दफ्तर हैं जिन्हें रिक्वीजिशन्ड हाउसेज में अभी रख दिया गया है। उनकी इमारतें बनायी नहीं जा सकी हैं। अभी उनके बनाने की योजना भी नहीं है, क्योंकि अब जितना हमारा बजट है वह पंचवर्षीय योजना के तहत में बनाया जाता है। उसके तहत में हम प्रत्येक वर्ष यह कोशिश करते हैं कि जहां अभी सरकारी दफ्तरों की इमारतें नहीं हैं, वहां हम उनकी इमारतें बनाने का प्रबन्ध करें, उसके लिये बजट में पैसा मोहय्या करें। केन्द्रीय सरकार भी इस बात की चेष्टा में लगी हुई है कि उसके जो दफ्तर हमारे प्रदेश में हैं रिक्वीजीशन्ड हाउसेज में हैं उनके लिये इमारतें बनाई जायं। उदाहरण के लिये, लखनऊ में ही रिजर्व बैंक का दफ्तर क़ायम हो गया है, रेलवे का दफ्तर क़ायम हो गया है, और इनकम-टैक्स का दफ्तर क़ायम है। ये केन्द्रीय सरकार के दफ्तर हैं। अभी केन्द्रीय सरकार ने इन तमाम दफ्तरों के लिये स्वयं इमारतें नहीं बनायी हैं। आज इस बात की आवश्यकता है कि यदि ये दफ्तर यहां काम करें तो उन्हें हम किस तरह से जगह दिलायें। वह जगह तो हम तभी दिला सकते हैं जब हम विभिन्न इमारतों को उनके लिये रिक्वीजीशन कर सकें।

इस प्रकार इस विधेयक का मतलब, जैसा कि मैंने अभी बतलाया बहुत ही सीमित है। उसका सम्बन्ध और इमारतों से नहीं है और न इससे है कि रेन्ट कंट्रोल की किस तरह से व्यवस्था हो। मैं आपको यह भी बता दूं कि उन मकानों या दफ्तरों की क्या संख्या है, जिनके लिये मकान हमारी प्रदेशीय सरकार की तरफ से इस विधेयक की तहत में रिक्वीजीशन किये गये हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिये १ जनवरी, १९५४ तक ७४ मकान रिक्वीजीशन्ड थे, सरकारी दफ्तरों के लिये १०४ मकान थे, रिफ्यूजीज के लिये ४६ मकान थे और जनहित की सार्वजनिक संस्थाओं के लिये २९ मकान थे। इस तरह से २५३ इमारतें अभी रिक्वीजीशन्ड हैं। ये इमारतें, जहां-जहां सरकार

की इमारतें बनती जाती हैं या सार्वजनिक संस्थायें अपनी इमारतें बनाती जाती हैं या रिफ्यूजीज अपने मकान बना लेते हैं, रेलीज होती जाती हैं।

चार वर्ष का जो समय रखा गया है उसका मतलब तो यही है कि अभी ऐसे दफ्तर ऐसे मकानों में रहेंगे जिनके लिये इमारतें कदाचित हम चार वर्ष तक न बना सकें। इसलिये जब तक हम उन दफ्तरों की इमारतों को स्वयं बना न लें, इस बात की आवश्यकता रहेगी कि वे दफ्तर उन इमारतों में कायम रखे जायं। इसलिये चार वर्ष की अवधि इस विधेयक की तहत में रखी गयी है। मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इस विधेयक के तहत में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, यदि हम इमारतें उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, जिनका वर्णन मैंने अभी आपके सामने किया, बना देंगे लेंगे। इसलिये इस बात का विरोध करना कि चार वर्ष की अवधि न रखी जाय, दो वर्ष की रखी जाय कोई माने नहीं रखता है। इतना मैं जानता हूं कि आज जो पंचवर्षीय योजना के तहत में हमने योजनायें बनायी हैं, उनके सम्बन्ध में बहुत से दफ्तर हमारे ऐसे रहेंगे, जिनके लिये हम सरकारी इमारतें चार वर्ष के अन्दर नहीं बना पायेंगे। इसलिये आवश्यकता है कि हम चार वर्ष की अवधि इस विधेयक की रखें।

कई बातें इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय गेंदा सिंह जी ने कहीं, जिनका सम्बन्ध, जैसा कि मैंने बतलाया, दूसरे बिल से है। यह सत्य है कि सीमेंट इत्यादि की कमी जिन क्षेत्रों से वह आते हैं वहां रही है और आज भी है। उसका मुख्य कारण उतना सीमेंट की कमी है, जितना कि यातायात के साधनों की कमी, जिनसे देवरिया में सीमेंट इत्यादि भेज सकें। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि छोटी लाइन में अभी वैगन्स की बहुत कमी है। जब कभी कोई वस्तु पूर्वी जिलों को भेजने की योजना हम बनाते हैं, हमारे सामने वैगन्स की कमी उपस्थित हो जाती है। केन्द्रीय सरकार वैगन्स इत्यादि की कमी को दूर करने का पूरा प्रयत्न कर रही है, परन्तु उसमें अभी वह पूरी तौर से सफल नहीं हो पायी है। अभी काफी संख्या में वैगन्स या कोचेज बढ़ाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पायी है। इसलिये ऐसी अवस्था में हम सीमेंट वगैरह अन्य सामान वहां नहीं पहुंचा पाये हैं। इन क्षेत्रों के रहने वालों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं चाहता हूं कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भी काफी मात्रा में सीमेंट वगैरह सामान पहुंच सके। सीमेंट तथा कोयले इत्यादि के भेजने का प्रबन्ध वैगन्स की कमी के कारण नहीं हो सका है। खास तौर से पिछले वर्ष अधिक मात्रा में इनकी कमी रही। कुम्भ के कारण पूर्वी क्षेत्रों में, जो छोटी लाइन पर स्थित थे, हम उचित मात्रा में इन पदार्थों को नहीं पहुंचा पाये। इसके लिये हमें दुःख है।

यह दिक्कतें उनको आज भी हैं। इन्हें दूर करने की हम बराबर कोशिश करते रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी दिक्कतें माननीय गेंदासिंह जी ने उपस्थित की हैं, वे वास्तविक हैं और उनको मिटाने और दूर करने का प्रयत्न बराबर जारी है और जारी रहेगा।

मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यह जो हमने ४ वर्ष की अवधि रखी है और जिन कारणों से रखी है उसका वे विरोध न करें। इसके लिये हम उनके अनुग्रहीत होंगे। मैं माननीय सदस्यों से इस बात के लिये भी प्रार्थना करूंगा कि उन संशोधनों को जिन्हें उन्होंने सदन के सामने उपस्थित करने के लिये नोटिस दिया है, यहां उपस्थित न करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

यू०पी० ऐक्ट २५, १९४७ की धारा १ का संशोधन।

२--समय समय पर संशोधित यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (५) में संख्या '1954' के स्थान पर संख्या '1958' रख दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---कोई सूची संशोधनों की मेरे पास नहीं आई है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय को दे दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष---खंड २ में कोई सूची संशोधनों की मेरे पास नहीं है। यह संशोधन १२ बजे के बाद आये हैं, यदि माननीय अन्न मंत्री को कोई एतराज न हो तो इन पर विचार हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भ्रम है। कल आपका कार्यालय खुला था और १२-३० बजे मैंने इसको भेज दिया था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि माननीय सदस्य चाहते हों तो उपस्थित करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में संख्या "1958" के स्थान पर "1956" रख दिया जाय।

इस मेरे संशोधन का केवल यही मतलब है जैसा कि सदन के वादविवाद में प्रगट हो चुका है कि अधिकांश सदन के सदस्य इस राय के नहीं हैं कि गवर्नमेंट को एकदम से इतना अधिकार दे दिया जाय। इसके मुख्य दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह, जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा, कि माननीय गुप्ता जी बार-बार के क्रिटिसिज्म से बचने के लिये एकदम से चार साल के लिये उसको करना चाहते हैं। अगर हरसाल सदन को मौका मिले तो गवर्नमेंट को भी दुरुस्ती वगैरा के लिये अच्छा मौका मिल सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका केवल दो साल का जीवन बढ़ा दिा जाय और उस समय जैसी परिस्थिति होगी उस पर सदन पुनः विचार करेगा और साथ ही साथ जो तरक्की हो सकेगी उसको भी देखेगा जैसा कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने बतलाया कि वह चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान बनवा दिये जायं, और ज्यादा से ज्यादा तब तक मकान भी बन सकते हैं। यह बहुत साधारण सा बिल है और इसके मंशा से किसी का विरोध नहीं है, जैसा कि हमारी तरफ से माननीय सदस्यों ने बताया। तो ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि ४ साल के बजाय दो साल की ही इसकी जिन्दगी बढ़ायी जाय और मैं इन कारणों से माननीय खाद्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन मामलों में काफी लिबरल रहें और क्रिटिसिज्म से तो उनको बड़ा प्रेम है, इसलिए वह स्वीकार कर लें। दो साल के बाद हम ही लोग रहेंगे और उनको कोई कठिनाई खास नहीं है।

†**राजा बीरेन्द्र शाह**---उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी त्रिपाठी जी ने भवन के सामने रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। जहां तक मैंने माननीय मंत्री जी का इस बिल के सम्बन्ध में भाषण सुना, मैं उनसे सहमत हूं कि देश और प्रान्त के हित में यह जरूरी है कि ऐसा अधिकार सरकार के हाथ में रहना चाहिये। जब कभी उनको जनहित के लिए कोई इमारत लेनी हो वह ली जाय और सरकार उसको इस्तेमाल करे, लेकिन मैं आपके जरिये गुप्ता जी को यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक इसमें मकानात लिये गये हैं, मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत होशियारी

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से और समझ बूझ कर जनहित में लिये हैं, लेकिन मैं उदाहरण के रूप में बतलाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी इमारत अफसरान के रहने के वास्ते ले ली गयी है जालौन जिले में, वह एक नायब तहसीलदार थे, रिटायर हो गये और उन्होंने अपने स्वयं रहने के लिए उस मकान को मांगा और दरख्वास्त दी और सरकार को लिखा और वह बराबर तीन साल से सरकार को लिख रहे हैं। जिन अफसर साहब के लिए मकान रिक्वीजीशंड है उनको दूसरा मकान बताया जाता है, लेकिन चूंकि किराया ज्यादा है तो इस वजह से वह उसी मकान को रिक्वीजीशंड रखते हैं और उससे उस नायब तहसीलदार को जिसकी तनख्वाह बहुत कम है उसको वंचित रखा जाता है। इस नियम के द्वारा सरकार उस मकान को उन सिविल सर्जन को या जो भी अफसर साहब हैं उनके लिये रिक्वीजीशंड रखती है जब तक कोई और मकान उसी किराये का न मिल जाय।

तो श्रीमन्, जहां तक यह चीज है वहां यह भी भय है कि जनता को इस बिल से कितना अन्यायपूर्ण कष्ट हो रहा है। मैं मानता हूं कि बिल्डिंगें इतनी जल्दी नहीं बनतीं, लेकिन ४ साल का समय ऐसा है कि लोगों को प्रतीक्षा में बहुत समय लग जायगा। इसलिये फिलहाल दो साल का समय रखा जाय और ऊपर उसके बाद जरूरत होगी तो और बढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा अन्याय जो हो रहा है उस पर भी माननीय मंत्री जी को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट उधर से आया है, मैं उसका विरोध करता हूं। दो साल उन्होंने माना है तो ५०, ५० परसेंट तो उन्होंने मान लिया और जब फ़िफ्टी परसेंट मान लेते हैं तो पूरा माना समझा जाय। तो यह ४ साल कोई गलत नहीं है। इसलिये मैं त्रिपाठी जी और गेंदा सिंह जी का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनहित के लिए यह चीज रखी गयी है और उन्होंने भी तसलीम किया है कि सरकार का साथ दे रहे हैं। आज हमारे शिवाने पर गोआ में नंगा नाच हो रहा है। कल को लड़ाई छिड़ जाय तो फिर जरूरत पड़ेगी मकानों की अफसरान के रहने के लिये। तो क्या फिर बैठ कर बिल बनावेंगे? हम को तो दिन रात अलर्ट रहना चाहिये।

माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह कहा कि रानीखेत में एकोमोडेशन धारा लागू कर दी जाय। मैं दरख्वास्त करूंगा कि उपाध्याय जी के पास भी बहुत बड़े-बड़े मकानात हैं और अगर वहां लागू कर दिया जाय तो बड़ी सहूलियत हो जायगी और उनसे भी हेल्प मिल जायगी। सोशलिस्ट होते हुए भी उनके पास बहुत से मकानात हैं, वह सरकारी अफसरों के और जनहित के काम में आ जायंगे। उपाध्याय जी से ज्यादा सिफारिश भी नहीं करनी होगी।

दूसरी बात यह है कि जनहित में आज बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं, हास्पिटल्स हैं, लेकिन वह ज्यादा पनपने नहीं पाते हैं। किसान कहते हैं कि जहां पर राजा साहब की कोई इमारत इस काम के लिये हैं तो वह रोज लुहुर लुहुर करते हैं। वह रोज चाहते हैं कि निकल जायं, भाग जायं, रोज परेशानी होती है। तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने जनहित के लिए यह बिल रखा है और ४ साल का समय जो है वह बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है। माननीय गेंदासिंह जी से भी मैं कहूंगा उन्होंने कहा कि लोग पटरियों पर लेट जायेंगे। मैं सरकार से भी कहूंगा कि कोई पटरियों पर न लेटे। सब के लिये रहने के मकान हो जायं। गवर्नमेंट सीमेंट और लोहा सब कुछ सप्लाई करेगी, गुप्ता जी ने अभी आश्वासन दिया है। मैं भी पूर्वी जिलों से आता हूं। गुप्ता जी से कहूंगा कि सीमेंट और लोहा हमको दिया जाय। वैगन की शिकायत को हम नहीं मानेंगे कि वैगन की कमी है। सरकार अगर नजर कर दे तो हमारे यहां सीमेंट पहुंच सकता है। सीमेंट हमको दिया जायगा तो हम मकान बनवाते जायेंगे। हमारे यहां इम्पीरियल बैंक के पास

[श्री शिवनारायण]

मकान नहीं है। वहां सीमेंट और लोहा नहीं है, आप सीमेंट दीजिए, हम मकान बनवा देंगे। आज कल मकान के लिए हर जगह दिक्कत है। हमारे यहां के डिप्टी कलेक्टर और मुंसिफ दोनों के नाम एक ही मकान एलाट हुआ। अब दोनों ही परेशान हैं कि क्या करें। तो सरकार इस बात की ओर ध्यान दे, इसे इग्नोर न करे। पूर्वी जिलों में तो यों ही बाढ़ की वजह से हर साल कितने मकान गिर जाते हैं। अभी प्रश्नोत्तर के समय में बताया गया कि २०० के करीब मकान खलीलाबाद में गिर गये। तो सरकार से दरख्वास्त है कि वह इस ओर अपनी नजर करे, सीमेंट और कोयले की सप्लाई का इन्तजाम करे। अगर वह यह इन्तजाम कर देती है तो हम उसकी तहसीलों और हेडक्वार्टरों पर मकान बनवा देने के लिए तैयार हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं जो कि माननीय त्रिपाठी जी ने रखा है और सरकार को धन्यवाद देता हूं।

†श्री गेंदासिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अब कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन माननीय रामनारायण जी का जो संशोधन है उसकी ओर मैं माननीय अन्न मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं कि चार वर्ष और दो वर्ष में कोई फर्क नहीं मालूम होता। कितनी देर लगती है इस कानून के पास होने में? केवल कुछ थोड़ा सा विचार विनिमय होता है और कम से कम माननीय मंत्री जी को कुछ अपने कर्मचारियों की कारगुजारी सुनने का मौका मिलता है और कुछ हम लोगों को भी कहने का मौका मिलता है। तो बजाय चार वर्ष के अगर दो वर्ष में यह बात उठने का मौका मिल जाय तो हर्ज क्या है? और दूसरे, एक बात और मैं निवेदन करूं कि हम चाहते हैं कि हमारी ही जिन्दगी में फिर आप ऐसा कानून लावें ताकि हम फिर इस तरफ से उठ करके अगर जरूरत हो तो दो वर्ष, तीन वर्ष या चार वर्ष के लिए इसे पास कर दें। चार वर्ष के लिए पास कर देंगे तो हमारे हाथ की बात नहीं रह जायगी। फिर तो मालूम नहीं कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इसलिये मैं सोचता हूं कि यह इस तरह से कर दिया जाय कि फिर एक बार हम ही लोग बैठ कर विचार कर लें इस पर तथा इसमें कोई खास दिक्कत नहीं मालूम होती है। अपने हाथ में यह अधिकार रहता है कि उस वक्त दो वर्ष तीन वर्ष या चार वर्ष जितने की जरूरत होगी, वह कर दिया जायगा। लोगों की कुछ शिकायतें सुनने का और उनकी दिक्कतों को दूर करने का मौका माननीय अन्न मंत्री जी को मिल जायगा। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई कठिनाई माननीय मंत्री जी को होगी। लाभ उसका यह होगा कि मकान बनाने वालों की एक इस तरह की प्रवृत्ति होगी कि उन्हें मालूम होगा कि बहुत लम्बे अरसे तक उनका मकान छीना नहीं जा सकेगा और वह उनके अख्तियार से बाहर नहीं रहेगा तो मुमकिन है कि शहरों में मकान बनाने की प्रवृत्ति बढ़े। बस यही निवेदन करके मैं माननीय रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय अन्न मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर लें।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर अब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत सी बातें तो श्री गेंदासिंह जी ने कह दीं। लेकिन माननीय शिवनारायण जी को इस बात की शिकायत हो सकती है कि उनकी बात का जवाब नहीं दिया गया। इसलिये मैं कुछ जवाब दे ही देता हूं। सरकार की तरफ से चार वर्ष का सुझाव है और हमारी तरफ से दो वर्ष का सुझाव है। ५०, ५० प्रतिशत पर सुलह तो साधारण सी बात है। हम विरोधी दल की तरफ से चाहते हैं कि दो साल के बाद फिर बहस हो और हमें अपने विचार रखने का मौका मिल सके और

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी को भी मौका मिले कि वह बतला सकें कि उनके यहां क्या प्रगति हुई है और कोई दूसरा कदम उठाने की बात सोच सकते हैं या नहीं। माननीय शिवनारायण जी कुछ ऐसे निराश हो गये हैं--पता नहीं क्यों--उसका जवाब माननीय उपाध्यक्ष जी देंगे कि उनकी निराशा का क्या कारण है। लेकिन एक बात पर मुझे अवश्य आश्चर्य हुआ जब कि इस बिल पर गोआ और फ्रेंच पाजेशंस की बात माननीय शिवनारायण जी ने कह दी। वह अपनी जानकारी में काफी वृद्धि कर रहे हैं लेकिन इस बिल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। परन्तु अगर उसका मैं न जवाब दूं तो भी नहीं ठीक है क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी और हमारी पार्टी की पालिसी की बात है। यह एक कलंक की बात है और इसको कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि हिन्दुस्तान को स्वतंत्र हुए आठ साल हो गये लेकिन फिर भी यह कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ है। हमारी पार्टी ने वह रुख अख्तियार किया.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य विषय से दूर जा रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा तो मान ही रहा हूं। मैंने पार्सिंग रेफरेंस इस बात का दे दिया कि गोआ वगैरह के सिलसिले में हम कांग्रेस पार्टी के कारण अहिंसात्मक सत्याग्रह भी नहीं करने पाते। जो कुछ हो रहा है इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है।

अन्त में मुझे इस बात की आशा ही नहीं, विश्वास है कि माननीय मंत्री मेरा निवेदन नहीं टालेंगे।

श्री बनारसी दास--उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है वह केवल यह चाहते हैं कि इसकी अवधि दो साल कर दी जाय। सिद्धान्त में उनको इस विधेयक से विरोध नहीं है। वह इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि प्रदेश में अभी मकानों की कमी होने की वजह से इस बात की आवश्यकता है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए इस बात का अधिकार जिलाधीश को हो कि वह इमारतों को रिक्वीजीशन कर सकें। तो अब प्रश्न यह है कि क्या दो साल में वह कमी पूरी हो जायगी या चार साल की आवश्यकता है। गेंदा सिंह जी ने स्वयं इस बात को माना कि इमारतों की अभी हमारे प्रदेश में बड़ी कमी है और उनकी शिकायत तो यह थी कि सरकार की ओर से इमारतें बनाने का कार्यक्रम तेजी के साथ में नहीं चल रहा है। वह तो केवल इतना चाहते हैं कि दो साल के बाद में उन्हें इस सम्बन्ध में प्रकाश डालने का मौका मिल सके और वह अपनी बात सदन के सामने कह सकें। तो जहां तक अपने विचार प्रगट करने का सवाल है प्रत्येक वर्ष बजट के समय, गवर्नर के सम्बोधन के समय और सप्लीमेंटरी बजट के समय उनको इस बात का पूरा मौका है कि वह अपने विचार प्रकट कर सकें। किसी भी विधेयक को पेश करते समय केवल इतना विचार करना चाहिए कि आया इसकी आवश्यकता दो साल तक है या यह चार साल के लिए आवश्यक है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमार प्रदेश में मकानों की कमी है। फिर इसका संबंध रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन बिल से भी है। वह अभी विचाराधीन है। उसमें भी यह प्रश्न तय करना होगा और उसमें बहुत बड़ी तादाद में टिनेंट्स का प्रश्न होगा। इस प्रकार इन दोनों को हम इस दृष्टि से जुदा नहीं कर सकते। टिनेंट्स का सुझाव है और रेंट कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की राय है कि कम से कम उस अधिनियम को पांच वर्ष तक जारी रखा जाय।

बहुत लोगों की राय यह थी कि यह कानून परमानेंट हो। जब स्वयं इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि आम जनता का हित इसमें है तो इस बात की जरूरत है कि सरकार को इस बात का अधिकार हो कि वह अपने कार्यालयों के लिये जनहित के अन्दर आवश्यकता पड़ने पर एकोमोडेशन को रिक्वीजीशन कर सकें। इसलिये मैं राम नारायण जी से अनुरोध करूंगा कि

[श्री बनारसी दास]

जब वह स्वयं इस बात की आवश्यकता को महसूस करते हैं और उन्हें अपनी बात को कहने का बराबर सदन के अन्दर मौका मिलेगा तो उन्हें चार साल की अवधि को स्वीकार कर लेना चाहिये।

आज कल तो नियंत्रण का समय है और आप तो स्वयं प्लाड एकोनामी के अन्दर विश्वास करते हैं तो विधेयक की भी प्लानिंग होनी चाहिये। उसके अनुसार ज्यादा आवश्यकता इस बात की मालूम होती है कि उसको स्वीकार किया जाय। कितने संयम के साथ इस ऐक्ट के ऊपर अमल किया गया यह बात इससे पता चलती है कि कम से कम तादाद में मकानों को रिक्वीजीशन किया गया। ज्यादा कोशिश इस बात की की गई कि नेगोसियेशंस के जरिये से मसला तय हो जाय। एलाटमेंट के जरिये से मकानों को लेने का प्रयत्न किया जाता है लेकिन असाधारण परिस्थिति में जब एलाटमेंट के जरिये मकान का मिलना दुर्लभ हो जाता है उसी हालत में मकानों को रिक्वीजीशन किया जाता है। लेकिन अगर आप एवरेज देखें तो एक साल के अन्दर मुश्किल से एक जिले में एक मकान का औसत भी मुश्किल से नहीं निकलेगा और मूल अधिनियम के अन्दर इस बात का प्राविजन किया गया है कि जिसका मकान लिया जाता है उसको बदले में दूसरा स्थान भी दिया जाता है। तो इससे कोई हार्डशिप नहीं होती। जहां तक उसके कम्पेंसेशन का ताल्लुक है वह कोर्ट में जाकर भी प्रतिकार कर सकता है। तो इस दृष्टि से यह ऐसा इन्नोसेंट बिल है जिसके बारे में दो या चार साल का विवाद न होना चाहिये। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में संख्या "1958" के स्थान "1956" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५४

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को संशोधन करने का

विधेयक

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ ३० सितम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाला है और उक्त अधिनियम को ३० सितम्बर, १९५८ तक जारी रखना आवश्यक है,

अतः भारतीय गणराज्य के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—प्रस्तावना और शीर्षक में मेरा एक संशोधन है और वह यह है कि "गणराज्य के पांचवें वर्ष" को निकाल दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की

की कोई खास आवश्यकता नहीं थी लेकिन मैंने यह एक नई परम्परा देखी है कि इधर के विधेयकों में यह देखा गया कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने यह शुरू कर दिया है कि भारत के गणराज्य का यह पांचवां, छठाँ या सातवां वर्ष का अधिनियम बनाया जाता है। यह बात पहले नहीं थी। भारत के गणराज्य का यह छठां वर्ष है या सातवां वर्ष इसकी कोई टेक्निकल आवश्यकता नहीं है। यह वाक्य मेरी समझ में बिल्कुल अनावश्यक है। मैं यह नहीं कहता कि मेरा संशोधन मान लिया जाय लेकिन यह जो वाक्य लिखा जाता है "भारत के गणराज्य के पांचवें वर्ष में" इस पर जरा रोशनी डाल दी जाय ताकि मैं समझ सकूं कि उसकी क्या आवश्यकता है।

श्री बनारसी दास---उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो यह रिपब्लिक का जिक्र किया गया है वह गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री के आदेशानुसार किया गया है। यहां हमारे देश के सभी प्रदेशों में इस नयी परिपाटी को शुरू किया गया है। इसलिये इसमें कोई खास सिद्धांत का प्रश्न नहीं है। अब जो नये अधिनियम हमारे प्रदेश में आगे पास होंगे उसमें इस प्रकार से रखा जायगा और वह होम मिनिस्ट्री के आदेशानुसार है। इसलिये मुझे आशा है कि राम नारायण जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---यहां कहां की होम मिनिस्ट्री का आदेश था?

श्री बनारसी दास---इस प्रकार के आदेश तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही भेजे जाते हैं। उसी के अनुसार यह किया गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---चूंकि होम मिनिस्ट्री की मजबूरी माननीय मंत्री जी के सामने है, इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावना, शीर्षक और खंड १ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---उपाध्यक्ष महोदय, यह कृषि-आय-कर संशोधन विधेयक.....

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न यह है कि आज ही हम लोगों को भवन में कृषि आय कर की प्रवर समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुयी है। इस समय हम इसके ऊपर संशोधन नहीं दे सकते हैं और न विचार ही कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को आज ही यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है और हमने अभी तक इसको देखा नहीं है। अगर आज ही इस बिल को ले लिया जाता है तो हमको यह दिक्कत पैदा होगी। इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह किसी और बिल को आज ले लें तो अच्छा है।

श्री चरणसिंह---मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय राजा वीरेंद्र शाह जी प्रवर समिति के सदस्य थे और आपका एक डिसेंटिंग नोट इसमें लगा भी हुआ है। तो कम से कम

[श्री चरण सिंह]

आपको तो यह शिकायत नहीं हो सकती कि आपको इसका नोटिस नहीं मिला। दूसरे माननीय सदस्यों की ओर से जो फरमाया उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि प्रतिवेदन जैसा है उससे साफ जाहिर है कि प्रवर समिति ने उसमें कोई संशोधन नहीं किया। सिर्फ एक शाब्दिक संशोधन किया है। इसके अलावा और कोई संशोधन नहीं किया है। जैसा विधेयक पिछले मई महीने में पेश हुआ था वैसा का वैसा ही वह कमेटी से आया है। तो इस तरीके से इस विधेयक का सदन को २ महीने से नोटिस है। टेक्निकल आब्जैक्शन तो आप कर सकते हैं लेकिन सरकम्टांसेज को देखते हुये इसको आज ही लेना मुनासिब होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--मैं समझता हूं कि माननीय वीरेंद्रशाह जी ने प्रक्रिया नियमावली के नियम ९५ के मुताबिक यह एतराज किया है कि किसी बिल को ३ दिन तक हाउस से सामने यानी सदस्यों के सामने रहना चाहिये। मैं उनका समर्थन करता हूं कि जब प्रवर समिति की रिपोर्ट आज पेश हुई है तो इस पर आज विचार नहीं हो सकता। नियम का पालन माननीय मंत्री जी को अवश्य करना चाहिये। यह हो सकता है कि पहले किसी की कोई राय रही हो और आज वह बदल सकती है और वह संशोधन दे सकता है। माननीय अध्यक्ष ने कई दफा कहा है कि हम इस तरीके को मानेंगे कि प्रवर समिति में किसी का क्या विचार था और अब क्या विचार है। ११ बजे कोई आदमी कुछ सोच सकता है और ५ बजे दूसरी बात सोच सकता है। मैं इस बात पर इसलिये जोर देता हूं कि नियम ९५ के अनुसार इस विधेयक को आज नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं आपका ध्यान नियम १०५ की ओर दिलाना चाहता हूं। After the presentation of the report of a Select Committee on a Bill, the member incharge of the bill may move —

(a) that the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration, but any member may object to its being so taken into consideration if a copy of the report has not been made available for the use of the members for three days, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the report to be taken into consideration.

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि चूंकि यह सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आज ही हमारे सामने आई है और इस पर हमें विचार करने का मौका नहीं मिला है, इसलिये ३ दिन का समय हम लोगों को अवश्य मिलना चाहिये।

श्री चरणसिंह--मैंने नहीं सुना, वैसे तो उन्होंने पूरी ही धारा पढ़ दी होगी। मैंने आपके सामने आरगूमेंट्स रख दिये हैं। विधेयक में कोई संशोधन नहीं है और २ महीने से यह चीज सदस्यों के सामने है। ऐसे केस में स्पीकर को अधिकार है कि वह फौरन उसके ऊपर विचार करने की अनुमति दे सकता है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--बहुत कानून कायदे के तहत में तो मैं नहीं जा सकता लेकिन मेरी गुजारिश मंत्री जी से यह है कि अगर मुनासिब हो तो दूसरा विधेयक ही आज ले लिया जाय ताकि लोग इसे देख सकें।

राजा वीरेन्द्रशाह--जैसा मैं पहले कह चुका हूं माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि कोई संशोधन नहीं है तो मेरे संशोधन थे लेकिन वे माने नहीं गये चूंकि मंत्री जी का बहुमत था, मेरा नहीं था। तो विरोधी व्यू इसके बारे में है। उसको हाउस में भी मौका नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? इसलिये मैं फिर कहता हूं कि इस विधेयक को आज न लिया जाय।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल ही वित्त मंत्री ने एक बिल पेश किया और उसके बाद स्थगित करके दूसरा कर दिया। तो मैं समझता हूं कि चेयर

खास कारणों से इसे आज ही लिवा सकती है। लोगों ने नये नये बिल पेश किये हैं, ऐसा भी अवसर आया है।

श्री चरण सिंह--मैं एक सुझाव आपके सामने पेश करता हूं कि राजा साहेब जो संशोधन पेश करना चाहें उसको इजाजत दे दें। वह अभी पेश कर दें। किसी और का संशोधन नहीं आया है। इसके अलावा एक और दिक्कत मेरी यह है कि इसके बाद दूसरा बिल भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक है और उसकी प्रवर समिति की रिपोर्ट भी आज पेश हुई है। उसका कंसीडरेशन भी आज नहीं हो सकेगा। वह तो बड़ा बिल है और उसके लिये तो मैं स्वयं भी यही प्रार्थना करूंगा कि वह बजाय आज के कल ले लिया जाय क्योंकि उसमें बहुत से संशोधन भी आ सकते हैं। लेकिन कृषि-आय-कर संशोधन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें पहले भी कोई संशोधन नहीं था और अब भी कोई संशोधन नहीं आया और न कमेटी में भी कोई संशोधन पेश किया गया। इन बातों से यह साफ जाहिर होता है कि यह कितना नानकंट्रोवर्शियल बिल है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं इतनी बात कह देना चाहता हूं कि राजा साहब ने जो उस पर नोट आफ डीसेंट लगाया है उसमें भी एक दृष्टिकोण है और वह बहुत ही महत्व का है, उस पर भी हमें विचार करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष--नियम के मुताबिक तो मुझे यह अधिकार है कि इस संबंध में मैं जो फैसला उचित समझूं दे दूं परन्तु कुछ ऐसे संशोधन होने की संभावना है जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि इनका तीन दिन बाद ही लिया जाना मुनासिब होगा।

अगले दिन का कार्य-क्रम

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारी दिक्कत को महसूस किया कि कोई भी विधेयक आज नहीं आ सकता। लेकिन इससे सरकार को घबराने की आवश्यकता नहीं है ऐसी मिसालें पहले भी हो चुकी हैं कि समय की वजह से हाउस को ऐडजर्न होना पड़ा है। आज भी हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं है। हां, कल के लिये हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि तीन दिन की टैकनैलिटी को छोड़ कर काम करेंगे।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि जिस तरह से आज हाउस में बिल रक्खे हुये हैं वे उसी प्रकार कल से ले लिये जायेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--लेकिन हमारे अमेंडमेंट मान लिये जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि बिजली बिल ले लिया जायया और इसी प्रकार के बिल ले लिये जायं लेकिन कल अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक ले लेना चाहें तो वह एक बड़ी परेशानी की बात होगी।

श्री चरणसिंह--मैंने यह कहा कि एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स बिल या लैन्ड रिफार्म्स बिल जिस तरह से आज हमारे सामने हैं उसी प्रकार से ले लिये जायं। आज के हिसाब से ही काम शुरू होगा।

राजा वीरेन्द्र शाह--मैं इस सुझाव को मानता हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो हम संशोधन देंगे उनमें टाइम की पाबन्दी न लगाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष--उसका आश्वासन तो माननीय मंत्री दे ही चुके हैं।

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--आइटम नम्बर ३४ पर ऐसा विधेयक है कि जिस पर कोई विवाद नहीं होगा। मैं दरख्वास्त करूंगा कि उसको ले लिया जाय वह ५ मिनट में पास हो जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय सभा सचिव को ४ साल की बात को हमने स्वीकार कर लिया। जब वह चीज आज नियमानुसार नहीं ली जा सकती तो फिर ५ या १० मिनट का आग्रह वह क्यों करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह छोटा सा विधेयक है, मैं समझता हूं कि इसको ले लिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब यह ५ मिनट में ही हो सकता है तो कल भी हो सकता है।

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—ठीक है वह कल ही ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई और कार्य लेना चाहती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—सरकार से इस बात का समझौता हो गया है कि आज और कोई काम नहीं लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आज और कोई काम नहीं लिया जायगा। इसलिये अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
२३ अगस्त, १९५४।

अमर उजाला

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

प्रश्न संख्या ६ से संलग्न सूची

पिछले दो वर्ष (१३६० और १३६१ फसली)

	फसल को क्षति आनों में			
तहसील का नाम	रबी १३६०	खरीफ १३६०	रबी १३६१	खरीफ १३६१
आगरा	..	१० से १२ तक	६ से ८ तक	८ से १० तक
बाह	..	..	६ से १२ तक	..
फतेहाबाद	..	४ से १२ तक	४ से ८ तक	८ से १२ तक
किरौली	..	४ से १६ तक	६ से १२ तक	६ से १४ तक
खैरागढ़	१६	१४	६ से १० तक	१०
एतमादपुर	..	..	६ से १० तक	८
फिरोजाबाद	..	६ से १२ तक	२ से ८ तक	४ से १४ तक

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

प्रश्न संख्या ११ से सम्बन्धित सूची

१—मेरठ ।

२—अलीगढ़ ।

३—आगरा ।

४—एटा ।

५—बरेली ।

६—बिजनौर ।

७—बदायूं ।

८—मुरादाबाद ।

९—पीलीभीत ।

१०—रामपुर

११—फर्रुखाबाद ।

१२—कानपुर ।

१३—इलाहाबाद ।

१४—बांदा ।

१५—हमीरपुर ।

१६—झांसी ।

१७—जालौन ।

१८—बनारस ।

१९—मिर्जापुर

२०—नैनीताल ।

२१—अल्मोड़ा ।

२२—टेहरी-गढ़वाल ।

२३—बाराबंकी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ व २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

सूची

अमला	खरीफ १३६१ फसली में नियुक्तियों की संख्या	हरिजनों की संख्या जो (१) में शामिल हैं	३१ मार्च सन् ५४ को जो कर्मचारी रोके गये उनकी संख्या	हरिजनों की संख्या जो (३) में शामिल हैं
	१	२	३	४
१—नायब तहसीलदार—				
(अ) सरकार द्वारा नियुक्ति	४	१	४	१
(ब) जिलाधीशों द्वारा नियुक्ति	३१	२	१०	२
२—कुर्क अमीन	३४५	२१	१८५	१४
३—क्लर्क	७२	५	३७	५
४—रापरासी	६९२	१५०	३४९	६५

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

प्रश्न संख्या २४ से संलग्न सूची

तहसील	ग्राम	तहसील	ग्राम
	कटरीसथरा	परगना	इमादपुर पमारान
फर्रुखाबाद	चन्दोखा	अमरतपुर	बीरपुर रिहरपुर
परगाना	नगला केवल		कड़क्का
खाटकमऊ	सथरा		आसनपुर
	सीदेचेकपुर		भाऊपुर चौरासी
	राई		गोरखपुर
	जसपुर		लभेड़ा
	जिनौली		सिकन्दरपुर
	पट्टी दारापुर	परगना	रेगापुर
	गोंटिया	अमकपुर	बेहटा
	चाचूपुर जटपुरा		करनपुर घाट
	पट्टी बदनपुर		पिथनापुर
	सिया		रतनपुर पगारान
परगना			बारागांव
	खुटिया		परतापपुर खुर्द
परमनगर	दियोरी हुसनेपुर		चपरा
	कठार		अमख्यापुर
	आन्तर		खाकिन
	मुहम्मदपुर		गेलहर
	मथुरा		भावन
	छीतापुर		गुनेरा
	उगरपुर		कौली
परगना	अलहदपुर मटौली		रघुनाथपुर।
अमरतपुर			

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

सूची सड़क तहसील बांसी जो जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सरकार के कब्जे में आईं

क्रम-संख्या	नाम सड़क	लम्बाई सड़क	कच्चा या पक्का	नाम ग्राम समाज जिसके हद में पड़ता हो
१	२	३	४	५
*१	बर्डपुर नं० २ सड़क	२ मील	कच्चा	बर्डपुर नं० २
*२	,,	३ मील	,,	बर्नपुर नं० ३
*३	,,	३ १/२ मील	,,	,, ४
*४	,,	,,	,,	,, ५
*५	,,	३ मील	,,	,, ६
*६	,,	३ १/२ मील	,,	,, ८
*७	,,	३ मील	,,	,, १०
*८	,,	२ मील	,,	,, ११
*९	पल्टादेवी	१ मील	,,	पल्टादेवी
*१०	रसूलपुर	२ मील	,,	रसूलपुर
*११	शिवपुर	१ मील	,,	शिवपुर
*१२	हरदासपुर	१ मील	,,	हरदासपुर
*१३	रामपुर	२ मील	,,	रामपुर
*१४	सीतारामपुर	२ मील	,,	सीतारामपुर
*१५	भगवानपुर	१ मील	,,	भगवानपुर
*१६	रोहिडिला	१ मील	,,	रोहिडिला
*१७	वेलटीकर	१ मील	,,	बेलटीकर
*१८	दुल्हारोड	१ १/२ मील	,,	दुल्हासुभाली
*१९	,,	१ मील	,,	दुल्हादरिमियानी
*२०	,,	१ १/२ मील	,,	दुल्हाजनूबी
*२१	,,	१ मील	,,	दुल्हा खुर्द
२२	दिवर्सन रोड	६ मील	कच्चा पक्का	बर्डपुर नं० १४, ११, १०।
२३	बर्डपुर से अलिदापुर	५ मील	,,	बर्डपुर नं० ९, ८ परसा और रमवापुर।
२४	पल्टा देवी से बजहा	६ मील	,,	पल्टा देवी सीता-रामपुर, रमवापुर, अगया खुर्द जमु-हरा, बजहा ।

क्रम-संख्या	नाम सड़क	लम्बाई सड़क	कच्चा या पक्का	नाम ग्राम समाज जिसके हद में पड़ता हो
१	२	३	४	५
२५	बनंपुर से टोला मझौली	६ मील	कच्चा–पक्का	बर्डपुर नं० ९, पिपरसन देविया-पुरा बर्डपुर ६ और ७।
२६	नोनहा से ककरहवा बाजार	७ १/४ मील	,,	बर्डपुर ६, ५ और ४ और ककरहवा बाजार।
२७	बेरापरा से मोहवा बाजार	३ मील	,,	मधुबनी, बर्डपुर नं० ९, रामपुर, शिवपती नगर।
२८	मधुबनी से कोइलहसा	४ मील	,,	मधुबनी, शिवपती-नगर, हरदासपुर।
२९	रामपुर से करीमपुर	३ मील	,,	बर्डपुर १०, ११ रामपुर।
३०	नेवरा कोठी से रोहिडिला	३ मील	,,	शिवपतनगर, रोहि-डिला।
३१	ऊंजी से सदा घाट	४ मील	,,	ऊंजी राखपुर, भगवानपुर,
३२	बर्डपुर नं० १३ से बर्डपुर नं० १४	४ मील	,,	बर्डपुर नं० १३ व १४।
३३	दुल्हा से डफालीपुर	३ मील	,,	निबिहवा, मुन्डिला दुल्हा जनूबी
३४	शोहरतगढ़ से सुरहवा	६ मील	,,	शोहरतगढ़, मधवा, मलरवा, मुलजिवा, सुरहवा, नारी।
३५	शोहरतगढ़ से पल्टादेवी	६ मील	,,	मधदेव-नानकार, सिवान नानकार, रामपुर नानकार, चान्दा भदई, भद-रहा उर्फ दुलीपुर।
३६	चोन्दर से राज्य नैपाल	६ मील	,,	चोन्दर, वमनी, भद-हवा उर्फ दत्तपुर, करमा, मदरहना खास जनूबी महली।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

जिला मोंडा में घाघरा नदी की बाढ़ से क्षति-ग्रस्त ग्रामों की सूची

१--उमरी बेगमगंज
२--ऐली परसोली
३--दलेलनगर
४--फैहरा
५--गढ़ी
६--धर्नासिहा
७--जबलनगर
८--सिधोटी
९--सेमरी कलां
१०--नियावां
११--अमदही
१२--परासपट्टी पुरवार
१३--परासपट्टी मझवार
१४--बहादुरपुर
१५--चिबरहा
१६--मोठी
१७--धनौली
१८--गभौरा
१९--कंडोरा
२०--पलिया चरौठा
२१--ब्योंदा
२२--मांझा ब्योंदा
२३--बनगांव
२४--सरांवा
२५--चंदसुहा
२६--रांगी
२७--महंगूपुर
२८--कनकपुर
२९--तुरकौली
३०--दुल्लापुर
३१--कटरा भागचन्द
३२--लोलपुर
३३--सरायनामू
३४--इस्माइलपुर
३५--पूरे अम्बर
३६--चौखडिया
३७--तुलसीपुर
३८--गोकला
३९--दत्तनगर
४०--शाकीपुर
४१--इन्दरपुर
४२--सेमरा सेखपुर
४३--रूकमंगदपुर
४४--देवीपुर
४५--वजीराबाद
४६--विराहीमपुर
४७--मांझा राठ
४८--जैनपुर
४९--सोमपुर
५०--दुर्गागंज
५१--महेशपुर
५२--पसका
५३--चन्दापुर कटौली
५४--सनौली मुहम्मदपुर
५५--इस्माइलपुर
५६--बरौली
५७--मुकुन्दपुर
५८--तेलहा
५९--गर्जासिहपुर
६०--खैरा
६१--बनवां
६२--अल्लीपुर खांडेराय
६३--चंगेरी
६४--विशुनपुर कलां
६५--हरदिहा सपौर
६६--डरौनी
६७--मरचौर
६८--सकरौर
६९--पूरेलाली
७०--पूरे तेवारी
७१--लिलोई कलां
७२--गंगरौली
७३--लिलोई खुर्द
७४--बदलेपुर
७५--डेहरास
७६--देवली
७७--भटपुरवा
७८--रकसरिया
७९--काशीपुर
८०--गुरवलिया
८१--वैद्यपुर
८२--अतरसुइया
८३--चन्द्रहरिया
८४--गुमदहा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

तालिका

क्रम-संख्या	नाम तहसील	तकाबी	अहेतुक सहायता	मालगुजारी में छूट	अन्य सहायता
१	सदर	७३,००० रु०	५,७२३ रु० ३ आ० ३ पा०	५८,३५० रु० १२ आ० ६पा०	मर्दानी धोती ८ जोड़े, साड़ी १७ जोड़े, कपड़ा ८ थान, रजाई–४३, पुराना कपड़ा–११५।
२	सैदपुर	५२,००० रु०	६,००० रु०	२८,७४१ रु० १४ आ० ४ पा०	मर्दानी धोती–१४४ जोड़े, साड़ी–२६, कपड़ा–११ थान, रजाई–५५, पुराना कपड़ा ९३।
३	मुहम्मदाबाद	१,१५,००० रु०	८,००० रु०	८,८६६ रु० ६ आ०	मर्दानी धोती २२९ जोड़ा, साड़ी–४२ जोड़ा, कपड़ा–१९ थान, रजाई–९०, पुराना कपड़ा–१५०।

नत्थीं 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी, विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५४

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९५४)

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने का,

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

अध्यादेश

राज्यपाल संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान है जिनमें कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को तुरन्त संशोधित करना अवश्यक हो गया है,

और राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है,

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हैं—

१—(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारायें २१२-क और २१२-ख का बढ़ाया जाना।

२—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २१२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें २१२-क और २१२-ख के रूप में रख दिया जाय।

"अवैध बेदखली का उपचार।

२१२-क—(१) समय विशेष पर प्रचलित विधि के निदेशों से भिन्न किसी प्रकार अपने खाते के भाग वाली भूमि से।

(क) अपने क्षेत्रपति अथवा क्षत्रपति के रूप में बेदखल करने का अधिकार बताने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, अथवा

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसे उक्त क्षेत्रपति या व्यक्ति ने अधिवासी या असामी के रूप में या अन्य रूप में भूमि उठाई हो या उस पर कब्जा रखने की अनुमति दी हो,

बेदखल किया गया या उस पर कब्जा प्राप्त करने से रोका गया आसामी, उक्त प्रकार बेदखल करने वाले या उसे कब्जा प्राप्त करने से रोकने वाले व्यक्ति के विरुद्ध,

(१) उक्त भूमि पर कब्जे के लिये, और

(२) अवैध बेदखली के लिये प्रतिकर के लिये,

वाद प्रस्तुत कर सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब डिक्री होने के समय को वादी इस अधिनियम के निदेशों के अनुसार चालू कृषि वर्ष में बेदखली के योग्य हो तो दखल की डिक्री नहीं दी जायगी।

(२) जब अवैध बेदखली के निमित्त प्रतिकर के रूप में डिक्री दी जाय किन्तु दखल के लिये न दी जाय तो दिया जाने वाला प्रतिकर उस पूरी अवधि के लिये होगा जिसमें आसामी कब्जा रखने का अधिकारी था।

(३) वह असामी जिसने केवल कब्जे के लिये वाद प्रस्तुत किया हो, अवैध बेदखली के निमित्त प्रतिकर के लिये अलग वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी न होगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये भूमि के अन्तर्गत कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये समय विशेष पर प्रयुक्त कोई क्षेत्र नहीं है।

"क्षेत्रपति को प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जाना।

२१२-ख--यदि कोई असामी धारा २१२-क की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करे जिसे भूमि उठाई गई हो अथवा जिसे कब्जा रखने दिया गया हो, तो क्षेत्रपति अथवा वह व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति का क्षेत्रपति होने का दावा करता हो, वाद में प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जायगा।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारायें २२९-क से २२९ ग तक का रखा जाना।

३--मूल अधिनियम की धारा २२९ के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराओं को २२९ क से २२९ ग तक के रूप में रख दिया जाय--

"अधिकारों के प्रख्यापन के लिये असामी द्वारा वाद,

२२९-क--(१) कोई व्यक्ति जो अकेला अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से असामी होने का दावा करता हो, क्षेत्रपति के विरुद्ध इस प्रख्यापन के लिये कि वह असामी है अथवा खाते में संयुक्त असामी के रूप में अपने अंश के प्रख्यापन के लिये, जैसी भी दशा हो, वाद प्रस्तुत कर सकता है।"

(२) इस धारा के अधीन किसी भी वाद में कोई भी व्यक्ति जो क्षेत्रपति द्वारा असामी के रूप में भूमि रखने का दावा करता हो, पक्ष (party) बनाया जायगा।

"असामी का दावा करने वाले व्यक्ति के अधिकारों के प्रख्यापन के लिये वाद।

२२९-ख--किसी भी भूमि का भूमिधर अथवा सीरदार किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो ऐसी भूमि का असामी होने का दावा करता हो, उक्त व्यक्ति के अधिकारों के प्रख्यापन के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।"

"निषेधाज्ञा (injunction) के लिये व्यवस्था।

२२९-ग--यदि धारा २२९-क और २२९-ख के निदेशों के अधीन किसी वाद में शपथ पत्र द्वारा अथवा अन्य प्रकार से निम्नलिखित बातें सिद्ध कर दी जायं तो न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकता है और जहां आवश्यक हो रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है।"

(क) किसी सम्पत्ति, वृक्ष अथवा फसल को, जो विवाद-ग्रस्त भूमि पर खड़ी हो, खराब किये जाने, हानि पहुंचाने अथवा वाद के किसी पक्ष द्वारा संक्रामित किये जाने का भय हो, अथवा

(ख) वाद का कोई पक्ष न्याय के लक्ष्य को नष्ट करने के लिये उक्त सम्पत्ति, वृक्ष अथवा फसलों को हटाने अथवा निस्तारित (dispose of) करने की धमकी देता है अथवा ऐसा करने का इरादा है।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा २३४-क का रखा जाना।

४--मूल अधिनियम की धारा २३४ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा २३४-क के रूप में बढ़ायी जाय--

"अधिवासी की दशा में धारा २१२-क व २१२-ख तथा धारा २२९-क से २२९-ग तक का प्रयोग।"

२३४-क--धारा २१२-क और २१२-ख तथा धारा २२९-क से २२९-ग तक के निदेश अधिवासी पर उसी प्रकार प्रयुक्त होंगे मानों वह असामी हो।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३३२ का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा ३३२ की उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (५) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(५) कोई व्यक्ति किसी भूमि का अधिवासी अथवा असामी है या नहीं, यह उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये आगम का प्रश्न (question of title) नहीं समझा जायगा, किन्तु वाद अथवा कार्यवाही (proceeding) में माल न्यायालय की डिक्री के विरुद्ध अपील के प्रयोजनों के लिये उपधारा (४) के निदेश इस प्रकार प्रयुक्त होंगे मानों आगम का विचारणीय विषय (issue) किसी दीवानी न्यायालय (civil court) ने निर्णीत किया हो।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा २३२-क का रखा जाना।

६--मूल अधिनियम की धारा ३३२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३३२-क के रूप में बढ़ा दी जाय।

"प्रक्रिया जब असामी होने की अभ्युक्ति (plea) दीवानी न्यायालय में की जाय।

३३२-क--(१) यदि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५४ के आरम्भ के पश्चात् दीवानी न्यायालय में निविष्ट (instituted) भूमि से सम्बद्ध किसी वाद में अथवा ऐसे वाद में जो उक्त आरम्भ के पूर्व निविष्ट हुआ हो, किन्तु जिसमें डिक्री न दी जा चुकी हो, यह प्रश्न उठे या उठाया जाय कि वाद का कोई पक्ष भूमि का अधिवासी अथवा असामी है या नहीं और ऐसा प्रश्न पहले किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त सक्षम (competent) न्यायालय द्वारा निर्णीत न हुआ हो तो दीवानी न्यायालय इस प्रश्न पर विचारणीय विषय (issue) निर्धारित करके कलेक्टर के पास केवल उस विचारणीय विषय के निर्णयार्थ अभिलेख भेज देगा।"

स्पष्टीकरण--(१) अधिवासी अथवा असामी होने की कोई भी ऐसी अभ्युक्ति (plea) जो स्पष्टतः अग्राह्य (untenable) हो अथवा जो केवल दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निवारित (oust) करने के लिये उठाई गई हो, उक्त प्रश्न को उठाने वाली न समझी जायगी।

(२) कलेक्टर, यदि आवश्यक हो तो, उस विचारणीय विषय को पुनः निर्धारित करके केवल उसी विषय का निर्णय करेगा और तत्पश्चात् अपने निर्णय के साथ अभिलेख को उस दीवानी न्यायालय के पास भेज देगा जिसने उसे प्रस्तुत किया था ।

(३) कलेक्टर स्वयमेव विचारणीय प्रश्न को निर्णीत न करके उसे सक्षम अधीनस्थ माल न्यायालय को संक्रामित कर सकता है जो, यदि आवश्यक हो तो उसको फिर से निर्धारित करके उसे निर्णीत करेगा और उस पर अपने निर्णय के साथ कलेक्टर द्वारा दीवानी न्यायालय को अभिलेख लौटा देगा ।

(४) अभिदिष्ट विचारणीय विषय पर कलेक्टर अथवा अधीनस्थ माल न्यायालय के निर्णय को मानते हुये, दीवानी न्यायालय वाद का निर्णय करेगा ।

(५) कलेक्टर अथवा उसके अधीनस्थ माल न्यायालय का निर्णय, जिसे विचारणीय विषय अभिदिष्ट किया गया हो, अपील के प्रयोजनों के लिये दीवानी न्यायालय के निर्णय का अंश समझा जायगा ।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की अनुसूची २ का संशोधन ।

७—मूल अधिनियम की अनुसूची २ में—

(क) क्रम संख्या ११ के इन्दराज के पश्चात् निम्नलिखित नया इन्दराज ११-क के रूप में रखा दिया जाय

१	२	३	४	५	६
११-क	२१२-क	भूमि के कब्जे अथवा अवैध बेदखली के निमित्त प्रतिकर के लिये वाद ।	प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर	कमिश्नर	बोर्ड

(ख) क्रम संख्या १६ के इन्दराज पश्चात् निम्नलिखित नये इन्दराज क-१६ और ख-१६ के रूप में बढ़ा दिया जाय—

१	२	३	४	५	६
क-१६	२२९-क	असामी द्वारा अधिकारों के प्रख्यापन के लिये वाद ।	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	कमिश्नर	बोर्ड
ख-१६	२२९-ख	असामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा अधिकारों के प्रख्यापन के लिये वाद ।	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	कमिश्नर	बोर्ड

(ग) मद १८ के स्तम्भ २ के वर्तमान इन्दराज के स्थान पर शब्द और संख्या २३४ (क), (ख) और (ग) रख दी जाय ।

८—(१) मूल अधिनियम की अनुसूची २ की मद संख्या ११-क, क-१६ और ख-१६ में निर्दिष्ट प्रकार के इस अध्यादेश से पूर्व निविष्ट सभी वाद तथा उक्त आरम्भ से ठीक पहले के दिनांक पर मौलिक न्यायालय (Court of the first instance) में विचाराधीन समस्त ऐसे वाद, उसी न्यायालय द्वारा सुने और निर्णीत किये जायेंगे, जिसे अध्यादेश की धारा २ और ३ द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन न किये जाने पर सुनवाई और निर्णय का अधिक्षेत्र प्राप्त होगा ।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट वादों की समस्त अपीलें, पुनरीक्षण (revision) तथा अन्य कार्यवाहियां, इस अध्यादेश की धारा २ और ३ द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन में किसी भी बात के होते हुये भी, उसी न्यायालय में प्रस्तुत होंगे, सुने जायेंगे तथा निर्णीत होंगे जिसमें ऐसी अपील, पुनरीक्षण अथवा कार्यवाही की गई होती, यदि उक्त संशोधन न किये गये होते।

कन्हैयालाल माणिक लाल मुन्शी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९ पर।)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५४

यू० पी० (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को संशोधन करने का

विधेयक

यू० पी० (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर, १९५४, को समाप्त होने वाला है और उक्त अधिनियम को ३० सितम्बर, १९५८, तक जारी रखना आवश्यक है;

अतः भारतीय गणराज्य के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, १९५४, कहलायेगा;

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९४७, की धारा १ का संशोधन।

२--समय समय पर संशोधित यू० पी० (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७, की धारा १ की उपधारा (५) में संख्या "1954" के स्थान पर संख्या "1958" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाला है। अब भी राज्य भर में निवास स्थान की अत्यन्त कमी है और जनहित में यह आवश्यक है कि जिला मैजिस्ट्रेट के पास सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये निवास स्थान अधिगृहीत कर सकने का विशेष अधिकार बना रहे। अतएव इस अधिनियम की अवधि ४ वर्ष तक और बढ़ाना आवश्यक है। तदनुसार यू० पी० (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मंत्री, खाद्य तथा रसद।

नत्थी 'ञ'

(देखिए पीछे पृष्ट ३९ पर)

यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ-विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४

कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ को संशोधित करने का विधेयक। यू० पी० ऐक्ट १५, १९३४।

यहां पर आगे चलकर प्रतीत होने वाले कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ को संशोधित करना आवश्यक है;

अतएव अपने गणराज्य के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट-मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२--यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा १० के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय : यू० पी० ऐक्ट १५, १९३४ की धारा १० का संशोधन।

"Provided further that where a member elected under sub-clause (ii) or (iii) of clause (B) of sub-section (1) of section 4 ceases to be a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Uttar Pradesh Legislative Council, as the case may be, he shall cease to be a member of the Council."

उद्देश्य और कारण

संशोधित यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ (यू० पी० ऐक्ट १५, १९३४) के वर्तमान उपबन्धों के अधीन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् और उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रतिनिधि, जो यू० पी० नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल के सदस्य हों, उक्त परिषद् या सभा के सदस्य न रहने पर भी, तीन वर्ष की अपनी पूरी अवधि तक यू० पी० नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल के सदस्य बने रह सकते हैं। यू० पी० स्टेट हेल्थ बोर्ड की सदस्यता के सम्बन्ध में बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत वे ऐसा नहीं कर सकते। इस विषय में उक्त संस्थाओं में एकरूपता होना आवश्यक है। तदनुसार यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ के सम्बद्ध उपबन्धों में परिवर्तन करना आवश्यक है जिससे कि विधान मंडल के प्रतिनिधि, जोकि नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल के सदस्य हों, विधान मंडल के सदस्य न रहने पर कौंसिल के भी सदस्य न रह सकें।

चन्द्रभानु गुप्त,
स्वास्थ्य मन्त्री।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४

फसलों को हानिकर रोगों तथा नाशक कीटों के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागमन के निरोध का

विधेयक ।

फसलों को हानिकर रोगों तथा नाशक कीटों के आविर्भाव, फैलाव तथा पुनरागमन के निरोध की और तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारंभ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

परिभाषाएं।

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर—

(क) "प्रभावित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो धारा ३ के अधीन इस प्रकार प्रख्यापित किया गया हो;

(ख) "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत वह अधिकारी भी होगा जिसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कृत्य करने के लिये अधिकृत करें;

(ग) "हानिप्रद तृणादि" (noxious weeds) का तात्पर्य किसी भी तृणादि (weeds) से है जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे;

(घ) "अध्यासी" (occupier) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे समय विशेष पर किसी स्थल, जल या भूगृहादि पर वास्तविक अध्यासन प्राप्त हो तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे समय विशेष पर उसके अध्यासन का अधिकार हो;

(ङ) "परजीवी" (Parasite) का तात्पर्य किसी ऐसे पौधे या पशु से है जो पूर्णतः अथवा अंशतः किसी कृषिक फस्ल, पौधे, वृक्ष, झाड़ी अथवा औषधि (herb) पर जीवित रहता हो और जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे;

(च) "नाशक कीट" (pest) का तात्पर्य किसी ऐसे कीट अथवा मेरुहीन (Inverbetrate) जीव से है जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे;

(छ) "पौधे" के अन्तर्गत सभी उद्यान सम्बन्धी तथा कृषिक फस्लें, वृक्ष, झाड़ियां अथवा औषधि (herbs) हैं तथा इसके अन्तर्गत इनके बीज, फल, पत्ते, छाल, क़लम (cuttings) अथवा भाग भी है;

(ज) "पौधों के रोग" का तात्पर्य किसी गोमज (fungoid), शाकाणवीय (bacterial), विषाणवीय (birus), पारजैविक (parasitical) अथवा अन्य रोग से है जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन पौधों का रोग प्रख्यापित करे,

(झ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है; तथा

(ञ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापन।

३—जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि पौधों के लिये हानिप्रद है और ऐसे रोग, परजीवी, नाशक कीट अथवा तृणादि का उन्मूलन अथवा उसके आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम के निरोध का उपाय करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित कर के उस क्षेत्र को ऐसी अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय प्रभावित क्षेत्र प्रख्यापित कर सकती है और इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र के सम्बंध में—

(क) किसी रोग, परजीवी, नाशक कीट अथवा तृणादि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये पौधा का रोग, परजीवी, नाशक कीट अथवा हानिप्रद तृणादि प्रख्यापित कर सकती है,

(ख) किसी भी पौधे, भूमि, मिट्टी अथवा खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने अथवा हटाने को मना कर सकती है अथवा रोक सकती है।

(ग) आदेश दे सकती है कि ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय (preventive or remedial measures) किये जायं जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी हानिप्रद तृणादि, परजीवी, नाशक कीट, पौधे अथवा पौधे के रोग के आविर्भाव, प्रसार तथा पुनरागम (introduction, spread and re-appearance) को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये आवश्यक समझे, तथा

(घ) किसी ऐसे क्षेत्र में, जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी ऐसे पौधे के लगाने अथवा उगाने को मना कर सकती है जो इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र में अन्य फस्लों के लिये सम्भवतः हानिकारक हो।

आदेश प्रचारित करने का अधिकार।

४—(१) धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अथवा उसके पश्चात् जिला मैजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा—

(क) आदेश दे सकता है कि प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यासी किसी परजीवी, हानिप्रद तृणादि, नाशक कीट, पौधे अथवा पौधों के रोग के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय करे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नोटिस में निर्दिष्ट करे, तथा

(ख) किसी पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह

खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को, जो वृद्धावस्था अथवा किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा जो उस स्थान से, जहां पर उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो ५ मील से अधिक दूरी पर रहता हो, सहायता करने के लिये आदेश नहीं दिया जायेगा ;

(ग) वह क्षेत्र तथा अवधि निर्दिष्ट कर सकता है जिसमें खंड (क) में निर्दिष्ट उपाय कार्यान्वित किये जायंगे।

(२) उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा अपितु क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र (locality) में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस संबंध में की गयी घोषणा उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सूचना (notice) समझी जायगी।

भूमि अथवा भूगृहादि पर प्रवेश का अधिकार।

५---डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किया जाने वाला कोई भी अधिकारी प्रभावित क्षेत्र में स्थित किसी भी स्थल, जल अथवा भूगृहादि में निम्नलिखित की जानकारी के लिये, सूचना देने के पश्चात् प्रवेश कर सकता है कि---

(१) कोई हानिप्रद तृणादि, परजीवी, नाशक कीट अथवा पौधों का रोग ऐसे स्थल, जल अथवा भूगृहादि में है कि नहीं ; और

(२) धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट नियत निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं।

उपाय कार्यान्वित करने के अधिकार।

६---जब धारा ५ के अधीन इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी स्थल, जल अथवा भूगृहादि के निरीक्षण करने से यह ज्ञात हो कि धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय आदेशानुसार कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं तो वह, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आज्ञा के अधीन, अध्यासी के व्यय पर उक्त निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय कार्यान्वित कर सकता है।

व्यय की वसूली।

७---धारा ६ के अधीन कार्यान्वित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय अध्यासी से मालगुजारी की बकाया की भांति (as arrears of land revenue) वसूल किया जा सकेगा।

व्यय के विरुद्ध अपील।

८---(१) धारा ७ में अभिदिष्ट कोई भी ऐसा अध्यासी उससे प्रथम बार ऐसे व्यय की मांग किये जाने पर मांग के दिनांक से ३० दिन के भीतर निम्नलिखित के आधार पर अपील कर सकता है कि ---

(क) व्यय के अन्तर्गत श्रम, सामग्री अथवा उपकरणों के प्रयोग से भिन्न अन्य परिव्यय की मदें भी हैं,

(ख) श्रम, सामग्री अथवा उपकरणों के प्रयोग के लिये परिव्यय अतर्क्य रूप से अधिक (unreasonably high) है अथवा वास्तविक व्यय से कहीं अधिक है।

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अध्यासी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी आज्ञायें दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

(३) उपधारा (२) के अधीन दी गई कोई भी आज्ञा अन्तिम और निश्चायक होगी तथा किसी भी विधि न्यायालय में उस पर आक्षेप न किया जा सकेगा।

आदेश को कार्यान्वित न करना अथवा सहायता न देना।

९—(१) यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सन्तोष हो कि—

(क) किसी अध्यासी ने धारा ४ के अधीन जारी किये गये आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया है; अथवा

(ख) किसी व्यक्ति ने धारा ४ के अधीन अपेक्षित सहायता नहीं दी है, तो वह अध्यासी अथवा ऐसे व्यक्ति को ५० रुपये तक की शास्ति (penalty) अदा करने की आज्ञा दे सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन शास्ति अदा करने की आज्ञा अन्तिम तथा निश्चायक होगी और उस पर किसी न्यायालय में आक्षेप न किया जा सकेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन शास्ति मालगुजारी की बकाया की भांति (as arrears of land revenue) वसूल की जा सकेगी।

वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों पर प्रतिबन्ध।

१०—राज्य सरकार अथवा उसके किसी भी अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी भी कार्य के सम्बन्ध में अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में सद्भावना से किये गये किसी कार्य से उत्पन्न किसी क्षति के लिये कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or other legal proceeding) न की जा सकेगी।

अधिकारों का प्रतिनिधायन।

११—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त कोई भी अधिकार विज्ञप्ति में निर्दिष्ट निरोधों तथा शर्तों के अधीन प्रयुक्त करने के लिये प्रतिनिधानित (delegate) कर सकती है।

नियम बनाने का अधिकार।

१२—राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

उद्देश्य और कारण

प्रति वर्ष नाशक कीट तथा रोग कृषीय फस्लों को अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं। इनका निराकरण करने के लिये कभी-कभी तो किसी खेत की पूरी फस्ल को नष्ट कर देना पड़ता है। एक खेत से निकाले गये नाशक कीट अथवा रोग पास के खेत में न पनप सकें और वहां से फस्ल को रोगयुक्त और हीन न बना सकें, इस प्रयोजन से पास-पड़ोस के खेतों के लिये सामूहिक आन्दोलन संगठित तथा कार्यान्वित करना पड़ता है। अनुभव से स्पष्ट है कि इसी दिशा में समझा बुझा कर काम लेने के तरीकों से कोई सुधार नहीं हो सका है, उत्पादक प्रभावित फस्ल को जलाने अथवा नष्ट करने को सहमत नहीं होते हैं और न वे पास-पड़ोस के खेतों से नाशक कीटों अथवा रोगों को भगाने के सामूहिक प्रयास में भाग लेते हैं। यह सब इस सम्बन्ध में उपयुक्त अधिनियम बनाने से ही हो सकता है।

अतएव उत्तर प्रदेश कृषि-नाशक कीटों एवं रोगों का विधेयक, १९५४, प्रस्तुत किया जा रहा है ।

चरण सिंह,
कृषि मंत्री ।

विधान भवन उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९ पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ में और संशोधन करने के लिये विधेयक। यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ जारी रखा गया था जो ३० सितम्बर, १९५४ को समाप्त हो जायगा, यू० पी० ऐक्ट २४, १९५२।

और यह आवश्यक है कि उक्त ऐक्ट को ३० सितम्बर, १९५८ तक जारी रखने की व्यवस्था की जाय और यहां पर आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों क लिये उसमें संशोधन किये जायं;

इसलिये भारत के गणराज्य के पांचवें वर्ष में उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९५४ होगा। संक्षिप्त शीर्ष नाम और प्रारम्भ।

(२) यह ३० सितम्बर, १९५४ से प्रचलित होगा।

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ में— यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा १ का संशोधन।

(१) उपधारा (२-ए) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(2-a) It shall apply to every municipality and notified area established under the U. P. Municipalities Act, 1916, and to areas situated within 2 miles of such municipality or notified area: U. P. Act II of 1916.

Provided, however, that the State Government, if satisfied, that it is necessary so to do in the interest of the general public residing in a town area constituted under the Town Areas Act, 1914, or in any other area, may by notification in the official *Gazette* apply the Act, or any part thereof, to such Town Area or other area: U. P. Act II of 1914.

Provided further that the State Government may likewise cancel or amend any notification issued under the preceding proviso and the provisions of Section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, shall apply upon such cancellation as if this Act or the portion therein applied had been an enactment repealed by an Uttar Pradesh Act: U. P. Act I of 1904.

Provided also that nothing in this Act shall apply—

(i) to any premises belonging to the State Government or Central Government.

(ii) to any tenancy or other like relationship created by a grant from the State Government or Central Government in respect of premises taken on lease or requisitioned by such Government,

(iii) to any tenancy or other relationship in respect of any plot of land not covered by roofed structure."

(२) उपधारा (४) में संख्या "1954" के स्थान पर संख्या "1958" रख दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा २ का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा २ में--

(१) खंड (ए) के अन्त में फुल स्टाप के स्थान पर कामा रख दिया जाय और तदुपरान्त निम्नलिखित नये पैरा के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"But does not include any accommodation used as a factory or for an industrial purpose where the business carried on in or upon the building is also leased out to the lessee by the same transaction."

(२) खंड (C) में शब्द "of the landlord and tenant in relation to his sub-tenant" के स्थान पर शब्द "of such person" रख दिये जायं,

(३) खंड (*g*) में शब्द "and includes any person holding or occupying any accommodation as a sub-tenant" निकाल दिया जाय।

(४) खंड (*g*) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (*h*) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(*h*) 'vacant' where used with reference to any accommodation, includes an accommodation about to fall vacant an intimation whereof has been sent by the tenant or the landlord to the District Magistrate."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की उपधारा ३ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ३ में:

(१) उपधारा (१) के खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(*a*) that the tenant is in arrears of rent for more than three months and has failed to pay the same to the landlord within one month of the service upon him of a notice of demand."

(२) उक्त उपधारा के खंड (*c*) में शब्द "permission" के पश्चात् शब्द "in writing" रख दिये जायं;

(३) उक्त उपधारा के खंड (*f*) के पश्चात् निम्नलिखित गया खंड (*g*) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(*g*) that the tenant was allowed to occupy the accommodation as a part of his contract of employment under the landlord and his employment has been determined."

(४) उप-धाराओं (२) से (४) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

Where any application has been made to the District Magistrate for permission to sue a tenant for eviction from any accommodation and the District Magistrate grants or refuses to grant the permission, the party aggrieved by his order may within 30 days from the date on which the order is communicated to him apply to the Commissioner to revise the order.

(3) The Commissioner shall hear the application made under sub-section (2), as far as may be, within six weeks from the date of making it and he may, if he is not satisfied as to the correctness, legality or propriety of the order passed by the District Magistrate or as to the regularity of proceedings held before him, alter or reverse his order, or make such other order as may be just and proper.

(4) The order of the Commissioner under sub-section (3) shall, subject to any order passed by the State Government under section 7-F be final."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ३–ए का संशोधन।

५––मूल अधिनियम की धारा ३–ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(3-A) (1) The District Magistrate may on the application of a person who has been allotted any accommodation to which sub-clause (1) of clause (*f*) of section 2 applies declare the annual reasonable rent payable therefor. The District Magistrate may likewise on the application of a person who has been allotted any accommodation or of the landlord determine the reasonable annual rent of the accommodation to which any of the remaining provisions of the said clause may be applicable.

Determination of annual reasonable rent by the District Magistrate.

(2) In determining the reasonable annual rent the District Magistrate shall take into account—

(*a*) if the accommodation was constructed on or after July 1, 1946, the cost of land and the cost of construction, maintenance and repairs thereof, its situation and any other matter, which in the opinion of the District Magistrate is material, and

(*b*) if it is accommodation falling under sub-clause (2) or para. (i) of sub-clause (3) of clause (*f*) of Section 2, the principles therein set forth, and

(*c*) if it is accommodation falling under para. (ii) of sub-clause (3) of clause (*f*) aforesaid the principles set forth in clause (*a*) of sub-section (1) of section 6.

(3) Subject to the result of any suit filed under sub-section (4) of section 5, the rent declared or determined by the District Magistrate under this section shall be the annual reasonable rent of the accommodation."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ४ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(4) It shall not be lawful for a landlord to take or receive any premium or other additional payment of any sort whatsever over and above the rent for admission of a tenant to any accommodation."

Prohibition against taking premium

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ५ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(4) If the landlord or the tenant claims that the annual reasonable rent of any accommodation to which the Act applies is inadequate or excessive or that the reasonable annual rent declared by the District Magistrate under section 3-A is not correct, or if the tenant claims that the agreed rent is higher than the annual reasonable rent, he may institute a suit for declaration or as the case may be for fixation of rent in the Court of the Munsif having territorial jurisdiction, if the annual rent claimed or payable is Rs. 500, or less, and in the Court of the Civil Judge having territorial jurisdiction if it exceeds Rs. 500, provided that the Court shall not vary the agreed rent unless it is satisfied that the transaction was unfair, and in the case of lease for a fixed term made before April 1, 1942, that the term has expired."

८—मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ५-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"5-A.(1) Where the tax referred to in clause (i) of sub-section of section 128 of the U. P. Municipalities Act, 1916, has been increased after July 1, 1946, in the case of any accommodation constructed before the said date, the landlord may on and from the commencement of the U. P. Control of Rent and Eviction (Amendment) Act, 1954, and notwithstanding anything in this Act or any Order made thereunder, to the reasonable annual rent payable for the accommodation by the tenant an amount equal to one-third of the difference between the amount of the tax assessed before July, 1946 and the amount assessed after this date. The amount so added to the rent shall be payable by the tenant to the landlord along with the rent.

(2) Where the question arises whether the tax referred to in sub-section (1) has increased in respect of any accommodation it shall be referred to the District Magistrate who shall determine the same."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ६ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (*b*) में, शब्द "the cost of construction" के स्थान पर शब्द "cost of land and the construction" रख दिये जायं।

१०—मूल अधिनियम की धारा ७-बी में—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ७-बी का संशोधन

(१) उपधारा (१) में शब्द "in arrears of rent for more than three months" के स्थान पर शब्द "in arrears of rent or any instalment thereof (where it is payable in instalments) for more than three months" रख दिये जायं,

(२) उपधारा (३) में शब्द "serve a notice" के स्थान पर शब्द "serve by registered post or otherwise a notice" रख दिये जायं,

(३) उपधारा (६) में दोनों प्रतिबन्धात्मक वाक्य (provisos) निकाल दिये जायं,

(४) उपधारा (७) में शब्द "or furnishes security to the satisfaction of the court" निकाल दिये जायं ।

११—मूल अधिनियम की धारा ७-ई की उपधारा (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ७-ई का संशोधन ।

"(8) No appeal shall lie from the order of the Munsif passed under sub-sections (5) and (6) which shall be final."

१२—मूल अधिनियम की धारा ७-एफ में शब्द और संख्या "Section 7" के पश्चात् शब्द "or directing a person to vacate any accommodation under section 7A" रख दिये जायं,

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ७-एफ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ८ का संशोधन ।

"(8) (1) Any person who contravenes any of the provisions of this Act, or any order made in pursuance thereof, shall be punishable on conviction with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine up to Rs. 5,000 or with both.

Penalty.

(2) Where a person has been convicted for contravention of the provisions of section 4, the Magistrate by whom the case is heard may direct that out of the fine, if any, imposed and realized from the person so convicted, an amount not exceeding the amount paid as premium or as additional payment over and above the rent for admission as a tenant to any accommodation, may be paid to the person by whom such payment was made;

Provided that any amount paid to the person aforesaid under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent claim for compensation or restitution on account of the amount realised in contravention of Section 4.

(3) Notwithstanding any thing contained in section 32 of the Criminal Procedure Code, 1898 it shall be lawful for a Magistrate of the First Class trying any case under this Act to pass a sentence of fine not exceeding five thousand rupees."

V of 1898

उद्देश्य और कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की अवधि ३० सितम्बर, १९५४ को समाप्त हो जायगी। नगरों की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होने के कारण नागरिक क्षेत्रों में रहने के मकानों की संख्या अब भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती। संभावना यह है कि आगामी कुछ वर्षों तक उपलब्ध मकानों की संख्या उनके निरन्तर बढ़ने वाली मांग की पूर्ति नहीं कर सकेगी।

२—इसलिये उक्त ऐक्ट की अवधि ३० सितम्बर, १९५८ तक बढ़ाने तथा उसमें आवश्यक संशोधन करने के निमित्त उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
खाद्य व रसद मंत्री।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ड'

(देखिए पीछे पृष्ठ ४० पर)

उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

हम लोगों ने, जिनके नीचे हस्ताक्षर हैं, और जो उस प्रवर समिति के सदस्य हैं जिसको उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४ विचारार्थ सौंपा गया था, विधेयक पर विचार किया और अब विधेयक को उस रूप में जैसा कि हमने संशोधित किया है अपने इस प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हैं ।

समिति ने १९ तथा २१ जून, १९५४ को नैनीताल में अपनी बैठकें कीं ।

हमने विधेयक के खण्डों पर अलग-अलग विचार किया और कुछ छोटे-छोटे संशोधन किये। ये संशोधन विधेयक का जो पुनर्वीक्षित आलेख्य हमने तैयार किया है, उसमें दिये ह ।

क्योंकि हमने कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किये हैं इसलिये हमारी राय है कि विधेयक को जैसा कि हमने अब संशोधित किया है, पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री चरण सिंह — सभापति ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य

श्री रामजी लाल सहायक

श्री बाबूराम गुप्त

श्री उल्फत सिंह

श्री वीरेन्द्र शाह ‡

श्री व्रजभूषण मिश्र

श्री तेज बहादुर सिंह

श्री राम अवध सिंह

श्री राम हेत सिंह

श्री राम राज शुक्ल

श्री मलखान सिंह

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा

श्री सुरेश प्रकाश सिंह

श्री दलबहादुर सिंह

श्री हबीबुर्रहमान

श्री महो लाल

श्री रामचरण लाल गंगवार

श्री रामचन्द्र विकल

श्री मदन मोहन उपाध्याय

---

‡असहमति की टिप्पणी के साथ ।

NOTE OF DISSENT BY RAJA VIRENDRA SHAH, M. L. A., ON UTTAR PRADESH AGRICULTURAL INCOME TAX (AMENDMENT) BILL, 1954.

The Government has, under objects and reasons stated that with a view to avoid hardship in the assessment of Agricultural Income Tax to the assessees this bill is being introduced. I would like to submit most humbly that the hardships to an assessee will greatly increase if new sub-section 3-A after sub-section 3 of section 15 is inserted and also if the new schedule is substituted for part 1 of the existing schedule.

Before dealing with the hardships referred to above, I would like to poing out that Government have, somehow or other, come to entertain a wront notion that production will increase if big holdings are reduced to smaller ones. If it were true that yield increased by reducing the size of the holdings, co-operative and collective farming, which in other words means bringing the entire area under one unit, would never have been advocated all over so strongly. The part played by big farmers in overcoming the food shortage and in helping Grow More Food campaign, by investing heavily in the matter of machines, tractors and their implements which enabled the reclamation of huge tracts of waste land and their conversion into beautiful fertile lands should not be forgotten. It is a different matter that because of taxation and other policies of the Government which lays a heavy incidence of tax on big farmers, those big holdings may not be proving profitable to their owners, but that does not mean that production average in the cases of big holdings has fallen. It is a well known fact that there is an economic unit in every industry, and that large scale industries have greater outturns. The solution to the problem of stepping up production does not lie in reducing the size of the holdings, but in factors, besides others, like providing proper facilities in the matter of better and disease proof seeds, manures, irrigation and of course on a sympathetic and encouraging attitude of the Government.

The insertion of a new sub-section 3-A after sub-section 3 of section 15 will mean that corruption which is already ruling in the department will know no bounds, and Naib Tahsildars and clerks in the Agricultural Income Tax Department will be equipped with a new weapon to fill money in their pockets with. They will bargain with the assessees by tempting them to get their amount of tax reduced from what had been notified to them under section 15 (3)-A. The practice at present is, that some of the assessing officers never care to look into the files themselves and leave the entire proceedings, in some cases even the writing out of the assessment order, on the sweet will of the Naib Tahsildars, A.I.T. Naib Tahsildars, A. I. T. issue notices under section 15 even to those who are not liable to be taxed, and then settle terms with them. In the case of those who do not come to terms, proceedings are taken up and they are harassed. In some cases assessment orders are not passed on the dates announced, and then after a month orders are passed in the back date, thus denying the right of appeal to the dissentor. In some cases notices under section 15 are not served on the person. They bear fake signatures and the orders are passed *ex-parte* under best judgement. Under these circumstances if a new sub-section 3-A will be inserted it will only mean highhandedness on the part of the Naib Tahsildars and clerks which will mean all the more hardship to the assessee. It would have certainly served the intention of the Government if in section (4) of section 16 of the principal Act after the words "his judgment" the words "with due regard to the

amount of tax if calculated under section 6 (2) (a) notwithstanding any option exercised under sub-section 1 of section 6" were inserted.

It has been said that at present the schedule of rates of Agricultural Income Tax is rather complex and needs to be substituted by the proposed schedule. If the intention of Government were only to remove the complex nature of the present schedule, it would be done easily by adding up the rates of tax and supertax and thus keeping one rate instead of two in the shape of tax and supertax. But the intention of the Government reflects to be to kill two birds with one stone. It is proposed to do away with the complex nature of the schedule as well as to increase the tax on various scales of income. I would have been the first to agree with the Government if the incidence of tax on big farmers only should have been raised and the people with lesser incomes would have been promised some relief. But from the schedule proposed I find that even persons having an income of more than 5,000 per year will have to pay more tax than what they have been doing till now. Under no conception can a person having an income of say Rs. 6,000 a year be called a capitalist. Ordinarily one who has an income of Rs. 1,00,000 or more can only be called a capitalist in agriculture. In any case, people with incomes up to Rs. 50,000 or so can not be called capitalist and should not be treated as such.

It should be kept in mind that a man whose income is supposed to have been held by the Assessing Officer as Rs. 50,000 in fact never has that income because actually his income has been overcalculated for the purposes of taxation. The principle of assessment should be that one ought to be taxed on what actual income accrues to him and not on what should the income have been. The latter is the principle adopted invariably by the Assessing Officers after rejecting the accounts books of the assessee. The mentality of the Assessing Officers in general is that they try to raise the tax on a person every year to the best of their ability. They increase the income of the assessee to the maximum and reduce the amount of deductions claimed, with the result that the assessee is doubly hit. His net income, therefore, is never the same as held by the Assessing Officer. Besides the multiple has been increased recently from 7 1/2 to 12 1/2 times, and if the rates of tax too will be raised it will prove a death blow to the cultivation. In fact it was about time, Government should restore the old multiple in view of the fall in prices of foodgrains and the constant tendency downwards of the market prices. The Government should have taken into account the profit and losses account of the several big farms which the Government owns in this province. While some of them are showing a profit of only Rs. 4 or 5 per acre, the others are running at a loss, even when they have neither to pay land revenue nor agricultural income tax.

What is in fact needed is that the Government should set up an agricultural commission which should find out the average produce of each district per acre and the cost of production incurred in each district for different types of crops keeping in view the increased rates of irrigation, manuring labour, bullocks and machines and then raise or reduce the rates of tax as well as the multiple for computing the income. Under the existing rates, a person having an income of above Rs. 55,000 had to pay tax at the rate of 10 annas in a rupee, whereas, under the proposed schedule people having an income of more than Rs. 35,000 only will have to pay at the rate of 10 annas in a rupee. I strongly oppose any increase of taxation now that the slump has set in. In my view all persons should be exempt up to an income of Rs. 4,200 from tax, irrespective of their incomes, and that tax on people up to

an income of Rs. 50,000 should not be increased at all, and should on the other hand be given some relief. Tax may be increased on persons having income of more than 50,000 per year. This can be achieved if the following schedule is accepted:—

First Rs. 4,200	Nil
Next Rs. 800	1 anna per rupee
Next Rs. 10,000	1 1/2 do.
Next Rs. 10,000	3 do.
Next Rs. 15,000	5 do.
Next Rs. 15,000	6 do.
Next Rs. 20,000	8 do.
Next Balance	10 annas do.

Besides the above, Government would have done something in doing away with the hardships of the assessee if (i) the amount of expenses which were to be allowed under section 6 (2) (b) and rule 13 were fixed per acre and not have left it to the discretion of the Assessing Officers, in case the amounts actually paid by the assessees were not allowed, and (ii) if after the words "Such assessment" in last line of sub-section (3) of Section 16 the words "which shall in no case exceed the amount of tax if assessment were made on the basis of 6 (2) (a), notwithstanding any option exercised under sub-section 1 of section 6" were added. This would go a long way in checking the corruption prevalent and would bring great relief to the assessee.

VIRENDRA SHAH.

उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया । समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों [ ] में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है)

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय कृषि-आय-कर ऐक्ट में संशोधन करने के लिये

विधेयक।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९।

यह आवश्यक है कि १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय कृषि-आय-कर ऐक्ट में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधन किये जायं,

इसलिए अपने गणराज्य के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५४ होगा।

(२) यह धारा तुरन्त प्रचलित हो जायगी और शेष धारायें १ जुलाई १९५४ से प्रचलित होंगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ३० जून, १९५४ को या इससे पूर्व समाप्त होने वाले कृषि वर्षों के लिये कृषि-आय-कर के निर्धारण, चाहे ऐसे कर-निर्धारण इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किये जा चुके हों या न किये गये हों, बराबर किये जाते रहेंगे, मानो १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट की धारा ४, ६, १५, १६ और २५ तथा उसके परिशिष्ट का इस अधिनियम द्वारा संशोधन नहीं किया गया हो।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा २ में संशोधन।

२—१९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय कृषि-आय-कर ऐक्ट (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (३) में से वर्त्तमान प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।

३--मूल अधिनियम की धारा ४ में--

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा ४ में संशोधन।

(क) संख्या तथा शब्द "३,००० रु०" के स्थान पर संख्या तथा शब्द "४,२०० रु०" रख दिये जायं।

(ख) पहले प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जो ३० एकड़ से अधिक भूमि पर खेती न करता हो।"

स्पष्टीकरण--ऐसी भूमि जिस पर बाग (grove) या फल का बाग (orchard) लगा हो कृष्ट (cultivated) भूमि है।

(ग) द्वितीय प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा ६ में संशोधन।

४--(१) मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) में से प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय :--

(२) उक्त धारा की उपधारा (२) के वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(क) कृषि-सम्बन्धी विपदाओं (agricultural calamities) के निमित्त ऐसी कटौतियों के पश्चात् जो नियत की जायं किसी भूमि की आय ऐसी धनराशि समझी जायगी, जो उसके लगान तथा ऐसे गुणांक (multiple) के जो १२ १/२ से अधिक न हो, जैसा कि वह भूमि-व्यवस्था कमिश्नर (Land Reforms Commissioner) द्वारा निश्चित किया जाय, गुणनफल के बराबर हो और भिन्न-भिन्न जिलों या जिलों के भागों के लिए और भिन्न-भिन्न बागों तथा फल के बागों के वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न गुणांक multiple) निश्चित किये जा सकते हैं।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूमि-व्यवस्था कमिश्नर यह आदेश दे सकता है कि नवजोत भूमि की आय लगाने के निमित्त, कुछ निर्दिष्ट वर्षों तक के लिए ऐसा गुणांक (multiple) रखा जाय, जो अपेक्षाकृत ऐसी कम संख्या हो, जो नियत की जाय।

स्पष्टीकरण--इस धारा में लगान ऐसी धनराशि समझी जायगी जो फल के बागों तथा बागों की दशा में गांव की सब से अच्छी श्रेणी के भूमि के और अन्य दशाओं में उसी श्रेणी के भूमि के मौरूसी काश्तकारों पर लागू लगान की नवीनतम स्वीकृत दरों के अनुसार लगाई जाय।"

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा १५ में संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा [(३-क)] (३-ख) के रूप में रख दिया जाय :--

"[(३-क)] (३-ख) उपधारा (३) के अधीन दिये जाने वाले नोटिस के साथ कर-निर्धारक अधिकारी एक विवरण भी भेजेगा, जिसमें कृषि की आय का ऐसा [अनुमान] अस्थायी अनुमान दिया होगा जो उसके मत में सम्बद्ध व्यक्ति को पिछले वर्ष में हुई है। उक्त अनुमान धारा ६ की उपधारा (२) के खंड (क) के आदेशों (provisions) के अनुसार तैयार किया जायगा और ऐसे फार्म में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायंगे जो नियत किये जायं।"

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा १६ में संशोधन ।

६—( ) अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (४) में शब्द "अपने विव[illegible] के आधार पर" और शब्द "कर" के बीच में शब्द "धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन इच्छा (option) व्यक्त किये जाने पर भी, धारा १५ की उपधारा [(३-क)](३-ख) के अधीन भेजे हुए विवरण-पत्र, यदि कोई हों, यथोचित ध्यान रखते हुए" रख दिये जायं।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा २५ में संशोधन।

७—( ) मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द तथा संख्या "उपधारा (३)" के स्थान पर शब्द तथा संख्या "उपधारा (३) तथा [(३-क)](३-ख)" रख दिये जायं।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ के परिशिष्ट में संशोधन ।

८—( ) मूल अधिनियम के परिशिष्ट (Schedule) के भाग १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

भाग-१

	दर प्रति रुपया
१—पूर्ण कृषि-आय के प्रथम १,५०० रु० पर ..	कुछ नहीं
२—पूर्ण कृषि-आय के उपर्युक्त के बाद के ३,५०० रु० पर	एक आना
३—पूर्ण कृषि-आय के उपर्युक्त के बाद के १०,००० रु० पर	दो आना
४—पूर्ण कृषि-आय के उपर्युक्त के बाद के १०,००० रु० पर	चार आना
५—पूर्ण कृषि-आय के उपर्युक्त के बाद के १०,००० रु० पर	आठ आना
६—पूर्ण कृषि-आय के शेष पर ..	दस आना

यह दरें निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन हैं —

(१) उस पूर्ण कृषि-आय पर कोई कृषि-आय-कर देय न होगा जो ४,२०० रु० से अधिक न हो, और

(२) ऐसे कृषि-आयकर किसी भी दशा में पूर्ण कृषि आय की उस धनराशि के आधे से अधिक नहीं होगा, जो ४,२०० रु० से अधिक हो।"

(२) मूल अधिनियम के परिशिष्ट का भाग २ निकाल दिया जाय।

उद्देश्य और कारण

सामान्यतः करदाताओं को और विशेष रूप से बाग़दारों को कृषि-आय-कर के निर्धारण में कठिनाई से बचाने और आय के विभिन्न वर्गों पर यथोचित् कर निर्धारण को सुनिश्चित करने के निमित्त यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है—

इस विधेयक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं—

(क) कर न लगाने की सीमा को ३,००० रु० से बढ़ा कर ४,२०० रु० कर देने का प्रस्ताव है ।

(ख) अब अधिकांश करदाता काश्तकार हैं, जो अपने हिसाब-किताब का लेखा नहीं रखते, इसलिये यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि कर-निर्धारक अधिकारी धारा ६ (२) (क) के अनुसार करदाता को पिछले वर्ष की कृषि आय के सम्बन्ध में एक विवरण करदाता के पास भेजे जिससे कि काश्तकार को कर की वह धनराशि मालूम हो जाय जिसकी अदायगी उस दशा में उसे करनी होगी जब वह अपनी आय का विवरण प्रस्तुत न करना चाहे और कर-निर्धारक अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित भी न होना चाहे ।

(ग) फल के बाग़दारों या बाग़दारों को यह विकल्प देने का प्रस्ताव है कि वे अपने फल के बाग़ों या बाग़ों पर या तो धारा ६ (२) (क) के अधीन या धारा ६ (२) (ख) के अधीन कर निर्धारित करायें और भूमि-व्यवस्था कमिश्नर को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वह फल के बागों या बागों की कृषि-आय लगाने के लिये एक उपर्युक्त गुणांक (multiple) निश्चित करें ।

(घ) इस समय केवल एक ही प्राधिकारी लखनऊ में अपीलों की सुनवाई करता है । लोगों की सुविधा को बढ़ाने के लिये यह प्रस्ताव है कि डिवीज़नल कमिश्नरों को भी अपील सुनने का अधिकार दे दिया जाय ।

(ङ) कृषि-आय-कर की दरों की वर्तमान अनुसूची कुछ जटिल है । सुपर-टैक्स और कम्पनियों तथा व्यक्तियों के लिये करों की भिन्न-भिन्न दरों को दूर करने और कर की दरों की एक सरल तथा एक-सी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

चरण सिंह,
माल मंत्री ।

नत्थी 'ढ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४० पर)

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में प्रवर समिति की रिपोर्ट।

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ प्रवर समिति के विचार के लिये भेजा गया था । हम लोगों ने, जो उसके सदस्य हैं, उक्त विधेयक पर विचार कर लिया है और अब हम अपनी यह रिपोर्ट, जिस पर हमने अपने-अपने हस्ताक्षर भी कर दिये हैं, संशोधित विधेयक के साथ प्रस्तुत करते हैं।

२--प्रवर समिति की बैठकें १६ जून से १९ जून, १९५४ तक नैनीताल में तथा २३, २४ जुलाई एवं २ अगस्त, १९५४ को लखनऊ में हुईं ।

३--प्रवर समिति ने विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार किया और उसमें बहुत से संशोधन किये हैं, जिनमें से सब बराबर महत्व के नहीं हैं । हमने बहुत से ऐसे परिवर्तन किये हैं जिनसे महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर प्रभाव पड़ता है। अन्य परिवर्तन ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध केवल वाक्य रचना से है या जो अन्य संशोधनों के फलस्वरूप किये गये हैं । इस रिपोर्ट में केवल उन्हीं संशोधनों का वर्णन किया गया है जो अपेक्षाकृत अधिक महत्व के हैं। अन्य संशोधन हमारे द्वारा तैयार किये गये विधेयक के पुनरीक्षित आलेख (revised draft) से मालूम हो जायंगे ।

४--खंड ४ तथा ५३--हमने मूल अधिनियम की धारा २० के अर्थों और अभिप्रायों पर विस्तार से विचार किया है और हमें मालूम होता है कि धारा २०, जैसी की वह इस समय है, यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अधीन या अनुसार माल के न्यायालयों द्वारा इन्दराजों को ठीक करने के लिये दी गई आज्ञाओं को तो मानती है, किन्तु वह अधिक्षेत्र युक्त न्यायालयों (courts of competent jurisdiction) द्वारा इन्दराजों को ठीक करने के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक से पूर्व दी गई अन्तिम डिगरियों या आज्ञाओं को मान्यता नहीं देती है ।

हम यह भी देखते हैं कि स्पैसिफ़िक रिलीफ़ ऐक्ट की धारा ९ के अधीन मामलों में ऐसे प्रतिवादियों (defendants) की स्थिति, जिन्हें, एक ओर तो, दीवानी न्यायालयों द्वारा बेदखल किये जाने की आज्ञायें दी गई हैं और, दूसरी ओर, धारा २० के अधीन भूमि पर कब्जा बनाये रखने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हमारा यह भी विचार है कि ऐसे "अध्यासियों" को, जो १३५६ फ़सली में मध्यवर्ती थे, धारा २० का लाभ नहीं मिलना चाहिये।

इसलिये हम समझते हैं कि विधि के अन्तर्गत उपर्युक्त सब मामलों का वर्णन बहुत ही स्पष्ट-रूप से किया जाना चाहिये।

५--१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २१ के खंड (ज) में यह व्यवस्था की गई है कि २५० रु० या इससे कम मालगुजारी देने वाले मध्यवर्तियों के सीर की भूमि के काश्तकार या ऐसे काश्तकारों के, जो भूमि उठाने के दिनांक पर और निहित होने के दिनांक पर, दोनों ही पर अक्षमता से ग्रस्त रहे हों, शिकमी काश्तकार, असामी हो जायंगे। हमारा विचार है कि बेदखली के वादों को स्थगित करने की आज्ञाओं के कारण, जो १९४६ से निहित होने के दिनांक तक बराबर लागू रही, अक्षम क्षेत्रपति ऐसे व्यक्तियों को बेदखल नहीं कर सके जिन्हें उन्होंने अपनी भूमि उठाई थी और जिनको वे यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के निदेशों के अधीन बेदखल कर सकते थे। इसलिए हमारी राय में यह उचित होगा कि शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर" के स्थान पर शब्द तथा संख्या "९ अप्रैल, १९४६" रख दिये जांय। यह वही दिनांक है जिसपर बेदखली के वादों को स्थगित करने की आज्ञायें पहले-पहल जारी की गई थीं ।

६--खंड २०--विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि कोई संयुक्त सह-खातेदार (joint co-tenure holder) अपने अन्य हिस्सेदार (co-sharer) के पक्ष में अपनी भूमि का समर्पण कर सकता

हैं। हम समझते हैं कि इससे बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसलिये हमने इस खंड को निकाल दिया है।

७—खंड २२-क—हमारा मत है कि मूल अधिनियम की धारा १५७ के वर्तमान निदेश का, जिसके अन्तर्गत कोई विद्यार्थी अपनी भूमि को शिकमी पट्टे पर उठा सकता है, दुरुपयोग होने की संभावना है। हमारी राय में ऐसे विद्यार्थियों को यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिये जिनके पिता जीवित हैं, क्योंकि उनके खातों की देखभाल उनके पिता द्वारा की जा सकती है। इसलिये हमने तदनुसार धारा १५७ का संशोधन कर दिया है।

८—खंड २२-ग—हमारा विचार है कि मूल अधिनियम की धारा १७१ में दी हुई उत्तराधिकारियों की सूची में परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे कि मृतक खातेदार के अधिक दूर के सम्बन्धियों की अपेक्षा उसके निकटतर सम्बन्धियों को उत्तराधिकार के उच्चतर स्तर पर रखने की व्यवस्था हो जाय। इसी दृष्टि से हमने इस पूरी धारा की ही फिर से परीक्षा की है और उसमें उपयुक्त संशोधन कर दिये हैं।

हमने पुत्रियों और बहिनों की दशा में शब्द "अविवाहिता" भी निकाल दिया है। किन्तु चूंकि पिछले दो वर्षों में मूल अधिनियम को कार्यान्वित करने के कारण उपर्युक्त वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में अवश्य ही कुछ अधिकार उत्पन्न हो गये होंगे। इसलिये हमने उनके अधिकारों की हिफाजत के लिये खंड २२-घ में व्यवस्था कर दी है।

९—खंड २३—यदि मूल अधिनियम की धारा १७८ से १८२ तक को निकाल देने के निमित्त रक्खे गये इस विधेयक के निदेशों को रहने दिया जायगा तो उसका परिणाम यह होगा कि खाते छिन्न-भिन्न हो जायेंगे। इसके साथ ही हमारा यह भी विचार है कि धारा १७८ में रखी गई खाते के क्षेत्रफल की ६ १/४ एकड़ की सीमा से बहुत ही अधिक लोगों को कठिनाई हो रही है। इसलिये एक बीच की व्यवस्था के रूप में इस कठिनाई को दूर करने के लिये हमने विभाजित किये जा सकने वाले खातों के लिये क्षेत्रफल की सीमा घटाकर ३ १/८ एकड़ रखी है। ३ १/८ एकड़ या इससे अधिक क्षेत्रफल के खातों के विभाजन के फलस्वरूप बने हुये खाते किसी भी क्षेत्रफल के हो सकते हैं। किन्तु यदि ३ १/८ एकड़ से कम क्षेत्र वाले किसी खाते के बटवारे के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जाय, तो न्यायालय ऐसे खाते या खातों का बटवारा करने के बजाय उसको या उनको नीलाम करने और उससे प्राप्त धनराशि को वितरित करने का आदेश देगा। वर्तमान निदेश के अनुसार १२ १/२ एकड़ से कम क्षेत्रफल के खाते का बटवारा नहीं हो सकता था। अब ३ १/८ एकड़ या इससे अधिक क्षेत्रफल के प्रत्येक खाते का बटवारा किया जा सकता है। हम लोगों ने इस बात का उल्लेख किया है कि खातों को चकबन्दी की कार्यवाही में खातों का बटवारा बिना किसी प्रतिबन्ध के किया जा सकता है।

१०—खंड २३-क—हमें मालूम हुआ है कि बहुत से लोगों ने बड़े-बड़े खाते प्राप्त कर लिये हैं किन्तु मूल अधिनियम की धारा १८६ के परिणामों से बचने के लिये वे उसके कुछ भाग पर ही खेती करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के इस समाज विरोधी कार्य को रोकने के लिये हमने यह व्यवस्था की है कि खाते के किसी भाग का भी परित्याग (abandonment) हो सकता है। किन्तु इसके साथ ही लोगों को कठिनाई से बचाने के लिये हमने यह भी व्यवस्था की है कि तहसीलदार केवल उन्हीं दशाओं में परित्याग की कल्पना करेगा जब ऐसा भाग १२ १/२ एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल का हो।

११—खंड २५—मूल अधिनियम की धारा १९८ और विधेयक के इस खंड में दिये हुये प्रथमता के क्रम (order of priority) पर विचार करते हुये हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि ऐसे व्यक्ति, जिनकी भूमि भूमि हस्तगत करने की किसी विधि के निदेशों के अधीन १ जुलाई, १९५२ को या इसके बाद किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये हस्तगत की गई हो, भूमिहीन मजदूरों की अपेक्षा अधिक सहानुभूति के पात्र हैं। इसलिये हमने ऐसे व्यक्तियों को काफी अधिक प्रथमता दे दी है।

१२—खंड २९ तथा ३२—हमने यह व्यवस्था की है कि असामी तथा अधिवासी के प्रख्यापनिक वाद (declaratory suits) और उनके द्वारा कब्जा वापस पाने के लिये किये गये वादों की सुनवाई दीवानी न्यायालयों के बजाय, जैसी की प्रस्तुत स्थिति है, माल के न्यायालयों द्वारा की जाय।

१३--खंड ३३--ऐसे मामले भी हमारे सामने आये हैं जिनमें ऐसे व्यक्ति ने जो निहित होने के दिनांक के पूर्व किसी भूमि पर कब्जा रखता था उसमें कुछ सुधार किये हैं । यदि धारा २३२ के अधीन किसी अधिवासी को भूमि पर कब्जा वापस पाना हो तो यह न्यायोचित है कि वह उक्त सुधार के लिये प्रतिकर दे ।

१४--खंड ३७--इस खंड में हमने निम्नलिखित तीन बड़े-बड़े परिवर्तन किये हैं :---

(१) अधिवासियों को इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के तुरन्त बाद ही भूमिधरी या सीरदारी अधिकार उपार्जन करने के लिये रुपया जमा करने का अधिकार होगा,

(२) यह अधिकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से उस विज्ञप्ति के बाद, जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये जारी की जाय, कम से कम ६ मास तक बना रहेगा, और

(३) यदि इस अवधि के भीतर अधिवासी अपेक्षित धनराशि जमा नहीं करेंगे, तो वे असामी हो जायेंगे, किन्तु वे बिना अधिकार के कब्जा रखने वाले व्यक्ति (trespassers) न होंगे, जैसी कि उसकी व्यवस्था मूल-खंड में की गई है ।

यह ठीक है कि ऐसी भूमि के अधिवासियों को उक्त अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो निष्क्रान्त सम्पत्ति (evacuee property) सम्बन्धी विधि से नियमित होती है । ऐसे अधिवासियों के मामले विधेयक की अनुसूची ५ में उल्लिखित निदेशों से नियमित होंगे ।

१५--खंड ४५--हमारी राय में खंड ४५ में दी हुई प्रतिकर की दर काफी नहीं है । इसलिये हमने उसे भूमिधरों की दशा में ७० गुना तक और सीरदारों की दशा में १५ गुना तक बढ़ा दिया है ।

१६--अनुसूची ५ का परिच्छेद (५)--हमने यह भी व्यवस्था की है कि यदि निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति सीरदार है या अधिवासी तो इसका निर्णय निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टोडियन द्वारा किया जायगा और उन्हीं का निर्णय अन्तिम होगा ।

१७--यह विधेयक १९ मई, १९५४ के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया था । हमने इस विधेयक में बहुत से परिवर्तन कर दिये हैं । इसलिये हमारी राय है कि इस विधेयक को, जैसा कि अब हमने उसे संशोधित किया है, पुनः प्रकाशित किया जाय ।

चरण सिंह
राम दुलारे मिश्र
बलवन्त सिंह
तेज प्रताप सिंह
लक्ष्मण राव कदम
* उम्मेद सिंह
मुहम्मद फारूक चिश्ती
मु० अब्दुल लतीफ
नागेश्वर द्विवेदी
जटा शंकर शुक्ल
अ० मुईज़ खां
द्वारका प्रसाद मौर्य
† रामसुन्दर पाण्डे
हरदयाल सिंह पिपल
राधा मोहन सिंह
जगन्नाथ प्रसाद
रामवचन यादव
‡† गेंदासिंह
फतेह सिंह राणा

लखनऊ, दिनांक २ अगस्त, १९५४ ।

---

*असहमति की टिप्पणी सहित ।
†असहमति की टिप्पणी तथा संशोधन का अधिकार सुरक्षित रखते हुये ।
†‡असहमति की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई ।

NOTE OF DISSENT BY SRI UMMED SINGH

In this note I would confine my remarks to clauses 5 and 22-A as proposed.

Clause 5 now takes away what was conceded by way of personal cultivation to such bigger ex-zamindars as were women, minors, lunatic, idiots or suffering from blindness, etc.

Section 10 (2) read with section 21 (H) conferred the rights of an Asami on persons recorded as tenants of 'Sir' of intermediaries aforesaid. There happen to be many families of such bigger intermediaries who could not on account of the disabilities they suffered bring any appreciable portion of their 'Sir' under their personal cultivation. It was a recognition of this fact and in order to help and rehabilitate such disabled ex-landlords that the aforesaid provisions were made. On the cessation of their disabilities they were enabled to secure possession over such area of their 'Sir' as they could advantageously bring under their personal cultivation. No reasons have been given nor certainly is there any for depriving such families of the only source of their future livelihood. The compensation they get will hardly be sufficient for discharging their various liabilities. The amendments now proposed in section 21(H) totally negative the exceptions made in sub-clause (2) of section 10 of the Act in favour of disabled persons mentioned therein.

Clause 22-A as now proposed seeks to modify clause (E)of section 157 of the Act. Clause (B) of the Section already contains provisions for fatherless minors. Clause (E) stood for the benefit of a bona-fide student in a recognised institution who has separate tenancy of his own as distinct from what he is to inherit as his share of the family property after the death of his father. It is now proposed to confine the exception to fatherless students alone. I confess I have been unable to follow the reasons behind this change. It is not very probable that a father who is absorbed in the cultivation of his own ancestral land will take care to go to a different village and invest capital in the cultivation of the self-acquisition or separate property of a son of his. He is more likely to remain at home for the better care of his own ancestral holdings only. There are cases where the father himself is too old or is physically infirm. A father having a second or subsequent wife may not be on good terms with a son of his and consequently not interested in the management of the separate property of that son. Instances like these can be multiplied. It was in the fitness of things that such considerations weighed when Clause (E) was enacted. Nothing has happened since to change the aspect of things and, therefore, I am clearly of the opinion that it would be wrong to confine the exceptions to fatherless students alone as now proposed.

(Sd.) UMMED SINGH,
3. 8. 54.

श्री राम सुन्दर पांडेय द्वारा असहमति टिप्पणी

इस विधेयक के संशोधित प्रारूप में भी मुझे बहुत सी आपत्तियां हैं जिन्हें संक्षेप में असहमति टिप्पणी के रूप में कुछ प्रदर्शित करता हूं जैसे .....

मूल अधिनियम की धारा ३ में (२२ क) बढ़ा करके सरकार ने समस्त शिक्षा संस्थाओं को अपने अधीन कर लिया है। चाहिये यह था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयाग द्वारा स्वीकृत या अन्य शिक्षा संस्थायें जो रजिस्टर्ड कमेटियों द्वारा संचालित होती हैं उन्हें बिना गजट किये ही स्वीकृत शिक्षा संस्था मान लिया जाय ।

मूल अधिनियम की धारा ११७ में (क) मद (४) निकाल करके सार्वजनिक सम्पत्ति का अहित किया गया है और (ख) दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड रख देना कि गांव समाज द्वारा विकसित भूमि या वस्तु को राज्य सरकार केवल विकास, प्रतिकर ही देकर वापिस ले सकती है, गांव समाज के साथ अन्याय एवं उत्साह भंग करने का बहुत बड़ा साधन होगा। अतएव यह प्रतिबन्ध नहीं रहना चाहिये ।

अधिनियम की धारा १४० के पश्चात् नयी धारा १४०-क बढ़ा करके क्षेत्रपति को बार-बार मुआवजा प्राप्त करने के लिये तहसीलों पर आने के लिये विवश किया जा रहा है और रिश्वत खोरी एवं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है । अच्छा तो यह होता कि क्षेत्रपति को मनीआर्डर द्वारा मुआवजा भेज दिया जाता अथवा तहसीलों के जिम्मेदार अधिकारी उन क्षेत्रों में स्वयं जाकर वितरित करते ।

मूल अधिनियम की धारा १७८ को संशोधित न करके निकाल देने की आवश्यकता है क्योंकि ३ १/८ एकड़ से कम भूमि के बंटवारे को रोक करके उत्पादन को कम करना एवं पारस्परिक कलह जारी रखने का साधन बनाया गया है ।

मूल अधिनियम की धारा १८७ में नयी धारा १८७–क जोड़ करके भूमिधर के साथ पक्षपात करने की गुंजायश रखी गई है । चाहिये तो यह था कि यदि भूमिधर भी खेती नहीं करता है तो उसकी भूमि सीरदार की तरह जब्त करके भूमिहीन किसानों को दे दी जाय । मूल अधिनियम की धारा १९८ की उपधारा (२) के अधीन विक्षुब्ध प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र का निर्णय परगनाधिकारी की इच्छा के अनुकुल नहीं रखना चाहिये था, उचित शक हटा देना चाहिये था पर ऐसा नहीं हुआ।

मूल अधिनियम की धारा २३२ (१) में बढ़ाई गई ३० मास की अवधि प्रायः समाप्त हो रही है । कम से कम ४८ मास की अवधि और बढ़ा दी गई होती तो कमजोर और पीड़ित लोगों को खेत वापिस कराने के लिये और समय मिल जाता। जैसे कि अधिवासियों की संख्या और बढ़ जाती। बनारस स्टेट में यह हक ५७ फसली से दिया जा रहा है जो बिल्कुल ठीक नहीं है । साथ ही इसी धारा में २३२-क नयी धारा जोड़ करके मजबूत और सम्पन्न व्यक्तियों को गरीब और कमजोर लोगों से किये गये ट्यूबवेल ऐसे विकास काम के लिये मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करना ही पुनः गरीबों को खेत न दिलाने की व्यवस्था कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । मैं जोरदार शब्दों में इसका विरोध चाहता हूं ।

मूल अधिनियम की धारा २३५ के स्थान पर २३५ (१ से ७ तक) की प्रक्रिया द्वारा अधिवासियों को मजबूर किया जा रहा है कि वह १५ गुना एवं ५ गुना जमा करके भूमिधर या सीरदार बन जाय, जो निश्चित अवधि के भीतर मुआवजा नहीं देगा, वह आसामी मान कर बेदखल किया जायगा । यह भूस्वामियों के साथ पक्षपात और गरीबों के साथ अन्याय करने वाली धारा जोड़ी गई है । उत्साहवर्धक यह रहा होता कि प्रत्येक अधिवासी को बिना मुआवजा भूमिधरी या सीरदारी का हक प्राप्त हो गया होता तथा बेदखली का भूत सदा के लिये समाप्त हो गया होता । पर उन गरीबों से भी जो औसतन ३-४ बिस्वा खेत जोत करके और मजदूरी के सहारे जिन्दा रहते हैं, उनसे भी मुआवजा लेकर सरकारी कोष भरने के अतिरिक्त निराश क्षेत्रपतियों को आशा कि किरण दिखाना है, जिससे लाखों गरीब किसान खानाबदोशों की तरह घूमेंगे ।

मूल अधिनियम की धारा २४७ में (२) प्रतिबन्ध जोड़ करके बड़े-बड़े भूस्वामियों की माल-गुजारी में छूट देने की व्यवस्था कर दी गई है जो ठीक नहीं है ।

मूल अधिनियम की धारा ३०५ के स्थान पर (३०५) (२) प्रतिबन्ध रख करके भूमिधर और सीरदार की भूमि के मूल्यांकन में क्रमशः ८० गुना और १५ गुना अन्तर रखा गया है । इस प्रतिबन्ध को रख करके सरकार ने सीरदारों के साथ सौतेली मां का सा व्योहार किया है । अच्छा हुआ होता कि मूल्यांकन में केवल १० गुना मुआवजा का ही अंतर रखा गया होता ।

मूल अधिनियम की धारा ३३२ में 'क' और 'ख' बढ़ा कर सरकार ने अधिवासियों को दीवानी और माल में दोहरा व्यय करके न्याय प्राप्त करने का अधिकार दिया है, जो गरीब लोगों के लिये बिलकुल असम्भव है ।

अक्षम्य लोगों को भी बेदखली का अधिकार इस अधिनियम द्वारा देकर लाखों अधिवासियों को निराश्रित किया जा रहा है । चाहिये तो यह था कि सभी प्रकार की बेदखलियां बन्द करके गरीबों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाय । पर इस सरकार के सिद्धान्त एवं वश के बाहर की यह व्यवस्था है । इसी प्रकार और बहुत सी आपत्तियां है जिसे सदन में कहा जायगा ।

(हस्ताक्षर) **रामसुन्दर पांडेय,**

दिनांक ४-८-५४ । एम० एल० ए०, आजमगढ़ ।

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों "[ ]" में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम तथा भौमिक अधिकार से सम्बद्ध अन्य विधियों को संशोधित करने का विधेयक ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

यह आवश्यक है कि यहां आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम तथा भौमिक अधिकार से सम्बद्ध अन्य विधियों को संशोधित किया जाय;

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार और प्रारंभ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार (extent) उन क्षेत्रों को छोड़कर जो ७ जुलाई, १९४९ ई० को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के या कैन्टूनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ के अधीन कैन्टूनमेंट के अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे, समस्त उत्तर प्रदेश में होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (जिसे आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवृत्ति के संबंध में इस अधिनियम के निदेश (provisions) ऐसे अपवादों अथवा परिष्कारों [के अधीन] को बाधित न करते हुये सप्रभाव होंगे (shall be subject to such exceptions or modifications) जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो, और जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित करके निर्दिष्ट करे ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा किन्तु मूल अधिनियम की धारा २ में निर्दिष्ट क्षेत्रों में यह उपधारा (२) के अधीन [ऐसे] किये गये किसी अपवाद अथवा परिष्कार के अधीन ऐसे दिनांक को प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे तथा विभिन्न

क्षेत्रों के लिये [और इस अधिनियम के विभिन्न निदेशों के लिये] विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २ का संशोधन।

२—मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ङ) के वर्तमान उपखंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(४) कोई क्षेत्र जो प्रार्विसेज ऐंड स्टेट्स (एबसार्प्शन आफ इनक्लेव्ज) आर्डर, १९५० में पारिभाषित किसी इनक्लेव (अन्तर क्षेत्र) के जो उक्त आर्डर के अधीन संयुक्त प्रान्त में मिला लिया गया हो, २५ जनवरी, १९५० को अन्तर्गत था, अथवा"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में:

(क) खंड (२२) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (२२-क) के रूप में रख दिया जाय :

"(२२-क) "स्वीकृत शिक्षा संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी शिक्षा संस्था अथवा शिक्षा संस्थाओं के वर्ग से है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में प्रख्यापित करे,

(ख) खंड (२८) के अन्त में पूर्ण विराम (फुलस्टाप) के स्थान पर अर्ध विराम (सेमीकोलन) रख दिया जाय और उसके पश्चात् शब्द "और" रख दिया जाय, और

(ग) खंड (२८) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (२९) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

(२९) भाग १ में जहां भी "अधिकार अभिलेख" (record of rights) का प्रसंग आया हो उसके अन्तर्गत यथावश्यक यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३३ के अधीन तैयार किये गये "ऐनुअल रजिस्टर्स" (वार्षिक रजिस्टर) का भी प्रसंग है।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २० का संशोधन।

४—(१) मूल अधिनियम की धारा २० में:

(क) खंड (क) के उपखंड (१) में शब्द "उपधारा (ख) के खंड (१)" के स्थान पर शब्द "खंड (ख) के उपखंड (१)" रख दिये जायं,

(ख) खंड (क) के उपखंड (२) में शब्द "उपधारा (ख) के खंड (१)" के स्थान पर शब्द "खंड (ख) के उपखंड (१)" रख दिये जायं,

(ग) खंड (ख) के उपखंड (१) में संख्या "३२" के स्थान पर संख्या "३३" रख दी जाय,

(घ) खंड (ख) के उपखंड (२) में शब्द "धारा ३२ के खंड (ई) के अधीन १३५६ फसली के लिये तैयार किये गये अधिकार अभिलेख" के स्थान पर शब्द "क्रमशः धारा २८ तथा ३३ के अधीन तैयार किये गये १३५६ फसली के खसरे या खतौनी" रख दिये जांय, और

(ङ) स्पष्टीकरण २ के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण ३ तथा ४ के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण ३—स्पष्टीकरण २ के प्रयोजनों के लिये कोई इन्दराज निहित होने के दिनांक से पूर्व संशोधित किया गया समझा

जायगा यदि किसी समर्थ न्यायालय की ऐसी आज्ञा या डिक्री जिसके अनुसार अभिलेखों में कोई संशोधन (correction) अपेक्षित हो, उक्त दिनांक से पूर्व दी गई हो और अन्तिम हो गई हो, चाहे अभिलेखों में अपेक्षित संशोधन न भी किया गया हो।"

"स्पष्टीकरण ४—इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी भूमि के संबंध में "अध्यासी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जो १३५६ फसली में उक्त भूमि या उसके किसी अंश का, मध्यवर्ती के रूप में अधिकारी रहा हो।"

(२) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर यू० पी० टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड (proviso) में अभिदिष्ट भूमि के अध्यासी (occupant) के रूप में अभिलिखित कोई व्यक्ति मूल अधिनियम की धारा २० के खंड (ख) के उपखंड (१) के अधीन ऐसी भूमि का अधिवासी नहीं हो सकेगा, अतएव उक्त उपखंड में कोष्टक में आये शब्द "लागू होती है" के पश्चात् शब्द "अथवा जो यू० पी० टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न हो" बढ़ा दिये जायं और इस प्रकार किये गये संशोधन के विषय में यह समझा जायगा कि वह मूल अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावशाली था।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २१ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा २१ में :—

(१) उपधारा (१) के वर्तमान खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ज) यदि क्षेत्रपति या यदि एक से अधिक क्षेत्रपति हों तो सब क्षेत्रपति भूमि उठाने के दिनांक पर तथा ९ अप्रैल, १९४६ को, दोनों ही दिनांकों पर धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक या अधिक वर्गों के अन्तर्गत रहे हों, तो धारा १६ के स्पष्टीकरण के खंड (१) के उपखंड (क) में अभिदिष्ट भूमि का सीर का काश्तकार धारा २० के खंड (क) के उपखंड (२) या खंड (ख) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार या अध्यासीन व्यक्ति।"

[(१) उपधारा (१) के खंड (ज) से शब्द "धारा १० की उपधारा (२) में या" तथा शब्द "के खंड (ड)" निकाल दिये जायं।]

(२) उपधारा (१) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (झ) के रूप में [बढ़ा] रख दिया जाय:—

"(झ) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा २५२ की उपधारा (१) के अन्तर्गत किसी न्यायालय द्वारा पट्टे (lease) के अधीन पट्टेदार (lessee)"।

(३) उपधारा (२) में शब्द "भूमि पर" और "कब्जा" के बीच में शब्द "वर्षानुक्रम से असामी के रूप में" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २३ खंड (ख) का निकाला जाना।

६--मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (१) का खंड (ख) निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ में नए अध्याय २-क का रक्खा जाना।

७--मूल अधिनियम के अध्याय २ के पश्चात् निम्नलिखित नये अध्याय २-क के रूप में रख दिया जाय--

"अध्याय २-क

इवैकुई प्रापर्टी (निष्क्रांत सम्पत्ति)

परिभाषाएं।

२६-क--इस अध्याय तथा अनुसूची ५ में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, शब्द और पद "कस्टोडियन", "इवैकुई" और "इवैकुई प्रापर्टी" का वही अर्थ होगा जो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० में क्रम से custodian evacuee और evacuee property का है।

अधिनियम की इवैकुई प्रापर्टी पर प्रवृत्ति।

२६-ख--इस अधिनियम के निदेश इवैकुई प्रापर्टी की अनुसूची ५ में दिये गये संशोधनों के अधीन प्रवृत्त होंगे।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ८२ का संशोधन।

८--मूल अधिनियम की धारा ८२ की उपधारा (२) से शब्द "अधिकार अभिलेख (record of rights) के संगत उद्धरण (relevant extracts) और" निकाल दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११७ का संशोधन।

९--मूल अधिनियम की धारा ११७ में :

(क) मद (४) निकाल दी जाय, और

(ख) दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

[और यह भी प्रतिबन्ध है कि राज्य सरकार इस धारा के अधीन किसी उपर्युक्त भूमि अथवा वस्तु के विषय में सामान्यता अथवा किसी गांव समाज के संबंध में किसी भी समय इस ही प्रकार विज्ञप्ति को संशोधित अथवा निरस्त कर सकती है अथवा ऐसी भूमि अथवा वस्तु को अपने अधिकार में वापस ले सकती है (Resume) और जब भी राज्य सरकार भूमि अथवा वस्तु को इस प्रकार अपने अधिकार में वापस लेवे तो गांव समाज को भूमि में या उस पर किये गये विकास के प्रतिकर के अतिरिक्त यदि कोई हो, उक्त प्रकार वापस लेने के निमित्त कोई प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न उसको कोई प्रतिकर दिया जायगा।]

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि राज्य सरकार उपर्युक्त किसी भूमि अथवा वस्तु के विषय में इस उपधारा के अधीन की गई विज्ञप्ति को चाहे सामान्यतः या किसी गांव समाज के संबंध में किसी भी समय इसी प्रकार से संशोधित अथवा निरस्त कर सकती है और ऐसी भूमि अथवा वस्तु को अपने अधिकार में वापस ले सकती है (resume) और जब भी राज्य सरकार ऐसी भूमि अथवा वस्तु को इस प्रकार अपने अधिकार में वापस ले, तो गांव समाज को ऐसी भूमि में अथवा वस्तु पर उसके द्वारा किये गये केवल विकास के निमित्त

ही, यदि कोई हो, प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसको प्रतिकर दिया जायगा ।"

१०--मूल अधिनियम की धारा ११७-क की उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (५) के रूप में [बढ़ा] रख दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ११७-क का संशोधन ।

"(५) धारा ११७ के प्रथम और द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंडों के निदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित उपधारा (१) के अधीन स्थानिक अधिकारिकी में निहित भूमि तथा अन्य वस्तुओं की वापसी के विषय में प्रवृत्त होंगे"।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ११८ का संशोधन।

११--मूल अधिनियम की धारा ११८ की उपधारा (१) में शब्द "प्रबन्ध" और शब्द "और" के बीच में अर्धविराम (कामा) और तत्पश्चात् शब्द "संरक्षण" रख दिया जाय और शब्द "सार्वजनिक कुओं" निकाल दिये जांय ।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ११९ का संशोधन ।

१२--मूल अधिनियम की धारा ११९ में शब्द "अधीक्षण" और शब्द "और" के बीच में अर्धविराम (कामा) और तत्पश्चात् शब्द "संरक्षण" रख दिया जाय ।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा १२३-क का रखा जाना ।

१३--मूल अधिनियम की धारा १२३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १२३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

गांव पंचायत की सम्पत्ति अथवा धन के खोने, ह्रास अथवा दुरुपयोग के निमित्त दंड ।

"१२३-क-(१) इस अधिनियम के अधीन संगठित गांव पंचायत, किसी संयुक्त समिति अथवा अन्य किसी समिति का प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के अधीन गांव समाज में निहित किसी भी सम्पत्ति के खोने, ह्रास (waste) अथवा दुरुपयोग करने के लिये उत्तरदायी होगा यदि ऐसा खोना, ह्रास अथवा दुरुपयोग उसके गांव पंचायत, संयुक्त समिति अथवा अन्य समिति के सदस्य होते हुये उसकी अपेक्षा अथवा मिथ्याचार (neglect or misconduct) का प्रत्यक्ष परिणाम (direct consequence) हो, और गांव सभा के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो सम्बद्ध मंडल में रहता हो नियत अधिकारी की आज्ञा से अथवा गांव पंचायत द्वारा, प्रतिकर के लिये वाद प्रस्तुत किया जा सकता है [नियत अधिकारिकी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके उसके विरुद्ध गांव पंचायत द्वारा प्रतिकर के लिये वाद प्रस्तुत किया जा सकता है ।]

(२) यदि नियत अधिकारिकी उपधारा (१) के अधीन वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे देती है अथवा स्वीकृति नहीं देती है तो [सम्बद्ध] असंतुष्ट सदस्य [अथवा गांव पंचायत जैसी भी दशा हो] ऐसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से ३० दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अथवा नियत अपील अधिकारिकी (prescribed appellate authority) के पास उक्त स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता है [अथवा कर सकती है]।

(३) राज्य सरकार स्वयमेव उपधारा (१) में उल्लिखित वाद प्रस्तुत कर सकती है।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १२८ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (२) में-

(१) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (चच) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(चच) मिथ्याचार (misconduct) के [दुराचरण (misbehaviour)] कारण भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों अथवा सभापति (chairman) का मुअत्तल किया जाना (suspension) अथवा हटाया जाना (removal);

(२) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (टट) के रूप में रख दिया जाय :—

(टट) गांव समाज में निहित भूमियों और वस्तुओं को क्षति और उन पर अनधिकार कब्जे (encroachments) के अवधारण की, अनधिकार कब्जे को हटाने की तथा क्षति के लिये प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान की सरसरी प्रक्रिया ।"

उ० प्र० अधिनियम, १,१९५१ की धारा १३४ का संशोधन ।

१५—मूल अधिनियम की धारा १३४ की उपधारा (१) में वर्तमान स्पष्टीकरण को [पुनः] "स्पष्टीकरण १" के रूप में रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण २ के रूप में रखा जाय :

"स्पष्टीकरण २—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर सीरदार द्वारा देय लगान निम्नलिखित होगा :

(क) धारा २४६ की उपधारा (१) के खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट भूमि के संबंध में सभी वृद्धियों (increases) को कार्यान्वित करने के पश्चात् उपलब्ध धनराशि, और

(ख) उस भूमि के संबंध में जिस पर धारा २४७ का प्रतिबन्धात्मक खंड प्रवृत्त होता हो, उस धारा के अधीन मौरूसी दरों (hereditary rates) पर अवधारित धनराशि ।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३७ का संशोधन ।

१६—मूल अधिनियम की धारा १३७ के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में रख दिया जाय :

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि धारा १३४ के स्पष्टीकरण २ में अभिदिष्ट दशाओं में सीरदार उस अवधि के लिये जबकि धारा २४६ या २४७ के अनुसार कम की हुई धनराशि देय हो, समय-समय पर देय धनराशि के आधे का देनदार होगा ।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३९ का संशोधन ।

१७—मूल अधिनियम की धारा १३९ में:

(१) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय, और

(२) निम्नलिखित तीसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि धारा २४७ के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट दशाओं में राज्य सरकार को देय धनराशि, सभी वृद्धियां (inereases) कार्यान्वित करने के पश्चात् खाते के लिये देय मालगुजारी की दसगुनी होगी और प्रमाण-पत्र (certificate) मिलने पर अथवा उसके पश्चात् देय मालगुजारी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये देय मालगुजारी की आधी होगी ।"

१८—मूल अधिनियम की धारा १४० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १४०-क के रूप में [बढ़ा] रख दिया जायः—

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा १४०-क का रखा जाना।

"१४०-क—संयुक्त प्रांतीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई० की धारा ३-क की उपधारा (२) के [उपबन्धों] निदेशों के अनुसार जब किसी शिकमी काश्तकार ने क्षेत्रपति द्वारा भूमि के लिये देय लगान का १५ गुना जमा कर दिया हो, और उक्त विधान (ऐक्ट) की धारा ६ के अधीन उसे प्रख्यापन (declaration) मिल चुका हो, तो राज्य सरकार उस व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जो पूर्वोक्त [उक्त] धारा ३-क की उपधारा (२) के अधीन रुपया जमा करने के प्रार्थना पत्र के दिनांक पर उसका क्षेत्रपति था, उसको उस प्रकार जमा की हुयी धनराशि की एक तिहाई धनराशि दे देगी।"

१९—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १५३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १५३ का रक्खा जाना।

"१५३—(१) जब तक इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो सीरदार [अथवा] और असामी के स्वत्व का संक्रमण न हो सकेगा।

सीरदार अथवा असामी के स्वत्व का संक्रमण न हो सकेगा।

(२) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन की शिक्षा [देने के] से सम्बद्ध प्रयोजन के लिये किसी स्वीकृत शिक्षा संस्था को, सीरदार दान द्वारा अपनी भूमि का संक्रमण कर सकता है।"

२०—मूल अधिनियम की धारा १५३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १५३-क के रूप में रख दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नयी धारा १५३-क का रखा जाना।

"१५३-क—यदि दो या दो से अधिक सीरदारों के पास संयुक्त रूप से कोई खाता हो तो उनमें से कोई एक या एक से अधिक किसी दूसरे अथवा किन्हीं दूसरों के पक्ष में अपने पूर्ण स्वत्व का परित्याग (relinquishment) कर सकता है अथवा कर सकते हैं।"

२१—मूल अधिनियम की धारा १५४ में शब्द "पक्ष में" और शब्द "कोई" के बीच में शब्द "चाय के बाग से भिन्न भूमि का" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १५४ का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की धारा १५६ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १५६ का संशोधन।

(१) कोई भूमिधर, सीरदार अथवा असामी निम्नलिखित दशाओं को छोड़कर अपने खाते की भूमि लगान पर किसी भी अवधि के लिये नहीं उठायेगा—

(क) धारा १५७ में व्यवस्थित दशाओं में, अथवा

(ख) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन की शिक्षा [देने के लिय] से सम्बद्ध किसी स्वीकृत शिक्षा संस्था को।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १५७ का संशोधन।

२२—क—मूल अधिनियम की धारा १५७ की उपधारा (१) के खंड (ङ) के अंत में शब्द "हो" के पश्चात् शब्द "और जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो" रख दिये जायं।

२२—ख—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १७१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

१७१—"यदि कोई पुरुष भूमिधर, सीरदार या असामी मर जाय तो उसके खाते में उसके स्वत्व का उत्तराधिकार धारा १६९ और १७३ के निदेशों को बाधित न करते हुये, निम्नलिखित क्रम से होगा :

(क) पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज (male lineal descendants in the male line of descent); किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पिता के पूर्व मरे हुये पुत्र के पुत्र या पुत्रों को, वे चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हों, वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा, जो मृत पुत्र को, यदि वह उस समय जीवित होता, मिलता।

(ख) विधवा पत्नी।

(ग) पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशजों में से किसी की विधवा पत्नी (Widow of male lineal descendants in the male line of descent)।

(घ) पिता।

(ङ) माता जिसने अपना पुनर्विवाह न किया हो।

(च) भाई अर्थात् मृतक के पिता का पुत्र।

(छ) पुत्री।

(ज) नवासा (Daughter's son)।

(झ) भतीजा अर्थात् मृतक के पिता के पुत्र का पुत्र।

(ञ) पितामह (Father's father)।

(ट) पितामही (Father's mother) जिसने अपना पुनर्विवाह न किया हो।

(ठ) पुत्र की पुत्री।

(ड) बहिन।

(ढ) बहिन का पुत्र।

(ण) सौतेली बहिनें।

(त) भाई के पुत्र का पुत्र।

(थ) पितामह का पुत्र।

(द) पितामह का पौत्र।"

२२—ग—मूल अधिनियम की धारा १७२ में: उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १७२ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१) जब किसी भूमिधर, सीरदार अथवा असामी ने किसी खाते में, निहित होने के दिनांक के पश्चात्, स्वत्व दाय रूप से—

(क) विधवा पत्नी, माता, अथवा पिता की माता होने के नाते प्राप्त किया हो, और वह मर जाय, विवाह कर ले, खाते को अथवा उसके किसी भाग को परित्यक्त अथवा समर्पित कर दे, अथवा

(ख) पुत्री अथवा बहिन अथवा भिन्न माता या पिता से उत्पन्न बहिन (half sister) होने के नाते प्राप्त किया हो और वह मर जाय अथवा खाते को अथवा उसके किसी भाग को परित्यक्त अथवा समर्पित कर दे,

तो खाता अथवा उसका भाग पिता के पिता के रूप में दायाधिकार प्राप्त करने वाले से भिन्न अन्तिम पुंजातीय भूमिधर, सीरदार अथवा असामी के निकटतम अतिजीवी (Surviving) उत्तराधिकारी को दाय रूप में प्राप्त होगा। (और ऐसा उत्तराधिकारी धारा १७१ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा)।"

(२) उपधारा (२) में—

(क) शब्द "सौतेली बहिन" के स्थान पर शब्द "भिन्न माता या पिता से उत्पन्न बहिन" रख दिये जायं।

(ख) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(ख) मर जाय, परित्याग कर दे अथवा समर्पित कर दे तथा विधवा पत्नी, माता, पिता की माता की दशा में पुनर्विवाह कर ले

और ऐसे भूमिधर अथवा सीरदार के अधिकार में खंड (क) में अभिदिष्ट मध्यवर्ती अथवा काश्तकार से भिन्न रूप में उक्त दिनांक से ठीक पहले खाता था, तो पितामह के रूप में दायाधिकार प्राप्त करने वाले से भिन्न अन्तिम पुंजातीय काश्तकार के निकटतम अतिजीवी उत्तराधिकारी को खाता दायरूप में प्राप्त होगा।"

२२-घ—मूल अधिनियम की धारा १७२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराओं १७२—क और १७२—ख के रूप में बढ़ा दिया जाय :— उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा १७२—क और १७२—ख का बढ़ाया जाना।

धारा १७१ तथा १७२ में किये गये संशोधन कुछ विषयों में लागू नहीं होंगे ।

"१७२-क--उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा धारा १७१ की उपधारा (१) अथवा धारा १७२ में किये गये संशोधन की कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेगी:--

(क) उक्त अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व उत्पन्न अथवा उपगत (accrued or incurred) किसी अधिकार अथवा उत्तरदायित्व पर, अथवा

(ख) किसी स्वत्व पर जो किसी व्यक्ति में उक्त अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व निहित हो चुका हो ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कोई अधिकार अथवा स्वत्व अविवाहिता पुत्री अथवा अविवाहिता बहिन के पक्ष में उत्पन्न अथवा निहित हो चुका हो, ऐसी अविवाहिता पुत्री अथवा अविवाहिता बहिन जीवित हो और उक्त दिनांक तक अविवाहिता रहे तो वह धारा १७१ और १७२ में संशोधन से पूर्व किसी भी बात के होते हुये भी ऐसे अधिकार अथवा स्वत्व की अधिकारिणी रहेगी मानों उक्त धाराओं में किये गये संशोधन सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रभावशील थे ।

१७२-ख--यदि कोई ऐसा सीरदार या अधिवासी जिसने किसी खाते में कोई स्वत्व विधवा पत्नी, माता, पुत्री, पितामही, (father's mother) बहिन, भिन्न माता या पिता से उत्पन्न बहिन (half sister) या पितामह के नाते उत्तराधिकार में पाया हो, ऐसी भूमि में धारा १३४ या २३५ के अधीन भूमिधर के अधिकार उपार्जित करले, तो इस प्रकार उपार्जित अधिकारों के संबंध में यह समझा जायगा कि वे धारा १७२ तथा १७३ के अधीन उत्तराधिकार के प्रयोजनों के निमित्त यथास्थिति अंतिम पुंजातीय सीरदार या अधिवासी के खाते के परिवर्द्धित अधिकार (accession to holding) हैं ।"

[उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा १७८ से १८२ तक का निकाला जाना ।]

[२३--मूल अधिनियम की धारायें १७८ से १८२ तक निकाल दी जायं ।]

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १७८ का संशोधन ।

२३--मूल अधिनियम की धारा १७८ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(१) उपधारा (३) में की गई व्यवस्था को छोड़कर, जब कभी किसी बंटवारे के वाद (Suit) में न्यायालय को ज्ञात हो कि बंटने वाले खाते अथवा खातों का कुल क्षेत्र ३ १/८ एकड़ से अधिक नहीं है तो न्यायालय खाता अथवा खातों को बांटने के बजाय उसकी बिक्री का तथा बिक्री से प्राप्त आय के वितरण का आदेश देगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ में नई धारा १८२-क तथा १८२-ख का रखा जाना ।

२३-क--मूल अधिनियम की धारा १८२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १८२-क तथा १८२-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

१८२-क--कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ५४ तथा आर्डर २०, रूल १८ के निदेश किसी खाते के बटवारे के वाद पर लागू होंगे मानो वह खाता ऐसा आस्थान हो जिस पर सरकार को अदा करने के लिये मालगुजारी निर्धारित की गई हो ।

१८२-ख---(१) धारा १७८ से १८२ तक के निदेशों में की गई व्यवस्था को छोड़कर, किसी खाते का बटवारा या उसमें किसी भूमिधर या सीरदार के अंश का पृथक्करण (separation) कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा इस संबंध में नियुक्त किये गये असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा, बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार, किया जायगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन नियम बनाने के अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :

(क) खाते तथा प्रत्येक फरीक को प्रदिष्ट किये जाने वाले खाते के भागों का मूल्यांकन,

(ख) फरीकों के भागों को पृथक करने की रीति,

(ग) आपत्तियों को प्रस्तुत करने और उनकी सुनवाई तथा निस्तारण के संबंध में काम में लाई जाने वाली प्रक्रिया।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १८६ का संशोधन।

२३-ख---मूल अधिनियम की धारा १८६ में---

(१) उपधारा (१) में---

(क) शब्द "खाता" और शब्द "लगातार" के बीच में शब्द "अथवा उसका भाग" बढ़ा दिये जांय,

(ख) शब्द "खाता" और शब्द "परित्यक्त" के बीच में शब्द "अथवा उसका भाग, जैसी भी दशा हो" बढ़ा दिये जांय;

(२) उपधारा (३) में शब्द "खाता" और शब्द "परित्यक्त" के बीच में शब्द "अथवा उसका भाग, जैसी भी दशा हो" बढ़ा दिये जायं;

(३) उपधारा (४) में---

(क) शब्द "खाते को" और शब्द "परित्यक्त" के बीच में शब्द "अथवा उसके भाग को, जैसी भी दशा हो" बढ़ा दिये जायं,

(ख) शब्द "खाते के" और शब्द "विषय में" के बीच में शब्द "अथवा उसके भाग के" बढ़ा दिये जायं, तथा शब्द "विषय में" और शब्द "यह" के बीच में शब्द "जैसी भी दशा हो" बढ़ा दिये जायं।

स्पष्टीकरण---जब किसी खाते का साढ़े बारह एकड़ से अधिक कोई भाग उपर्युक्त से सम्बद्ध प्रयोजनार्थ लगातार दो कृषि वर्षों तक न प्रयुक्त हो तो तहसीलदार यह परिकल्पित (presume) कर सकता है कि उक्त भाग परित्यक्त है।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ में नई धारा १८७-क का बढ़ाया जाना।

२४---मूल अधिनियम की धारा १८७ के पश्चात् निम्नलिखित नया धारा १८७-क के रूप में रख दी जाय :

"१८७-क---(१) सूचना मिलने पर अथवा अन्य किसी प्रकार जब कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भूमिधर अथवा सीरदार के खाते में सम्मिलित भूमि, जिसका क्षेत्रफल १२ १/२ एकड़ से अथवा ऐसी उच्चतर सीमा से जो किसी जिला विशेष के लिये नियत हो, अधिक हो लगातार विगत ३ वर्षों से कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन के, जिनमें मत्स्य पालन और कुक्कट पालन भी सम्मिलित हैं, प्रयोजनों के लिये प्रयोग में नहीं लायी गयी है तो जब तक धारा १४३ के अधीन तत्सम्बन्धी प्रख्यापन न

प्राप्त कर लिया गया हो, भूमिधर अथवा सीरदार से इस बात का कारण बताने को कहा जा सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को वह भूमि कृषि के प्रयोजनों के लिये लगान पर क्यों न उठा दी जाय ।

(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस में, भूमि के उपर्युक्त प्रयोग में न लाये जाने पर विश्वास करने के कारण, वह अवधि जिसके लिये उसे असामी को उठाये जाने का प्रस्ताव है तथा अन्य ऐसे ब्योरे जो कलेक्टर की राय में सम्बद्ध भूमिधर अथवा सीरदार की सूचना के लिये आवश्यक हों, उल्लिखित होंगे ।

(३) यदि भूमिधर अथवा सीरदार उपस्थित होकर कलेक्टर को संतुष्ट कर देता है कि:

(क) भूमि का प्रयोग उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि के भीतर कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन के, जिनमें मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन भी सम्मिलित हैं, प्रयोजनों के लिये हुआ है,

(ख) उसके उस भूमि को इस प्रकार प्रयोग में न लाने का पर्याप्त कारण था, अथवा

(ग) वह उपधारा (१) में उल्लिखित नोटिस की तामील के दिनांक से ६ मास के भीतर भूमि का प्रयोग कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन के, जिसमें मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, प्रयोजन के लिये करेगा, अथवा धारा १४३ के अधीन प्रख्यापन प्राप्त कर लेगा ।

तो कलेक्टर खंड (क) और (ख) की दशा में तत्काल नोटिस विसर्जित (discharge) कर देगा और खंड (ग) की दशा में उक्त नोटिस की तामील के दिनांक से ६ मास के लिये आज्ञा को स्थगित कर देगा ।

(४) यदि भूमि उपर्युक्त किसी प्रयोजन के लिये प्रयोग में आई हो तो उपधारा (३) के अधीन निश्चित अथवा अन्य किसी ऐसे दिनांक पर जिसपर मामले पर विचार किया जाय, कलेक्टर नोटिस विसर्जित (discharge) कर देगा, अथवा यदि वह कारण अभिलिखित करके अधिक अवधि प्रदान न करे, [तो भूमि प्रबन्धक समिति को निर्देश करेगा कि] तो वह नियत रीति तथा शर्तों के अनुसार किसी असामी को भूमि उठा देगा और धारा १३३ के खंड (ख) में वर्णित वर्ग के असामी से सम्बद्ध इस अधिनियम के सभी निदेश ऐसे असामी पर प्रवृत्त होंगे मानों उसे भूमिधर अथवा सीरदार ने स्वयमेव भूमि उठायी हो ।

(५) यदि उपधारा (१) के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में भूमिधर अथवा सीरदार उपस्थित न हो और कलेक्टर ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, संतुष्ट हो कि भूमिधर या सीरदार उपधारा (१) में अभिदिष्ट अवधि तक भूमि को उपर्युक्त प्रकार से प्रयोग में नहीं लाया है, तो वह यदि नोटिस को विसर्जित करने का निर्णय न करे, [भूमि प्रबन्धक समिति को] नियत की जाने वाली रीति से तथा शर्तों पर किसी असामी को भूमि उठाने के लिये निर्देश कर सकता है तथा धारा १३३ के खंड (ख) में वर्णित वर्ग के असामी से सम्बद्ध इस अधिनियम के सभी निर्देश ऐसे असामी पर प्रवृत्त होंगे मानो उसे भूमिधर अथवा सीरदार ने स्वयमेव भूमि उठायी हो ।

(५-क) कलेक्टर के लिये यह बैध होगा कि वह स्वयमेव भूमि उठाने के बजाय भूमि प्रबन्धक समिति को ऐसा करने का आदेश दे ।

(६) उपधारा (४) या (५) के अधीन असामी को भूमि उठाये जाने की निर्देश करने वाली आज्ञा के विरुद्ध कमिश्नर को अपील हो सकेगी।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा १९८ का संशोधन।

२५—मूल अधिनियम की धारा १९८ में:—

[(१) उपधारा (१) में खंड (क) के पहले निम्नलिखित नये खंड (१-क) के रूप में रख दिया जाय—

"(१-क) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन की शिक्षा देने के प्रयोजनों के लिये स्वीकृत शिक्षा संस्था;"]

(१) उपधारा (१) में—

(क) शब्द और संख्या "या २३७" निकाल दिये जायं;

(ख) खंड (क) के पहले निम्नलिखित नये खंड (१-क) और (२-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

(१-क)—कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन में शिक्षा से सम्बद्ध स्वीकृत शिक्षा संस्था;

"(२-क)—मंडल का निवासी खातेदार जिसकी भूमि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये दिनांक १ जुलाई, १९५२ को अथवा इसके पश्चात् भूमि हस्तगतीकरण (acquisition of land) से सम्बद्ध किसी विधि के निदेशों के अधीन हस्तगत की गई हो।"

(१-क) उपधारा (१) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में रख दिया जाय:—

"स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति भूमिहीन कृषक मजदूर उस दशा में समझा जायगा जब कि उसके कब्जे में उस उच्चतम क्षेत्र से अधिक का भूमि न हो जो कि इस संबंध में राज्य सरकार ने सामान्यतः या किसी क्षेत्र विशेष के लिये निर्धारित किया हो।"

(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(२) परगना अधिकारी उपधारा (१) के अधीन की गयी प्रदेशना (allotment) के विषय में नियत रीति से जाँच स्वयमेव कर सकता है और उपधारा (१) के अधीन दी गयी गांव सभा की आज्ञा से असन्तुष्ट किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर तो उक्त जांच अवश्य ही करेगा, और यदि वह संतुष्ट हो कि गांव सभा ने तात्विक अनियमितता (substantial irregularity) से काम किया है अथवा अन्य किसी प्रकार इस अधिनियम के निदेशों के विरुद्ध कार्य किया है तो वह इस संबंध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा २०२ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा २०२ में:

(१) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(ख) कि वह धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (क), (ख), (ग), (ङ), (छ) तथा (झ) में अथवा उक्त धारा की उपधारा (२) में अथवा धारा १३३ के खंड (ग) या (घ) में उल्लिखित किसी वर्ग का है और उसके पास भूमि वर्षानुक्रम से (year to year) है या ऐसी अवधि के लिये थी जो बीत गयी है या प्रचलित वित्तीय वर्ष (financial year) के अन्त के पूर्व बीत जायगी"।

(२) खंड (ब) में शब्द और संख्या "धारा २१" और शब्द "के खंड (क)" के बीच में शब्द "को उपधारा (१)" रख दिये जयं।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा २०९ का संशोधन।

२७—मूल अधिनियम की धारा २०९ में शब्द "भूमिधर, सीरदार, असामी, गांव सभा या कलेक्टर के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेदखल हो सकेगा और क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा" के स्थान पर शब्द "उक्त खंड (क) में अभिदिष्ट दशाओं में सम्बद्ध भूमिधर, सीरदार अथवा असामी के, और उक्त खंड (ख) में अभिदिष्ट दशाओं में गांव सभा अथवा कलेक्टर के वाद पर बेदखल हो सकेगा और क्षतिपूर्ति (damages) का भी देनदार होगा" रख दिये जाय।

उ०प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा २१२ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा २१२ में शब्द "कलेक्टर या" निकाल दिये जायं।

उ०प्र० अधिनियम १,१९५१ में नई धारा २१२—क से २१२—ग तक का रखा जाना।

२९—मूल अधिनियम की धारा २१२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराओं २१२—क से २१२—ग तक के रूप में रख दिया जाय।

सार्वजनिक उपयोग की भूमि से व्यक्तियों की बेदखली के संबंध में सरसरी प्रक्रिया।

२१२—क—(१) धारा २१२ के निदेशों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना धारा १२१ में उल्लिखित किसी समिति का सभापति, सदस्य या सेक्रेटरी [कोई गांव सभा धारा २१२ के अधीन वाद प्रस्तुत करने के बजाय] धारा २१२ में अभिदिष्ट भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति की भूमि से बेदखली के लिये प्रार्थना पत्र कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र उक्त धारा द्वारा प्रदत्त वाद के अधिकार को हटा कर न होगा किन्तु उससे अतिरिक्त होगा और उसमें नियत किये जाने वाले ब्योरे दिये जायेंगे।

(३) यदि प्रार्थनापत्र में दिये गये ब्योरों से तथा प्रार्थी के सशपथ वक्तव्य (statement on oath) पर विचार करने के पश्चात् कलेक्टर संतुष्ट हो कि कार्यवाही करने का पर्याप्त कारण है तो वह उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिया गया हो, कलेक्टर द्वारा निश्चित अवधि के भीतर उपस्थित होने और इस बात का कारण बताने के लिये कि उसके विरुद्ध बेदखली की आज्ञा क्यों न दी जाय, आज्ञा देगा और उसमें अपने उक्त संतोष के कारण लिख देगा।

(४) यदि उपधारा (३) के अधीन नोटिस के अनुसार वह व्यक्ति उपस्थित न हो अथवा उपस्थित हो किन्तु नोटिस का प्रतिवाद (contest) न करे तो कलेक्टर भूमि से उसको बेदखली की आज्ञा दे सकता है।

(५) यदि वह व्यक्ति उपधारा (३) के अधीन नोटिस के अनुसार उपस्थित हो और आपत्ति (objection) प्रस्तुत करे तो कलेक्टर प्रार्थी [गांव सभा] और आपत्ति करने वाले की तथा उस साक्ष्य की, जो वे प्रस्तुत करें, सुनवाई करेगा।

(६) यदि ऐसी सुनवाई के पश्चात् कलेक्टर को संतोष हो कि धारा २१२ में अभिदिष्ट भूमि पर वह व्यक्ति खातेदार अथवा बागदार के रूप में प्रविष्ट (admit) किया गया था अथवा मध्यवर्ती होते हुये वह ८ अगस्त, १९४६ को अथवा उसके पश्चात् भूमि पर स्वयं खेती करने लगा था अथवा

भूमि पर उसने बाग लगाया था तो वह उस व्यक्ति को ऐसा प्रतिकर दिये जाने पर जो नियत किया जाय, भूमि से बेदखल किये जाने की आज्ञा दे देगा।

(७) यदि [धारा २१२ के अधीन] इस धारा के अधीन कोई प्रार्थनापत्र दिया गया हो अथवा [उक्त धारा के अधीन] बेदखली की आज्ञा दी गई हो तो वह पक्ष, जिसके विरुद्ध ऐसी आज्ञा दी गयी हो, अपने अधिकार को स्थापित करने के लिये वाद निविष्ट कर सकता है (may institute a suit) किन्तु वाद के फल को न बाधित करते हुये उपधारा (४) या (६) में दी गयी आज्ञा निर्णायक (conclusive) होगी।

अवैध बेदखली के उपचार।

२१२—ख—कोई ऐसा असामी जो—

(क) अपने क्षेत्रपति अथवा कोई ऐसे व्यक्ति द्वारा जो क्षेत्रपति के रूप में बेदखल करने का अधिकार रखने का दावा करता हो, या

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उक्त क्षेत्रपति या अन्य व्यक्ति ने अधिवासी या असामी के रूप में या अन्य प्रकार से भूमि उठाई हो या उस पर कब्जा रखने की अनुमति दी हो,

समय विशेष पर प्रचलित विधि के निदेशों से भिन्न किसी अन्य प्रकार से ऐसी भूमि से जो उसके खाते के अन्तर्गत हो, बेदखल किया गया हो या उस पर कब्जा प्राप्त करने से रोका गया हो, उक्त प्रकार से बेदखल करने वाले या कब्जा प्राप्त करने से रोकने वाले व्यक्ति के विरुद्ध—

(१) उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये, तथा

(२) अवैध बेदखली के लिये प्रतिकर के निमित्त, वाद प्रस्तुत कर सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब डिक्री होने के समय कोई वादी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार चालू कृषि वर्ष में बेदखली के योग्य हो तो अध्यासन के लिये डिक्री नहीं दी जायगी;

(२) जब अवैध अध्यासन के उपलक्ष में प्रतिकर के लिए डिक्री दी जाय किन्तु कब्जे के लिये न दी जाय तो दिया जाने वाला प्रतिकर उस सारी अवधि के लिये होगा जिसमें असामी कब्जा रखने का अधिकारी था।

(३) वह असामी जिसने केवल कब्जे के लिये वाद प्रस्तुत किया हो, अवैधपूर्ण बेदखली के उपलक्ष्य में प्रतिकर के हेतु अलग वाद निविष्ट करने का अधिकारी न होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये भूमि के अन्तर्गत कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये समय विशेष पर प्रयुक्त कोई क्षेत्र नहीं है।

क्षेत्रपति को प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जाना।

२१२ ग—जब कोई असामी धारा २१२—ख की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन उस किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करे जिसे भूमि उठाई गई हो अथवा जिसे कब्जा रखने दिया गया हो, तो क्षेत्रपति अथवा वह व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति का क्षेत्रपति होने का दावा करता हो, प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जायगा।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २१५ का संशोधन ।

३०--मूल अधिनियम की धारा २१५ की उपधारा (३) में शब्द "जो उक्त भूमि में लागू मौरूसी दरों के १३३ १/३ प्रतिशत के बराबर हो" के स्थान पर शब्द "जो उस भूमि पर लागू मौरूसी दरों से गणना की गयी धनराशि के दुगुने से अधिक न हो" रख दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २२९ का संशोधन ।

३१--मूल अधिनियम की धारा २२९ में शब्द "वादी" के स्थान पर शब्द "गांव सभा" रख दिया जाय ।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ में [नयी] धारा २२९-क से २२९-घ तक का जोड़ा जाना ।

३२--मूल अधिनियम की धारा २२९ के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराओं २२९-क से २२९-घ तक के रूप में बढ़ा दिया जाय : [धारा २२९-क के रूप में बढ़ा दिया जाय]

खाते पर अनधिकार प्रवेश ।

२२९-क--यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी खाते से या उसके किसी भाग से बेदखली की डिक्री या आज्ञा इस अधिनियम के या यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के निदेशों के अधीन निष्पादित की जा चुकी हो, उक्त खाते पर इस प्रकार प्रवेश करे या प्रवेश करने का प्रयत्न करे, जो विधि के निदेशों के अधीन या अनुसार न हो तो उसके विषय में यह समझा जायेगा कि उसने इंडियन पेनल कोड की धारा ४४१ के अर्थ में काबिज व्यक्ति को धमकाने या परेशान करने के उद्देश्य से (with intent to intimidate or annoy the person in possession) ऐसा किया है ।

"अधिकारों" के प्रख्यापन के लिये असामी द्वारा वाद ।

२२९-ख-(१) कोई व्यक्ति जो एकशः अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से असामी होने का दावा करता हो, क्षेत्रपति के विरुद्ध इस प्रख्यापन के लिये कि यह असामी है अथवा इस प्रख्यापन के लिये कि वह खाते का संयुक्त असामी है, जैसी भी दशा हो, वाद प्रस्तुत कर सकता है ।

(२) इस धारा के अधीन किसी भी वाद में कोई भी व्यक्ति जो क्षेत्रपति द्वारा असामी के रूप में भूमि रखने का दावा करता हो, फरीक बनाया जायगा ।

असामी का दावा रखने वाले व्यक्ति के अधिकारों के प्रख्यापन के लिये वाद ।

२२९-ग--किसी भी भूमि का भूमिधर अथवा सीरदार किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी भूमि का असामी होने का दावा रखता हो, उक्त व्यक्ति के अधिकारों के प्रख्यापन के लिये, वाद प्रस्तुत कर सकता है ।

समादेश (Injunction) के लिये व्यवस्था ।

२२९-घ---धारा २२९-क और २२९-ख के निदेशों के अधीन यदि किसी वाद के दौरान में शपथ-पत्र द्वारा अथवा अन्य प्रकार से निम्नलिखित बातें सिद्ध कर दी जायं तो न्यायालय अस्थायी समादेश (injunction) दे सकता है और जिस दशा में रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक हो उसमें उसे नियुक्त कर सकता है ।

(क) कि किसी सम्पत्ति, वृक्ष अथवा फस्ल को, जो विवादग्रस्त भूमि पर खड़ी हो, बेकार जाने, नुक्सान होने अथवा वाद के किसी पक्ष द्वारा संक्रामित किये जाने का भय है, अथवा

(ख) वाद का कोई फरीक न्याय के लक्ष्य को नष्ट करने के लिये उक्त सम्पत्ति, वृक्ष अथवा फस्लों को हटाने अथवा निस्तारित करने की धमकी देता है अथवा ऐसा करने का इरादा रखता है।

३२—क—मूल अधिनियम की धारा २३१ की उपधारा (१) में शब्द "और २३७" निकाल दिये जायं तथा संख्या २३३ तथा २३४ के बीच में शब्द "और" रख दिया जाय। — उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा २३१ का संशोधन।

[३३—मूल अधिनियम की धारा २३२ की उपधारा (१) में संख्या और शब्द "१८ मास" के स्थान पर शब्द "३० मास" रख दिये जायं।]

३३—मूल अधिनियम की धारा २३२ में:— — उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा २३२ का संशोधन।

(१) उप-धारा (१) में संख्या तथा शब्द "१८ मास" के स्थान पर संख्या तथा शब्द "३० मास" रख दिये जायं, और

(२) उप-धारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा (५) तथा (६) के रूप में रख दिया जाय—

(५) यदि किसी व्यक्ति ने निहित होने के दिनांक के पूर्व वैध रूप से किसी भूमि पर ऐसी उन्नति की हो जिसकी परिभाषा यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में की गई है और वह ऐसी भूमि से उप-धारा (१) के अधीन बेदखल कर दिया जाय तो असिस्टेंट कलेक्टर उप-धारा (४) के अधीन आज्ञा देते समय ऐसे व्यक्ति को ऐसी उन्नति के लिये प्रतिकर दिये जाने का आदेश देगा और प्रतिकर की धनराशि का अवधारण यथासम्भव उस रीति से और उन सिद्धांतों के अनुसार किया जायगा जो इस संबंध में यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के अध्याय ५ में उल्लिखित हैं।

(६) उप-धारा (४) के अधीन दखल दिहानी की आज्ञा इस प्रतिबन्ध के साथ दी जायगी कि अधिवासी उपधारा (५) के अधीन देय प्रतिकर की धनराशि का भुगतान उस अवधि के भीतर कर दे जो असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा इस बारे में निश्चित की जाय।

३४—मूल अधिनियम की धारा २३२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा २३२—क के रूप में रख दिया जाय: — उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ में एक नयी धारा २३२—क का रखा जाना

"२३२-क—धारा २०९ के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ किसी अधिवासी पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह [अधिवासी] असामी रहा हो"। — धारा २०९ के अधीन अधिवासी का बेदखली का अधिकार।

३५—मूल अधिनियम की धारा २३३ में संख्या और शब्द "के १३३ १/३ प्रतिशत के बराबर" के स्थान पर शब्द "का दूना" रख दिये जायं। — उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा २३३ का संशोधन।

३६—मूल अधिनियम की धारा २३३-क में संख्या और शब्द "१३३ १/३ प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "दूने" रख दिया जाय। — उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा २३३ का संशोधन।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३४ का संशोधन।

३६-क--मूल अधिनियम की धारा २३४ में शब्द "धारा २३७ के निदेशों को बाधित न करते हुये" निकाल दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा २३४-क का बढ़ाया जाना।

३६-ख--मूल अधिनियम की धारा २३४ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा २३४-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

धाराओं २१२-ख, २१२-ग और २२९-ख से २२९-घ तक का अधिवासी पर प्रवृत्त होना।

"२३४-क--धाराओं २१२-ख, २१२-ग और २२९-ख से २२९-घ तक के निदेश अधिवासी को इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह असामी हो।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३५ का संशोधन।

३७--मूल अधिनियम की धारा २३५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

["२३५--(१) उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ के प्रारम्भ होने पर सुविधानुसार यथाशीघ्र राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा सब अधिवासियों को आदेश देगी कि वे विज्ञप्ति में निर्धारित अवधि में, जिस भूमि के वे अधिवासी हों उसके उन्हें भूमिधर या सीरदार प्रख्यापित करने के लिये परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दें। विज्ञप्ति में निश्चित की जाने वाली अवधि छः मास से कम न होगी और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न अवधियों की विभिन्न विज्ञप्तियाँ जारी की जा सकती हैं किन्तु पूर्वोक्त प्रतिबन्धों को बाधित न करते हुये जेनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा २१ के निदेश इस पर लागू होंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अधिवासी को अधिकार होगा कि वह भूमि का भूमिधर या सीरदार प्रख्यापित किये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दे।

(३) उपधारा (२) के अधीन दिया गया प्रार्थना-पत्र ऐसे आकार में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे जो नियत किये जायं और उसके साथ निम्नलिखित धनराशि जमा करना आवश्यक होगा--

(क) यदि अधिवासी का क्षेत्रपति भूमिधर हो तो ऐसी धनराशि जो लागू मौरूसी दरों से लगाये गये लगान की १५ गुनी के बराबर हो, और

(ख) यदि अधिवासी का क्षेत्रपति सीरदार हो तो ऐसी धनराशि जो उक्त क्षेत्रपति द्वारा उक्त भूमि के लिये देय मालगुजारी के क्रमशः १५ गुनी या ५ गुनी के बराबर हो, यह देखते हुये कि अधिवासी भूमिधर, प्रख्यापित किये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र देता है या सीरदार प्रख्यापित किये जाने के लिये :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खाता दो या अधिक अधिवासियों के पास संयुक्त रूप से हो, तो देय धनराशि कुल खाते के उपर्युक्त अवधारित अथवा देय लगान का १५ गुना या ५ गुना, जैसी भी दशा हो, होगी।

(४) उपधारा (२) या (३) में किसी बात से किसी अधिवासी को सीरदार प्रख्यापित किये जाने का अधिकार न होगा यदि उसका क्षेत्रपति उक्त भूमि का भूमिधर है।

(५) धारा १३४, १३५ और १३७ के निदेश (सिवाय उनके जो किस्त में रुपया जमा करने के संबंध में हैं) जहां तक सम्भव हो, उपधारा (२) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और उसकी सुनवायी के संबंध में लागू होंगे।

(६) यदि असिस्टेंट कलेक्टर को संतोष हो कि प्रार्थना-पत्र उचित प्रकार से दिया गया है तो वह क्षेत्रपति को नोटिस जारी करेगा कि वह उसके विपरीत कारण बताये। यदि क्षेत्रपति नोटिस के प्रत्युत्तर में उपस्थित नहीं होता अथवा वह उपस्थित होकर आपत्ति करता है और उसकी सुनवायी करने पर असिस्टेंट कलेक्टर को संतोष हो जाता है कि प्रार्थी प्रख्यापन का अधिकारी है तो वह प्रख्यापन कर देगा। धारा १३४, १३५ और १३७ के निदेश जहां तक हो सके इस धारा के अधीन प्रार्थी की सुनवायी में लागू होंगे।

(७) ऐसे अधिवासी की जो इसके लिये निर्धारित अवधि में उपधारा (२) और (३) के अनुसार प्रार्थना-पत्र नहीं देता है, क्षेत्रपति के वाद पर, अवधि व्यतीत होने पर भूमि से बेदखली हो सकेगी, मानो वह ऐसा व्यक्ति था जो इस अधिनियम के निदेशों के प्रतिकूल तथा क्षेत्रपति की अनुमति बिना कब्जा किये हुये या रक्खे हुये था।]

अधिवासी द्वारा भूमिधर तथा सीरदार के अधिकारों का उपार्जन।

२३५—(१) उपधारा (७) के निदेशों को बाधित न करते हुये कोई भी अधिवासी असिस्टेंट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उसे उस भूमि का भूमिधर अथवा सीरदार प्रख्यापित करने की आज्ञा दी जाय जिसका कि वह अधिवासी हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र ऐसे आकार में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे जो नियत किये जायं और उसके साथ निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी:—

(क) जब अधिवासी का क्षेत्रपति ऐसा भूमिधर हो

(१) जिसे अथवा जिसके पूर्वाधिकारी को संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट) १९४९ ई० की धारा ६ में अभिदिष्ट प्रख्यापन दिया जा चुका हो अथवा इस अधिनियम की धारा १३७ के अधीन प्रमाणपत्र दिया गया हो तो उस लगान या मालगुजारी की धनराशि का १५ गुना जिसके आधार पर उसने संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट) १९४९ ई० की धारा ३ के अधीन अथवा इस अधिनियम की धारा १३४ के अधीन जैसी भी दशा हो, रुपया जमा किया हो;

(२) जो उपखंड (१) में अभिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न हो तो लागू मौरूसी दरों के आधार पर आकलित लगान का १५ गुनी धनराशि।

(ख) यदि अधिवासी का क्षेत्रपति सीरदार हो और अधिवासी भूमिधर या सीरदार प्रख्यापित किये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दे, तो क्षेत्रपति द्वारा ऐसी भूमि के लिये देय मालगुजारी की क्रमशः १५ गुनी या ५ गुनी धनराशि।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब खाता दो या अधिक अधिवासियों के पास संयुक्त रूप से हो तो सारे खाते के लिये उपर्युक्त प्रकार से आकलित या भुगतान किये जाने वाले लगान या मालगुजारी का १५ गुना अथवा ५ गुना जैसी भी दशा हो।

स्पष्टीकरण--खंड (ख) में खाते के लिये देय मालगुजारी निम्नलिखित समझी जायगी--

(१) जब अधिवासी का खाता सीरदार के खाते का भाग हो तो नियत रीति से विभक्त धनराशि, तथा

(२) जब सीरदार द्वारा देय मालगुजारी लागू मौरूसी दरों पर आकलित मालगुजारी की धनराशि से दुगुनी हो तो इस प्रकार आकलित धनराशि,

(३) उपधारा (१) अथवा (२) में कोई भी बात अधिवासी को सीरदार प्रख्यापित करने का अधिकार न देगी यदि उसका क्षेत्रपति खाते का भूमिधर हो,

(४) यदि असिस्टेंट कलेक्टर को संतोष हो कि प्रार्थना-पत्र यथावत् दिया गया है तो वह प्रख्यापन करेगा।

(५) धारा १३४, १३५ तथा १३७ के निदेश, उनको छोड़कर जिनका संबंध किस्तों द्वारा जमा से है, जहां तक यहां पर व्यवस्था नहीं की गई है इस धारा के अधीन प्रार्थना-पत्र पर लागू होंगे।

(६) उपधारा (४) के अधीन प्रख्यापन होने पर प्रार्थी खाते का भूमिधर अथवा सीरदार, जैसी भी दशा हो, हो जायगा और उसे निम्नलिखित प्रकार से मालगुजारी देनी होगी: अर्थात्

(क) यदि क्षेत्रपति उपधारा (२) के खंड (क) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट भूमिधर हो तो क्षेत्रपति द्वारा देय मालगुजारी की धनराशि तथा जब वह ऐसा भूमिधर हो जिस पर उक्त खंड (क) का उपखंड (२) लागू होता हो तो उक्त उपखंड के अधीन आकलित लगान का आधा।

(ख) जब क्षेत्रपति सीरदार हो

(१) यदि अधिवासी भूमिधर बन गया हो तो उपधारा (३) के खंड (ख) के अनुसार देय मालगुजारी का आधा, और

(२) यदि वह सीरदार बन गया हो तो उक्त खंड के अनुसार देय मालगुजारी की पूरी धनराशि :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन दशाओं में जब खाता दो या दो से अधिक अधिवासियों के संयुक्त अधिकार में हो, सभी अधिवासी भूमिधर अथवा सीरदार जैसी दशा हो, हो जायेंगे।

(७) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके विज्ञप्ति के दिनांक से छः मास पश्चात् एक दिनांक निश्चित करेगी जिसके व्यतीत होने पर अधिवासी को उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार न रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न अवधि वाली विभिन्न विज्ञप्तियां जारी की जा सकती हैं।

(८) जब कोई भी अधिवासी उपधारा (७) के अधीन इस प्रयोजन के लिये निश्चित दिनांक से पूर्व उपधारा (१) तथा (२) के निदेशों के अनुसार प्रार्थना-पत्र देने में असफल रहे तो ऐसा दिनांक व्यतीत हो जाने के पश्चात् वह भूमि का अधिवासी न रहेगा और वह तत्पश्चात् उस भूमि का वर्षानुक्रम से होने वाला असामी समझा जायगा।

(९) इस धारा में कोई भी बात किसी ऐसे अधिवासी के खाते पर लागू न होगी जिस पर अनुसूची ५ के परिच्छेद ४ के निदेश लागू होते हों।

३८––मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २३६, धारा २३६ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय––

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३६ का संशोधन।

"(२) यदि किसी अधिवासी ने धारा २३५ के निदेशों के अनुसार सीरदार के अधिकार और स्वत्व उपार्जित कर लिये हों तो राज्य सरकार क्षेत्रपति को अधिवासी द्वारा उक्त धारा की उपधारा [(२)] (३) के अधीन जमा की हुई कुल धनराशि दे देगी।

३९––मूल अधिनियम की धारा २३७ निकाल दी जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३७ का निकाला जाना।

३९-क––मूल अधिनियम की धारा २४० की उपधारा (२) के खंड (क) से (घ) तक निकाल दिये जायं।

उ०प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४० का संशोधन।

४०––मूल अधिनियम की धारा २४६ की उपधारा (१) में;

(१) खंड (क) में शब्द "उक्त दिनांक" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायं।

(२) खंड (ग) के अन्त के प्रतिबन्धात्मक खंड को खंड (क) में प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में संक्रामित किया और पढ़ा जाय, और

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४६ का संशोधन।

[खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि उपर्युक्त लगान लागू मौरूसी दरों के अनुसार लगाये गये लगान की धनराशि के दुगुने से अधिक हो तो मालगुजारी उस धनराशि के बराबर होगी जो ऐसी दरों के अनुसार लगायी गयी हो"।

(३) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३) के रूप में रख दिया जाय :--

(३) जब उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन सीरदार द्वारा देय मालगुजारी लागू मौरूसी दरों के आधार पर आकलित धनराशि के दुगुने से अधिक हो तो सीरदार परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर को इस प्रकार आकलित धनराशि के अनुसार मालगुजारी में कमी करने का प्रार्थना-पत्र दे सकेगा।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४७ का संशोधन।

४१--मूल अधिनियम की धारा २४७ में--

(१) शब्द "रहते हुये भी" और शब्द "किसी सीरदार" के बीच में शब्द "किन्तु उक्त धारा की उपधारा (१) के खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड को बाधित न करते हुये" रख दिये जायं।

(२) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में अन्त में बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह भूमि जो सीरदार को उठायी गयी हो, ऐसी भूमि रही हो जिस पर उसको कब्जा दिये जाने के दिनांक से ठीक पहले लगातार तीन वर्षों से अधिक तक खेती न की गयी हो, तो कलेक्टर भूमि के प्रकार और वर्ग का ध्यान रखते हुए यह आदेश दे सकता है कि निहित होने के दिनांक से ऐसी अवधि तक जो सात वर्षों से अधिक न हो, उक्त भूमि के लिये देय मालगुजारी क्रमिक मान (graduated scale) के अनुसार या अन्यथा ऐसी कम की हुयी धनराशि होगी जिसे वह निश्चित करे।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४७-क का संशोधन।

४२--मूल अधिनियम की धारा २४७-क में शब्द "के सहित" और शब्द "के संबंध में" के बीच में आये हुये शब्द "लगान" के स्थान पर शब्द "भूमि" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २६८ का संशोधन।

४३--मूल अधिनियम की धारा २६८ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(३) इसी प्रकार राज्य सरकार असामी द्वारा गांव समाज को देय लगान किसी भी अवधि के लिये छोड़ सकती है या स्थगित (suspend) कर सकती है।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २९४ का संशोधन।

४४--मूल अधिनियम की धारा २९४ की उपधारा (२) के खंड (क) के पश्चात् नये खंड (कक) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(कक) धारा २४७ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन मालगुजारी के अवधारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३०५ का संशोधन ।

४५--(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३०५ को पुनः परिगणित करके धारा ३०५ की उपधारा (१) के रूप में रख दिया जाय।

(२) पुनः परिगणित धारा ३०५ की उपधारा (१) में शब्द "ऐसे सिद्धांतों पर" के स्थान पर शब्द "जो उपधारा (२) के अनुसार अवधारित किया जाय" रख दिये जायं, और

(३) पुनः परिगणित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय :

"(२) प्रतिकर की धनराशि, भूमिधरों की दशा में मौरूसी दरों के अनुसार मूल्यांकन की [२५] ३५ गुनी या उनके द्वारा देय मालगुजारी की [५०] ७० गुनी, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी और सीरदारों की दशा में उन्नति एवं पेड़ों के लिये ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त जो प्रार्थी तथा फार्म के सदस्यों में तय हो जाय या जो उनमें मतभेद होने की दशा में कलेक्टर द्वारा निश्चित किया जाय उक्त मूल्यांकन की [१०] १५ गुनी होगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमिधर या सीरदार द्वारा देय मालगुजारी मौरूसी दरों के अनुसार मूल्यांकन से कम हो, तो भूमिधरों की दशा में मूल्यांकन तथा मालगुजारी के अन्तर के १० गुना के बराबर धनराशि और सीरदारों की दशा में ऐसे अन्तर की ५ गुनी धनराशि प्रतिकर में बढ़ा दी जायगी।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३१४ का संशोधन ।

४६--मूल अधिनियम की धारा ३१४ की उपधारा (४) के अन्त में आये हुये शब्द "कर सकता है" के स्थान पर शब्द "करेगा" रख दिया जाय ।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३३२ क का संशोधन ।

४६-क--मूल अधिनियम की धारा ३३२ की उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (५) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

(५) इस बात से कि कोई व्यक्ति किसी भूमि का अधिवासी या असामी है या नहीं, यह नहीं समझा जायगा कि उपधारा (१) के अन्तर्गत आगम का प्रश्न (question of title) उठता है।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नयी धारा ३३२-क और ३३२-ख का रखा जाना ।

४७--मूल अधिनियम की धारा ३३२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३३२-क [और ३३२-ख] के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

[३३२--क (१) यदि किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये किसी भूमि संबंधी वाद में यह प्रश्न उठे कि वाद का कोई पक्ष उस भूमि का असामी है या नहीं और यदि उस प्रश्न का निर्णय किसी अधिक्षेत्र युक्त न्यायालय (court of competent jurisdiction) द्वारा उसके पूर्व न हो चुका हो तो दीवानी न्यायालय उस प्रश्न के सम्बन्ध में विचारणीय विषय (issue) निश्चित करेगा और बाद का अभिलेख (record) परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर के पास उस विचारणीय विषय का ही निर्णय करने के लिए भेज देगा ।

स्पष्टीकरण--असामी होने के अभ्युक्ति (plea) से जो स्पष्टतः असमर्थनीय (untenable) हो और जो केवल दीवानी न्यायालय के

अधिक्षेत्र को हटाने के अभिप्राय से उठायी गयी हो, यह न समझा जायगा कि उपर्युक्त प्रकार का प्रश्न उठता है ।

(२) परगने का अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर विचारणीय विषय को, यदि आवश्यक हो, पुनः निश्चित करके केवल ऐसे विचारणीय विषय का ही निर्णय करेगा और उस सम्बन्ध में अपनी उपपत्ति (finding) सहित अभिलेख को उस दीवानी न्यायालय के पास वापस भेज देगा जिसने उसे प्रस्तुत किया हो ।

(३) तब दीवानी न्यायालय अभिदिष्ट विचारणीय विषय (issue) पर परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर की उपपत्ति (finding) को स्वीकार करके वाद का निर्णय आरम्भ करेगा।

(४) असिस्टेंट कलेक्टर को अभिदिष्ट विचारणीय विषय पर, उसकी उपपत्ति (finding), अपील के प्रयोजनों के लिये, दीवानी न्यायालय की उपपत्ति (finding of civil court) का भाग समझी जायगी।

"३३२—ख-इस धारा के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ, ऐसे वाद के सम्बन्ध में लागू होंगे, जिसमें यह प्रश्न उठे कि वाद का कोई पक्ष भूमि का अधिवासी है या नहीं" ।

प्रक्रिया जब असामी होने की अभ्युक्ति (plea) दीवानी न्यायालय में की जाय ।

३३२—क—यदि ऐसे किसी भूमि संबंधी वाद में जो उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ के पश्चात् दीवानी न्यायालय में निविष्ट हुआ हो अथवा यदि उक्त प्रारम्भ के पूर्व निविष्ट हुआ हो और उसमें डिग्री न हो चुकी हो, यह प्रश्न उठता हो या उठाया जाय कि वाद का कोई पक्ष भूमि का अधिवासी अथवा असामी है या नहीं और ऐसा प्रश्न पहले किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त समक्ष न्यायालय द्वारा निर्णीत न हुआ हो तो दीवानी न्यायालय इस प्रश्न पर विचारणीय विषय (issue) निश्चित करके कलेक्टर के पास केवल उसी विचारणीय प्रश्न के निर्णयार्थ अभिलेख भेज देगा ।

स्पष्टीकरण—अधिवासी अथवा असामी होने की कोई भी ऐसी अभ्युक्ति (plea) जो स्पष्टतः अग्राह्य हो अथवा जो केवल दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्वासित करने के लिये उठाई गई हो उक्त प्रश्न को उठाने वाली न समझी जायगी ।

(२) कलेक्टर, यदि आवश्यक हो तो उस विचारणीय विषय को पुनः निश्चित करने के पश्चात् केवल उसी प्रश्न को निर्णीत करेगा और तत्पश्चात् अपनी उपपत्ति (finding) के साथ अभिलेख को उस दीवानी न्यायालय के पास भेज देगा जिसने उसे प्रस्तुत किया था ।

(३) कलेक्टर स्वयमेव विचारणीय विषयों को निर्णीत करने के बजाय उसे सक्षम अधीनस्थ माल न्यायालय को संक्रामित कर सकता है और वह यदि आवश्यक हो तो विचाराधीन विषयों को फिर से निश्चित करके उनका निर्णय करेगा और अपनी उपपत्ति के सहित अभिलेख को कलेक्टर द्वारा दीवानी न्यायालय के पास भेज देगा ।

(४) दीवानी न्यायालय कलेक्टर अथवा उस अधीनस्थ माल न्यायालय की तजवीज को जिसे विचारणीय विषय अभिदिष्ट किया गया था मानते हुये वाद (suit) का निर्णय करेगा ।

(५) कलेक्टर अथवा उस अधीनस्थ माल न्यायालय की उपपत्ति जिसे विचारणीय विषय अभिदिष्ट किया गया हो अपील के प्रयोजनों के लिये दीवानी न्यायालय की उपपत्ति का अंश समझा जायगा।

[४८—मूल अधिनियम की धारा ३३७ में शब्द "भागों में" और शब्द "स्थित हो" के बीच में शब्द "या मिर्जापुर जिले के उस भाग में जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है," रख दिये जांय।]

४८—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३३७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ की धारा ३३७ का संशोधन।

"३३७—इस अधिनियम के किसी निदेश के अधीन निश्चित किये गये क्षेत्र की गणना करने के प्रयोजनों के निमित्त, निम्नलिखित क्षेत्रों में २ एकड़ १ एकड़ के रूप में गिना जायेगा —

(क) बुंदेलखंड,

(ख) इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा जिलों के जमुनापारी भाग,

(ग) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है,

(घ) अनुसूची ६ की सूची क में उल्लिखित गांवों को छोड़कर मिर्जापुर जिले में तहसील सदर के टप्पा उपरौध और टप्पा चौरासी बलई पहाड़,

(ङ) मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज तहसील का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है,

(च) परगना सकटेशगढ़ और मिर्जापुर जिले के तहसील चुनार के परगना अहरौरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव जो अनुसूची ६ की सूची 'ख' और 'ग' में उल्लिखित हैं।"

४८—क—मूल अधिनियम की धारा ३४३ के पश्चात निम्नलिखित नयी धारा ३४३—क के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

गांव समाज या स्थानीय अधिकारिकी द्वारा या उनके विरुद्ध प्रस्तुत किये गये वादों में राज्य सरकार फरीक होगी।

"३४३—क किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी यदि राज्य सरकार ऐसा नियत करे तो वह किसी ऐसे वाद या वादों में फरीक बनायी जायगी जो धारा ११७ या ११७—क के अधीन उसमें निहित भूमि या अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन गांव समाज या स्थानिक अधिकारिकी द्वारा या उनके विरुद्ध निविष्ट किये जायं।"

४८—ख—मूल अधिनियम की धारा ३४४ की उप-धारा (१) में—

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३४४ का संशोधन।

"(क) खंड (घ) में शब्द "देने" और शब्द "और" के बीच में कामा रखकर शब्द "वाद प्रस्तुत करने" रख दिये जायं।

(ख) खंड (ङ) में शब्द "अधीन" और शब्द "अपील" के बीच में कामा रखकर शब्द "वाद" बढ़ा दिया जाय।

(ग) खंड (च) में शब्द "(applications)" और शब्द "अपीलों" के बीच में शब्द "वादों," रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की अनुसूची २ में संशोधन ।

४९—मूल अधिनियम की अनुसूची २ में :

(क) क्रम संख्या ६-क के सामने इन्दराज के स्तम्भ ४ में शब्द "असिस्टेन्ट कलेक्टर" के पश्चात् शब्द "प्रथम श्रेणी" बढ़ा दिये जायं ।

(कक) क्रम संख्या ११ के इन्दराज के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या ११-क पर नये इन्दराज के रूप में रख दिया जाय :—

१	२	३	४	५	६
११-क	२१२-ख	भूमि पर क़ब्ज़ा प्राप्त करने या अवैध रूप से बेदखल किये जाने के कारण प्रति-कर के लिये वाद	प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर	कमिश्नर	बोर्ड

(ख) क्रम संख्या १४ के सामने इन्दराज के स्तम्भ ३ में तदैव (ditto) के चिन्ह के स्थान पर शब्द "परगना के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर" रख दिये जायं ।

(खख) क्रम संख्या १६ के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या १६-क और १६-ख पर नये इन्दराजों के रूप में रख दिये जायं :—

१	२	३	४	५	६
१६-क	२२९-ख	असामी द्वारा अधिकारों के प्रख्यापन के लिये वाद	प्रथम श्रेणी का असिस्टेन्ट कलेक्टर	कमिश्नर	बोर्ड
१६-ख	२२९-ग	असामी होने का दावा रखने वाले व्यक्ति द्वारा अधिकारों के प्रख्यापन के लिए वाद	प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर	कमिश्नर	बोर्ड

(ग) क्रम संख्या १८ के सामने इन्दराज के स्तम्भ २ में से वर्ण, शब्द तथा कोष्ठक "(ख) और (ग)" निकाल दिये जायं ।

५०—मूल अधिनियम की अनुसूची ४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी अनुसूची ५ तथा ६ के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में अनुसूची ५ का बढ़ाया जाना ।

अनुसूची ५

(धारा २६-ख)

इवैकुई प्रापर्टी पर प्रवृत्त होने के सम्बन्ध में अधिनियम के संशोधन ।

१—यदि कोई भूमि किसी इवैकुई के पाकिस्तान को जाने के समय उसकी खुदकाश्त के रूप में अभिलिखित थी, तो अध्याय २ के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसी इवैकुई की खुदकाश्त थी, यद्यपि वह इवैकई उस भूमि पर बाद में निरन्तर खेती न भी करता रहा हो ।

२—(१) ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो इवैकुई प्रापर्टी हो, धारा १६ के अधीन मौरूसी काश्तकार समझा गया हो, उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर कस्टोडियन को निम्नलिखित धनराशि देगा :—

(क) यदि वह उक्त प्रारम्भ से पूर्व उक्त भूमि का भूमिधर बन गया हो, तो ऐसी भूमि के उक्त धारा के अनुसार अवधारित लगान के पांच गुना के बराबर धनराशि, और

(ख) यदि वह भूमिधर न बना हो, तो इस प्रकार अवधारित लगान के १५ गुना के बराबर धनराशि ।

(२) उप-परिच्छेद (sub-para) (१) के अधीन दी गयी धनराशि कस्टोडियन द्वारा सम्बद्ध इवैकुई के लेखे (account) में जमा की जायगी [और उसकी सम्पत्ति का भाग समझी जायगी ।]

(३) यदि उप-परिच्छेद (sub-para.) (१) के अधीन धनराशि का देनदार व्यक्ति उपर्युक्त धनराशि उस अवधि के भीतर जिसकी इस सम्बन्ध में अनुमति दी गयी हो, न दे तो उस भूमि में जिसका वह ऐसा मौरूसी काश्तकार समझा गया था, उसके सब अधिकार, आगम तथा स्वत्व अपहृत (forfeit) हो जायेंगे और १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अध्याय २ के निदेश ऐसी भूमि के सम्बन्ध में सप्रभाव होंगे और यह समझा जायगा कि वे सदैव सप्रभाव रहे हैं मानों धारा १६ का विधान कभी नहीं किया गया था ।

(४) यदि कोई व्यक्ति धारा १६ के अधीन किसी भूमि के केवल एक अंश (share) का ही मौरूसी काश्तकार समझा गया हो तो उप-परिच्छेद (sub-para.) (१) तथा (३) में आये हुए भूमि के अभिदेशों (references) का यह अर्थ लगाया जायगा कि वे केवल ऐसे भाग के ही सम्बन्ध में अभिदेश हैं ।

(५) ऐसी धनराशियां जो उप-परिच्छेद (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट व्यक्ति धारा १३४ के अधीन या संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ के अधीन भूमि में भूमिधरी अधिकारों के उपार्जन के लिये पहले ही दी गयी हों या जो इसके पश्चात् दी जायं, राज्य सरकार द्वारा,

अधिक से अधिक लगान के दस गुन तक, कस्टोडियन को दे दी जायंगी और उनके संबंध में उप-परिच्छेद (sub-para.) (२) के निदेश लागू होंगे।

३—यदि कस्टोडियन ने ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के अधीन या उसके अनुसार किसी ऐसी भूमि को जो इवैकुई प्रापर्टी हो, पट्टे पर उठाया हो तो पट्टों, उनके निरसन और बेदखली से सम्बद्ध ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के निदेश इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, उनके सम्बन्ध में सप्रभाव होंगे।

४—(१) ऐसा व्यक्ति जो धारा २० के खंड (ख) के अधीन किसी ऐसी भूमि का जो इवैकुई प्रापर्टी हो, अधिवासी बन गया हो, उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर कस्टोडियन को ऐसी धनराशि देगा जो ऐसी भूमि के लिये उसके द्वारा देय लगान के २० गुना के बराबर हो।

(२) उप-परिच्छेद (१) के अधीन दी गयी धनराशि कस्टोडियन द्वारा सम्बद्ध इवैकुई के लेखे में जमा की जायगी [और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उसकी सम्पत्ति का भाग है।]

(३) यदि वह व्यक्ति, जो उप-परिच्छेद (sub-para.) (१) के अधीन धनराशि का देनदार हो, उस अवधि के भीतर जिसकी इस सम्बन्ध में अनुमति दी गयी हो, उसे न दे तो उस भूमि में जिसका वह अधिवासी था, उसके सब अधिकार, आगम तथा स्वत्व अपहृत (forfeit) हो जायेंगे और १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अध्याय २ के निदेश ऐसी भूमि के सम्बन्ध में सप्रभाव होंगे और यह समझा जायगा कि वे सदैव सप्रभाव रहे हैं मानों धारा २० को खंड (ख) का कभी विधान ही नहीं किया गया हो।

(४) यदि कोई व्यक्ति धारा २० के खंड (ख) के अधीन किसी भूमि के केवल अंश (share) का ही अधिवासी हुआ हो तो उप-परिच्छेद (sub-para.) (१) और (३) में आये हुए भूमि के अभिदेशों (references) का यह अर्थ लगाया जायगा कि वे केवल ऐसे अंश के ही सम्बन्ध में अभिदेश हैं।

(५) यदि कोई व्यक्ति धारा २१ की उपधारा (२) के अधीन ऐसी भूमि का, जो इवैकुई प्रापर्टी हो, अधिवासी बन जाय तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कस्टोडियन द्वारा उसी प्रकार और उसी हद तक बेदखल किया जा सकेगा जैसे कि ऐसा व्यक्ति जिसने कस्टोडियन से भूमि पट्टे पर ली हो और बेदखली से सम्बद्ध ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के सब निदेश उसको उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे।

५—यदि किसी इवैकुई भूमि (evacuee land) के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठे कि उस भूमि का अध्यासी व्यक्ति धारा १६ तथा १९ के अधीन सीरदार है या नहीं अथवा धारा २० के अधीन उसका अधिवासी है या नहीं तो ऐसा प्रश्न इवैकुई प्रापर्टी के कस्टोडियन द्वारा निर्णीत किया जायगा न कि अन्य किसी न्यायालय अथवा अधिकारिकी द्वारा, और कस्टोडियन का निर्णय एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० में उल्लिखित अपील, पुनर्विचार तथा पुनरीक्षण के निदेशों के अधीन निश्चायक (Conclusive) होगा।

अनुसूची ६

(धारा ३३७)

सूची "क"

जिला मिर्जापुर की तहसील सदर के 'टप्पा चौरसी' और 'बालाई पहाड़' के गांवों की सूची :—

१—मरिहान
२—अतरौरा
३—भदौहा
४—तिसाही
५—जमुई
६—बसाही
७—सोभी
८—मरचा
९—परसोना
१०—चुनियारा
११—लरखुटिया
१२—चौबेपुर
१३—मोहम्मदपुर
१४—बभनी थपनवा
१५—पटेहरा खुर्द
१६—रजौन्हां
१७—हिनौता
१८—सुगापंख खुर्द
१९—सुगापंख कलां
२०—गंगापुर
२१—पाटेवार
२२—डियोढ़ी कलां
२३—बघैला
२४—हसरा
२५—खचाहा
२६—हरिहरा
२७—पाटेहरा कलां (कुबरी पाटेहरा)
२८—ककरध
२९—खरतारा

सूची 'ख'

परगना अहरौरा के गांवों की सूची:—

१—अमडीह
२—बघौर

३—बघरी
४—बनतारा
५—बाट
६—भवानीपुर
७—ढोत्तवा
८—गौरही
९—खमहरिया
१०—खानरजमपुर
११—कुतलूपुर
१२—लोहरा
१३—मद्धूपुर
१४—मझूई
१५—मुबारकपुर
१६—नगनारहरैया
१७—पराही
१८—सुकरूत
१९—तकिया

सूची 'ग'

परगना भागवत के गांवों की सूची:—

१—बनइमलिया
२—जरगालमहाल
३—समरा गढ़ो
४—खटखरिवा
५—खेराडीह
६—तालर
७—चितबिसराम
८—पदरवा
९—हिनौटा
१०—निविया
११—रामपुर गढ़ो
१२—सोनबरसा
१३—विसनपुरा
१४—खमरिया
१५—पुरैनिया
१६—निकैरिका
१७—धनसिरिया
१८—गढ़वा

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१ का संशोधन।

५१—किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, जिसके संबंध में १९५० ई० उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी हो गयी हो, य० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, क्षेत्र के निहित होने के दिनांक से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित सीमा के संशोधित हो जायगा और एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

उ० प्र० अधिनियम ३१, १९५२ की धारा २ का संशोधन।

५२—उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ की धारा २ के खंड (ख) में शब्द तथा संख्या "धारा १८ या १९" के पश्चात् शब्द " या धारा २० के अधीन अधिवासी " रख दिये जायं और यह समझा जाय कि वे सदा ही रखे हुए थे।

स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट की धारा ९ के अधीन डिग्री की इजरा का विरोध करने का अधिकार।

५३—जब स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट, १८७७ की धारा ९ के अधीन किसी भूमि के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक से पूर्व दखलयाबी की कोई डिग्री दी गयी हो और निर्णीत ऋणी (judgement debtor) ने मूल अधिनियम के निदेशों के अधीन भूमि में अधिकार अथवा आगम उपार्जित कर लिया हो तो किसी विधि में किसी भी बात के होते हुये उसे डिक्री के इजरा का विरोध करने का (to resist execution of the decree) अधिकार होगा यदि उसे उक्त अधिकार अथवा आगम के अन्तर्गत दखल रखने का अधिकार हो।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १६ और २० का जहां तक उनकी बनारस में प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधन

५४—बनारस स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेशन आर्डर, १९४९ में पारिभाषित बनारस स्टेट में जहां तक मूल अधिनियम की प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, इसकी धारायें १६ और २० में संख्या '१३५६' जहां कहीं भी आई हो, उसके स्थान पर संख्या '१३५७' रख दी जाय और इसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह सदैव से रखी हुई थी।

५५—(१) मूल अधिनियम की अनुसूची २ की मद संख्या ११—क, १६—क और १६—ख में निर्दिष्ट प्रकार के इस अधिनियम से पूर्व निविष्ट सभी वाद, तथा उक्त आरम्भ से ठीक पहले के दिनांक पर मूलिक न्यायालय (in the Court of first instance) में विचाराधीन समस्त ऐसे वाद, उसी न्यायालय द्वारा सुने और निर्णीत किये जायंगे जिसे अधिनियम की धारा २९ और ३२ द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन न किये जाने पर सुनवाई और निर्णय का अधिक्षेत्र प्राप्त (jurisdiction) होता।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट वादों की समस्त अपीलें, पुनरीक्षण तथा अन्य कार्यवाहियां, इस अधिनियम की धारा २९ और ३२ द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन में किसी भी बात के होते हुये भी, उसी न्यायालय में प्रस्तुत होंगी, सुने जायंगे तथा निर्णीत होंगे जिसमें ऐसी अपील पुनरीक्षण अथवा कार्यवाही की गई होती, यदि उक्त संशोधन न किये गये होते।

अनुसूची

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का संशोधन

धारा ५१

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
१	२१०	(१) उपधारा (१) के खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— "*b* (i) to the Commissioner from orders passed by a Collector or an Assistant Collector First Class or Assistant Collector in-charge of sub-division; (ii) to the Collector from orders passed by an Assistant Collector Second Class or Tahsildar." (२) खंड (सी) निकाल दिया जाय; (३) उपधारा (४) निकाल दी जाय।
२	२१३	धारा २१३ निकाल दी जाय।
३	२१४	उपधारा (३) निकाल दी जाय।
४	२२७	खंड (५) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (५–ए) के रूप में बढ़ा दिया जाय— "(5-*a*) to enquire into and decide applications made under Section 39;"
५	२३४	खंड (बी) निकाल दिया जाय।

उद्देश्य और कारण

जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के निदेशों के प्रवर्तन (application) से निष्क्रांत सम्पत्ति सम्बन्धी विधि (इवैकुई प्रापर्टी ला) के निदेशों को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये उक्त अधिनियम में कुछ परिवर्तन और भूमि व्यवस्था अधिनियम के मालगुजारी संबंधी निदेशों के अनुसार कार्यवाही करने के लगभग दो वर्षों के अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि उक्त अधिनियम में वर्णित भूमि व्यवस्था योजनाओं में कुछ सुधार किये जा सकते हैं, विशेषत: अधिवासियों के विषय में और ऐसे खातों के क्षेत्र के सम्बन्ध में जिनमें खेती नहीं हुयी है। यह भी ज्ञात हुआ है कि यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ तथा उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ के कुछ निदेशों में साधारण संशोधन आवश्यक हैं जिससे कि वे १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की योजना के अनुरूप हो जायं। अतएव यह विधेयक उपर्युक्त प्रयोजनों के निमित्त प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,

माल मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ण'

[देखिये पीछे पृष्ठ ४० पर]

इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विधान सभा की प्रवर समिति की आख्या (Report)

इलाहाबाद युनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ उत्तर प्रदेश सरकारी गजट (असाधारण) दिनांक ३ मई, १९५४ में प्रकाशित हुआ था।

१--प्रवर समिति की बैठक नैनीताल में दिनांक १ जून से ९ जून, १९५४ तक हुई। समिति के समक्ष विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल तथा कोर्ट के सुझाव एवं विधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधन थे जिनकी नोटिस वे दे चुके थे।

२--समिति की बैठक ५ और ६ अगस्त, १९५४ को लखनऊ में आख्या (Report) को परिनिष्ठित करने एवं हस्ताक्षरित करने के लिये हुई। सभापति को ४ अगस्त को संबोधित, इलाहाबाद युनिवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन का निवेदन-पत्र (representation) भी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

३--समिति द्वारा विधेयक में निम्नांकित प्रमुख परिवर्तनों का सुझाव दिया गया--

(१) मूल अधिनियम की प्रस्तावना (Preamble) का लक्ष्य विश्वविद्यालय को एकात्मक (Unitary) और आवासिक (residential) रूप प्रदान करना है और विश्वविद्यालय को उसे बनाये रखना चाहिये तथा खंड १-ए जो इसे परिवर्तित करना चाहता है, निकाल दिया जाना चाहिये।

(२) 'Student of University' (विश्वविद्यालय का छात्र) की परिभाषा के अन्तर्गत धारा २ (जी० जी०) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संचालित डिप्लोमा अथवा अन्य शैक्षिक सम्मान के हेतु पाठ्यक्रम ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिये।

(३) उन व्यक्तियों के लिये धारा ५(४) में डिप्लोमा प्रदान करने की व्यवस्था, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नहीं हैं, निकाल दी जानी चाहिये।

(४) एक्जीक्यूटिव कौंसिल के अतिरिक्त कोर्ट को भी निरीक्षण अथवा जांच की आख्या पर विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिये। [धारा ८ (३)]

(५) एक्जीक्यूटिव कौंसिल को उप-कुलपति (Vice-Chancellor) की नियुक्ति के संबंध में कुलपति के पास सिफारिश करने में जहां तक हो सके एकमत सिफारिश भेजनी चाहिये। यदि पहली बैठक में मतैक्य न हो सके तो पहली बैठक के पश्चात् दस दिन के भीतर होने वाली दूसरी बैठक में इसके लिये प्रयास करना चाहिये। यदि मतैक्य से एक नाम की सिफारिश की जायगी तो कुलपति उसे उपकुलपति नियुक्त करेंगे। यदि मतैक्य न हो सके और प्रस्तावित नाम तीन से अधिक न हों तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल उन्हें कुलपति के पास प्रस्तुत करेगी। यदि उनकी संख्या तीन से अधिक हो तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल एकल हस्तांतरणीय मत (Single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व शैली से (system of proportional representation) तीन नाम चुनेगी और उन्हें कुलपति के पास अग्रसारित करेगी जो या तो उनमें से किसी एक को उपकुलपति नियुक्त कर देगा अथवा एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास पुनर्विचारार्थ उक्त नामों को अभिदिष्ट करेगा। इस प्रकार तब एक्जीक्यूटिव कौंसिल को पहले भेजे हुये नामों में से एक नाम को मतैक्य से भेजने का अथवा नया नाम भेजने का अवसर मिलेगा। फिर भी यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक मत से सिफारिश भेजने में असमर्थ हो तो वह या तो पहले वाले नाम अथवा उनमें परिवर्धन अथवा परिवर्तन करके कोई भी नाम भेज सकती है,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार प्रस्तुत नामों की संख्या तीन से अधिक न होगी। यदि कुलपति को प्रस्तुत करने के लिये नामों की संख्या तीन से अधिक हो तो कौंसिल एकल हस्तान्तरणीय मत (single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व शैली (system of proportional representation) के अनुसार चुने हुये केवल तीन नाम भेजेगी। कुलपति परिनिष्ठित रूप से सिफारिश किये हुये व्यक्तियों में से किसी एक को उप-कुलपति नियुक्त करेगा।

(६) उप-कुलपति का पारिश्रमिक तथा सेवा के ऐसे प्रतिबन्ध जो अधिनियम में नियत नहीं हैं प्रविधियों (Statutes) द्वारा नियत होने के लिये छोड़ देने चाहिये। किन्तु विधेयक में इस बात की व्यवस्था कर देनी चाहिये कि उपकुलपति के पारिश्रमिक एवं सेवा के प्रतिबन्ध किसी एक ही व्यक्ति के कार्यकाल में उसके निमित्त हानिप्रद रूप से नहीं परिवर्तित किये जायेंगे [धारा ११ (५)] इस प्रयोजन के लिये प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (५) (विधेयक का खंड ८) निकाल दिया जाय तथा उपधारा (८) और (१) संयोजित कर दी जाय।

(७) विधेयक के खंड ९ के अधीन धारा १२ (१) पुनर्लिखित की जाय। "He shall be an *ex-officio* member" से आरम्भ होने वाला द्वितीय वाक्य विधा कर दिया जाय और निम्नलिखित रीति से पुनर्लिखित किया जाय---

> "He shall be an *ex-officio* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council. He shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meetings of any other authority or body of the University but shall not merely by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat."

(८) कुलपति एक्जीक्यूटिव कौंसिल की सिफारिश पर कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल एकमत से किसी व्यक्ति की सिफारिश करती है तो वह तदनुसार नियुक्त कर दिया जायगा। यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक मत न हो तो उसे उप-कुलपति के लिये नियत रीति से तीन से अनधिक नाम भेजना चाहिये और कुलपति को उनमें से एक व्यक्ति को (इसे उपकुलपति के मामलों की भांति पुनर्विचार के लिये बिना अभिदिष्ट किये हुये) नियुक्ति कर देनी चाहिये। [देखिये धारा १३]

(९) कोर्ट के संगठन में (धारा १७)

(क) शिक्षा संचालक पदेन सदस्य होंगे,

(ख) केवल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर [संसक्त (Associated) कालेजों के नहीं] पदेन सदस्य होने चाहिये,

(ग) अधिनियम में विधान मंडल के सदस्यों के स्थानों की संख्या विधान सभा की पांच और विधान परिषद की दो नियत होनी चाहिये,

(घ) कुलपति द्वारा नामांकित सदस्यों की संख्या सात से अधिक नहीं होनी चाहिये,

(ङ) कोर्ट में अविरत अनुपस्थिति के कारण किसी सदस्य के स्थान को रिक्त प्रख्यापित करने का अधिकार कोर्ट में ही निहित होना चाहिये न कि कुलपति में।

(१०) कोर्ट को विश्वविद्यालय के शिक्षण तथा प्रशासन से सम्बद्ध सामान्य नीति के किसी भी विषय पर प्रस्ताव पारित करने का अधिकार होना चाहिये। [धारा १९-ई]

(११) एक्जीक्यूटिव कौंसिल का संविधान व्योरे के साथ धारा २० में उल्लिखित होना चाहिये और बाहरी और भीतरी सदस्यों में समानता के हेतु कुलपति द्वारा नामांकित सदस्यों की संख्या फैकल्टियों के डीनों (Deans of Faculties) की संख्या के बराबर होनी चाहिये। पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होना चाहिये। [देखिये नया खंड १४'ए]

(१२) अधिनियम में निम्नलिखित की व्यवस्था की जानी चाहिए—

(क) एक्जीक्यूटिव कौंसिल को कोर्ट द्वारा पारित प्रस्तावों पर उचित विचार और ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये, जिसे वह उपयुक्त समझे तथा इस कार्य में असमर्थ होने पर उसे तत्संबंधी कारण बतलाने पड़ेंगे [धारा २१ (५)];

(ख) एक्जीक्यूटिव कौंसिल प्रविधियों (Statutes) में उल्लिखित किये जाने वाले प्रतिबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी (Officer or Authority) को अपने कृत्य प्रतिनिधायित कर सकती है [धारा २१];

(ग) एकाडेमिक कौंसिल के सदस्यों की संख्या ५० से अधिक नहीं होनी चाहिये।[धारा २२]

(घ) कोर्ट का कोई भी सदस्य जो कमेटी आफ रेफरेंस (अभिदेश समिति) में कार्य करता हो विश्वविद्यालय का नौकर (Employee) न होना चाहिये [धारा २३];

(ङ) विभाग के अध्यक्षों (Heads of Departments) के कर्त्तव्य, अधिकार और कृत्य आर्डीनेन्सों द्वारा नियत होना चाहिये। [धारा २४]

(१३) पद "Non-Collegiate delegacy" में से जहां कहीं भी यह विधेयक में आया हो शब्द "Non-Collegiate" निकाल दिये जायं। [(धारा ३६-बी)]

(१४) संशोधित धारा २८ में निर्वाचन (election) की व्यवस्था इस प्रकार परिष्कृत की जानी चाहिये कि जहां भी इस अधिनियम द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था की गई हो यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व शैली के अनुसार एकल हस्तान्तरणीय मत द्वारा होना चाहिये और जहां प्रविधि द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था की गई हो तो निर्वाचन प्रविधि (Statutes) में नियत रीति से होना चाहिये।

(१५) धारा २८ की उपधारा (३) [विधेयक के खंड १९-ए के अधीन] पुनर्लिखित किया जाय और उसमें व्यवस्था की जाय कि क्रमानुक्रम रीति (manner of rotation) प्रविधि द्वारा नियत की जाय।

(१६) परीक्षण-काल के बाद, कार्य की आख्या पर विचार करने के पश्चात् शिक्षकों का पुष्टीकरण (confirmation) कर दिया जाय। दस महीने की अथवा उससे कम की अवकाश-रिक्तियों में स्थानापन्न नियुक्तियां एक्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा [अथवा प्रबन्धक वर्ग द्वारा] बिना सेलेक्शन कमेटी (चुनाव समिति) के अभिदेश के की जाय, किन्तु अन्य कोई नियुक्ति जो छः महीने अथवा इससे अधिक संभवतः चलने को हो, बिना ऐसे अभिदेश से न की जाय। [धारा २९]

(१७) चुनाव समिति (धारा २९-ए) के संगठन में केवल दो विशेषज्ञ रहने चाहिये और विभागाध्यक्ष को (जब तक कि वह स्वयं नियुक्ति के लिये पदाभिलाषी न हो) तृतीय विशेषज्ञ मानना चाहिये। वह विशिष्ट सूची (panel) जिसमें से कुलपति विशेषज्ञ चुने, बृहत्तर आधार पर होनी चाहिये। विश्वविद्यालय के अतिरिक्त गवेषणा मंदिरों (research institutes) तथा विद्वत् मंडलियों से विशेषज्ञ बुलाये जाने चाहिये और सभी नाम विशिष्ट सूची में रहने चाहिये। समिति में एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों का चुनाव एकल हस्तान्तरणीय मत द्वारा होना चाहिये। जब संसक्त (Associated) कालेज की नियुक्तियां विचाराधीन हों तब सेलेक्शन कमेटी (चुनाव समिति) में कालेज के प्रिंसपल के अतिरिक्त प्रबन्धक वर्ग का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिये।

(१८) उन दशाओं में जब कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल अथवा प्रबन्धक वर्ग (सेलेक्शन कमेटी) चुनाव समिति की एक मत, सिफारिश अथवा बहुमत एवं दो, विशेषज्ञों द्वारा समर्थित सिफारिश न स्वीकार करे तो मामला कुलपति को अभिदिष्ट होना चाहिये जो नियुक्ति करेंगे। [धारा २९-ए]

(१९) किसी भी दशा में सेलेक्शन कमेटी [चुनाव समिति] का बहुमत निर्णय दो विशेषज्ञों द्वारा समर्थित न होने पर समिति के विचार एक्जीक्यूटिव कौंसिल को संदिष्ट किये जाने चाहिये जो

अपनी सिफारिश तथा विशेषज्ञों के विचारों के सहित मामला कुलपति के पास अभिदिष्ट करेगी जो जिस प्रकार भी उचित समझें नियुक्ति करेंगे। [धारा २९-ए]

(२०) उप-कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी भी वेतन भोगी अधिकारी अथवा शिक्षक के विरुद्ध अनुशासित कार्यवाही [विसर्जन, निष्कासन, पद न्यूनन अथवा वेतन वृद्धि अवरोध के दंड को छोड़कर (short of punishment by dismissal, removal, reduction in rank or stoppage of increment) करने का अधिकार होना चाहिये। उन दशाओं में जब कि विसर्जन, निष्कासन, वेतन वृद्धि अवरोध अथवा पद न्यूनन का दंड उसकी राय में आवश्यक हो तो उसे स्वयं निर्वाचित ऐसे व्यक्ति के परामर्श से, जो हाईकोर्ट का जज हो अथवा रह चुका हो तथा दोनों व्यक्तियों द्वारा अनुयोजित (co-opted) तृतीय व्यक्ति के परामर्श से कार्य करना चाहिये। उप-कुलपति को इस संस्था की सिफारिशें एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने रखनी चाहिये और यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल यह सिफारिश न माने तो मामला कुलपति के पास अभिदिष्ट होना चाहिये। [धारा २९-बी]

इन उपबन्धों को कन्सलटेटिव कमेटी (Consultative Committee) नामक नवीन शीर्षक के अन्तर्गत रखने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें धारा १२ में रख दिया जाय जिसमें ऐसे आवश्यक पारिणामिक (consequential) संशोधन कर दिये जायं जिनसे वर्तमान उपबन्धों से असंगति हट जाय।

(२१) निम्नलिखित विषय धारा ३२ की मदों में, जिसके लिये आर्डीनेंस बनाया जाय, जोड़ दिया जाय।

(*a*) continuance of a student of the University as such;

(*b*) maintenance of a record of the service and activities of teachers and salaried officers of the University ;

(*c*) conditions of service of teachers.

(२२) धारा ३३ को संशोधित करने के लिये विधेयक में एक नया खंड २४-ए के रूप में जोड़ दिया जाय, जिससे वित्तीय महत्व का कोई भी आर्डीनेंस तब तक प्रचलित न हो सके जब तक कि वे कुलपति द्वारा स्वीकृत न हो जाय अथवा जब तक कुलपति के पास प्रस्तुतकरण के पश्चात् दो महीने व्यतीत न हो जायं और कुलपति उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अपना विचार न प्रकट करें।

(२३) धारा ३६-ए (विधेयक का खंड २७) के अधीन यह व्यवस्था की जाय कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल किसी भी संसक्त कालेज (associated college) की मान्यता (recognition) वापस ले सकती है यदि वह संतुष्ट हो कि इत्यादि।

(२४) धारा ४०(१) पुनर्लिखित की जाय।

(२५) संशोधित धारा ४० (२) (ए) के अधीन अनियमित रूप से व्ययित धनराशि का पुनर्भुगतान करने के लिये आज्ञाप्त व्यक्ति को स्पष्टीकरण अथवा निवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का निश्चित समय मिलना चाहिये।

४--समिति ने विधेयक में अन्य अल्प परिवर्तनों का सुझाव दिया है।

५--विधेयक की एक प्रति जिसमें समिति के निर्णयानुसार संशोधन प्रदर्शित हैं, संलग्न है।

६--प्रवर समिति के विचार में विधेयक का पुनःप्रकाशन आवश्यक नहीं है।

(१) गोविन्द वल्लभ पंत
(२) हरगोविन्द सिंह
(३) चन्द्रभानु गुप्त

(४) मंगला प्रसाद

(५) राम नारायण त्रिपाठी *

(६) वजी नक़वी

(७) धर्म सिंह

(८) नेकराम शर्मा

(९) नारायण दत्त तिवारी *

(१०) राधाकृष्ण अग्रवाल

(११) जुगल किशोर

(१२) वीरेन्द्र पति यादव

(१३) कैलाश प्रकाश

(१४) सीता राम

(१५) एस० एन० काटजू

दिनांक ६ अगस्त, १९५४।

---

* असहमति टिप्पणी के अधीन

संसद भवन

Note of dissent on the Report of the Select Committee of the U. P. Legislative Assembly on the Allahabad University (Amendment) Bill, 1954.

THE Allahabad University (Amendment) Bill, 1954, seeks to effect improvements in the constitution and working of the Allahabad University on the basis of the recommendations made by the various bodies, e.g. the U. P. Universities Committee of 1938, the Indian University Education Commission, 1948, the Conference of the Representatives of Universities in the State and the Mootham Enquiry Committee of 1951. The overall defects in the working of the Allahabad University were examined in particular by the Mootham Enquiry Committee which was specially appointed by the U. P. Government under sub-section (1) of section 8 of the Allahabad University Act, 1921, to enquire into and report on certain matters connected with the University, and to make recommendations 'to enable the University to become better fitted for the fulfilment of its various aims and tasks'. While considering this all-important Bill destined to change the University Constitution after 33 years of the original enactment we have to vouchsafe that the amended legislation in its reformatory process unfolds a new pattern of Higher Education for the country and a new deal for the teachers and the taught to enable the University to become really 'an autonomous self-governing corporation with a constitution of such a character that the influence of broad-minded learning may be supreme.' We are sorry to say that the Bill, even as amended by the Select Committee, remains a good deal oblivious to its own mission and even though certain defects of the original Bill have been removed by the Committee, we sincerely feel and wish that the Legislature should fill the gap by suitably providing for the following suggestions :

State and the University Constituencies—its autonomy :

We want to make it clear at the very outset that our idea of University legislation is basically different as compared to ordinary State legislation. We here enact not to serve the interests of an omnipotent central power or executive in the law and order sense or to serve the purposes of any particular political and social ideology. We only come forward to provide the University with a better constitution to help its own reform and academic advancement. We just scrap the old constitution which allows non-academic purposes to vitiate the intellectual atmosphere in the University. We irreconciliably oppose any kind of jacobinical regimentation of the University and are convinced that 'the impulse and the means of Reform should come from within the Universities themselves'. While it is crystal clear that the University is not a State within a State to fully constitute and finance itself, we should consider it as a precious part of our intellectual and moral heritage that any State control of the academic spirit must not be allowed under the constitutional garb. We are in complete agreement with the Mootham Committee when it says that 'excluding those instances when a University may itself ask the State to amend the enactment by which it is constituted, the State's power of intervention should in our opinion be exercised only in extreme circumstances and as the last resort; and when it does so intervene it should limit the exercise of its powers to the removal of obstacles which can be got rid of in no other way.' The Radhakrishnan

Commission has confirmed this view earlier by stressing that the 'exclusive control of education by the State has been an important factor in facilitating the maintenance of totalitarian tyrannies' and that 'we must resist, in the interests of our own democracy, the trend towards the governmental domination of the educational process'.

Now a question may be rightly asked as to 'What must be the exact conditions or circumstances justifying the intervention of the State in the University'. We might find a suitable answer in the exact precedents relating to the ancient British Universities which have always possessed a high degree of academic freedom. There have been four public enquiries into the working of Oxford and Cambridge Universities, through Royal Commissions in 1850, 1872, and 1919. The conditions and circumstances requiring this Royal intervention in the historical perspective have been aptly described by the latest Royal Commission itself in its Report, as follows :

"The fact was that the Universities had done all that they could do for themselves without the intervention of the State. The State had, in Tudor and Stuart times, bound the Universities up in statutory knots, and it alone could disentangle its own handiwork. So long as the ancient University and College Statutes remained unaltered and unalterable, the Universities and Colleges must needs remain in great degree what the Statutes made them. It is true that at both Oxford and Cambridge a powerful body of men representing much of the highest intellect of the country, and becoming increasingly influential between 1850 and 1882, was constantly promoting the cause of Reform. But the Universities, left to themselves, had not the collective will, or indeed the statutory power, to follow these leaders far along the path of change. Parliamentary legislation was overdue."

While applying these nouns of universal application to the conditions prevailing in the Allahabad University one may say that the University itself required an 'intervention' of the right type. To this extent and purpose we welcome the Amending Bill, but that should not limit the autonomous character of the University by any means. The quintessence of our 'intervention' must be to enable the University itself to maintain and consolidate its autonomy from the corroding encroachments of self-contempt and the aggrandizement of non-academic interests and purposes. This is the only possible justification which bids us to proceed further.

The Unitary Character—A necessity

We appreciate the decision of the Committee to maintain the unitary and residential character of the University, but regret to say that this decision has been rendered somewhat nugatory because of the proposed association of the Associated Colleges with the University within the limits of the Allahabad city. A unitary University is one 'in which all the instruction of all those who are eligible to sit for its examinations is given by the University itself'; where the teaching unit is not the College but the University Department. Similarly, in a residential system the students and teachers form part of one community, working to one purpose, and helping each other to a common end and every non-resident student even has to attach himself to a Hall, Hostel or Delegacy and enjoy as far as possible all the rights of the resident students in respect of tutorial assistance, library, games and societies. Even according to the U. P. Universities Committee, 'during the short period of their existence the Unitary Universities have done useful work in raising the

standards of teaching and have shown great potentialities for the development of research and advancement of learning'. The Allahabad University itself till 1926 was a 'teaching-*cum*-affiliating University' with many Associated Colleges affiliated to it externally, but the Agra University was constituted that year for the purpose that the external side of Allahabad be transferred to Agra 'to set the Univeritsy of Allahabad free to function as a unitary, teaching and residential University, among other purposes.' This type was the only one which, according to the Sadler Commission, suited Indian conditions. But as the Radhakrishnan Commission has said 'there is a limit of size beyond which the unitary type fails to retain the advantages which it is expected to possess, namely the advantages of a co-herent corporate life' . . . 'we suggest that when the number of students reaches 2,500, the University shall either fix that as its limit, or, if further expansion is desired, should proceed to change from a unit to a federation.'

Given this background, we could have understood any steps designated to reconstitute the Allahabad University into a 'Federative' institution, as suggested by the Radhakrishnan Commission, where the 'college teachers must not be a subordinate class,' but 'they must, as at Oxford and Cambridge, themselves form the bulk of the Universities' own teaching staff'. But having elected to postpone the acceptance of a federative pattern for a future date, we should not deviate backwards—towards a lowering of the academic standards of the University. It is well known that the Associated Colleges to be so recognized would carry on teaching under their own management, which would be unable to pay the same salaries and provide the same security of tenure to their teachers as compared with the University. The Mootham Committee has rightly pointed out that with the recognition of such Colleges 'the Unitary character of the University no longer exists in fact.' The best course is to allow the Colleges desirous of opening degree classes to seek affiliation to the Agra University, sanction for which could be granted by the Chancellor under section 49 of the Allahabad University Act. (This opinion has been held firmly by eminent educationists like Dr. Amarnath Jha and Dr. Hridayanath Kunzru and the Mootham Enquiry Committee report). The Colleges thus affiliated to Agra could develop themselves to be 'Autonomous Colleges' as contemplated in the Agra University Act, Therefore we feel that the institutions of 'Associated Colleges' in the Bill militates directly against the Preamble of the original Act. We object to this procedure as a matter of principle and hope that the Legislature would conveniently remove this cantankerous anomaly.

Attendance at the Tutorial Classes

According to the new sub-section (4) of Section 7, 'where attendance at a course of instruction is prescribed as a condition of admission to an examination or a degree of the University, such condition shall include provision for attendance' at 'Teaching of the University' or the 'Associated College' according to the syllabus prescribed by the Ordinances and Regulations. We are surprised to find that while sub-section (3) enjoins upon the authorities that teaching given by the teachers of the University or an Associated College shall be supplemented by tutorial and other supplementary instructions, attendance at such classes imparting such tutorial and other supplementary instruction has been ignored to be included in sub-section (4) of Section (7). Even the Radhakrishnan Commission has stated that 'we consider that attendance at tutorial classes should be made compulsory, even more so than at lectures'. It would be better if such

questions of academic importance, as provision for attendance, etc., should be left over to be decided by the University authorities themselves through Statutes or Ordinances.

The Chancellor

According to the existing provisions the Governor of Uttar Pradesh is the Chancellor of the University. He is by virtue of his office the Head of the University and President of the Court, and the present Bill has somewhat broadened the powers conferred upon him earlier. It has been held in principle that 'A Chancellor who is also the Governor will be an invaluable link between the University and the Government, and in so far as he is also Chancellor of other Universities in the State, between all such Universities.' But the practice seems to be somewhat different. Firstly, it would be most difficult for any Governor—Chancellor to act in his individual discretion alone, being the Head of the State, subject always to the advice of his Cabinet according to the Constitution and established conventions of Parliamentary Democracy. Any authoritarian Government may utilize the powers of a weak Chancellor to dictate its wishes to the University. Secondly, as the Radhakrishnan Commission has pointed out, 'where there are several Universities in one province, the Governor himself may feel that he cannot give to all of them as much personal contact as is desirable. That is a question which should be settled by each Province (or State) for itself.'

The newly formed Andhra State has decided to appoint the Chief Justice as the Chancellor of the Andhra University. There is nothing repugnant in providing for such an alternative for Allahabad which city, through coincidence, is also the seat of the Provincial High Court. If this suggestion is not acceptable, it should be made clear in the Act itself that the Chancellor would act always in his individual discretion so far as permissible within the limits of Constitution, except in case of Statutes and Ordinances which involve the Government in additional expenditure wherein he may consult the State Government as suggested by the Mootham Enquiry Committee.

The Vice-Chancellor

The Bill has rejected the old method of electing the Vice-Chancellor and adopted the Lucknow University way of election. The Committee has envisaged a change in the procedure so as to effect unanimity of recommendations in the selection of a name for the Vice-Chancellorship. The provision requires careful consideration as it concerns the appointment and election of the 'keeper of the University's conscience'. We cannot agree with the suggestion that the existing provisions of the Allahabad University Act of electing the Vice-Chancellor by the Court from among persons recommended by the Executive Council, subject to confirmation by the Chancellor, be retained. This provision has been the root cause of all malpractices prevalent in the University and no Enquiry Committee or Commission has supported its retention. The Mootham Enquiry Committee has well pointed out the three main defects of the present system, namely, the possibility of a majority nominee alone being elected; the undesirability of a Vice-Chancellor mainly owing his appointment to the votes of those of whom he is to be the academic and administrative head; and any contest among equals resulting in undignified methods of canvassing It might be said that it resembles the system prevailing in the more recently established

British Universities, e. g., Manchester, Birmingham, Sheffield, Leeds, Bristol and Reading. But those Universities possess certain other characteristics which we do not find here. Firstly, the Vice-Chancellor in the British Provincial Universities once elected initially holds office till his retirement. Secondly, before any recommendation is made by the Executive Council to the Court a small committee goes carefully into the qualifications and suitablity of possible candidates in view of the requirements of the institutions to guide the Council. Thirdly, those British Universities have a smaller number of University employees included among the membership of their Executive Councils and Courts.

The Select Committee, while rightly rejecting the old pattern, has formulated a new one which cannot be called to be the best to serve the interests of a unitary teaching University like Allahabad. The Committee has emphasized the idea of a unanimous recommendation being made by the Council by making it possible for the Council to meet three times one after another to agree for the same While the object is laudable, the process does not eliminate power-politics as such. The very idea of election according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote suggests the presence of majority or minority groups in the Council as representative of similar trends prevailing in the University. We agree that such a system of election is the best possible to curb the monopolistic activities of strongly entrenched 'majority' party, but it also gives a chance to the 'minority' party to become the 'majority' party itself. The vicious circle of a 'majority' or 'minority' grouping or voting even then remains to be eliminated, wherein no unanimous recommendation may be possible, in spite of as many successive or consecutive meetings, as one may visualize. Even when there are three names unanimously recommended by the Council for appointment of one among them, the tide of pressure-politics by a majority or a minority may even reach as high as the Government House itself, as the three unanimous nominantions may represent three dissimilar groups within the Council, in spite of the appreciable fact that there is no canvassing and no election. Therefore, we should have to do our best to provide for a procedure in which unanimous reco-mmendations may be possible, without any systematic 'majority' or 'minority' feeling leading to frictional canvassing and electioneering of any type to avcid a wholly external appointment of the Vice-Chancellor which is to be resisted adequately in the interests of autonomy'.At. Oxford and Cambridge we fiind a custom of rotation in which the senior among the Heads of Colleges is to be appointed as the Vice-Chancellor. This method has been rejected by our Committees and Commissions, because 'it assumes that the Office calls for no special qualification'. We feel that this search for an exceptional man with special qualifications must be made primarily by a small Selection Committee of three eminent educationists and persons of outstanding repute and integrity which while having the full confidence of the University, would inherently remain aloof from any sort of 'majority' or 'minority' bias. Such a provision has been incorporated in the Rajputana and Delhi University Acts and Statutes and the Mootham Enquiry Committee has also recommended this course, as the second alternative. We recommend that Clause 8 of the Bill be suitably amended to incorporate the formation of a Select Committee as above consisting of two nominees of the Reformed Executive Council and one nominee of the Reformed Academic Council not being connected with the University, which would recommend a panel of not morethan three names to the Executive Council, which

might thereafter send a unanimous recommendation to the Chancellor for appointment. As we have already accepted the principle of recommendations by Selection Committees of Professors and Readers, we do not understand why we should not apply the same principle to secure the unanimous appointment of an authority which has 'to give a lead in creative educational thought'.

The Vice-Chancellor's Consultative Committee

The Committee has decided that the provisions of a new section 29-B in the Bill providing for a Consultative Committee be incorporated in Section 12 of the Act itself by making consequential and consistent amendments. It seems that the name itself has been dropped, but the Committee remains 'consultative' in character. We entirely oppose any such amendment to be made as such a procedure is entirely uncalled for, keeping in view the fact that the Vice-Chancellor has already got emergency powers under sub-section 4(*a*). We do not want a hare-hunting atmosphere to prevail and disturb the academic quietitude of the University and its teachers. There is no necessity of a separate Vice-Chancellor's Committee or Committees apart from the Executive Council which is always there to ratify or reconsider the recommendations of the Vice-Chancellor finally in any disciplinary proceeding. The Allahabad University Teachers' Association has rightly pointed out that 'in a recent case of delinquency the University has taken the correct decision without the intermediation of a statutory Consultative Committee. When party rule is eliminated, it will be impossible to screen a delinquent belonging to any party. Teachers normally behave according to the needs of their noble calling. If lapses take place they can be checked.' The proposed amendment will lower the honour of teachers and do no good. It is better to drop this provision altogether, even as it offends the general body of the teachers of the University and is unanimously disapproved by its Court and the Executive Council. The Mootham Committee commenting on restrictions to be imposed on the teachers for undesirable conduct opined that 'We do not view a University as an institution, divided into a hierarchy of governing authority, teachers and the taught, but as a society of persons of all ages engaged in the pursuit of knowledge. We are therefore unable to view with favour the imposition of restrictions on the conduct of teachers by the executive authority, for inevitably we think the content of such restrictions and their interpretations will sub-consciously be coloured by the desire to subordinate difficulties arising out of differences of opinion to the practical advantages of the smooth running of the administrative machinery'. It further suggested the insertion of some provisions in the terms of engagement of the teachers making the engagement terminable if he is guilty of conduct unbecoming a teacher of the University, which character was to be determined only by the Academic Council or its Committee ,the question involving 'in one form or another the question of academic freedom'. Such a procedure can very easily be adopted within the framework of the original Act.

Again the proposed amendment brings in the Chancellor to adjudicate in the case there is any difference of opinion between the Executive Council and the Vice-Chancellor's Committee, (i.e., a Committee of his own (nominees) which is a unprecedented move. Even according to sub-section 3(*b*) of the Amending Bill the Executive Council has been authorized

to act as an Appellate authority to hear appeals against any 'disadvantageous' action being taken by the Vice-Chancellor against any teacher. It is thus absurd to provide the Executive Council with appellate jurisdiction, as the only course now left for it would be to either accept the decision of the Vice-Chancellor as supported by the decisions of his Committee, or to disagree with the same, which means an automatic reference of the whole matter to the Chancellor for decision. Again this decision of the Chancellor itself may be the subject-matter of a 'dispute arising out of a contract between the University and any officer or teacher of the University', which under section 47 of the original Act is to be referred to a Tribunal of Arbitration for final decision. It is absurd to provide for such an eventuality wherein the decision of the Chancellor itself is liable to be challenged ultimately before a Tribunal which contains his (Chancellor's) own nominee as an Umpire. We are confident that the Legislature would unanimously discard this complicated, pedantic and contradictory measure.

The Court

We generally agree with the composition of the Court as proposed except for two suggestions, which we feel our duty to emphasize, namely :

(1) The Vice-Chancellors of all the other Universities established by law within the territory of Uttar Pradesh should be treated as ex-officio members. It would serve the interests of collaboration and co-ordination amongst the several Universities. We have already provided for it in the Agra University Act.

(2) We consider it undesirable that the State Government as such should step in to nominate representatives of academic and non-academic bodies and interests. The bodies concerned should be allowed to nominate their representatives themselves as provided originally in the Act. We should not allow any such notion to prevail even symbolically that the Legislature wants the Government to send its nominees to Governing Bodies of the University indirectly.

It would also be proper to accept the suggestions made by the Mootham Enquiry Committee of enlarging the financial powers of the Court as provided in section 19(2)(*c*) so that it may also disallow items of proposed expenditure instead of merely making recommendations only. Such a power must be vested in the Supreme Governing Body of the University and would act as a safeguard too from the financial point of view.

A new provision as section 19(2)(*e*) may be inserted to empower the Court 'to make regulations', and section 34(3) be suitably amended so that the Executive Council may not itself amend or annul regulations made by the Court laying down its own procedure and quorum for meetings of the Court.

The Executive Council

While framing the constitution of the Executive Council we should ensure an even balance between the academic and non-academic elements within it. To secure this we feel it necessary that there should be three teachers of the University in the Executive Council, and the Chancellor's nominees may be fixed to be three in number. We have to note the recommendations of the Radhakrishnan Commission in this respect, which says, 'that the Executive should be about evenly divided between internal and external members, but with the balance inclining to the internal side'.

We welcome the provision for appointment of a person 'to look after the welfare and extra-curricular activities of the students of the University,' but such appointment should not be made by the Vice-Chancellor as provided in section 20(1) (v). A separate clause should be drafted to clearly designate the person as a 'Dean of Students' and he should be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor. The powers and duties of such a 'Dean of Students' should also be prescribed by the Bill itself. We attach great importance to this proposal as we expect the 'Dean of Students' to fulfil the following tasks :

(1) to advise students on their personal problems and to assist them in taking the fullest advantage of the opportunities which the University offers;

(2) to be responsible for the organization and running of an Employment Bureau, which would be in touch with Governments, both State and Central, and with professional organizations and private employers to help students who are anxious about their future when their University days are over ;

(3) to 'watch' the interests of students who have difficulties with their landlords, and of asssisting them in finding accommodations;

(4) to assist needy and poor students in finding part-time work or earnings ;

(5) to recommend sizarships, half-freeships, scholarships or help from the 'poor boys' relief fund' for needy students ; and

(6) to organize his office as a centre which is 'constantly on the alert to promote student life, academic, social, moral and material, and prepares to give advice on every subject ranging from when to buy pencils up to matrimonial perplexities.'

The terms and conditions of service of a Dean of Students may be prescribed by the Statutes, but he must be a full-time officer with the status and pay of a Dean.

We would further suggest that the following powers may be specifically mentioned as having been vested in the Executive Council following the patterns of the constituencies of the Delhi University :

(1) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers of the University, the teaching staff, the students, and the University's clerical or inferior staff, who may, for any reason, feel aggrieved ;

(2) to make such special or general arrangements as may be necessary for the residence and discipline of women students after consulting the 'Women's Advisory Board'.

The importance of these functions is so obvious that we need not comment on the same.

The Academic Council

The Academic Council is responsible for the maintenance of teaching standards of the University and is the adviser of the Executive Council on all academic matters. According to the Radhakrishnan Commission the Council should be wholly academic in its membership. While we agree that the present strength of the Council consisting of 88 members must be reduced, we do not think that the representation be so much reduced

as to virtualy eliminate the Lecturers' or Readers' representation thereat. The Radhakrishnan Commission suggested a system of rotation among those who at smaller Universities would all be *ex-officio* members, but for a University like Allahabad it would be more valuable to have all the Deans and Heads of Departments etc., as members of the Council in the interest of academic standards. Therefore, we suggest that the limit of 'fifty' as fixed by the Committee be raised to sixty. Hence we want to draw attention to the representation of the Allahabad University Teachers' Association which points out that at present there is one Reader and one Lecturer from each of the 20 Departments. From the bigger departments there are two lecturers instead of one. It is important that 200 out of 220 teachers should not be excluded from participation in the academic affairs of the University. Membership of the Academic Council gives valuable training and experience to younger members of the staff and is essential for the continuity of the Academic traditions of the University. Readers and lecturers have made valuable contributions to academic discussions so far. Since the Academic Council will be a purely academic body and will elect no members to the Executive Council, there should be no objection to the association of larger number of teachers of all grades with its deliberations.

In view of the fact that a Standing Committee of the Academic Council has been created to advice on important matters, it would do no harm if we slightly enlarge the main body of the Council. Again it is proposed to have 75 members in the Academic Council of the Lucknow University, which is also a unitary and teaching University. We do not want the Legislature to heavily discriminate to this extent, specially when it is not so intended.

The Committee of Reference

The Bill extends the power of the Committee of Reference which was originally concerned with the items of new expenditure only. It is now expected to fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year having regard to the income and resources of the University and perform such other functions as may be prescribed by the Act or the Statutes. While the representation of the Court has been drastically curtailed from fifteen to three,two members of the seven-men Committee are to be nominated by the State Government. It is this latter proposition that we have to oppose on principle. We do not think it necessary for the State Government to have its nominees in this Committee in the interest of University autonomy. No Committee or Commission has ever recommended such a proposal, and nowhere do we find Government nominees in similar Committees. The Mootham Committee has rightly formulated that no 'useful purpose is served by seeking to draw a distinction between academic and administrative or financial autonomy. The University is a single entity,and the issue of its academic freedom cannot be considered in isolation.

In its financial relations with the State, it has rightly been suggested that the University should not direclty deal with the Government, except through the University Grants Committee. The report of the University Grants Committee, 1952 lays down that our basic function, as we see it, has always been that of a channel of communication between the State and the Universities. The Sixth quinquennial Conference of the Inter-University Board in its financial resolution opined that, while appreciating the policy of the Government of India and the Provincial Governments to assist the growth and expansion of University education by financial grants, this Conference places on

record its emphatic opinion that the autonomy and independence receiving such grants should not in any way be interfered with.'

In Great Britain, there never arose any such question of Government representation on Finance Boards. In all cases the Grants Committee acts as an intermediary between the Government and the Universities. In Oxford and Cambridge, where there is 'The University Chest' or 'The Finance Board' functioning according to statutes, the Royal Commission of Enquiry, 1919, rejected summarily any type of Governmental representation on the same. The Commission observed that, 'We have carefully considered the proposal that the Government should appoint representative on the two boards ...but we are strongly of the opinion that... it is undesirable to impose such representation on the Universities from without. The objections to the presence of outside representatives specially nominated to represent the Government seems to us particularly strong. Their addition to the Council would in our view not be in the interests either of the Universities or of the Government. On the one hand, it would throw responsibilities on the Government, which, having regard to the nature of the business transacted by the Council, the Government is ill-fitted to discharge. On the other hand, we think it most undesirable that the autonomy of the Universities should be limited by continuous administrative pressure from without, except for the most cogent reasons. No such reasons appear to exist in the present case. In this connection we would refer to the correspondence which passed between the Vice-Chancellors of Oxford and Cambridge and the Minister of Education, Mr. Harbert Fisher, at the time when the question of grants from the State first came under consideration. 'No one,' wrote Mr. Fisher, 'appreciates more fully than myself the vital importance of preserving the liberty and autonomy of the Universities within the general lines laid down under their constitution. The State is, in my opinion, not competent to direct the work of education and disinterested research which is carried on by Universities, and the responsibility for its conduct must rest solely with their Governing Bodies and Teachers. This is a priniciple which has always been observed in the distribution of the funds which Parliament has voted for subsidising University work; and so long as I have any hand in shaping the national system of education, I intend to observe this priniciple.'

'The Radhakrishnan Commission also confirmed this view by declaring that in a Democratic country, the decision of how much public money can be spent on Universities can be made, and ought to be made, only by the Government, it is a political decision and part of their yearly budgetary proposals. But once that decision is made, the detailed allocation of the money must be left to an expert body, not merely non-political, but as rigidly protected from political and personal lobbying and pressure as the constitution of the country can make them.'

We have rather quoted at length to establish that authoritative opinion completely rules out Governmental interference even on financial matters except of course through the Audit system. We cannot allow the Government to usurp the well-known function of the University Grants Committee through legislation. We would have welcomed the proposal to have representatives of the Grants Committee on the Committees of Reference, and any similar measures to facilitate the said Committee to take steps to ensure the financial stability of the University. We attach the greatest importance to this matter and sincerely wish that it may still be dropped for good.

The Selection Committee:

The Committee has stipulated according to the amended section 29(2) of the Principal Act that every teacher appointed by the University or an Associated College would be confirmed by the Executive Council or the Management as the case may be, on reports of the Vice-Chancellor and the Head of the Department and the Dean concerned, or, of the senior teacher of the subject and the Principal of the concerned Associated College. It is our considered opinion that a reference should again be made to the Selection Committee constituted for the subject of study concerned for a teacher to be confirmed. The Mootham Enquiry Committee strongly held the view that confirmation must follow not as a matter of course, but only if the body charged with making this decision is thoroughly satisfied that the candidate will be a source of strength to the University. Although every new appointment to the teaching staff is deemed to be on probation, confirmation of the appointment has become a pure formality. Since the reorganisation of the University thirty years ago we have only been able, to discover one instance in which the appointment of a teacher was not confirmed. It further recommended that the question whether a lecturer or Professor on probation is fit for confirmation, or to pass the efficiency-bar should be decided by the concerned Selection Committee, which decision should be final and not subject to revision by the Executive Council. We are for the acceptance of this recommendation except for a proviso that the decision of the Selection Committee may not be considered as final in case the Experts and the Executive Council differ and the whole matter be referred to the Chancellor for decision as in case of the initial appointment on probation.

We feel that when in any case or cases for appointment of teachers the Selection Committee makes a unanimous recommendation or a majoriy of it including two experts support the recommendation, such recommendation should be considered as final and there is no need of its reference to the Chancellor for making the appointment in case the Executive Council differs. Such a procedure might nullify the purposes to serve which the Selection Committee has been constituted. We should not feel enamoured of a majority or minority idea in the functioning of a Selection Committee. Too many references to a Chancellor may also be embarrassing as no Chancellor is expected to be an expert in all subjects of study. Two representatives of the Executive Council are there in the Selection Committee and there seems to be no necessity for the Executive Council to differ from a unanimous recommendation. The only cases where reference to Chancellor seems to be necessary arise where the majority of the Selection Committee including one expert differs from the minority including two experts. In case our suggestion is not acceptable, we recommed as a second alternative that the Selection Committee may be required to review cases, where the Executive Council or Management disagrees with the unanimous or majority (backed by two experts) recommendation of the said committee, in the light of reasons given. Section 29-A be amended accordingly

Teachers' 'Activities'

We feel ourselves unable to agree with the Committee in its recommendation that according to Section 32(2) (*f*) Ordinances shall provide for the maintenance of a record of the activities of the salaried officers and teachers. The word activities as such is a very wide term and may be stretched too far to be interpreted prejudicially against any teacher or salaried officer. Academic activities of a teacher are part of the record of his services in the University, and they need no separate elicitation. Along with the Mootham

Committee, 'We do not view a University as an institution divided into a hierarchy of governing authority, teachers and the taught, but as a society of persons of all ages engaged in the pursuit of knowledge. We do not expect of the University authorities and the body of teachers to be subjected to obnoxious policy of mutual activity hunting and spying. The maintenance of a record of the activities of every teacher in the University would exactly create such a veiled atmosphere which is hardly conducive to the growth of a highly corporate and academic life.

Ordinances having financial bearing

We differ from the Committee in its decision to amend Section 33 of the Principal Act so that ordinances with a financial bearing may not come into force till they have been approved by the Chancellor or till two months have elapsed after the submission of the same to the Chancellor and the Chancellor having not expressed his intention to suspend or disallow them. Such a procedure might inconvenience the University unnecessarily even on matters of insignificant detail. The terms financial bearing is too wide to cover most of the ordinances technically. Again the Chancellor has already the power to suspend the operation of any ordinance according to Section 33(5) of the Principal Act, until he has had an opportunity of exercising his power of disallowance.

The Removal of Students

According to a new sub-section (4) in Section 37 of the Principal Act, any student whose work is unsatisfactory may be removed from the University or an Associated College in accordance with the provisions of the Ordinances. To us there is no necessity of adding such a vague and superfluous provision specially when such power is already vested in the Executive Council. Occasions may arise when a student has to be punished on account of his gross neglect of studies and non-attendance. The Board of Residence, Health, and Discipline has enough powers to move in this connection. It is interesting to note the recommendation of the Mootham Committee in this connection which says that 'those students who show themselves incapable of doing any work should after due warning be removed to make room for others'. It further regretted that the Board of Health, Residence and Discipline had failed to carry on duties of hearing the explanations of such a delinquent student as it never met after taking over such duties.

The First Statutes

We consider it most necessary that the First Statutes which are drafted by the State Government in accordance with the Amending Act must be placed before the Legislature for consideration and approval like Rules under any Act, which come into effect immediately after publication but are liable to be changed by the Legislature later on. Many of the necessary reforms in the University would be effected and modelled by these model Statutes and the Legislature would like to express itself in such vital matters of reform. The University may also be consulted beforehand just as its opinion was solicited in case of the Amending Bill.

Transitory Powers

The Bill seeks to invest the State Government with wide and sweeping powers for a period of one year. These powers are much in excess of the actual requirements. Uncontrolled delegated legislative power is fraught with the gravest danger. Let us not expose the old and renowned University to the vagaries of State quarantine even for a year. Let not the autonomy of

the University be riddled in the process of Reformation, which can come on peacefully, without the application of exceptional powers in the name of removing difficulties. That is why delegated legislative and decree law are forbidden in France , by its new Constitution, and are allowed for certain specific purposes only under strict legislative control by the new Italian Constitution. We suggest that the Legislature may curb the Transitory provisions provided for in the Bill to the extent that existing Statutes, Ordinances and Regulations may be suitably amended and the existing Authorities and the officers of the University may continue to exercise their functions until fresh election or constitution takes place according to the provisions of the Amended Act.

NARAYAN DATT TIWARI,

RAM NARAIN TRIPATHI,

Dated August 19, 1954.

Members of the Select Committee on Allahabad University (Amendment) Bill, 1954.

इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

[विधान सभा की प्रवर समिति द्वारा संशोधित] समिति द्वारा बढ़ाया हुआ अंश रेखांकित कर दिया गया है और निकाला हुआ अंश ब्रैकटों "[ ]" के भीतर दिखाया गया है।

यू० पी ऐक्ट, ३, १९२१।

इलाहाबाद युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ को संशोधित करना आवश्यक है अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस संबंध में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

ऐक्ट ३, १९२१ की प्रस्तावना का संशोधन।

[१-क इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना (preamble) के तीसरे पैराग्राफ से शब्द "unitary" और शब्द "and residential" निकाल दिये जांय।]

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २ का संशोधन।

२—इलाहाबाद युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा (२) में—

(१) खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*a*) 'College' means a unit of residence for students of the University maintained or recognised by the University in accordance with the provisions of this Act in which supplementary instruction is provided under conditions prescribed in the Statutes."

(२) खंड (a) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*aa*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*aa*) 'Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

(३) निम्नलिखित को खंड (*d*) और (*e*) के रूप में रख दिया जाय—

"(*d*) 'Management' means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of an institution, recognised by the University."

"(*e*) [Non-Collegiate] Delegacy means the authority charged under this Act with the care of students of the University not residing in or attached to a college or a hostel."

(४) खंड (*f*) में शब्द "college" के पश्चात् शब्द "or an Associated College" बढ़ा दिये जांय ।

(५) खंड (*g*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*gg*) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(*gg*) 'Student of the University' means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted but does not include a person enrolled in an Associated College."

(६) खंड (*i*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(*i*) 'Teacher of the University' means a person appointed by the University to give instruction for degrees or to guide or conduct research, in the University."

(७) खंड (*l*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*m*) के रूप में बढ़ा दिया जाय --

"(*m*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

३--मूल अधिनियम की धारा ५ में :--

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ५ का संशोधन ।

(१) खंड (1) में शब्द "the University may think fit" के स्थान पर शब्द "may be prescribed by the Ordinances" रख दिये जांय ।

(२) खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(2) To institute degrees, diplomas and other academic distinctions, and to hold examinations for and grant and confer such degrees and distinctions to and on persons who--

(*a*) shall have pursued a course of study in the University or an Associated College, or carried on research in the University under conditions prescribed in the Statutes or Ordinances, or

(*b*) are teachers in educational institutions satisfying conditions prescribed by the Ordinances in this behalf, or

(c) shall have carried on [independent] research in an institution recognised in that behalf by the University or independently, under conditions laid down in the Statutes and Ordinances,

and shall have passed the examinations of the University under conditions prescribed in the Statutes and the Ordinances."

(२-क) खंड (४) निकाल दिया जाय ।

(३) निम्नलिखित खंड (5) के रूप में रख दिया जाय--

"(5) to recognise Associated Colleges."

(४) उपधारा (6) में शब्द "hostels" के पश्चात् शब्द "and Associated Colleges", बढ़ा दिये जांय ।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ६ का संशोधन ।

४--मूल अधिनियम की धारा ६ में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ७ का संशोधन ।

५--मूल अधिनियम की धारा ७ में उपधारा (1) से (4) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(1) Teaching of the University shall include lecturing, work in laboratories and workshops and other teaching conducted in or by the University or in an Associated College in accordance with any syllabus prescribed by the Ordinances and Regulations. The authorities responsible for organising such teaching shall be prescribed by the Statutes.

(2) The courses of study and the curricula shall be prescribed by the Ordinances and subject thereto by Regulations.

(3) Teaching given by teachers of the University shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the University or under the authority of the University in colleges and hostels. Teaching given by the teachers of an Associated College shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the Associated College or in a residential unit attached to it or in another Associated College or in the University under an arrangement made between such Associated Colleges or with the University.

(4) Where attendance at a course of instruction is prescribed as a condition of admission to an examination or a degree of the University, such condition shall include provision for attendance at teaching referred to in sub-section (1)."

६---मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--- यू० पी० ऐक्ट, ३, १९२१ की धारा ८ का संशोधन।

"Visitation. 8. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, and of any college, hostel or other institution maintained or recognized by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University or an Associated College.

(2) The State Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) The State Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council and the Court the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(4) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council together with the views which the Court may have expressed on the report.

(5) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

७---मूल अधिनियम की धारा १० में--- यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १० का संशोधन।

(१) उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor."

(२) उपधारा (2) निकाल दी जाय---

८---मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--- यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ११ का संशोधन।

"The Vice-Chancellor. [11. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing.

(2) The Executive Council shall, so far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor :

Provided that the Chancellor may before making the appointment return the name or names submitted by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then either submit the same name or names or make any additions in them.

(3) Where the name or names proposed in the Executive Council for being submitted to the Chancellor under sub-section (2) do not exceed three, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names so proposed, elect three names, according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) Where one name only has been submitted by the Executive Council and no new name has been added under sub-section (3) the Chancellor shall appoint the person whose name has been so submitted by the Executive Council. In other cases the Chancellor may appoint any one of the persons whose names are submitted by the Executive Council under and in accordance with sub-section (2) or (3).

(5) The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs.2,000 per month and be provided a furnished residence rent free or in lieu thereof be paid an allowance of Rs.200 per month.

(6) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(7) No person who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University shall be eligible for re-appointment.

(8) Subject as aforesaid, other conditions of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.]

11. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University and be appointed by the Chancellor in the manner provided in this section.

(2) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as are prescribed by the Statutes and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(3) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(4) No person who has at any time previously held the office of Vice-Chancellor of the University otherwise than in a vacancy referred to in sub-section (8) shall be eligible for re-appointment.

(5) The Executive Council shall, as far as may be, at least forty days before a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, meet for the purpose of deciding the name of the person to be recommended to fill the vacancy. If at this meeting the Executive Council decides unanimously the name of any person his name shall be recommended to the Chancellor who shall thereupon appoint him, and if it fails to decide unanimously the name of any person it shall adjourn to a date within ten days next following. At the adjourned meeting, if the Executive Council—

(*a*) decides unanimously the name of any person, he shall be recommended to the Chancellor who shall thereupon appoint him ;

(*b*) is unable to decide unanimously the name of any person it shall in the same meeting decide names not more than three in number of persons suitable for being recommended to the Chancellor : Provided that if more than three names are proposed in that behalf it shall choose three out of them according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote. The names so chosen shall then be recommended to the Chancellor.

(6) On receipt of the recommendation under clause (*b*) of sub-section (5) the Chancellor may, in his discretion—

(*a*) appoint as Vice-Chancellor any one out of the persons recommended by the Executive Council, or

(*b*) return the names to the Executive Council for reconsideration.

(7) Where the Chancellor has returned the names for reconsideration under clause (*b*) of sub-section (6) the Executive Council shall be free—

(*a*) to recommend to the Chancellor the name of any person decided unanimously in which case the

person whose name is so decided shall be appointed by the Chancellor, or

(*b*) to recommend to the Chancellor, in case it is unable to decide unanimously the name of any person, the names previously recommended by it or any names, not exceeding three in number, decided in the manner laid down in sub-section (5), and the Chancellor shall appoint anyone out of the names so recommended.

(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (3) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor. If the vacancy is, or is likely, to last for a period exceeding six months, the Chancellor shall call upon the Executive Council to forward its recommendations and the provisions of sub-sections (1) and (5) to (7) shall in so far as may be, apply for the filling of the vacancy. In other cases the Executive Council may, subject to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit.

(9) Until arrangements have been made under sub-section (8), the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities".

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १२ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Powers and duties of the Vice-Chancellor.

[12. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University. He shall be an *ex-officio* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council and shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meetings of any authority or other body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, subject to the powers conferred by this Act on the

Chancellor, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council :

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) (*a*) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter :

but nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(*b*) Where any action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.

(5) The Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Executive Council regarding the appointment, dismissal and suspension of the officers and teachers of the University and shall exercise general control over the affairs of the University. He shall be responsible for the discipline of the University.]

12. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University. He shall be an *ex-offico* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council. He shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meetings of any other Authority or body of the University but shall not merely by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor under Section 42, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council :

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline therein.

(5) The Vice-Chancellor may start disciplinary proceedings against any salaried officer or teacher of the University and may, wherever necessary, also place him under suspension. Where disciplinary proceedings have been started as aforesaid by the Vice-Chancellor and the case in his opinion—

(*a*) is not such as may call for punishment by dismissal, removal, stoppage of increment, or reduction in emoluments he may pass such orders as he deems fit ;

(*b*) is such as may call for a punishment as aforesaid he shall associate with himself two persons one of whom is or has been a Judge of a High Court and the other is a person co-opted by them.

(6) In any case in which action has been taken under clause (b) of sub-section (5) the Vice-Chancellor shall upon the conclusion of the proceedings submit the report to the Executive Council. The Executive Council shall thereupon pass orders according to the report unless it differs therefrom in which case it shall refer the matter to the Chancellor with its recommendation and the Chancellor may then make such order as he deems just and proper.

(7) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, Authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter but nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(8) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (5) or (7) affects any person in the service of the University to his disadvantage such person may prefer an

appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.

(9) Subject as aforesaid, the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Executive Council regarding the appointment, suspension and dismissal of officers and teachers of the University.

[(6)]– (10) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances."

१०––मूल अधिनियम की धारा १३ में उपधारा (1) से (5) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

य० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १३ का संशोधन।

"The Treasurer.

13. [(1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor and the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 11 shall apply as though for the words " Vice-Chancellor " the word "Treasurer" had been *substituted* therein.]

(1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing–

(1-A) The Executive Council shall, so far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of Treasurer and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Treasurer.

(1-B) Where the names proposed in the Executive Council for submission to the Chancellor under sub-section (1-A) do not exceed three in number, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names so proposed, elect three names according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(1-C) Where one name only has been submitted by the Executive Council the Chancellor shall appoint the person whose name has been so submitted. In other cases, the Chancellor may appoint any one of the persons whose names have been submitted by the Executive Council under sub-section (1-B).

(2) The term of office of the Treasurer shall be six years, but he shall notwithstanding the expiry of the term continue in office until a successor has been appointed. He shall receive such remuneration (if any) from the funds of the University as may be prescribed by the Statutes.

(3) The provisions relating to resignation, conditions of service, other than emoluments, the filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties contained in sub-sections (2), (3), (8) and (9) of section 11 shall *mutatis mutandis* apply to the office of Treasurer.

(4) The Treasurer shall be an *ex-officio* member of the Executive Council and shall manage the property and investments of the University and advise in regard to its financial policy. He shall be responsible for the presentation of the annual estimates (in this Act called the budget) and statement of accounts.

(5) The Treasurer shall have the duty—

(i) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment), and

(ii) to disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statute or Ordinance, or for which provision is required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १४ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Registrar.

14. (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) an educationist nominated by the Chancellor; and

(iii) the Chairman of the Public Service Commission, Uttar Pradesh, or a member thereof nominated in this behalf by the Chairman.

(2) The emoluments [and conditions of service] of the Registrar shall be prescribed by the Ordinances.

(3) The Registrar shall be [the custodian] responsible for the due custody of the records and [of] the Common

Seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee and the Committee of Reference and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for the transaction of business. He shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(4) He shall [make all arrangement for and conduct examinations] conduct the examinations and make all other arrangements necessary therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by the Statutes and the Ordinances."

१२—मूल अधिनियम की धारा १६ में —

(१) मद V के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"V. The [Faculty Boards".] Boards of Faculties".

(२) निम्नलिखित मद VI के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"VI. Selection Committees for the appointment of teachers."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १६ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १७ का संशोधन।

"The Court. 17. (1) The Court shall consist of the following persons, namely :

Class I—Ex-officio members :

(i) the Chancellor,

(ii) the Vice-Chancellor,

(iii) the Minister for Education in the Government of Uttar Pradesh,

(iv) the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad,

(v) the Treasurer,

(v-*a*) The Director of Education,

(vi) the members of the Executive Council,

(vii) all Principals of Colleges and Associated Colleges,

(viii) All Heads of Departments of teaching in the University and all Professors of the University who are not Heads of Departments,

(ix) such other [*ex-officio* members] persons with reference to offices held by them as may be prescribed by the Statutes.

Class II—Life members :

(x) Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the cause of education provided that their number [in the Court] shall at no time be more than four.

(xi) All [persons] individuals who have made donations of not less than Rs.20,000 to or for the purposes of the University.

Class III—Other members :

(xii) Persons nominated by the State Government to represent such academic and non-academic bodies and interests as may be prescribed in this behalf by the Statutes.

(xiii) Persons nominated by associations, [or] individuals or bodies of individuals making to the University donations or annual contributions of an amount to be prescribed by the Statutes [to or for the purposes of the University.]

(xiv) [Persons elected by the Legislative Council of the State from among their own body.] Two members of the Legislative Council of the State to be elected by it.

(xv) [Persons elected by the Legislative Assembly of the State from among their own body.] Five members of the Legislative Assembly of the State to be elected by it.

(xvi) Representatives of Registered Graduates of such standing as may be prescribed by the Statutes.

(xvii) Representatives of donors other than those included in items (xi) and (xiii).

(xviii) Representatives of [the] teachers of the University (other than [those] teachers included in Class I), the Wardens, the [non-Collegiate] Delegacy and of such Boards established under section 27 as may be prescribed by the Statutes.

(xix) Not more than seven persons to be appointed by the Chancellor.

(2) The total number of members including the *ex-officio* but excluding the life members shall not exceed 125.

(3) The number of members who may be in the service of the University, an Associated College, a college or a hostel shall not exceed the number of the other members.

(4) the number of members referred to in items (xii) to (xix) of sub-section (1), the manner of their appointment, election and nomination and their tenure shall, save [where] as otherwise provided [for] in this section, be prescribed by the Statutes.

(5) The [Chancellor] Court may declare vacant the seat of a member other than an *ex-officio* or life member, who has absented himself from three consecutive meetings of the Court without sufficient cause."

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा १६ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १६ में—

(१) उपधारा (1) में शब्द "the acts of the Executive and Academic Councils (save when such councils have acted in accordance with the powers conferred upon them under this Act, the Statutes or the Ordinances)" के स्थान पर शब्द "such acts of Executive and Academic Councils as are not in accordance with this Act, the Statutes, or the Ordinances" रक्खे जायं।

(२) उपधारा (2) में निम्नलिखित खंड (*e*) क रूप में रख दिया जाय—

"(*e*) of considering and passing resolutions on any matter [connected with the University.] of general policy relating to University education and administration."

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा २० का संशोधन।

(१४-क)—मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"20. (1) The Executive Council shall be the executive body of the University and shall consist of :

(i) The Vice-Chancellor ;

(ii) The Treasurer ;

(iii) All Deans of Faculties ;

(iv) One Principal of a College or an Associated College, taking office by rotation according to seniority ;

(v) The person, if any, who, may be appointed by the Vice-Chancellor to look after the welfare and extra-curricular activities of the students of the University ;

(vi) One representative of the Wardens and the Delegacy ;

(vii) Two teachers of the University ;

(viii) Six persons to be elected by such members of the Court as are not in the service of the University, a College or an Associated College, from among themselves according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote ;

(ix) Persons equal in number to the Deans of Faculties to be nominated by the Chancellor.

(2) The manner of selection of the members under items (vi) and (vii) of sub-section (1) shall be prescribed by the Statutes.

(3) The term of office of members other than *ex-officio* members shall be three years.

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २१ का संशोधन।

१५—पूर्व अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Powers and duties of the Executive Council.

21. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to hold, control and administer the property and funds of the University ;

(*b*) to accept the transfer of any moveable or immoveable property on behalf of the University ;

(*c*) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes ;

(*d*) to prepare the budget of the University ;

(*e*) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances ;

(*f*) to appoint the officers, teachers and other servants of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of casual vacancies in their posts ;

(g) to appoint examiners and to [arrange for] direct the holding of examinations and publication of results ;

[(*h*) with the previous sanction of the Chancellor, to recognize institutions as Associated Colleges and likewise to withdraw such recognition ;]

(*i*) to arrange for and direct the inspection of Associated colleges, colleges, hostels and other places of residence of students;

(*j*) to direct the form and use of the Common Seal of the University;

(*k*) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances, and to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

(2) The Executive Council shall appoint a committee (hereinafter called the Finance Committee) consisting of the Treasurer and four other persons from amongst its members out of whom not more than two shall be persons in the service of the University, to advise the Executive Council on matters relating to the administration of the property and funds of the University. The Treasurer shall be the chairman of the Finance Committee.

(3) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Committee of Reference.

(4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers and the fees payable to examiners except after considering the advice of the Academic Council and the Faculties concerned.

[(5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Court, but where in any case it is not able to do so it shall inform the Court of its inability with the reasons therefor."]

(5) The Executive Council shall give due consideration to the resolutions of the Court and take such action thereon as it shall deem fit and report it to the Court. Where, in any case, the Executive Council is unable to take action in accordance with any resolution it shall inform the Court of its reasons therefor.

(6) The Executive Council may subject to conditions to be laid down in the Statutes delegate such of its powers as it deems fit to an officer or Authority of the University.

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ में एक नई धारा का बढ़ाया जाना ।

१६--मूल अधिनियम की धारा २२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 22-A के रूप में बढ़ा दी जाय--

"Standing Committee of the Academic Council.

[22-A. There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The constitution and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes"].

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २२ का संशोधन।

१६--(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २२की उपधारा (१) के रूप में संख्यांतरित किया जाय और अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में बढ़ा दिया जाय --

"Provided that the number of members of the Academic Council shall not exceed fifty."

(२) मूल अधिनियम की उक्त धारा में निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय --

"There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The constitution, powers and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २३ का संशोधन।

१७--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"The Committee of Reference.

23. (1) The Committee of Reference shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor ;

(ii) the Treasurer ;

(iii) three members of the Court, none of whom shall be an employee of the University or a member of the Executive Council, to be elected by the Court according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote ;

(iv) two persons to be nominated by the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) The Committee of Reference shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be prescribed by this Act or the Statutes.

(4) The Committee of Reference may, for any special [unforeseen] reason, revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it under subsection (3)."

१८—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा २४ का संशोधन।

"The Faculties. 24. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall comprise such Departments of teaching as may be prescribed by the Statutes. Subjects of study shall be assigned to various Departments by the Ordinances.

(3) There shall be a Board of each Faculty the constitution and powers of which shall be prescribed by the Statutes.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be the Head of a Department of teaching in the Faculty chosen with due regard to seniority in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes.

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of the Faculty and be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty. He shall be further responsible for the organization and conduct of the teaching and research work of the Departments comprised in the Faculty.

(6) There shall be a Head in each Department of teaching who shall be responsible to the Dean for the organization of the teaching in the Department. The senior most Professor of a Department shall be the Head of the Department, and where there is no Professor in a Department the senior most Reader thereof shall be the Head.

(7) The duties, powers and functions of the Heads of Departments shall be prescribed by the ordinances."

१६—मूल अधिनियम की धारा २७ की उपधारा (1) में शब्द "a Residence, Health and Discipline Board, a Muslim Advisory Board and such other" के स्थान पर शब्द "such" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा २७ का संशोधन।

१६—क—मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा २८ के रूप में रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ में एक नई धारा का बढ़ाया जाना।

"Manner of appointment of officers and members of Authorit i

28. (1) Save where expressly provided to the contrary, officers and members of the authorities of the University shall[, as far as may be,] be chosen [by methods other than election] in the manner prescribed by the Statutes."

[(2) Where provision is made by this Act or the Statutes for any election, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.]

(2) Where provision is made in this Act for an election, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and where such provision is made in a Statute it shall be held in the manner prescribed by the Statutes.

(3) Where provision is made in this Act or the Statutes for any appointment by rotation or according to seniority or other qualification, the manner of [determining] rotation and determination of seniority [or such] and other qualification shall be prescribed by the Statutes."

पू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २९ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Teachers.

29. (1) Subject to the provisions of this Act, and except as provided in sub-section (3), the teachers of the University and the Associated Colleges shall be appointed by the Executive Council or the Management of the Associated College, as the case may be, on the recommendation of the Selection Committee in such manner as may be prescribed by the Statutes.

[(2) Every appointment under sub-section (1) shall, in the first instance, be on probation for such period and on such conditions as may be prescribed by the Statutes, and shall require to be confirmed by the Executive Council or the Management.]

[(3) Appointment in vacancies or posts likely to last for not more than six months may be made by the Executive Council or the Management without the advice of the Selection Committee."]

(2) Every teacher appointed under sub-section (1) shall, in the first instance, be on probation for such period as may be prescribed by the Statutes and he shall not be confirmed ;

(*a*) If he is a teacher of the University except by the order of the Executive Council after considering the reports of the Vice-Chancellor and the Head of the Department and the Dean concerned, and

(*b*) if he is a teacher of an Associated College, except by the order of the Management after considering the reports of the senior teacher of the subject and the Principal of the College.

(3) The Executive Council or the Management, as the case may be, may make officiating appointments in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the Selection Committee but shall not fill any other vacancy or post likely to last for more than six months without such reference."

२१—मूल अधिनियम की धारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें 29-A [और 29-B,] के रूप में बढ़ा दी जायं—

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ में एक नई धारा का बढ़ाया जाना।

"The Selection Committees.

[29-A. (1) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study. It shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman ;

(ii) the Dean of the Faculty concerned ;

(iii) three experts in the case of the appointment of a Professor or a Reader and two experts in other cases ;

(iv) the Head of the Department concerned ;

(v) a member of the Executive Council not being a teacher to be chosen by the Council ;

(vi) where the appointment is to be in an Associated College, the Principal of that college.

(2) The experts referred to in sub-clause (iii) of sub-section (1) shall be appointed by the Chancellor out of a panel prepared under sub-section (3).

(3) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall invite any three Universities established by law in India to propose two or such larger number of experts in the particular subject as the Chancellor may require and all names so proposed shall be included in the panel. The panel shall be revised, unless the Chancellor directs otherwise, after every two years.

Explanation.—For the purpose of this section a branch of a subject in which an independent course of study is prescribed for a post-graduate degree shall be deemed to be a subject of study.

(4) No recommendation shall be made by a Selection Committee unless it is supported in the case of appointments to the office of Professor or Reader by two experts, and in other cases by one expert.

(5) If the Executive Council or the Management disagrees with the recommendation of the Selection Committee it may return the recommendation to

the Selection Committee with its reasons for disagreement. The Selection Committee shall thereupon review its recommendations in the light of the reasons given by the Executive Council or the Management. Where the Selection Committee reiterates its original recommendation, it shall be accepted by the Executive Council or the Management; in case the Selection Committee makes a fresh recommendation, it shall be treated as though it were an original recommendation."]

29-A. (1) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study consisting of--

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman;

(ii) the Dean of the Faculty concerned;

(iii) two experts;

(iv) the Head of the Department concerned except where he is a candidate for the appointment;

(v) two members of the Executive Council, not being teachers, to be chosen by the Council according to system of proportional representation by means of the single transferable vote, provided that the same two members may serve on more than one Committee or on all Committees; and

(vi) the Principal and one representative of the Management of the College, where the appointment is to be in an Associated College.

(2) The experts referred to in sub-clause (iii) of sub-section (1) shall be appointed by the Chancellor out of a panel prepared under sub-section (3).

(3) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall obtain from such Universities established by law in India and such research institutes and learned societies as he may deem fit, the names of experts in the particular subject and all names so obtained shall be included in the panel. The panel shall, unless the Chancellor directs otherwise, be revised after every two years.

(4) Where the Selection Committee has recommended the name of a person for appointment as teacher and the rcommendation is supported by a majority of the members of the Committee including two experts, the Executive Council, or as the case may be, the Management shall either accept the recommendation or refer the case to the Chancellor with its comments.

(5) Where in any case a Selection Committee has recommended the name of a person and the recommendation is supported by a majority of the members of the Committee but not by at least two experts, the Executive Council or the Management, as the case may be, shall refer the case to the Chancellor, with its own recommendation and the opinion of the experts.

Explanation.—For the purpose of sub-sections (4) and (5) the Head of the Department if he is a member shall be deemed to be an expert.

(6) Where a reference has been made to the Chancellor under sub-section (4) or (5), the Chancellor shall be free to appoint such person as he considers suitable :

(7) The Selection Committee shall subject to availability of suitable candidates, recommend more than one person against each vacancy and place their names in the order of preference. It shall not be open to the Executive Council or the Management, as the case may be, to depart from the order in which the names are recommended.

"The Consultative Committee.

29-B. (1) There shall be established a Committee consisting of three persons of such qualifications and to be appointed in such manner as may be prescribed by the Statutes. It shall be called the Consultative Committee.

(2) It shall be the duty of the Consultative Committee whenever so required by the Vice-Chancellor to advise on any disciplinary matter affecting a teacher of the University.

(3) Where the Consultative Committee has recommended disciplinary action in any case and the Executive Council does not agree with the Committee, the matter shall be referred to the Chancellor who may take such action as he deems fit."]

२२—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा ३० का संशोधन।

"Statutes.

30. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for the following—

(*a*) the constitution, powers and duties of the Authorities and Boards of the University ;

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities

and Boards of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities and Boards for which it may be necessary or desirable to provide ;

(*c*) the institution and maintenance of colleges and hostels ;

(*d*) the designation, manner of [appointment,] recruitment, powers and duties of the officers of the University ;

(*e*) the classification and [mode of appointment] the manner of recruitment of teachers ;

(*f*) the constitution of a provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University ;

(*ff*) the institution of degrees and diplomas ;

(*g*) the conferment of honorary degrees ;

(*h*) the withdrawal of degrees, diplomas, and other academic distinctions ;

(*i*) the conditions on which an institution may be granted recognition as an Associated College and be liable to the withdrawal of such recognition ;

(*j*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(*k*) the establishment of departments of teaching in the Faculties ;

(*l*) the maintenance of a Register of Registered Graduates ;

(*m*) the holding of Convocation ;

(*n*) the institution of fellowships, scholarships, bursaries, medals and prizes ; and

(*o*) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३१ का संशोधन।

२३—मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (4) में शब्द "Court" और "it" के बीच के शब्द "returned thereto" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३२ का संशोधन।

२४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Ordinances. 32. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students to the University and their enrolment and continuance as such ;

(*b*) the courses of study to be laid down for all degrees and diplomas of the University ;

(*c*) the conditions under which students shall be admitted to the degree, diploma, or other courses and to the examinations of the University, and shall be eligible for the award of degrees and diplomas ;

(*d*) the conditions of residence of the students of the University and the levying of fees for residence in Colleges and Hostels maintained by the University ;

(*e*) the recognition of colleges and hostels not maintained by the University ;

(*f*) the number, qualifications, emoluments and [terms and] the other conditions of service (including the age of retirement) of teachers and salaried officers of the University ; and the preparation and maintenance of record of their service and activities ;

(*g*) the fees which may be charged by the University for any purpose ;

(*h*) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instruction in colleges and hostels ;

(*i*) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators ;

(*j*) the conduct of examinations ;

(*k*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed on the business of the University ;

(*l*) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, bursaries, medals and prizes ;

(*m*) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ में एक नई धारा का बढ़ाया जाना ।

२४—क—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उप-धारा (1) में निम्नलिखित तथा खंड (*e*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*e*) affecting the income or expenditure of the University unless a draft of such ordinance has been submitted to the State Government and the State Government does not object."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३४ का संशोधन।

२५—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (4) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for courses of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Board of the Faculty concerned.

The Academic Council may not alter a draft received from the [Faculty Board] Board of Faculty but may reject the draft received or return it to the [Faculty Board] Board of Faculty for further consideration together with its own suggestions."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३६ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ३६ में—

(१) उपधारा (३) में शब्द "any member of the Residence, Health and Discipline Board, authorised in this behalf by the Board or by any authority or officer of the University authorised in this behalf by the Executive Council" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"such persons as may be authorised in that behalf by the Statutes or the Executive Council."

(२) उपधारा (4) में शब्द "Management" के पहले आये हुए शब्द "Committee of" निकाल दिये जाय।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ में दो नई धाराओं का बढ़ाया जाना।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें 36-A और 36-B के रूप में बढ़ा दी जांय—

"Associated Colleges.

36-A. (1) Associated Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) It shall be lawful for an Associated College to make arrangements with any other Associated College or colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

(3) The conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no Associated College shall be authorised to impart instruction for post-graduate degrees.

(4) Except as provided by this Act, the management of an Associated College shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such College shall be responsible for the due maintenance of discipline in it.

(5) An Associated College shall be inspected at intervals of not more than three years in the manner prescribed by the Statutes and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(6) The recognition of an Associated College may, with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn by the Executive Council if it is satisfied, after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defects in its work pointed out by the Executive Council."

Non-Co'legiate] "The Delegacy.'

36-B. There shall be a [Non-Collegiate] Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any college or hostel. The constitution, powers and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes."

२८—मूल अधिनियम की धारा ३७ में उपधारायें (2) और (3) निकाल दी जांय और निम्नलिखित नई उपधारायें (4) और (5) के रूप में बढ़ा दी जांय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३७ का संशोधन।

"(4) Any student whose work is unsatisfactory may be removed from the University or an Associated College in accordance with the provisions of the Ordinances.

(5) The University shall not, save with the previous sanction of the [State Government] Chancellor recognise for the purpose of admission to a course of study for a degree any degree conferred by any other University or as equivalent to the Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, any examination conducted by any other authority."

२९—मूल अधिनियम की धारा ३८ में—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३८ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) के अन्त में शब्द "in the manner Prescribed by the Statutes" बढ़ा दिये जायं।

(२) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

" (3) At least one person not employed in the University, an Associated College, or a College shall be appointed examiner for each subject prescribed for a degree."

(३) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

" (4) The Board of each Faculty shall appoint an Examination Committee for every subject assigned to the Faculty. The Committee shall consist of such persons as the Board may, subject to the approval of the Academic Council, appoint from among its own members or from outside. The

Committee shall have power to moderate question papers set for examination, review the quality of the work submitted by candidates for examination, report on the standard of attainment and make recommendations in regard to any of these matters. Any review, report or recommendation made by the Committee shall be laid before the Academic Council for its consideration."

(४) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) के रूप में रख दिया जाय—

"(5) Every person appointed as [an] examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३९ का संशोधन।

२९-क- मूल अधिनियम की धारा ३९ में शब्द "to the Executive Council" के पश्चात् आने वाले निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जांय :

"which shall take such action as it thinks fit and the Executive Council shall inform the Court of the action taken by it and, where no action is taken, of its reasons therefor."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४० का संशोधन।

३०—मूल अधिनियम की धारा ४० में—

[(१) उपधारा (1) के **अन्त में** निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"The State Government shall cause an audit of the entire accounts of the University for each year to be carried out by auditors of high standing. The accounts shall include all funds accruing to the University under this Act, the Statutes and the Ordinances."]

(१) उपधारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council, and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(1-A) A copy of the accounts and the balance sheet shall be submitted to the State Government which shall cause an audit to be carried out by auditors of high standing.

(2) The accounts when audited shall be printed and copies thereof shall together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council to the Court and the State Government."

[(२) उपधारा (2) में शब्द "published by the Executive Council in the Gazette" के स्थान पर शब्द "printed" रख दिया जाय और उपधारा के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"It shall be lawful for the State Government to require any person, who, after consideration of his explanation in writing, is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary.]

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (2-A) और (2-B) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

(2-A) It shall be lawful for the State Government to require any person who is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances, to reimburse the amount so spent and the State Government may take all such steps as may be deemed necessary.

Provided that the State Government shall before requiring any person as aforesaid give him a reasonable opportunity of making a representation.

(2-B) उपधारा (6) में शब्द 'Executive Council' के पश्चात आने वाले निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जांय:—

"which shall take them into consideration, and take such action thereon as it thinks fit, or inform the Court, when no action is taken, of its reasons therefor."

(३) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7) के रूप में रख दिया जाय—

"(7) Except in so far as such expenditure is incurred out of funds accruing under clause (*c*) of sub-section (1) of Section 21, it shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the Budget."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४२ का संशोधन।

३१—मूल अधिनियम की धारा ४२ में शब्द "body of the University" और शब्द "the matter" के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"or whether any decision of the University or any Authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes and the Ordinances".

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४४ का संशोधन।

३२—मूल अधिनियम की धारा ४४ में निम्नलिखित उपधारा (2) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा को उपधारा (1) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय—

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४५ का संशोधन।

३३—मूल अधिनियम की धारा ४५ में शब्द "members" के पश्चात् [फुलस्टाप के स्थान पर] निम्नलिखित रख दिया जाय—

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so"

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४७ का संशोधन।

३४—मूल अधिनियम की धारा ४७ में शब्द "Indian Arbitration Act, 1899" के स्थान पर शब्द "Arbitration Act, 1940 (Act X, 1940)" रख दिये जांय।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

३५—मूल अधिनियम, परिनियमों (Statutes) या अध्यादेशों (Ordinances) में किसी बात के होते हुये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसे यहां पर आगे चल कर "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदासीन अथवा संगठित किसी निर्वाचित अधिकारी अथवा प्राधिकारी का कार्यकाल इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तदनुरूप (corresponding) अधिकारी अथवा प्राधिकारी के नियुक्त, निर्वाचित अथवा संगठित किये जाने पर समाप्त हो जायगा।

३६—मूल अधिनियम अथवा संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी संशोधन अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् चांसलर किसी भी समय किसी व्यक्ति को वाइस-चांसलर नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति के लिये धारा ११ में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा। इस प्रकार नियुक्त वाइस-चांसलर संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन वाइस-चांसलर के सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का

सम्पादन करेगा और एक वर्ष तक अपने पद पर रहेगा । परन्तु यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो चांसलर अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है ।

३७— संशोधन अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये वैध होगा कि वह इस संबंध में ऐसा कोई भी कार्य करे, जो संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों के उचित संगठन के लिये सामान्यतः आवश्यक हो जिसके अंतर्गत परिनियमों (Statutes) का बनाना भी है और ऐसे परिनियमों के प्रचलित होने (coming into force) के दिनांक निश्चित करे।

इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियम (Statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन, कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें अधिक्रांत (supersede) न कर दिया जाय।

३८—(१) राज्य सरकार मूल अधिनियम के उपबन्धों से संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रति विशेषकर संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) आदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित उक्त मूल अधिनियम उस कालावधि में जिसे आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, परिष्कार (modification), परिवर्धन अथवा लोप (omission) के रूप में किये गये ऐसे अनुकलनों के अधीन जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे, प्रभावशील होगा; या

(ख) आदेश दे सकती है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उस समय तक जब तक कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम के अधीन और अनुसार यूनिवर्सिटी प्राधिकारी संगठित अथवा नियुक्त न किये जांय, यूनिवर्सिटी के ऐसे प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार अथवा सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य और कृत्य संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व के दिनांक पर स्थापित तदनुरूप प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायंगे; या

(ग) आदेश दे सकती है कि संशोधित अधिनिम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रचलित कोई परिनियम (Statute) अध्यादेश या विनियम (Regulation) ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों, परिवर्धनों और लोपों (omissions) के अधीन, जैसा कि वह उचित और आवश्यक समझे, उस समय तक आगे भी प्रचलित रहेंगे जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कार्य करके उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय, या

(घ) ऐसी कोई कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा न दी जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जायेगा कि उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करने की आवश्यकता नहीं थी ।

उद्देश्य और कारण

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट आज से ३२ वर्ष पूर्व सन् १९२१ ई० में बना था । इस राज्य के विश्वविद्यालयों में सुधार का प्रश्न सन् १९३८ से ही शासन के विचाराधीन रहा है जब कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी । तब से इस समस्या पर भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (इंडियन यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन) द्वारा तथा इस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनधियों के सम्मेलन में भी विचार किया गया । इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली की त्रुटियों पर विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त "जांच समिति" ने, जिसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस श्री ओ०एच० मूथम थे, पूरी तौर पर जांच की है । प्रस्तुत विधेयक में विभिन्न समितियों एवं अभिकरणों की सिफारिशों के आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधान और कार्य प्रणाली को उन्नत करन का प्रयास किया गया है ।

अतः यह विधेयक सदन के विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है ।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मन्त्री ।

नत्थी 'त'

[देखिये पीछे पृष्ठ ४० पर]

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विधान सभा की प्रवर समिति की आख्या (Report)

लखनऊ युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, उत्तर प्रदेश सरकारी गजट (असाधारण) दिनांक ६ मई, १९५४ में प्रकाशित हुआ था।

२--प्रवर समिति की बैठक नैनीताल में दिनांक १० और ११ जून, १९५४ को हुई। समिति के समक्ष विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सुझाव एवं विधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधन थे, जिनकी नोटिस वे दे चुके थे। समिति की बैठक ६ अगस्त, १९५४ को लखनऊ में आख्या (report) को परिनिष्ठित करने एवं हस्ताक्षरित करने के लिए हुई।

३--समिति द्वारा विधेयक में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तनों का सुझाव दिया गया :--

(१) मूल अधिनियम की प्रस्तावना (preamble) का लक्ष्य विश्वविद्यालय को एकात्मक (Unitary) और आवासिक रूप प्रदान करना है और विश्वविद्यालय को उसे बनाये रखना चाहिए तथा खंड २, जो इसे परिवर्तित करना चाहता है, निकाल दिया जाना चाहिए।

(२) धारा २ (एच) में "Teacher of the University" की परिभाषा संशोधित करके निम्नलिखित कर दी जाय--

"Teacher of the University" means the person appointed and paid by the University for imparting instruction or conducting research in the University or a Constituent College.

(३) 'Student of University' (विश्वविद्यालय का छात्र) की परिभाषा के अन्तर्गत धारा २ के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संचालित डिप्लोमा अथवा अन्य सम्मान के हेतु पाठ्यक्रम ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। [धारा २]

(४) संघटक (Constituent) कालेज अथवा सम्बद्ध प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त संस्था में गवेषणा करने के उपलक्ष में गवेषणा उपाधियां प्रदान करने की अनुज्ञा होनी चाहिए। [उदाहरणतः कोई अस्पताल या सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च (इन्स्टीटचूट)]

(५) उन व्यक्तियों के लिए धारा ४ (४) में डिप्लोमा प्रदान करने की व्यवस्था, जो विश्वविद्यालय के मेम्बर (सदस्य) नहीं हैं, निकाल दी जानी चाहिए।

(६) एक्जीक्यूटिव कौंसिल के अतिरिक्त कोर्ट को भी निरीक्षक अथवा जांच की आख्या पर विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए। [धारा ७]

(७) एक्जीक्यूटिव कौंसिल को उप-कुलपति (Vice-Chancellor) की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुलपति के पास सिफारिश करने में जहां तक हो सके एकमत सिफारिश भेजनी चाहिए। यदि पहली बैठक में मतैक्य न हो सके तो पहली बैठक के पश्चात् दस दिन के भीतर होने वाली दूसरी बैठक में इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यदि मतैक्य से एक नाम की सिफारिश की जायगी, तो कुलपति उसे उपकुलपति नियुक्त करेंगे। यदि मतैक्य न हो सके, और प्रस्तावित नाम तीन से अधिक न हों, तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल उन्हें कुलपति के पास प्रस्तुत करेगी। यदि उनकी संख्या तीन से अधिक हो तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल एकल हस्तान्तरणीय मत (single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व शैली से (system of proportional representation) तीन नाम चनेगी और उन्हें

कुलपति के पास अग्रसारित करेगी, जो या तो उनमें से किसी एक को उप-कुलपति नियुक्त कर देगा अथवा एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास पुनर्विचारार्थ उक्त नामों को अभिदिष्ट करेगा। इस प्रकार तब एक्जीक्यूटिव कौंसिल को पहले भेजे हुए नामों में से एक नाम को मतैक्य से भेजने का अथवा नया नाम भेजने का अवसर मिलेगा। फिर यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक मत से सिफारिश भेजने में असमर्थ हो, और वह तो पहले वाले नाम अथवा उनमें परिवर्धन अथवा परिवर्तन करके कोई भी नाम भेज सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार प्रस्तुत नामों की संख्या तीन से अधिक न होगी। यदि कुलपति को प्रस्तुत करने के लिए नामों की संख्या तीन से अधिक न हो तो कौंसिल एकल हस्तान्तरणीय मत (single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व शैली (system of proportional representation) के अनुसार चुने हुए केवल तीन नाम भेजेगी। कुलपति परिनिष्ठित रूप से सिफारिश किये हुए व्यक्तियों में से किसी एक को उप-कुलपति नियुक्त करेगा।

(८) ऐक्ट की धारा १० की उपधारा (७) में यह व्यवस्था कर दी जानी चाहिए कि उप-कुलपति के पारिश्रमिक एवं सेवा के प्रतिबन्ध किसी एक ही व्यक्ति के कार्यकाल में उसके निमित्त हानिप्रद रूप से नहीं परिवर्तित किये जायेंगे। [धारा ११ (५)] इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (५) [विधेयक का खंड (८)] निकाल दिया जाय तथा उपधारा (८) और (१) संयोजित कर दी जायं।

(९) विधेयक के खंड १० के अधीन धारा ११ (१) पुनर्लिखित की जाय। "He shall be an *ex-officio* member" आरम्भ होने वाला द्वितीय वाक्य द्विधा कर दिया जाय और निम्नलिखित रूप से लिखा जाय--

"He shall be an *ex-officio* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council. He shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meetings of any other authority or body of the University but shall not merely by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat."

(१०) कुलपति एक्जीक्यूटिव कौंसिल की सिफारिश पर कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक मत से किसी व्यक्ति की सिफारिश करती है, तो वह तदनुसार नियुक्त कर दिया जायगा। यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल एकमत न हो तो उसे उप-कुलपति के लिए नियत रीति से तीन से अनधिक नाम भेजना चाहिए और कुलपति को उनमें से एक व्यक्ति की (इसे उपकुलपति के मामलों की भांति पुनर्विचार के लिए बिना अभिदिष्ट किये हुए) नियुक्ति कर देनी चाहिए। [देखिए धारा १२]

(११) कोर्ट के संगठन में (धारा १६)--

(क) शिक्षा संचालक को पदेन सदस्य होना चाहिए;

(ख) सभी विभागों के अध्यक्षों तथा सभी प्रोफेसरों को, जो विभागों के अध्यक्ष नहीं हैं, चाहे वे विश्वविद्यालय के हों अथवा कांस्टीटचूएन्ट (संघटक) कालेज के [किन्तु एसोसियेटेड (संसक्त) कालेज के नहीं] पदेन सदस्य होना चाहिए;

(ग) आइटम (मद), (xii), (xiv) और (xviii) के अधीन कोर्ट की सदस्यता के प्रयोजनों के लिए कांस्टीटचुएन्ट कालेज को दिये हुए प्रदान और दान (gifts and donations) युनिवर्सिटी के निमित्त दिये हुए प्रदान और दानों के समकक्ष योग्यता होंगे।

(घ) मद (xix) के अधीन कोर्ट में प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिए कांस्टीटचुएन्ट कालेज के शिक्षक विश्वविद्यालय के शिक्षकों की भांति पात्र होंगे।

(ङ) अधिनियम में विधान मण्डल" के सदस्यों की संख्या विधान सभा की पांच और विधान परिषद् की दो नियत होनी चाहिए;

(च) कुलपति द्वारा नामांकित सदस्यों की संख्या दस से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

(छ) आजीवन सदस्य तथा ताल्लुकेदारों के प्रतिनिधियों को छोड़कर कोर्ट के कुल सदस्यों की संख्या १६० से अधिक न होनी चाहिए;

(ज) कोर्ट में अविरत अनुपस्थिति के कारण किसी सदस्य के स्थान को रिक्त प्रख्यापित करने का अधिकार कोर्ट में ही निहित होना चाहिए न कि कुलपति में।

(१२) कोर्ट को विश्वविद्यालय के शिक्षण तथा प्रशासन के सम्बद्ध सामान्य नीति के किसी भी विषय पर प्रस्ताव पारित करने का अधिकार होना चाहिए। (धारा १८)।

(१३) एक्जीक्यूटिव कौंसिल का संविधान व्योरे के साथ धारा १९ में उल्लिखित होना चाहिए और बाहरी और भीतरी सदस्यों में समानता के हेतु कुलपति द्वारा नामांकित सदस्यों की संख्या फैकल्टियों के डीनों (Deans of Faculties) की संख्या के बराबर होनी चाहिए। पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होना चाहिए। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ एक्जीक्यूटिव कौंसिल में कांस्टिटुएन्ट कालेज के शिक्षकों का भी प्रतिनिधत्व होना चाहिए, कोर्ट द्वारा निर्वाचित सदस्यों की नियुक्ति की रीति, प्रविधि (Statute) द्वारा नियत होनी चाहिए ।

(१४) अधिनियम में निम्नलिखित की व्यवस्था की जानी चाहिए---

(क) एक्जीक्यूटिव कौंसिल को कोर्ट द्वारा पारित प्रस्तावों पर उचित विचार और ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए, जिसे वह उपयुक्त समझे तथा इस कार्य में असमर्थ होने पर उसे तत्सम्बन्धी कारण बतलाने पड़ेंगे [धारा २०(५)];

(ख) एक्जीक्यूटिव कौंसिल प्रविधियों (Statutes) में उल्लिखित किये जाने वाले प्रतिबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी (Officer or Authority) को अपने कृत्य प्रतिनिधायित कर सकती है [धारा २० (६)];

(ग) एकेडेमिक कौंसिल के सदस्यों की संख्या ७५ से अधिक नहीं होनी चाहिए (धारा २१);

(घ) कोर्ट का कोई भी सदस्य जो कमेटी आफ रेफरेंस (अभिदेश समिति) में कार्य करता हो, विश्वविद्यालय का नौकर न होना चाहिए (धारा २२);

(ङ) विभाग के अध्यक्षों (heads of departments) के कर्त्तव्य, अधिकार और कृत्य आर्डिनेंसों द्वारा नियत होना चाहिए (धारा २३);

(१५) पद "Non Collegiate Delegacy" में से जहां कहीं भी यह विधेयक में आया हो शब्द "Non collegiate" निकाल दिये जाँय [धारा ३३—बी];

(१६) निम्नलिखित विषय धारा २९ की मदों में, जिसके लिए आर्डिनेंस बनाया जाय, जोड़ दिये जांय—

(*a*) Continuance of a Student of the University as such;

(*b*) Maintenance of a record of the service and activities of teachers and salaried officers of the University;

(*c*) Conditions of services of teachers.

(१७) परीक्षण काल के बाद, कार्य की आख्या पर विचार करने के पश्चात् शिक्षकों का पुष्टीकरण (confirmation) कर दिया जाय। दस महीने की अथवा उससे कम की अवकाश-रिक्तियों में स्थानापन्न नियुक्तियां एक्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा (अथवा प्रबन्धक वर्ग द्वारा) बिना सेलेक्शन कमेटी (चुनाव समिति) के अभिदेश की जाय, किन्तु अन्य कोई नियुक्ति जो छः महीने अथवा इससे अधिक संभवतः चलने को हो, बिना ऐसे अभिदेश के न की जाय (धारा ३१–ए);

(१८) सेलेक्शन कमेटी (चुनाव समिति) (धारा ३१–बी) के संगठन में—

(क) प्रोफेसर अथवा रीडर की नियुक्ति की दशा में केवल दो विशेषज्ञ तथा अन्य दशाओं में केवल एक विशेषज्ञ रहना चाहिए और विभागाध्यक्ष को (जब तक कि वह स्वयं नियुक्ति के लिए पदाभिलाषी न हो) विशेषज्ञ मानना चाहिए ;

(ख) एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों की संख्या (एक के स्थान पर) दो होनी चाहिए ;

(ग) कुलपति को विश्वविद्यालयों, गवेषणा-मन्दिरों, तथा विद्वत् मंडलियों से उपलब्ध नामों की सूची में से विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी चाहिए; सभी उपलब्ध नाम विशिष्ट सूची में होने चाहिए ;

(घ) जब संयुक्त (Associated) कालेज की नियुक्तियां विचाराधीन हों तब सेलेक्शन कमेटी (चुनाव समिति) में कालेज के प्रिंसिपल के अतिरिक्त प्रबन्धक वर्ग का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए।

(१९) उन दशाओं में जब कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल अथवा प्रबन्धक वर्ग सेलेक्शन कमेटी (चुनाव समिति) की एक मत सिफारिश अथवा बहुमत एवं दो विशेषज्ञों द्वारा समर्थित सिफारिश न स्वीकार करे तो मामला कुलपति को अभिदिष्ट होना चाहिए जो नियुक्ति करेंगे (धारा ३१–बी);

(२०) किसी भी दशा में सेलेक्शन कमेटी (चुनाव समिति) का बहुमत निर्णय दो विशेषज्ञों के बहुमत निर्णय द्वारा समर्थित न होने पर समिति के विचार एक्जीक्यूटिव कौंसिल को संदिष्ट किये जाने चाहिए, जो अपनी सिफारिश सहित मामला कुलपति के पास अभिदिष्ट करेगी, जो जिस प्रकार भी उचित समझें, नियुक्ति करेंगे (धारा ३१–बी);

(२१) उप-कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी भी वेतन भोगी अधिकारी अथवा शिक्षक के विरुद्ध आनुशासिक कार्यवाही (विसर्जन, निष्कासन, पद-न्यूनन अथवा वेतन वृद्धि अवरोध के दण्ड को छोड़कर 'short of punishment by dismissal,

removal, reduction in rank or stoppage of increment) करने का अधिकार होना चाहिए। उन दशाओं में जब कि विसर्जन, निष्कासन, वेतन-वृद्धि-अवरोध अथवा पद-न्यूनन का दण्ड उसकी राय में आवश्यक हो तो उसे स्वयं निर्वाचित ऐसे व्यक्ति के परामर्श से, जो हाई कोर्ट का जज हो अथवा रह चुका हो तथा दोनों व्यक्तियों द्वारा अनुयोजित (co-opted) तृतीय व्यक्ति के परामर्श से कार्य करना चाहिए। उप-कुलपति को इस संस्था की सिफारिशें एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने रखनी चाहिए और यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल यह सिफारिश न माने तो मामला कुलपति के पास अभिदिष्ट होना चाहिए (धारा ३१-सी) ;

इन उपबन्धों को कन्सल्टेटिव कमेटी (Consultative Committee) नामक नवीन शीर्षक के अन्तर्गत रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें धारा ११ में रख दिया जाय, जिसमें ऐसे आवश्यक, पारिणामिक (consequential) संशोधन कर दिये जांय, जिनसे वर्तमान उपबन्धों से असंगति हट जाय।

(२२) धारा २६–ए (१) के अन्तिम शब्द "other than election" के स्थान पर शब्द "prescribed by statutes" रख दिये जांय।

(२३) धारा ३० को संशोधित करने के लिए विधेयक में एक नया खंड २४–ए के रूप में जोड़ दिया जाय, जिससे वित्तीय महत्व का कोई भी आर्डिनेंस तब तक प्रचलित न हो सके, जब तक कि वे कुलपति द्वारा स्वीकृत न हो जाय अथवा जब तक कुलपति के पास प्रस्तुतकरण के पश्चात् दो महीने व्यतीत न हो जायं, और कुलपति उसे स्थगित अथवा अस्वीकृत करने का अपना विचार न प्रकट करें।

(२४) धारा ३३–ए की उपधारा (६) में यह व्यवस्था की जाय कि एक्जीक्युटिव कौंसिल किसी भी संसक्त कालेज (Associated College) की मान्यता (recognition) वापिस ले सकती है, यदि वह संतुष्ट हो कि इत्यादि।

(२५) धारा ३७ (१) पुनर्लिखित की जाय।

(२६) धारा २० (५) के पश्चात् खंड ३३ अनावश्यक होने के कारण निकाल दिया जाय ;

(२७) संशोधित धारा ३७ (२) (ए) के अधीन अनियमित रूप से व्ययित धनराशि का पुनर्भुगतान करने के लिए आज्ञाप्त व्यक्ति को स्पष्टीकरण अथवा निवेदन पत्र प्रस्तुत करने का निश्चित समय मिलना चाहिए ;

४––समिति ने विधेयक में अन्य अल्प परिवर्तनों का सुझाव दिया है ;

५––विधेयक की एक प्रति जिसमें समिति के निर्णयानुसार संशोधन प्रदर्शित है, संलग्न है।

६––प्रवर समिति के विचार में विधेयक का पुनःप्रकाशन आवश्यक नहीं है।

(१) गोविन्द वल्लभ पन्त

(२) हर गोविन्द सिंह

(३) चन्द्रभानु गुप्त

(४) मंगला प्रसाद

(५) राम नारायण त्रिपाठी*
(६) वसी नक़वी
(७) धर्म सिंह
(८) नेक राम शर्मा
(९) नारायण दत्त तिवारी*
(१०) राधा कृष्ण अग्रवाल
(११) जुगल किशोर
(१२) वीरेन्द्रपति यादव
(१३) कैलाश प्रकाश
(१४) सीता राम
(१५) एस० एन० काटजू

दिनांक ६ अगस्त, १९५४

*असहमति टिप्पणी के अधीन

NOTE OF DISSENT ON THE REPORT OF THE SELECT COMMITTEE ON THE LUCKNOW UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 1954

It has been a stroke of calculated coincidence that the Legislature has the opportunity of amending the constitutions of both the Unitary and Teaching Universities in the Province, Allahabad and Lucknow. One particular characteristic of this simultaneous reform has been to bestow a more or less similar organizational pattern to both the Universities in the constitution of practically all the Officers and the Authorities. The Select Committee has streamlined such a process through its deliberations. Therefore we need not burden the proceedings and the Report with a repetition of the same arguments in principle, if not in detail, which we have discussed while submitting our note of dissent to the Allahabad University (Amendment) Bill, 1954. We are aware of the fact that the Lucknow University has been fortunate enough to eschew power–politics at least to the external eye in outward appearances, which has not been the privilege of Allahabad. Thus it has been spared the efforts and solicitations of a Mootham Enquiry Committee like Allahabad. This perspective infallibility of the academic spirit may have been due to high standards maintained by the teachers of the University or through the subjective demeanour of the influential circles outside the University, but still it is better to remain in guard against fissiparous parallelism. Financially the Lucknow University is in no better position than Allahabad, and the block-grant system on the part of the Government through the agency of the University-Grants-Committee is long overdue. The following additional comments are given which deserve special attention.

The Constituent College

The Constituent College has been merely provided for in the Lucknow University (Amendment) Bill, 1954, which means therein an institution maintained by the University or by the State Government and authorized to conduct all the teaching necessary for admission to a degree of the University. We feel it undesirable and objectionable on principle to have Constituent Colleges of this type tugged on to a University of unitary, teaching and residential character. The definition of such a University was outlined by the Sadler Commission in its recommendations regarding the Dacca University ' as being one wherein all formal instruction given in the name of the University should be given by officers of the University and under the direct control of the University authorities, no collegiate organization being interposed between these authorities and the students ' but Constitutent Colleges imply the definition, as well put by the Radhakrishnan Commission that ' Without the Colleges there would be no University. Teaching is shared between the College and the University '. We may find such a pattern at Oxford or Cambridge, where each college is an independent body, but collectively the colleges provide all the students and almost all the staff of the University. Such Constituent Colleges can only function in a Federative Teaching University, of which the Delhi University is the sole example, its college groups being administered separately inspite of their being Constituent parts of the University.

Again, the Radhakrishnan Commission recommended the Durham plan of Constituent Colleges as the ' more appropriate for Indian conditions in general, i.e., the presumption should be that Constituent Colleges should be those for whose finances, appointments and administration the University itself is responsible '. It is not in the interest of University autonomy also to recognize Constituent Colleges wholly maintained, manned and administered by the State Government. Let the State Government leave all such administration in the hands of the University and include the budgetary provision for its Colleges in the block-grants for the University.

The system of proportional representation

This Amending Bill seemingly differs in one important respect from its Allahabad counterpart. Clause 19-A (2) of the Allahabad Bill stipulates that ' where provision is made in this Act for an election, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and where such provision is made in a Statute it shall be held in the manner prescribed by the Statutes '. No such clause exists in the Lucknow Bill inspite of the fact that practically everywhere the proportional system has been introduced in all places where provision for election is made in the Act alike the Allahabad Bill. Therefore it goes without saying that either such a sub-clause as above is to be considered as redundant in the Allahabad Bill or it is also necessary to be inserted in the Lucknow framework.

It has not been made clear by clause 22 of the Bill that what procedure may be termed as to be the methods other than election. In absence of any exact definition, such a provision may be interpreted very loosely leading to unnecessary friction and embarassment.

The Examination System

It is extremely regretted that the Bill has not provided for any desirable reform in the Examination system, which has been the subject of rightful criticism since long. A new suggestion that has been introduced empowers

the Board of each Faculty to appoint an Examination Committee for every subject assigned to the Faculty. This itself is a controversial and objectionable proposition, as the non-approval of the Academic Council in certain cases may lead to unnecessary friction. It would have been desirable if the recommendations of the Radhakrishnan Commission for the Universities to have a permanent full-time 'Board of Examiners' consisting of three persons might have been incorporated for initiating objective test, techniques and progress-test system.

Reimbursement of Unauthorised Expenditure

It seems to us incongruous for the State Government to step in to require any person who is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget, or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances, to reimburse the amount so spent and to take all such steps as may be deemed necessary in this connection. The State Government is not directly responsible for the framing of the University Budget. The only organisation which may claim such reimbursement is the University itself and its appropriate authorities. In view of the new financial set-up proposed by the Bill such a provision seems to be unprecedented. The University itself should take action whenever so required, and in extreme cases the Chancellor may take such steps as he deems fit.

For the rest, it is requested that all the relevant suggestions submitted by us in the note to the Allahabad University (Amendment) Bill, 1954, be considered in sequence to and as parts of this note too.

NARAYAN DATT TIWARI,
RAM NARAIN TRIPATHI,
Members of the Select Committee,
Lucknow University (Amendment) Bill, 1954.

August 21, 1954.

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

(जैसा कि विधान सभा की प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों "[ ]" में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२०।

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० को संशोधित करना आवश्यक है;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे।

[यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की प्रस्तावना का संशोधन।]

[२—लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना (preamble) से शब्द "unitary", और शब्द "and residential" निकाल दिये जांय।]

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २ का संशोधन।

३—लखनऊ युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० (जिसे यहाँ पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

[(१) खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित खंड (*a*) और (*aa*) के रूप में रख दिया जाय—]

(१) खण्ड (*a*) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर खण्ड (*aa*) और (aaa) रख दिये जांय :—

"[(*a*)] (*aa*) 'Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

"[(*aa*)] (*aaa*) 'Constituent College' means an institution maintained by the University or by the State Government and authorised to conduct all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

(२) खंड (*b*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*bb*) और (*bbb*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*bb*) 'Management' means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of an institution recognised by the University."

"(*bbb*) '[Non-Collegiate] Delegacy' means the authority charged under this Act with the care of students of the University not residing in or attached to a Hall."

(३) खंड (*e*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*ee*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*ee*) 'State Government' means the Government of the State of Uttar Pradesh."

(४) खंड (*f*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*ff*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*ff*) 'Student of the University' means a person enrolled in the University or a Constituent College for taking a course of study for a degree, diploma, or other academic distinction duly instituted but does not include a person enrolled in an Associated College."

(५) खंड (*g*) में शब्द "any of its Colleges or Halls", के स्थान पर शब्द "any Associated College, Constitutent College or Hall", रख दिये जांय—

[(६) खंड (*h*) से शब्द "wholly or partly", निकाल दिये जायं और शब्द "instruction" के पश्चात् "for degrees or to guide or conduct research" बढ़ा दिये जायं।]

खण्ड (*h*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Teacher of the University" means a person appointed and paid by the University for imparting instruction or conducting research in the University or a Constiutent College maintained by the University."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ४ में--

(१) उपधारा (1) में शब्द "the University may think fit" के स्थान पर शब्द "may be prescribed by the Ordinances" रख दिये जांय।

(२) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(2) To institute degrees, diplomas and other academic distinctions, and to hold examinations for and grant and confer such degrees and distinctions to and on persons who—

(*a*) shall have pursued a course of study in the University, an Associated College or a Constituent College or carried on research in the University or a Consituent College, under conditions prescribed in the Statutes or Ordinances, or

(*b*) are teachers in educational institutions satisfying conditions prescribed by the Ordinances in this behalf, or

(*c*) shall have carried on [independent] research in an institution recognized in that behalf by the University or independently, under conditions laid down in the Statutes and Ordinances, and shall have passed the examination of the University under conditions prescribed in the Statutes and the Ordinances."

(३) [उपधारा (4) में शब्द 'members' के स्थान पर शब्द 'students' रख दिया जाय।] उपधारा (४) निकाल दिया जाय।

(४) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(8) to maintain Constituent Colleges and Halls and to recognise Associated Colleges and Halls not maintained by the University."

(५) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (8-*a*) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(8-*a*) to inspect Associated Colleges and recognised Halls."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ५ का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा ५ में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ६ का संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा ६ में--

(१) उपधारा (1) में शब्द "conducted by the University" और पुनः शब्द "conducted in the University" के पश्चात् शब्द "or an Associated College or a Constituent College" बढा दिये जांय :

(२) उपधारा (३) में शब्द "Ordinances and" के पश्चात् शब्द "subject thereto by" बढ़ा दिये जायं।

(३) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

["In addition to the recognised teaching, tutorial and other supplementary instruction shall be given in the University or an Associated College or a Constituent College or under the control of the University or such College, in a Hall."]

(4) Teaching given by teachers of the University shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the University or under the authority of the University in a Hall.

Teaching given by the teachers of Associated College or a Constituent College shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the Associated College or Constituent College or in a residential unit attached to it or in another Associated or Constituent College or in the University under an arrangement made between such Associated or Constituent College or with the University.

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ७ का संशोधन।

७--मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"Visitation 7. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, and of any institution maintained or recognised by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University, an Associated College or a Constituent College.

(2) The State Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) The Statee Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council and the Court the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(4) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council together with the views which the Court may have expressed on the report.

(5) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit and the University authorities shall be bound to comply with such directions."

यू० पी० ऐक्ट ५, १६२० की धारा ६ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा ६ में उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor."

यू० पी० ऐक्ट ५, १६२० की धारा १० का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Vice-Chancellor.

[10. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing.

(2) The Executive Council shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor :

Provided that the Chancellor may before making the appointment return the name or names submitted by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then either submit the same name or names or make any additions in them.

(3) Where the name or names proposed in the Executive Council for being submitted to the Chancellor under sub-section (2) do not exceed three, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names so proposed, elect three names, according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) Where one name only has been submitted by the Executive Council and no name has been added under the proviso to sub-section (2) the Chancellor

shall appoint the person whose name has been so submitted by the Executive Council. In other cases the Chancellor may appoint any one of the persons whose names are submitted by the Executive Council under and in accordance with sub-sections (2) and (3).

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(6) No person who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University shall be eligible for re-appointment.

(7) Subject as aforesaid, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.]

10 (1). The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University and be appointed by the Chancellor in the manner provided in this section.

(2) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as are prescribed by the Statutes and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(3) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years but may at any time relinquish office by submitting not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(4) No person who has at any time previously held the office of Vice-Chancellor of the University otherwise than in a vacancy referred to in sub-section (8) shall be eligible for appointment.

(5) The Executive Council shall, as far as may be, at least forty days before a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, meet for the purpose of deciding the name of the person to be recommended to fill the vacancy. If at this meeting the Executive Council decides unanimously the name of any person his name shall be recommended to the Chancellor who shall thereupon appoint him, and if it fails to decide unani-

mously the name of any person it shall adjourn to a date within ten days next following. At the adjourned meeting if the Executive Council—

(*a*) decides unanimously the name of any person he shall be recommended to the Chancellor who shall thereupon appoint him; or

(*b*) is unable to decide unanimously the name of any person it shall in the same meeting decide names not more than three in number of persons suitable for being recommended to the Chancellor : Provided that if more than three names are proposed in that behalf it shall choose three out of them according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote. The names so chosen shall then be recommended to the Chancellor.

(6) On receipt of the recommendation under clause (*b*) of sub-section (5) the Chancellor may, in his discretion—

(*a*) appoint as Vice-Chancellor any one out of the persons recommended by the Executive Council, or

(*b*) return the names to the Executive Council for reconsideration.

(7) Where the Chancellor has returned the names for reconsideration under clause (*b*) of sub-section (6) the Executive Council shall be free—

(*a*) to recommend to the Chancellor the name of any person decided unanimously in which case the person whose name is so decided shall be appointed by the Chancellor, or

(*b*) to recommend to the Chancellor, in case it is unable to decide unanimously the name of any person, the names previously recommended by it or any names, not exceeding three in number, decided in the manner laid down in sub-section (5), and the Chancellor shall appoint anyone out of the names so recommended.

(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause (other than resignation in accordance with sub-section (3) or the expiry of the term) the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor. If the vacancy is, or is likely, to last for a period exceeding six months, the Chancellor shall call upon the Executive

Council to forward its recommendations and the provisions of sub-sections (1), (5) to (7) shall, in so far as may be, apply for the filling of the vacancy. In other cases the Executive Council may, subject to the approval of the Chancellor either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit.

(9) Until arrangements have been made under sub-section (8), the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities."

१०—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ११ का संशोधन

"Powers and duties of the Vice-Chancellor.

[11. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University. He shall be an *ex-officio* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council and shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meetings of any authority or other body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, subject to the powers conferred by this Act on the Chancellor, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council :

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) (*a*) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter: but nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not only duly authorised and provided for in the budget.

(*b*) Where any action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.

(5) The Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Executive Council regarding the appointment, dismissal and suspension of the officers and teachers of the University and shall exercise general control over the affairs of the University. He shall be responsible for the discipline of the University.]

11. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University. He shall be an *ex-officio* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council. He shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meetings of any other Authority or body of the University but shall not merely by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor under Section 39, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council:

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) The Vice-Chancellor, shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline therein.

(5) The Vice-Chancellor may start disciplinary proceedings against any salaried officer or teacher of the University and may, wherever necessary, also place him under suspension. Where disciplinary proceedings have been started as aforesaid by the Vice-Chancellor and the case in his opinion—

(*a*) is not such as may call for punishment by dismissal, removal, stoppage of increment, or reduction in emoluments he may pass such orders as he deems fit;

(*b*) is such as may call for a punishment as aforesaid he shall associate with himself two persons one of whom is or has been a Judge of a High Court and the other is a person co-opted by them.

(6) In any case in which action has been taken under clause (*b*) of sub-section (5) the Vice-Chancellor shall upon the conclusion of the proceedings submit the report to the Executive Council. The Executive Council shall thereupon pass orders according to the report unless it differs therefrom in which case it shall refer the matter to the Chancellor with its recommendation and the Chancellor may then make such order as he deems just and proper.

(7) In any emergency which in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, Authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter but nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(8) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (5) or (7) affects any person in the service of the University to his disadvantage such person may prefer an appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.

(9) Subject as aforesaid, the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Executive Council regarding the appointment, suspension and dismissal of officers and teachers of the University.

[(6)] (10) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances."

११—मूल अधिनियम की धारा १२ में उपधाराओं (1) से (5) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १२ का संशोधन।

"The Treasurer.

12. [(1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor and the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 10 shall apply

as though for the words 'Vice-Chancellor' the word 'Treasurer' had been substituted therein.]

(1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing—

(1-A) The Executive Council shall, so far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of Treasurer and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Treasurer.

(1-B) Where the names proposed in the Executive Council for submission to the Chancellor under sub-section (1-A) do not exceed three in number, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names proposed, elect three names according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(1-C) Where one name only has been submitted by the Executive Council the Chancellor shall appoint the person whose name has been so submitted in other cases the Chancellor may appoint any one of the persons whose names have been submitted by the Executive Council under sub-section (1-B).

(2) The term of office of the Treasurer shall be six years, but he shall notwithstanding the expiry of the term continue in office until a successor has been appointed. He shall receive such remuneration (if any) from the funds of the University as may be prescribed by the Statutes.

(3) The provisions relating to resignation, conditions of service other than emoluments, the filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties contained in sub-sections (2), (3), (8) and (9) of section 10 shall *mutatis mutandis* apply to the office of Treasurer.

(4) The Treasurer shall be an *ex-officio* member of the Executive Council and shall manage the property and investments of the University and advise in regard to its financial policy. He shall be responsible for the presentation of the annual estimates (in this Act called the budget) and statement of accounts.

(5) The Treasurer shall have the duty--

(i) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment), and

(ii) to disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statute or Ordinance, or for which provision is required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

१२--मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १३ का संशोधन।

"The Registrar.

13. (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely--

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) an educationist nominated by the Chancellor; and

(iii) the Chairman of the Public Service Commission, Uttar Pradesh, or a member thereof nominated in this behalf by the Chairman.

(2) The emoluments [and other conditions of service] of the Registrar shall be prescribed by the Ordinances.

(3) The Registrar shall be [the custodian] responsible for the due custody of the records and [of] the Common Seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee and the Committee of Reference and shall be bound to place before these Authorities all such information as may be necessary for the transaction of business. He shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(4) He shall[make all arrangements for and conduct examinations] conduct the examinations and make all other arrangements necessary therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by the Statutes and the Ordinances."

१३--मूल अधिनियम की धारा १५ में मद (5) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १५ का संशोधन।

"(5) The [Faculty] Boards of Faculties"

"(5-*a*) Selection Committees for the appointment of teachers, and"

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १६ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Court.

16 (1) The Court shall consist of the following persons, namely :

Class I—Ex-officio members :

(i) the Chancellor,

(ii) the Vice-Chancellor

(iii) the Minister of Education , U. P.,

(iv) the Minister of Health, U . P.,

(v) the Treasurer,

(vi) the members of the Executive Council,

(vii) the Director of Medical Services, U.P.,

(viia) the Director of Education , U. P.,

(viii) all Heads of Departments of Teaching in the University or a constituent college and all Professors of the University, a Constitutent College who are not Heads of Departments,

(ix) all Principals of Constituent Colleges and Associated Colleges,

(x) such other [*ex-officio* members] persons with reference to offices held by them as may be prescribed by the Statutes.

Class II—Life members :

(xi) such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the cause of education provided that their number [in the Court] shall at no time be more than four.

(xii) All [persons] individuals who have made donations of not less than Rs.20,000 to or for the purposes of the University or a Constituent College.

Class III—Other members :

(xiii) Persons nominated by the State Government to represent such academic and non-academic bodies and interests as may be prescribed in this behalf by the Statutes.

(xiv) Persons nominated by associations[or] individuals or bodies of individuals making to the University, or a Constituent College donations or annual contributions of an amount to be prescribed by the Statutes [to or for the purposes of the University.]

(xv) [Persons elected by the Legislative Council of the State from among their own body.] Two members of the Legislative Council of the State to be elected by it.

(xvi) [Persons elected by the Legislative Assembly of the State from among their own body.] Five members of the Legislative Assembly of the State to be elected by it.

(xvii) Representatives of Registered Graduates of such standing as may be prescribed by the Statutes.

(xviii) Representatives of donors to the University or a Constituent College not being individuals or persons referred to [other than those included] in items (xii) and (xiv).

(xix) Representatives of teachers of the University (other than [those] teachers included in Class I,) the Provosts, the [Non-Collegiate] Delegacy and of such Boards established under section 25 as may be prescribed by the Statutes.

Explanation—

In this item the expression 'teachers of the University' includes teachers of Constituent Colleges maintained by the State Government.

(xx) Not more than ten persons to be appointed by the Chancellor.

(xxi) Persons elected by the British Indian Association of Avadh from their own body :

Provided that this item shall cease to have effect from July 1, 1965 and any representation thereunder shall similarly cease with effect from the said date.

(2)The number of members who may be in the service of the University, an Associated College, a Constituent College or a Hall, shall not exceed the number of the other members excluding the members under item (xxi).

(2-A) The total number of members including *ex-officio* members but excluding the life members and members under head (xxi) shall not exceed 160.

(3) The number of members referred to in items (xiii) to (xxi) of sub-section (1), their tenure and the manner of their appointment, election or nomination shall, save [where] as otherwise provided in this section, be prescribed by the Statutes.

(4) The [Chancellor] Court may declare vacant the seat of a member, other than an *ex-officio* or life member, who has absented himself from three consecutive meetings of the Court without sufficient cause".

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १८ का संशोधन।

१५--मूल अधिनियम की धा । १८ में खंड (*c*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(*c*) of considering and passing resolutions on the annual report, the annual accounts [and the financial estimates and on any matter connected with the University,] the financial estimates and any matter of general policy relating to University education and administration.

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १९ का संशोधन।

१५-क---मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ।

"The Executive Council.

19. (1) The Executive Council shall be the executive body of the University and shall consi t of the following persons, namely;

(i) The Vice-Chancellor;

(ii) The Treasurer;

(iii) All Deans of Faculties;

(iv) One Principal of an Associated College taking office by rotation according to seniority ;

(v) The person, if any, who may be appointed by the Vice-Chancellor to look after the welfare and extra-curricular activities of the students of the University ;

(vi) One representative of the Provosts and the Delegacy ;

(vii) Two teachers of the University ;

Explanation.

In this item the expression 'teachers of the University' "includes teachers of Constituent Colleges maintained by the State Government.

(viii) Six persons to be elected by such members of the Court as are not in the service of the University, a Constituent College or an Associated College, from amongst themselves in the manner prescribed by the Statutes.

(ix) Persons equal in number to the Deans of Faculties to be nominated by the Chancelor;

(2) The manner of selection of the members under items (vi) and (vii) of sub-section (1) shall be prescribed by the Stat tes.

(3) The term of office of members other than *ex-officio* members shall be three years.

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २० का संशोधन ।

१६—मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Powers and duties of the Executive Council.

20. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to hold, control and administer the property and funds of the University ;

(*b*) to accept the transfer of any moveable or immoveable property on behalf of the University;

(*c*) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes ;

(*d*) to prepare the budget of the University ;

(*e*) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances ;

(*f*) to appoint the officers, teachers and other servants of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of casual vacancies in their posts ;

(*g*) to appoint examiners and to [arrange for] direct the holding of examinations and publication of results of examinations ;

[(*h*) with the previous sanction of the Chancellor, to recognize institutions as Associated Colleges and likewise to withdraw such recognition ;]

(*i*) to arrange for and direct the inspection of Associated Colleges, Halls, and other places of residence of students ;

(*j*) to direct the form and use of the Common Seal of the University ;

(*k*) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances, to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes and to exercise all other powers of the University not otherwise provided for by or under this Act.

(2) The Executive Council shall appoint a committee (hereinafter called the Finance Committee) consisting of the Treasurer and four other persons from amongst its members out of whom not more

than two shall be persons in the service of the University, to advise the Executive Council on matters relating to the administration of the property and funds of the University. The Treasurer shall be the chairman of the Finance Committee.

(3) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Committee of Reference.

(4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications, and emoluments of teachers and the appointment of and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Faculties concerned.

[(5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Court, but where in any case it is not able to do so it shall inform the Court of its inability with the reasons therefor."]

(5) The Executive Council shall give due consideration to the resolutions of the Court and take such action thereon as it shall deem fit and report it to the Court. Where, in any case, the Executive Council is unable to take action in accordance with any resolution it shall inform the Court of its reasons therefor.

(6) The Executive Council may, subject to conditions to be laid down in the Statutes, delegate such of its powers as it deems fit to an officer or Authority of the University."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २१ का संशोधन।

[१७—मूल अधिनियम की धारा २१ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 21-A के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"21-A. There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The constitution and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes."]

१७—(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २१ को उपधारा (१) के रूप में संख्यातरित किया जाय और उसके पश्चात निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय—

Provided that the number of members of the Academic Council shall not exceed seventy-five.

(२) निम्न-लिखित को उक्त धारा की उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय ।

Standing Committee of the Academic Council.

"There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The constitution, powers and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes".

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २२ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Committee of Reference.

22. (1) The Committee of Reference shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor ;

(ii) the Treasurer ;

(iii) three members of the Court, none of whom shall be an employee of the University or a member of the Executive Council, to be appointed in the manner prescribed by the Statutes ;

(iv) two persons to be nominated by the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) The Committee of Reference shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be [provided] prescribed by or under this Act.

(4) The Committee of Reference may, for any special [unforeseen] reasons, revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it under sub-section (3)."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २३ का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Faculties.

23. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall comprise such Departments of teaching as may be prescribed by the Statutes. Subjects of study shall be assigned to various Departments by the Ordinances.

(3) There shall be a Board of each Faculty the constitution and powers of which shall be prescribed by the Statutes.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be the Head of a Department of Teaching in the Faculty [and shall be] chosen with due regard to seniority in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes.

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of the Faculty and be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty. He shall be further responsible for the organization and conduct of the teaching and research work of the Departments comprised in the Faculty.

(6) There shall be a Head in each Department of Teaching who shall be responsible to the Dean for the organization of the teaching in the Department. The seniormost Professor of a Department shall be the Head of the Department, and where there is no Professor in a Department the seniormost Reader thereof shall be the Head."

(7) The duties, powers and functions of the Heads of Department shall be prescribed by the Ordinances".

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २५ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "Residence, Health and Discipline Board and such other", के स्थान पर 'such' रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २६ का संशोधन।

२१—मूल अधिनियम की धारा २६ में शब्द "Residence, Health and Discipline Board and of all other" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० में एक नई धारा का बढ़ाया जाना।

२२—मूल अधिनियम की धारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 26-A के रूप में रख दिया जाय—

"Manner of appointment of officers and members of Authorities.

26-A. (1) Save where expressly provided to the contrary, officers and members of the authorities of the University shall [as far as may be,] be chosen [by methods other than election] in the manner prescribed by the Statutes.

(2) Where provision is made by this Act or the Statutes for any appointment by rotation according to seniority or other qualification, the manner of rotation or determination of [determining] seniority [or such] other qualification shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २७ का संशोधन।

२३—मूल अधिनियम की धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Statutes.

27. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for the following—

(*a*) the constitution, powers and duties of the Authorities and Boards of the University;

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities

and Boards of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities and Boards for which it may be necessary or desirable to provide ;

(*c*) the institution and maintenance of Constituent Colleges and Halls ;

(*d*) the designation, manner of appointment, powers and duties of the officers of the University ;

[(*e*) the classification and mode of appointment of teachers ;]

(*e*) the classification and manner of recruitment of teachers ;

(*f*) the constitution of a provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University ;

(*ff*) the institution of degrees and diplomas ;

(*g*) the conferment of honorary degrees ;

(*h*) the withdrawal of degrees, diplomas, and other academic distinctions ;

(*i*) the conditions on which an institution may be granted recognition as an Associated College and be liable to the withdrawal of such recognition ;

(*j*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(*k*) the establishment of departments of teaching in the Faculties ;

(*l*) the maintenance of a Register of Registered Graduates ;

(*m*) the holding of Convocation ;

(*n*) the institution of fellowships, scholarships, bursaries, medals and prizes ; and

(*o*) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

२४--मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २९ का संशोधन।

"Ordinances. 29. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely--

(*a*) the admission of students to the University or a Constituent College or an Associated College and their enrolment and continuance as such;

(*b*) the courses of study to be laid down for all degrees and diplomas of the University ;

(*c*) the conditions under which students shall be admitted to the degree, diploma or other courses and to the examinations of the University, and shall be eligible for the award of degrees and diplomas ;

(*d*) the conditions of residence of the students of the University and the levying of fees for residence in Halls maintained by the University ;

(*e*) the recognition of Halls not maintained by the University ;

[(*f*) the number, qualifications, emoluments and terms and conditions of service (including the age of retirement) of teachers and salaried officers of the University ;]

(*f*) the number, qualifications, emoluments and other conditions of service (including the age of retirement) of the teachers and salaried officers of the University and the preparation and maintenance of a record of their service and activities;

(*g*) the fees which may be charged by the University for any purpose ;

(*h*) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instruction in Halls ;

(*i*) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators ;

(*j*) the conduct of examinations ;

(*k*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed on the business of the University ;

(*l*) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, bursaries, medals and prizes ;

(*m*) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances".

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३० का संशोधन ।

२५--मूल अधिनियम की धारा ३० में--

(१) उपधारा (1) के खंड (d) में शब्द "the Residence, Health and Discipline Board", के स्थान पर शब्द "the relative Board established under Section 25" रख दिये जायं ।

(१-क) उपधारा (१) में निम्नलिखित नया खण्ड (*e*) के रूप में बढ़ा दिया जाय ।

"(*e*) affecting the income or expenditure of the University unless a draft of such ordinance has been submitted

to the State Government and the State Government does not object."

(२) उपधारा (३) में शब्द 'made by the Executive Council' और शब्द "shall" के बीच में शब्द "shall have effect from such date as it may direct and" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३१ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ३१ में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for courses of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Board of the Faculty concerned.

The Academic Council may not alter a draft received from the Board of the Faculty concerned but may reject the draft received or return it to the Board of the Faculty concerned for further consideration together with its own suggestions.

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० में ३ नई धाराओं का बढ़ाया जाना।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३१ के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक "Teachers" के अन्तर्गत धाराएं 31-A और 31-B [और 31-C] के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"Teachers. 31-A. (1) Subject to the provisions of this Act, and except as provided in sub-section (3), the teachers of the University and the Associated Colleges shall be appointed by the Executive Council or the Management of the Associated College, as the case may be, on the recommendation of the Selection Committee in such manner as may be prescribed by the Statutes.

[(2) Every appointment under sub-section (1) shall, in the first instance, be on probation for such period and on such conditions as may be prescribed by the Statutes, and shall require to be confirmed by the Executive Council or the Management.]

[(3) Appointment in vacancies or posts likely to last for not more than six months may be made by the Executive Council or the Management without the advice of the Selection Committee."]

(2) Every teacher appointed under sub-section (1) shall, in the first in tance, be on probation for such period as may be prescribed by the Statutes and he shall not be confirmed :

(*a*) if he is a teacher of the University except by the order of the Executive Council after consider-

ing the reports of the Vice-Chancellor and the Head of the Department and the Dean concerned, and

(*b*) if he is a teacher of an Associated College, except by the order of the Management after considering the report of the senior teacher of the subject and the Principal of the College.

(3) The Executive Council or the Management, as the case may be, may make officiating appointments in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the Selection Committee but shall not fill any other vacancy or post likely to last for more than six months without such reference."

'Selection Committee.

[31-B. (1) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study. It shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman ;

(ii) the Dean of the Faculty concerned ;

(iii) three experts in the case of the appointment of a Professor or a Reader and two experts in other cases;

(iv) the Head of the Department concerned ;

(v) one member of the Executive Council, not being a teacher, to be chosen, by the Council;

(vi) where the appointment is to be in an Associated College the Principal of that College.

(2) The experts referred to in sub-clause (iii) of sub-section (1) shall be appointed by the Chancellor out of a panel prepared under sub-section (3).

(3) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall invite any three Universities established by law in India to propose two or such larger number of experts in the particular subject as the Chancellor may require and all names so proposed shall be included in the panel. The panel shall be revised, unless the Chancellor directs otherwise, after every two years.

Explanation.—For the purpose of this section a branch of a subject in which an independent courst of study is prescribed for a post-graduate degree shall be deemed to be a subject of study.

(4) No recommendation shall be made by a Selection Committee unless it is supported in the case of appointments to the office of Professor or Reader by two experts, and in other cases by one expert.

(5) If the Executive Council or the Management disagrees with the recommendation of the Selection Committee it may return the recommendation to the Selection Committee with its reasons for disagreement. The Selection Committee shall thereupon review its recommendation in the light of the reasons given by the Executive Council or the Management. Where the Selection Committee reiterates its original recommendation, it shall be accepted by the Executive Council or the Management; in case the Selection Committee makes a fresh recommendation, it shall be treated as though it were an original recommendation.]

31-B. (1)There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study consisting of:—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the chairman;

(ii) the Dean of the Faculty concerned;

(iii) two experts in the case of appointment of a Professor or Reader and one expert in other cases, to be appointed by the Chancellor;

(iv) the Head of the Department concerned except where he is a candidate for the appointment;

(v) two members of the Executive Council, not being teachers, to be chosen by the Council in the manner prescribed by the Statutes; provided that the same two members may serve on more than one Committee or on all Committees:

(vi) the Principal and one representative of the Management of the College where the appointment is to be in an Associated College.

(2) The experts referred to in sub-clause (iii) of sub-section (1) shall be appointed by the Chancellor out of a panel prepared under sub-section (3).

(3) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall obtain from such Universities established by law in India and such research institutes and learned societies as he may deem fit, the names of experts in the particular subject and all names so obtained shall be included in the panel. The panel shall unless the Chancellor directs otherwise, be revised after every two years.

Where the Selection Committee has recommended the name of a person for appointment as teacher and the recommendation is supported by a majority of the members of the Committee including two experts, the Executive Council, or as the case may be, the Management shall either accept the recommendation or refer the case to the Chancellor with its comments,

(5) Where in any case a Selection Committee has recommended the name of a person and the recommendation is supported by a majority of the members of the Committee but n t by at least two experts, the Executive Council or the Management, as the case may be, shall refer the case to the Chancellor, with its own recommendation thereon, and the opinion of the experts.

Explanation: For the purpose of sub-sections (4) and (5 the Head of the Department if he is a member shall be deemed to be an expert.

(6) Where a reference has been made to the Chancellor under sub-section (4) or (5), the Chancellor shall be free to appoint such person as he considers suitable.

(7) The Selection Comimittee shall subject to availability of suitable candidates, recommend more than one person against each vacancy and place their names in the order of preference. It shall not be open to the Executive Council or the Management, as the case may be, to depart from the order in which the names are recommended.

["The Consultative Committee.]

[31-C. (1) There shall be established a Committee consisting of three persons of such qualifications and to be appointed in such manner as may be prescribed by the Statutes. It shall be called the Consultative Committee.

(2) It shall be the duty of the Consultative Committee whenever so required by the Vice-Chancellor to advise on any disciplinary matter affecting a teacher of the University.

(3) Where the Consultative Committee has recommended disciplinary action in any case and the Executive Council does not agree with the Committee, the matter shall be referred to the Chancellor who may take such action as he deems fit."]

२८--मूल अधिनियम की धारा ३२ से शब्द "in a College or Hall, or" निकाल दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३२ का संशोधन।

२९--मूल अधिनियम की धारा ३३ में-- यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३३ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(1) Halls maintained by the University shall be such as may be named by the Statutes."

(२) उपधारा (2) से शब्द 'Colleges and' निकाल दिए जायं।

(३) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(3) The conditions of residence in Halls and other places of residence for students of the University shall be prescribed by the Ordinances and every Hall and such other place shall be subject to inspection by an officer of the University or other person, authorised in this behalf by the Executive Council."

(४) उपधारा (4) और उसके प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द 'College or Hall' के स्थान पर शब्द 'Hall or other place of residence for students of the University' रख दिए जायं।

३०--मूल अधिनियम को धारा ३३ के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं 33-A, 33-B और 33-C के रूप में बढ़ा दिया जाय-- यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० में तीन नयी धाराओं का बढ़ाया जाना।

"Associated, Colleges

33-A. (1) Associated Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) It shall be lawful for an Associated College to make arrangements with any other Associated College or Colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

(3) The conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no Associated College shall be authorised to impart instruction for post-graduate degrees.

(4) Except as provided by this Act, the Management of an Associated College shall be free to manage and control the affairs of the College and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such College shall be responsible for the due maintenance of discipline in it.

(5) An Associated College shall be inspected at intervals of not more than three years in the manner prescribed by the Statutes and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(6) The recognition of an Associated College may, with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn [if] by the Executive Council if it is satisfied, after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defects in its work pointed out by the Executive Council."

[Non-Collegiate] The Delegacy.

33-B. There shall be a [Non-Collegiate] Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any Constituent College or Hall. The constitution, powers and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes.

33-C. (1) Constituent Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) The Principal of a Constituent College shall be responsible for the discipline of the students enrolled in the College and shall have general control over the ministerial and inferior staff allotted to the College. He shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३४ का संशोधन।

३१--मूल अधिनियम की धारा ३४ में--

(१) उपधारा [1] में शब्द "including at least one Principal and one Provost" निकाल दिये जायं।

(२) उपधारा (४) में शब्द "State Government" के स्थान पर शब्द "Chancellor" रख दिया जाय।

[(२)] (३) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (5) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(5) Any student whose work is unsatisfactory may be removed from the University or a Constituent College or an Associated College in accordance with the provisions of the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३५ का संशोधन।

३२--मूल अधिनियम की धारा ३५ में--

(1) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(3) At least one person who is not an employee of the University, a Constituent College, [or] an Associated College or a Hall shall be appointed examiner for each subject of study for a degree."

(२) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(4) The Board of each Faculty shall appoint an Examination Committee for every subject assigned to the Faculty. The Committee shall consist of such persons as the Board may, subject to the approval of the Academic Council, appoint from among its own members or from outside. The Committee shall have power to moderate question papers set for examinations, review the quality of the work submitted by candidates for examination, report on the standard of attainment and make recommendations in regard to any of these matters. Any review, report or recommendation made by the Committee shall be laid before the Academic Council for its consideration."

(३) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(5) Every person appointed [an] as examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

[३३--मूल अधिनियम की धारा ३६ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

यू० पी० एक्ट ५, १९२० की धारा ३४ का संशोधन।

"The Executive Council shall inform the Court of the action taken by it and when no action is taken of the reasons therefor."]

३४--मूल अधिनियम की धारा ३७ में--

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३७ का संशोधन।

[(१) उपधारा (1) के अंत में निम्नलिखित एक नये पैराग्राफ के रूप में बढ़ा दिया जाय--]

["The State Government shall cause an audit of the entire accounts of the University for each year to be carried out by auditors of high standing. The accounts shall include all funds accruing to the University under this Act, the Statutes and the Ordinances."]

[(२) उपधारा (2) में शब्द "published by the Executive Council in the Gazette", के स्थान पर शब्द "printed" रख दिया जाय और उपधारा के अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"It shall be lawful for the State Government to require any person, who, after consideration of his explanation in writing, is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary."]

(१) उपधारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council, and all monies accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(1-A) A copy of the accounts and the balance sheet shall be submitted to the State Government which shall cause an audit to be carried out by auditors of high standing.

(2) The accounts when audited shall be printed and copies thereof shall together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council to the Court and the State Government.

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२–ए) और (२–बी) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(2) (A) It shall be lawful for the State Government to require any person who is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances, to reimburse the amount so spent and the State Government may take all such steps as may be deemed necessary:

Provided that the State Government shall before requiring any person as aforesaid give him a reasonable opportunity of making a representation."

(2) (B) In sub-section (6) the following words occurring after the words "Executive Council" shall be *deleted*:

"which shall take them into consideration, and take such action thereon as it thinks fit."

(३) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7) के रूप में रख दिया जाय—

"(7) Except in so far as such expenditure is incurred out of funds accruing under clause (c) of sub-section (1) of Section 20, it shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the budget."

३५—मूल अधिनियम की धारा ३९ में शब्द "body of the University" और शब्द "the matter", के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय —

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३९ का संशोधन।

"or whether any decision of the University or any authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances."

३६—मूल अधिनियम की धारा ४१ में निम्नलिखित उपधारा (2) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा को उपधारा (1) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४१ का संशोधन।

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

३७—मूल अधिनियम की धारा ४२ [के अन्त] में शब्द 'members' के पश्चात् [आये हुए फुलस्टाप के स्थान पर] निम्नलिखित रख दिया जाय —

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४२ का संशोधन।

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so"

३८—मूल अधिनियम की धारा ४४ में शब्द "Indian Arbitration Act, 1899" के स्थान पर शब्द "Arbitration Act,1940 (Act X of 1940)" रख दिये जायं।

यू० पी० एक्ट ५, १९२० की धारा ४४ का संशोधन।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

३९—मूल अधिनियम, परिनियमों (Statutes) या अध्यादेशों (Ordinances) में किसी बात के होते हुए भी लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसे यहां पर आगे चल कर "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदासीन अथवा संगठित किसी निर्वाचित अधिकारी अथवा प्राधिकारी का कार्यकाल संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तदनुरूप (corresponding) अधिकारी अथवा प्राधिकारी के नियुक्त, निर्वाचित अथवा संगठित किये जाने पर समाप्त हो जायगा।

४०—संशोधन अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिए वैध होगा कि वह इस संबंध में ऐसा कोई भी कार्य करे, जो संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों के उचित संगठन के लिये सामान्यतः आवश्यक हो जिसके अन्तर्गत परिनियमों (Statutes) का बनाना भी है और ऐसे परिनियमों के प्रचलित होने के दिनांक निश्चित करे।

इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियम (Statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन, कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें अधिक्रांत (supersede) न कर दिया जाय।

४१—(१) राज्य सरकार मूल अधिनियम के उपबन्धों से संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रति संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके —

(क) आदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित उक्त मूल अधिनियम उ कालावधि में जिसे आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, परिष्कार (odification) परिवर्धन अथवा लोप (omission) के रूप में किये गये ऐसे अनुकलनों के अधीन जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे, प्रभावशील होगा; या

(ख) आदेश दे सकती है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उस समय तक जब तक कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम के अधीन और अनुसार यूनिवर्सिटी प्राधिकारी संगठित अथवा नियुक्त न किये जायं, यूनिवर्सिटी के ऐसे प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार अथवा सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य और कृत्य संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व के दिनांक पर स्थापित तदनुरूप प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायेंगे; या

(ग) आदेश दे सकती है कि संशोधित अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रचलित कोई परिनियम (Statute) अध्यादेश या विनियम (Regulation) ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों, परिवर्धनों और लोपों (omissions) के अधीन, जैसा कि वह उचित और आवश्यक समझे, उस समय तक आगे भी प्रचलित रहेंगे जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कार्य करके उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय; या

(घ) ऐसी कोई कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा न दी जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई किसी आज्ञा पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जायगा कि उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करने की आवश्यकता नहीं थी ।

उद्देश्य और कारण

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट आज से ३३ वर्ष पूर्व १९२० में बना था। उस समय से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है यद्यपि इस राज्य के विश्वविद्यालयों के पुनरसंगठन का प्रश्न १९३८ से ही शासन के विचाराधीन रहा है जब कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी । तब से विश्वविद्यालयों के पुनस्संगठन की समस्या पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन) द्वारा तथा इस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी विचार किया गया है। उपर्युक्त समितियों की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय के संविधान एवं अधिकारियों तथा समितियों के कार्य की उन्नति करने का प्रस्ताव है ।

अतः यह विधेयक सदन के विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है ।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—११४ एल० ए०—१९५४—८५० ।